

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

परिशिष्ट

वाणिज्यिक
सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2007

मूल्य: रुपये 65 डालर 5

<http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2006>

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस
33 नेहरू रोड, कैन्ट सदर, लखनऊ फोन: 2481164

विषय-सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		vii
	विहंगावलोकन		ix - xv
	अध्याय-I		
	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	1 - 18
	प्रस्तावना	1.1	1
	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.2 - 1.14	2 - 8
	ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.15 - 1.16	8 - 9
	अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.17 - 1.22	9 - 11
	सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.23	11 - 12
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.24	12 - 13
	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के लेखों पर लेखा परीक्षा के परिणाम	1.25 - 1.32	13 - 16
	लेखा परीक्षा के आधार पर वसूलियाँ	1.33	16
	आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.34	16 - 17
	पीएसयू की बन्दी के लिए संस्तुति	1.35	17
	सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.36	17 - 18
	619-बी कम्पनियाँ	1.37	18
	अध्याय-II		
	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं		19 - 106
	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	2.1	19 - 38
	मुख्य अंश	--	19 - 20
	प्रस्तावना	2.1.1	20
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	20 - 21
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.1.3	21
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.1.4	21
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.1.5	21 - 22
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.6 - 2.1.31	22 - 37
	आंतरिक नियंत्रण के उपकरण	2.1.7 - 2.1.26	22 - 34
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2.1.27 - 2.1.31	34 - 37
	अभिस्वीकृति	2.1.32	37
	निष्कर्ष	--	37 - 38
	संस्तुतियाँ	--	38
	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड में देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता	2.2	39 - 62
	मुख्य अंश	--	39
	प्रस्तावना	2.2.1	39 - 40
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.2.2 - 2.2.3	40 - 41
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.2.4	41
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.2.5	41
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.2.6	41 - 42
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.2.7 - 2.2.36	42 - 61
	देयकीकरण प्रक्रियाएं	2.2.8 - 2.2.24	42 - 53

	अध्याय-II		
	राजस्व का संग्रहण	2.2.25 - 2.2.32	53 - 58
	राजस्व का लेखांकन	2.2.33 - 2.2.34	58 - 59
	आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली	2.2.35 - 2.2.36	59 - 61
	अभिस्वीकृति	2.2.37	61
	निष्कर्ष	--	61
	संस्तुतियाँ	--	61 - 62
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों (डिस्काम्स) द्वारा ऊर्जा का क्रय एवं विक्रय	2.3	63 - 88
	मुख्य अंश	--	63
	प्रस्तावना	2.3.1	64
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.3.2	64
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.3.3	65
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.3.4	65
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.3.5	65
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.3.6 - 2.3.33	66 - 87
	मांग का निर्धारण	2.3.7	66- 67
	ऊर्जा का क्रय	2.3.8 - 2.3.11	67 - 71
	ऊर्जा का विक्रय	2.3.12 - 2.3.32	71 - 86
	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	2.3.33	86 - 87
	अभिस्वीकृति	2.3.34	87
	निष्कर्ष	--	87 - 88
	संस्तुतियाँ	--	88
	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड की वसूली एवं बिलिंग प्रणाली पर आईटी समीक्षा	2.4	89 - 106
	मुख्य अंश	--	89
	प्रस्तावना	2.4.1	89 - 90
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.4.2	90
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.4.3	90 - 91
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.4.4	91
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.4.5	91
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.4.6 - 2.4.27	91 - 106
	प्रणाली विकास एवं क्रियान्वयन	2.4.6 - 2.4.11	91 - 96
	अनुप्रयोग नियंत्रण	2.4.12	96 - 97
	प्रक्रिया नियंत्रण	2.4.13 - 2.4.16	97 - 101
	एसआईएस के उपकरण के रूप में प्रणाली का प्रयोग	2.4.17 - 2.4.19	101 - 102
	सामान्य नियंत्रण	2.4.20 - 2.4.27	102 - 106
	अभिस्वीकृति	2.4.28	106
	निष्कर्ष	--	106
	संस्तुतियाँ	--	106
	अध्याय-III		
	सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन-समीक्षाएं		107 - 156
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सम्पत्तियों का निर्माण एवं आवंटन	3.1	107 -138
	मुख्य अंश	--	107 - 108
	प्रस्तावना	3.1.1	108 - 109

अध्याय-III			
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3.1.2	109	
लेखा परीक्षा के उद्देश्य	3.1.3	109 - 110	
लेखा परीक्षा की कसौटी	3.1.4	110	
लेखा परीक्षा प्रक्रिया	3.1.5	110	
लेखा परीक्षा प्रेक्षण	3.1.6 - 3.1.56	110 - 137	
भूमि का अधिग्रहण	3.1.7 - 3.1.17	111 - 118	
भूमि का विकास	3.1.18 - 3.1.23	119 - 121	
परिसम्पत्तियों का निर्माण	3.1.24 - 3.1.31	121 - 125	
परिसम्पत्तियों का आवंटन	3.1.32 - 3.1.43	125 - 132	
कमज़ोर बर्गों के लिये शासन की विशेष योजना का क्रियान्वयन	3.1.44 - 3.1.51	132 - 135	
आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखा परीक्षा	3.1.52 - 3.1.56	135 - 137	
अभिस्वीकृति	3.1.57	137	
निष्कर्ष	--	137 - 138	
संस्तुतियाँ	--	138	
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा भण्डारणों का निर्माण एवं संचालन	3.2	139 - 156	
मुख्य अंश	--	139 - 140	
प्रस्तावना	3.2.1	140	
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3.2.2	140	
लेखा परीक्षा के उद्देश्य	3.2.3	140 - 141	
लेखा परीक्षा की कसौटी	3.2.4	141	
लेखा परीक्षा प्रक्रिया	3.2.5	141	
लेखा परीक्षा प्रेक्षण	3.2.6 - 3.2.28	141 - 155	
गोदामों का निर्माण	3.2.7 - 3.2.14	142 - 147	
भण्डार गृहों का संचालन	3.2.15 - 3.2.21	147 - 151	
गोदूँ की खरीद तथा भण्डारण	3.2.22	151 - 152	
हैण्डलिंग तथा ट्रान्सपोर्ट आपरेशन	3.2.23	152	
निधि प्रबन्ध	3.2.24 - 3.2.27	152 - 154	
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	3.2.28	154 - 155	
अभिस्वीकृति	3.2.29	155	
निष्कर्ष	--	155	
संस्तुतियाँ	--	155 - 156	
अध्याय-IV			
व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण	4	157 - 195	
सरकारी कम्पनियाँ		157 - 186	
उत्तर प्रदेश स्टेट एण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड			
डिपाजिट कार्यों पर प्रतिशत प्रभार के अनारोपण से हानि	4.1	157	
चावल मिलरों को अनुचित लाभ	4.2	157 - 158	
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड			
अनुग्रह राशि का अधिक भुगतान	4.3	158 - 159	
उत्तर प्रदेश डग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड			
भार प्रभारों का परिहार्य भुगतान	4.4	159 - 160	

	अध्याय-IV		
	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड		
	ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.5	160 - 161
	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड		
	परिहार्य व्यय	4.6	161 - 162
	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लिमिटेड		
	पम्प हाउस के निर्माण में हानि	4.7	162 - 163
	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड		
	आधिक्य व्यय	4.8	163 - 164
	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड		
	निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित न किये जाने से हानि	4.9	164 - 165
	अपने कार्यालय भवन के निर्माण पर अनियमित व्यय	4.10	165
	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड		
	अलाभकारी व्यय	4.11	166
	एक निजी पक्ष को अनुचित लाभ	4.12	166 - 167
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गना विकास निगम लिमिटेड		
	कम मूल्य के दावे का प्रस्तुतीकरण	4.13	168
	विद्युत वितरण कम्पनियाँ		
	शाण्ट कैपेसिटर अधिभार की वसूली न होना	4.14	168 - 170
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	अनियमित भार गुणांक छूट	4.15	171
	ऊर्जा का अल्प निर्धारण	4.16	171 - 172
	उपभोक्ता को अनुचित पक्षपात	4.17	172 - 174
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.18	174 - 175
	मौसमी उद्योगों को अस्वीकार्य वित्तीय लाभ	4.19	175 - 176
	नियत और अतिरिक्त प्रभारों का अन-उद्ग्रहण	4.20	176 - 177
	उपभोक्ता को अनुचित पक्षपात	4.21	178
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.22	178 - 179
	विद्युत चोरी के विरुद्ध अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण	4.23	179 - 180
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.24	180 - 181
	राजस्व का अल्प प्रभार	4.25	181 - 182
	परिचमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण	4.26	182 - 184
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.27	184 - 185
	उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	4.28	185 - 186
	राजस्व की हानि	4.29	186
	सांविधिक निगम		187 - 190
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम		
	चूककर्ता इकाई का भौतिक कब्जा लेने में विफलता के कारण देयकों की वसूली न होना	4.30	187 - 188
	एकपुरत समाधान में ऋणी को अनुचित लाभ	4.31	188 - 189
	ब्रोकरेज तथा अन्डरराइटिंग कमीशन का अस्वीकार्य भुगतान	4.32	189 - 190
	सामान्य		191 - 195
	वित्तीय विवरणों को बनाने में लेखाकरण मानकों का सतत अपालन	4.33	191 - 192

अध्याय-IV			
क्रम	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	राज्य विधायिका के समक्ष सरकारी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.34	192 - 193
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	4.35 - 4.37	193 - 194
	निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और समीक्षाओं के बारे में प्रतिक्रिया	4.38	194 - 195
	परिशिष्ट	सन्दर्भ	
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2006 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1.4, 1.5, 1.6 एवं 1.19	197 - 204
2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.21 एवं 1.22	205 - 215
3	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2006 की समाप्ति पर प्राप्त उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती विवरणी	1.6 एवं 1.19	216 - 218
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8	219 - 222
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.8	223 - 226
6	सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी	1.13	227 - 229
7	आंतरिक लेखा परीक्षण/आंतरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी	1.34	230
8	कम्पनियाँ जिनका आवर्त पिछले पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	1.35	231
9	कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	1.35	232
10	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.37	233
11	2001-02 से 2004-05 के दौरान बजटेड तथा वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण	2.1.8	234
12	2004-05 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक योजना से दूसरी योजना को खाद्यान्नों के हस्तान्तरण का विवरण	2.1.23	235
13	खाद्यान्नों की कमी के कुछ दृष्टान्तों के विवरणों को दर्शाती विवरणी	2.1.30	236 - 237
14	2005-06 तक के पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा के स्रोतबार क्रय को दर्शाती विवरणी	2.3.8	238
15	अवधि 2001-02 से 2005-06 के दौरान निर्धारित राजस्व से बिक्रीत ऊर्जा के प्रतिशत तथा उपभोक्ताओं के सकारात्मक (+)/नकारात्मक (-) अंशदान को दर्शाती विवरणी	2.3.17	239
16	14 योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण की स्थिति को दर्शाती विवरणी	3.1.9 एवं 3.1.32	240 - 241
17	छ: योजनाओं में भूमि के अधिग्रहण को दर्शाती विवरणी	3.1.9	242
18	2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान सीमेन्ट की दरों का विश्लेषण दर्शाती विवरणी	3.1.26	243 - 245
19	2005-06 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान स्टील (8 मिमी) एवं सीमेन्ट की स्थिति को दर्शाती विवरणी	3.1.27	246
20	खण्डीय प्रयोगशालाओं में परीक्षित किये गये नमूनों एवं ऐसे नमूनों जहाँ स्तरीकरण अपेक्षित था (फार्म 'ख'), की संख्या को दर्शाती विवरणी	3.1.30	247
21	जाँच प्रतिवेदन (ईट)	3.1.31	248
22	आंबटियों से वसूल की गयी अतिरिक्त लागत के समायोजन न करने को दर्शाती विवरणी	3.1.38	249
23	दीर्घकाल से अविक्रीत रही परिसम्पत्तियों को दर्शाती विवरणी	3.1.41	250 - 252

क्रम	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
24	परिषद की परिसम्पत्तियों में अनाधिकृत कब्जा	3.1.42	253
25	ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिये ऋण का आस्थगन न होने के कारण अस्वीकार्य उपदान के विवरण को दर्शाती विवरणी	3.2.12	254
26	धर्मकॉटा की संस्थापना न होने के कारण भुगतान किये गये भारोत्तोलन शुल्क के विवरण को दर्शाती विवरणी	3.2.20	255
27	धर्मकॉटा का संचालन न होने के कारण भारोत्तोलन पर हुए व्यय के विवरण को दर्शाती विवरणी	3.2.21	256
28	एफसीआई तथा आरएफसी के लिये अनुमन्य उसी केन्द्र पर अन्तरात्मक एच एण्ड टी दरों को दर्शाती विवरणी	3.2.23	257
29	यूबीआई से लिये गये ऋण की अन्तरात्मक दरों पर ब्याज की गणना को दर्शाती विवरणी	3.2.24	258
30	कम्पनियाँ जिन्होने अपने लेखों का अन्तिमीकरण करते समय लेखांकन मानकों का उल्लंघन किया, के विवरण को दर्शाती विवरणी	4.33	259 - 261
31	कम्पनियों को वार्षिक सामान्य बैठकों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण के विवरण को दर्शाती विवरणी	4.34	262 - 266
32	प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे, को दर्शाती विवरणी	4.35	267 - 268
33	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	4.37	269- 274
34	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	4.37	275 - 278
35	विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.38	279
36	विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी	4.38	280

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- (i) सरकारी कम्पनियाँ,
- (ii) सांविधिक निगम, एवं
- (iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसे समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। आठ विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्ध में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2005-2006 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2005-2006 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2006 को राज्य में, 39 अकार्यरत कम्पनियों को सम्मिलित करते हुये, 87 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 94 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे जबकि 31 मार्च 2005 को कम्पनियां तथा निगमों की संख्या यथावत् थी। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2006 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ (एक कार्यरत एवं तीन अकार्यरत) थीं।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.38)

- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2005 के 25,699.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 27,128.12 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यरत पीएसयू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 873.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 875.84 करोड़ रुपये हो गया।

(प्रस्तर 1.2 एवं 1.18)

- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूँजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2004-05 के 7,410.86 करोड़ रुपये से घटकर 2005-06 में 1,444.18 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2005-06 के दौरान कार्यरत पीएसयू को कुल 1,827.20 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। कार्यरत पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत बकाया ऋणों की कुल राशि 31 मार्च 2006 को 6,385.09 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 1.6)

- मात्र पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम ने वर्ष 2005-06 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया। 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा छः कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2006 को एक वर्ष से 16 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे। 39 अकार्यरत कम्पनियों में से 10 कम्पनियाँ परिसमापनाधीन थीं। शेष 29 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे, 30 सितम्बर 2006 को, एक वर्ष से 29 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.7, 1.17 एवं 1.21)

- अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, 24 कार्यरत पीएसयू (18 सरकारी कम्पनियाँ तथा छः सांविधिक निगम) ने कुल 386.96 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा 30 कार्यरत पीएसयू (29 सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) ने कुल 1,815.23 करोड़ रुपये की हानि उठाई। 29 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से, 18 कम्पनियों की संचित हानियाँ कुल 6,258.37 करोड़ रुपये थीं जो उनकी 4,717.60 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं। इसी प्रकार, हानि उठाने वाले एक सांविधिक

निगम की संचित हानियों कुल 78.75 करोड़ रुपये थीं। इस निगम की कोई प्रदत्त पूँजी नहीं थी।

(प्रस्तर 1.8, 1.10 एवं 1.12)

2. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षायें

उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड में आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड में देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों (डिस्काम्स) द्वारा ऊर्जा का क्रय एवं विक्रय, दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड में वसूली एवं बिलिंग प्रणाली पर आईटी समीक्षा, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सम्पत्तियों का निर्माण एवं आवंटन तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा भण्डारणहों का निर्माण एवं संचालन से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षायें आयोजित की गई। प्रमुख प्रेक्षणों में से कुछ निम्नवत् हैं:

उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड में आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली

- चौंकि कारपोरेट प्लान तथा कार्यात्मक नियमावलियाँ (प्रशासनिक, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा) तैयार नहीं की गई थीं, इसलिये कम्पनी की आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी नहीं थी।
- आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त एवं प्रभावशाली नहीं थी। 2001-02 से 2005-06 के मध्य आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार नहीं की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया परिणामस्वरूप आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा इंगित 4.20 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों की कमी/गबन अवसूलित रहे।
- न तो बजट समय से तैयार किया गया और न ही विचलनों का विश्लेषण किया गया। कम्पनी का वित्तीय प्रबन्ध असन्तोषजनक था क्योंकि कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों से मार्जिन मनी तथा अपने कर्मचारियों से कमियों/गबन की वसूली करने में विफल रही।
- कम्पनी के लेखों की तैयारी 16 वर्षों (1990-91 से 2005-06) से बकाया थी। परिणामस्वरूप कम्पनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी एवं गबन/दुर्विनियोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, 0.57 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न किसानों की बजाय बिचौलियों से क्रय किया गया।

(अध्याय-2.1)

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड में देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता

कानपुर के नगरीय क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु कम्पनी का गठन जुलाई 1999 में हुआ था। देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण की निष्पादन समीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख कमियों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- कम्पनी, भारी वितरण हानियों के कारण क्रय की गई ऊर्जा की लागत, वसूल नहीं कर सकी। कम्पनी ने राजस्व वसूली के निम्न लक्ष्यों को निर्धारित किया था तथा इसका वसूली तन्त्र प्रभावपूर्ण नहीं था, परिणामस्वरूप राजस्व का संग्रहण त्वरित नहीं था।
- कम्पनी को अतिरिक्त माँग प्रभारों, विलम्ब भुगतान अधिभार और शट्ट कैपेसिटर अधिभार के न लगाये जाने के कारण कुल 3.23 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।
- कम्पनी, 3800 स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण को देयक जारी करने में विफल रही; फलतः कुल 3.47 करोड़ रुपये के राजस्व के प्रभारण की कमी हुई।
- उपभोक्ताओं के मीटरों की निर्धारित समयावधि में जाँच करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप कुल 1.06 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अध्याय-2.2)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों (डिस्काम्स) द्वारा ऊर्जा का क्रय एवं विक्रय

यूपीपीसीएल पारेषण प्रणाली के सुपुर्वगी बिन्दुओं पर स्थापित मीटरों के अनुसार अभिलिखित ऊर्जा से क्रय की गयी ऊर्जा के आँकड़ों का मिलान नहीं कर सकी। यूपीपीसीएल/डिस्काम्स ने ग्रिड डिसीप्लिन आदि का अनुकरण करने में अपनी असफलता के कारण भारी हानियाँ वहन की। पीयूवीएनएल (डिस्काम), जिसके अभिलेखों की जाँच की गई, डाटा बैंक और बिलिंग बहियों, जिसमें डुप्लीकेट मीटर तथा सेवा संयोजन संख्याओं के कई प्रकरण थे, का विश्लेषण करने के लिये तन्त्र स्थापित करने में विफल रहा। देखी गई प्रमुख कमियों में से कुछ निम्नवत् हैं:

- यूपीपीसीएल/डिस्काम्स, टैरिफ, आदेशों को अन्तिम रूप देने के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) को ‘ऐनुअल रेब्यू रिक्वायर्मेंट’ को देरी से प्रस्तुत करने/न प्रस्तुत करने के कारण, 1485.75 करोड़ रुपये का सम्भावित राजस्व वसूल नहीं कर सकी।
- 2005-06 तक के पाँच वर्षों के दौरान यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अत्यधिक पारेषण एवं वितरण हानियाँ होने के कारण, यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को 2979.62 करोड़ रुपये की हानि हुई।

- 132/33/11 केवी प्रणाली पर दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों के कारण प्रणाली में 194.92 एमयू ऊर्जा व्यर्थ होने के कारण, यूपीपीसीएल/डिस्काम्स ने 48.54 करोड़ रुपये की हानि बहन की। इसके अतिरिक्त, कैपेसिटर बैंकों का संस्थापन न करने या पावर फैक्टर के निर्धारित सीमा से नीचे के लिये उपभोक्ताओं को बिल जारी करने में अपनी विफलता के कारण, पीयूवीएनएल ने 2.59 करोड़ रुपये की हानि बहन की।

(अध्याय-2.3)

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड में वसूली एवं बिलिंग प्रणाली पर आईटी समीक्षा

- कम्पनी ने किसी समग्र और समन्वित आईटी नीति या रणनीति को निरूपित किये बिना ही अपने क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ कर दिया। इसमें सामान्य व अनुप्रयोग नियन्त्रण प्रभावी नहीं थे, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को परिभाषित या प्रलेखित नहीं किया गया था एवं प्रणाली के दुरुपयोग एवं संग्रहित ऑकड़ों के प्रवंचन को रोकने के लिये आवश्यक भौतिक एवं तार्किक नियन्त्रणों का अभाव था।
- ‘रिकवर 2000’ को एकमुश्त समाधान (ओटीएस) सम्बन्धी विवरण के रखरखाव हेतु प्रयुक्ति किये जा रहे एक विलग डाटा बेस के साथ समाकलित न किये जाने के कारण, एकमुश्त समाधान के प्रकरणों से सम्बन्धित ऑकड़ों में बहुत विसंगतियाँ उत्पन्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऑकड़ों में परिवर्तन करने की अनुमति थी क्योंकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं को लॉग इन व पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे।
- ऑकड़े अविश्वसनीय थे और सत्यनिष्ठा के बारे में पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं करते थे और इसमें लिखित प्राधिकरण नहीं था तथा चोरी, हानि व प्रोग्राम/डाटा फाइल इत्यादि की संरक्षा हेतु रक्षोपाय उपलब्ध नहीं थे। इसमें आपदा से पुनरुत्थान व व्यवसाय की निरन्तरता से सम्बन्धित योजनायें भी नहीं थीं।

(अध्याय-2.4)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सम्पत्तियों का निर्माण एवं आवंटन

परिषद, भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण लागत में बढ़ि, जिला कलेक्टर कार्यालयों के पास पड़े हुये निष्क्रिय कोष का निवेश न किये जानें, भूमि को अतिक्रमण से बचाने में विफलता, उपलब्ध भूमि के विकास की मंथरगति साथ ही शासन द्वारा अभिनिर्धारित लक्ष्य एवं निर्माण योजना में प्रतिकूलता की प्रणालीगत कमियों के परिणामस्वरूप, ग्राहय मूल्यों पर आवासों

एवं भू-खण्डों को उपलब्ध कराने सम्बन्धी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि नीचे इंगित है:

- परिषद द्वारा पूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण, शासन ने छः योजनाओं के अनुमोदन में 21 से 272 महीने का समय लिया। परिणामस्वरूप, परिषद 8860.36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकी और वह क्षेत्र अविकसित एवं अनगरीकृत रहा।
- भूमि पर अतिक्रमण के कारण, 104.82 करोड़ रुपये का विकास एवं सुधार व्यय वसूला नहीं जा सका।
- वसुंधरा योजना में, पूर्व नीलामी में प्राप्त उच्च दर का ध्यान रखे बिना, आगामी नीलामियों हेतु आरक्षित मूल्य के निर्धारण करने एवं व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु भू-खण्डों के त्रुटिपूर्ण ढंग से आरक्षित मूल्य निर्धारित किये जाने के कारण, 13.44 करोड़ रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई।

(अध्याय-3.1)

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा भण्डारण्हों का निर्माण एवं संचालन

निगम का निष्पादन इसके कथित उद्देश्यों के संदर्भ में अपर्याप्त पाया गया। निगम ने एफसीआई के मानकों का अनुपालन न करके गोदामों का निर्माण किया तथा यह, निविदा प्रक्रिया के अनुपालन में विफलता के कारण से, गोदामों के निर्माण हेतु प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने में असफल रहा। निगम अनुमन्य सीमा से अधिक भण्डार हानियों पर समुचित नियन्त्रण रखने में भी विफल रहा। अपने धर्म कॉटों की आवश्यकता को उपेक्षित कर भारोत्तोलन की बाहरी सेवायें लेने पर भी भारी व्यय किया गया। प्रमुख अनियमितताओं में से कुछ नीचे इंगित हैं:

- एफसीआई के लिये उनके विशिष्टियों के अनुरूप भण्डारण्हों का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप, धारण क्षमता का कम निर्धारण हुआ और परिणामतः 34.48 करोड़ रुपये के भण्डारण शुल्क की हानि हुई।
- यूबीआई के ऋण का स्थगन न करने के कारण निगम 4.69 करोड़ रुपये के पूँजीगत परिदान से वंचित हुआ तथा परिदान का दावा विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण ब्याज के रूप में 29.11 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।
- निगम ने गोदामों के निर्माण हेतु अधिक ब्याज दर पर लिये गये ऋणों तथा गेहूं के क्रय हेतु लिये गये ऋण की शासन को विलम्बित वापसी के कारण 1.85 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया।
- खाद्य-विभाग द्वारा चावल के भण्डारण में मान्य भण्डारण हानि की तुलना में 15.47 करोड़ रुपये की अत्यधिक भण्डारण-हानि हुई।

(अध्याय-3.2)

3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा सम्प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखा परीक्षा प्रेक्षण गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को सम्मिलित करने वाली सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को दर्शाते हैं। दर्शायी गई अनियमितताएँ व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

13 प्रकरणों में 17.04 करोड़ रुपये मूल्य की राजस्व हानि के कारण थे:

- शाण्ट कैपेसिटर अधिभार का भारित न किया जाना,
- निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार का भारित न किया जाना,
- अनियमित भार गुणांक छूट का दिया जाना,
- अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण एवं शुल्क दर का अनियमित अनुप्रयोग,
- कम मूल्य के दावे का प्रस्तुतीकरण, और
- शुल्क दर का त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग।

(प्रस्तर 4.1, 4.7, 4.9, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23, 4.25 4.26 एवं 4.29)

निम्न कारणों से 6.42 करोड़ रुपये के परिहार्य, आधिक्य/अपव्ययी व्यय के सात दृष्टांत थे:

- अग्राह्य अवधि के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान,
- अनुबंधित भार को कम न किया जाना,
- निधि को न्यून ब्याज दर धारित अल्प अवधि जमा में रखना, तथा
- वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव पर अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.11 एवं 4.22)

निम्न कारणों से 15.41 करोड़ रुपये के ठेकेदारों/उपभोक्ताओं/ऋणियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के 10 मामले थे:

- चावल मिलरों से कस्टम मिल चावल के मूल्य की वसूली न करना,
- उपभोक्ताओं के पूर्व के चेकों के अनादृत होने के बावजूद उनके चेकों की स्वीकृति,
- मौजूद लाइनों की टेपिंग,
- देय तिथि के पश्चात् प्राप्तियों के भुगतान को अनुमन्य करना, तथा
- ओटीएस नीति के उल्लंघन करते हुए ओटीएस का प्रस्ताव करना।

(प्रस्तर 4.2, 4.12, 4.17, 4.18, 4.21, 4.24, 4.27, 4.28, 4.30 एवं 4.31)

निम्न कारणों से 3.80 करोड़ रुपये की राशि वाले अनियमित व्यय तथा अस्वीकार्य भुगतान के दो प्रकरण थे:

- शासन के आदेशों के उल्लंघन में कार्यालय भवन का निर्माण, तथा
- ब्रोकरेज एवं अण्डरराइटिंग कमीशन का अस्वीकार्य भुगतान।

(प्रस्तर 4.10 एवं 4.32)

महत्वपूर्ण प्रस्तरों में से कुछ के सारांश निम्नवत् हैं:

- उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड को एक सड़क के निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण 99.97 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.8)

- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 3.53 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा कम्पनी ने अपने कार्यालय भवन के निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय भी किया।

(प्रस्तर 4.9 एवं 4.10)

- उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड ने, मरम्मत एवं रखरखाव की समय तालिका का पालन न करने के कारण, बन्द चीनी मिल के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव पर 3.64 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय किया।

(प्रस्तर 4.11)

- पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को 3.42 करोड़ रुपये की अनियमित भार-गुणांक छूट प्रदान की।

(प्रस्तर 4.15)

- पश्चिमाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिणाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 'प्राइवेट ट्यूबवेल' उपभोक्ताओं से 4.93 करोड़ रुपये के शाष्ट कैपेसिटर अधिभार की वसूली करने में विफल रही।

(प्रस्तर 4.14.2)

- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम चूककर्ता इकाई का भौतिक कब्जा न लेने के कारण, 11.64 करोड़ रुपये के देयों की वसूली नहीं कर सका।

(प्रस्तर 4.30)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2006 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 87 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत कम्पनियाँ तथा 39 अकार्यरत कम्पनियाँ¹) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 2005 को इतनी ही संख्या में कम्पनियाँ तथा निगम थे। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। ये लेखा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे प्रदर्शित की गयी हैं:

क्रमांक संख्या	निगम का नाम	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा ²
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ³	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा इसकी लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपा गया है।

¹ अकार्यरत कम्पनियाँ वह हैं जो कि परिसमाप्त/बद्दी/संविलय की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

² स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 में संशोधन अभी भी प्रतीक्षित है।

³ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, निगम के नियमों कोई विशेष प्राविधान न होने के कारण विधायिका में प्रस्तुत नहीं की जाती है क्योंकि निगम का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हुआ है।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)



कार्यरत पीएसयू में निवेश

1.2 31 मार्च 2006 को कुल 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) में निवेश 25,699.28 करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 10,427.54 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 7,571.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 7,700.68 करोड़ रुपये) के विरुद्ध, 31 मार्च 2006 के अन्त में 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगमों) में निवेश 27,128.12 करोड़ रुपये* (अंश: 11,152.92 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 7,733.56 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: ** 8,241.64 करोड़ रुपये) था। कुल निवेश में बढ़ोत्तरी का कारण, मुख्यतः इलेक्ट्रानिक्स, वस्त्र, चीनी एवं ऊर्जा क्षेत्रों में अंशपूँजी तथा ऋण में बढ़ोत्तरी, था। कार्यरत पीएसयू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

1.3 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2005 को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) तथा उनके प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिये गये हैं:

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश
31 मार्च 2006 को



* कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 17757.89 करोड़ रुपये (अन्य: 9370.23 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2005-06 के अनुसार यह 19,390.00 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

** प्रस्तर 1.2, 1.4, 1.5 तथा 1.18 में वर्णित ऋणों पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.4 मार्च 2005 तथा मार्च 2006 के अन्त में सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्न था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यरत पीएसयू की संख्या	कार्यरत पीएसयू में निवेश			
		अंशपूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2004-05	48	9,924.96	7,568.85	6,247.12	23,740.93
2005-06	48	10,650.34	7,731.35	6,834.70	25,216.39

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यतः इलेक्ट्रानिक्स, वस्त्र, चीनी एवं ऊर्जा क्षेत्रों में ऋण एवं अंशपूँजी में वृद्धि के कारण बढ़ गया है।

31 मार्च 2006 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंश पूँजी और ऋण 31 मार्च 2005 के 73.69 प्रतिशत एवं 26.31 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 72.90 प्रतिशत एवं 27.10 प्रतिशत था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

कार्यरत सांविधिक निगम

1.5 सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2005 तथा मार्च 2006* के अन्त में निम्नवत् था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2004-05		2005-06	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उ.प्र.रा. सड़क परिवहन निगम	312.13 ²	184.24	312.13	211.77
उ.प्र. वित्तीय निगम	179.28	1,035.89	179.28	1008.32
उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	11.17 (2.21)	102.03	11.17 (2.21)	55.45
उ.प्र. बन निगम	-	-	-	-
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-
उ.प्र. जल निगम	-	129.75	-	129.75
उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	1.65	-	1.65
योग	502.58 (2.21)	1,453.56	502.58 (2.21)	1406.94

(कोष्ठक के आंकड़े अंश आवेदन राशि को इंगित करते हैं)

31 मार्च 2006 को कार्यरत सांविधिक निगमों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण 31 मार्च 2005 के 25.78 प्रतिशत तथा 74.22 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 26.40 प्रतिशत तथा 73.60 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

* वर्ष 2005-06 के आंकड़े (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के अतिरिक्त) अनन्तिम हैं।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.6 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 एवं 3 में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को मार्च 2006 तक के तीन वर्षों में राज्य सरकार से अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/उपदान के रूप में बजट बहिर्गमन नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04				2004-05				2005-06			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
अ (i) बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	7	1,512.91	-	-	7	5,575.04	-	-	4	420.86	-	-
(ii) बजट से दिये गये ऋण	13	433.40	1	2.00	9	453.40	1	3.02	12	508.98	1	30.00
योग अ (i)+(ii)	14	1,946.31	1	2.00	13	6,028.44	1	3.02	16	929.84	1	30.00
ब. अनुदान/उपदान												
(i) परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए	5	1,289.19 ¹	1	213.21	7	1,297.26 ³	1	76.91	5	479.01 ⁵	1	2.02
(ii) अन्य	3	2.91 ²	1	2.11	3	5.23 ⁴	-	-	2	3.31 ⁶	-	-
योग (ब) (i)+(ii)	-	1,292.10	-	215.32		1,302.49	-	76.91	-	482.32	-	2.02
कुल बहिर्गमन (अ+ब)	19 ⁷	3,238.41	2 ⁷	217.32	17 ⁷	7,330.93	1 ⁷	79.93	21 ⁷	1412.16	2	32.02

वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार ने ग्यारह कार्यरत कम्पनियों (1,825.59 करोड़ रुपये) तथा एक कार्यरत सांविधिक निगम (1.61 करोड़ रुपये) द्वारा लिये गये कुल 1,827.20 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में, नौ कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (5,659.62 करोड़ रुपये) तथा चार कार्यरत सांविधिक निगम (725.47 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 6,385.09 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति अवशेष थी। दो सरकारी कम्पनियों⁸ तथा दो सांविधिक निगमों⁸ द्वारा 2005-06 के दौरान सरकार को चुकाये गये देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 21.93 करोड़ रुपये तथा 62.72 लाख रुपये था। सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (4.60 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

¹ 137.97 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

² 59.19 लाख रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

³ 129.69 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁴ 1.11 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁵ 3.21 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁶ 3.25 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

⁷ ये सभी वास्तविक संख्या में वे कम्पनियों/निगम हैं जिन्होंने सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अंशपूँजी, ऋण, अनुदान तथा उपदान के रूप में बजटीय सहयोग प्राप्त किया।

⁸ नौ कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ तथा चार कार्यरत सरकारी निगमों जिनके विरुद्ध प्रत्याभूति अवशेष थी, केवल दो सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-3 का क्रम संख्या अ-14 तथा 15) तथा दो सांविधिक निगमों (परिशिष्ट-3 का क्रम संख्या ब-1 तथा ब-3) द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

(334.53 करोड़ रुपये) के अवशेष 339.13 करोड़ रुपये के ऋण को अशंपैजी में परिवर्तित किया।

कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.7 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619बी सपष्टित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति होने से छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 माह के अन्दर विधायिका के समक्ष भी प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण, लेखापरीक्षित तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

48 कार्यरत कम्पनियों में से केवल पाँच* कार्यरत कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से केवल एक** निगम ने वर्ष 2005-06 के अपने लेखों को संकलिप्त अवधि के अन्दर अन्तिम रूप दिया। अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 तक की अवधि के दौरान 40 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्षों के 47 लेखों को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान छः कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के सात लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2006 को, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और छः सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 16 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

क्र. सं०	कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या		वर्ष जबसे लेखे बकाया है	वर्षों की संख्या जबसे लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 के क्रमांक का संकेत	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	1	-	1990-91 से 2005-06	16	अ-24	-
2	2	-	1993-94 से 2005-06	13	अ -10, 17	-
3	1	-	1994-95 से 2005-06	12	अ -43	-
4	1	-	1996-97 से 2005-06	10	अ -14	-
5	2	-	1998-99 से 2005-06	8	अ -6,46	-
6	2	1	1999-2000 से 2005-06	7	अ -8,21	ब-4
7	2	-	2000-01 से 2005-06	6	अ -23,44	-
8	1	1	2001-02 से 2005-06	5	अ -9	ब-7
9	6	-	2003-04 से 2005-06	3	अ -7,18,28,29,34,48	-
10	12	1	2004-05 से 2005-06	2	अ -1,5,30,32,33,36,37, 38,39,41,45,47	ब-5
11	13	3	2005-06	1	अ-4,11,15,16,19,20,22, 25,26,27,31,40,42	ब-1,3,6

* परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ए-2, 3, 12, 13, तथा 35

** परिशिष्ट -2 की क्रम संख्या ब-2

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को लेखा परीक्षा द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गयी थी, फिर भी सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये, जिसके परिणामस्वरूप इन पीएसयू के शुद्ध मूल्य का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थितियाँ और कार्य संचालन परिणाम

1.8 अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षों के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय स्थितियों एवं कार्यसंचालन परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमशः परिशिष्ट-4 व 5 में दी गयी है।

48 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, 29 कम्पनियों और 1 निगम ने क्रमशः 1,792.46 करोड़ रुपये तथा 22.77 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 18 कम्पनियों और 6 निगमों ने क्रमशः 175.64 करोड़ रुपये तथा 211.32 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया। एक कार्यरत सरकारी कम्पनी¹ निर्माणाधीन थी।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

लाभार्जन करने वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

1.9 सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये एक लाभांश नीति तैयार की (अक्टूबर 2002) तथा सरकार द्वारा निवेशित पूँजी पर वित्तीय वर्ष 2002-03 से 5 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदायगी का आदेश पीएसयू को दिया। 40 कार्यरत कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 2006 तक पूर्व वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया, 16 कम्पनियों ने कुल 174.11 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा उनमें से 13² कम्पनियों ने दो अथवा अधिक लगातार वर्षों तक लाभ अर्जित किया तथा केवल तीन कम्पनियों³ ने 1.40 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। उक्त तीनों कम्पनियों की अंशपूँजी (28.08 करोड़ रुपये) में लाभांश का प्रतिशत 4.99 था। शेष 13 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों ने लाभांश की घोषणा नहीं की। गत वर्ष के 0.008 प्रतिशत के विरुद्ध, 1.40 करोड़ रुपये के लाभांश के रूप में, कुल प्रतिलाभ, वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियों में निवेशित कुल अंशपूँजी (9,785.15 करोड़ रुपये) का 0.014 प्रतिशत था।

¹ परिशिष्ट-2 के क्रमांक अ-35

² परिशिष्ट-2 का कम संख्या अ-1,5,6,13,19,20,21,22,23,41,43,45 और 48

³ परिशिष्ट-2 का कम संख्या अ-19,20 और 41

हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियों

1.10 29 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 18 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 6,258.37 करोड़ रुपये थी, जो उनकी 4,717.60 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी (परिशिष्ट-2)।

खराब उपलब्धियों और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद राज्य सरकार इन कम्पनियों को अंशपूँजी, ऋण तथा ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तन के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन 18 कम्पनियों में से सात कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन के रूप में वर्ष 2005-06 के दौरान 422.65 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया था।

कार्यरत सांविधिक निगम

लाभार्जन करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

1.11 छ: कार्यरत सांविधिक निगमों में से पाँच¹ निगमों जिन्होंने सितम्बर 2006 तक अपने पिछले वर्षों के लेखों को अंतिम रूप दिया, कुल 182.02 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इन पाँच सांविधिक निगमों में से तीन (परिशिष्ट-2 का क्रम सं0 ब-3,5 एवं 7) ने दो या अधिक वर्षों तक लगातार लाभार्जन किया किन्तु केवल एक निगम (परिशिष्ट-2 का क्रमांक ब-3) ने 1.20 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.12 एक निगम (परिशिष्ट-2 का क्रमांक ब-6) जिसने सितम्बर 2006 तक अपने पिछले वर्षों के लेखों को अंतिम रूप दिया, की कुल संचित हानि 78.75 करोड़ रुपये थी इस निगम के पास प्रदत्त पूँजी नहीं है।

कार्यरत सांविधिक निगमों की कार्यचालन उपलब्धियाँ

1.13 कार्यरत सांविधिक निगमों की कार्यचालन उपलब्धियाँ परिशिष्ट-6 में दी गयी हैं।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

1.14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) के अद्यतन पूर्ण किये वार्षिक लेखों के अनुसार 48 कार्यरत कम्पनियों में विनियोजित पूँजी² 18,145.65 करोड़ रुपये आगणित की गयी तथा उस पर कुल प्रतिलाभ³ पूर्व वर्ष के (-) 460.92 करोड़

¹ परिशिष्ट-2 का क्रमांक- ब-1,2,3,5 और 7

² विनियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त पोषण सहित) प्रदर्शित करती है।

³ विनियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गयी निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है, जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया।

रुपये की तुलना में (-) 582 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार पूर्व वर्ष के 71.58 करोड़ रुपये (1.26 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ के तुलना में सात कार्यरत सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अद्यतन पूर्ण किये गये वार्षिक लेखों के अनुसार विनियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, क्रमशः 6,831.62 करोड़ रुपये तथा 288.75 करोड़ रुपये (4.23 प्रतिशत) आगणित किया गया। कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में विनियोजित पूँजी और विनियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति:

1.15 राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में चिन्हित विशिष्टताओं के साथ सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये (फरवरी 2000)।

एमओयू में लिये गए प्रत्येक प्रतिज्ञा पर सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	एमओयू समझौते के अनुसार सुधार कार्यक्रम प्रतिज्ञा	लक्ष्य प्राप्ति की अनुसूची	वर्तमान स्थिति
I	राज्य सरकार द्वारा	--	
(i)	शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा आपूर्ति	31 दिसम्बर 2001	केवल 55.58 प्रतिशत* उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जा सका (मार्च 2006)।
(ii)	20 चुने गये नगरों की आन लाइन बिलिंग	31 मार्च 2001	केवल एक नगर, लखनऊ, में सितम्बर 2006 में लागू किया गया।
(iii)	वितरण प्रणाली को उन्नत करना	शून्य	विभिन्न कार्य जैसे कि- सर्विस लाइन का पुनर्वियोजन, कैपेसीटर बैंक का संयोजन, लाइन का निर्माण, प्रवर्तकों को लगाना और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कराना, पूर्ण होने के लिए विभिन्न स्तरों पर है (सितम्बर 2006)।
(iv)	वितरण क्षेत्रों का नियोजित जिसकी वाणिज्यिक रूप से सक्षमता स्थापित न हो।	शून्य	अभी तक कोई भी नियोजित नहीं हुआ (सितम्बर 2006)।
II	केन्द्र सरकार द्वारा		
(i)	विद्यमान तापीय तथा हाइड्रो ऊर्जा स्टेशनों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता	शून्य	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 1103.98 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। उसके अतिरिक्त, त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18.06 करोड़ रुपये का ऋण एवं इतनी ही राशि का उपदान स्वीकृत किया गया (मार्च 2006)।
(ii)	महत्वपूर्ण पारेषण कार्यों के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहयोग	शून्य	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 49 प्रोजेक्ट्स हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से मार्च 2006 तक 695.25 करोड़ रुपये प्राप्त किये।

* चालू वर्ष की प्रगति वर्ष 2004-05 की प्रगति विवरण से भिन्न है। अभिन्नता को स्पष्ट नहीं किया गया है (सितम्बर 2006)।

राज्य विद्युत नियामक आयोग

1.16 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन 10 सितम्बर 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998¹ की धारा 17 के अधीन किया गया। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापति को लेकर तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने सितम्बर 2006 तक पाँच टैरिफ आदेश जारी किये हैं।

अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम (पीएसयू)

अकार्यरत पीएसयू में निवेश

1.17 31 मार्च 2006 के अन्त तक 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 875.84² करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 391.88 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 45.85 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 438.11 करोड़ रुपये के सापेक्ष 31 मार्च 2005 के अन्त तक इतनी ही संख्या में अकार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 873.50 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 391.88 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि 49.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण 432.56 करोड़ रुपये) था।

मार्च 2006 के अन्त तक अकार्यरत सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश	
		अंशपूँजी ³	दीर्घावधि ऋण
परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत	10	59.09	150.77
संविलय के अन्तर्गत	1	0.42	--
निष्क्रिय/अकार्यरत कम्पनियों	28	378.22	287.34
योग	39	437.73	438.11

उपरोक्त अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 10 सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 3 से 31 वर्षों से परिसमापनाधीन/बन्दी के अन्तर्गत थीं और इन कम्पनियों में 209.86 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण धन सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन अथवा बन्दी हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



¹ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

² राज्य सरकार का निवेश 652.48 करोड़ रुपये (अन्य - 223.36 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे 2005-06 के अनुसार 588.48 करोड़ रुपये हैं। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

³ निष्क्रिय व अकार्यरत सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित 45.85 करोड़ रुपये की अंश आवेदन राशि मिलाकर।

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

1.18 31 मार्च 2006 और 2005 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) और उनके प्रतिशत को निम्न पाई चार्टों में इंगित किया गया है:



बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.19 राज्य सरकार द्वारा अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण परिशिष्ट-1 व 3 में दिये गये हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान तीन* अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में ऋणों के रूप में 6.11 करोड़ रुपये के बजट बहिर्गमन थे। मार्च 2006 के अन्त में, पाँच अकार्यरत सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित 33.95 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति की राशि अवशेष थी।

* परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या सी-1, 16 एवं 21

अकार्यरत पीएसयू पर कुल स्थापना खर्च

1.20 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के 2005-06 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	कुल स्थापना खर्च	वित्त पोषण				अन्य
			निवेश/परिसम्पत्तियों का निस्तारण	निजी पार्टियों से ऋण	सरकार द्वारा ऋण	अनुदान	
2003-04	5	0.85	-	-	-	-	0.85
2004-05	5	1.13	-	-	-	-	1.13
2005-06	3 ¹	0.52	-	-	-	-	0.52

अकार्यरत पीएसयू द्वारा लेखे का अन्तिमीकरण

1.21 39 अकार्यरत कम्पनियों में 10 कम्पनियाँ परिसमापन के अन्तर्गत थीं। 30 सितम्बर 2006 को 29 अकार्यरत कम्पनियों के लेखे 1 से 29 वर्षों तक की अवधि से बकाये में थे, जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है।

अकार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम

1.22 अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार, अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, शुद्ध मूल्य, नकद हानि तथा संचित हानि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध मूल्य ²	नकद हानि ³	संचित हानि
अकार्यरत कम्पनियाँ	386.03	(-) 1056.64	119.69	1138.88

सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.23 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है:

क्रमांक	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में नहीं रखी गयी		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधायिका में रखने में देरी के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2002-03 01-04-2003 से 30-10-2003 31-10-2003 से 31-03-2004	26.10.2005 11-09-2006	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए	

¹ 39 अकार्यरत कम्पनियों में से केवल तीन कम्पनियों (परिशिष्ट-1 की कम संख्या सी-1,19 तथा सी-39) ने स्थापना खर्च का विवरण दिया।

² शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

³ नकद हानि, वर्ष की हानि एवं वर्ष के मूल्य ह्वास के योग को प्रदर्शित करती है।

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001 25.07.2002 20.02.2004 28.01.2005 21-12-2005 08-09-2006	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2003-04	2004-05	21-04-2006	..
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम*	--	1997-98 1998-99	17.08.2000 23.05.2002	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	1989-90	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999 10.02.2003 29.01.2004 22-02-2006 27-07-2006	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	1994-95	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001 07.02.2002 13.02.2003 27.03.2004 30-12-2005 07-06-2006	उपरोक्त

राज्य सरकार ने 10 वर्षों के अन्तराल के बावजूद भी एसएआर को विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम)। यद्यपि राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यता है, किन्तु इसका पालन नहीं किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना**

1.24 सरकार द्वारा बनायी गयी (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में सभी उपकरणों (सार्वजनिक एवं जनकल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में लगे उपकरणों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि को संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। इसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया गया था (नवम्बर 1998) किन्तु यह भंग कर दिया गया (जनवरी 2000) और एक डिस्ट्रिक्टमेन्ट कमीशन (डीसी) का गठन किया गया (जनवरी 2000)।

* लेखा परीक्षण 1997-98 से सौंपा गया।

** पुनर्संरचना में पीएसयू का सम्मिलन और बन्दी सम्मिलित है।

सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु, एक केन्द्रीय कमेटी (सीसी) का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। पीएसयू के कार्य प्रणाली में सुधार, संविलयन, पुनर्सरचना, निजीकरण अथवा बन्दी में सुधार के मामलों को डीसी को सन्दर्भित करने के लिए सीसी को अधिकृत किया गया। यह विचारित था कि डीसी अपनी संस्तुतियों सीसी को सौंपेगा।

27 पीएसयू को डीसी को संदर्भित किया गया तथा डीसी ने इन सभी मामलों पर अपनी संस्तुतियों दी। सीसी ने 25 पीएसयू के मामलों पर विचार किया और अपनी संस्तुतियों दी। इन सभी संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अप्रैल 2003 में राज्य के पीएसयू के विनिवेश हेतु, एक उच्च स्तरीय विनिवेश कमेटी (एचपीडीसी) का गठन किया गया।

सरकार ने सूचित (सितम्बर 2003) किया कि:

- प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की 11 चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 8 बीमार तथा 5 बन्द चीनी मिलों के लिये विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई।
- 27 पीएसयू, जो कि डीसी को सन्दर्भित किये गये थे, के सम्बन्ध में डीसी की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जायेगी।
- विभागों/पीएसयू से विनिवेश की सम्भावना के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही थी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विनिवेश के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के लिये सलाहकार चुना गया है। नीतिगत मामलों के निर्णय तथा व्यवहारिक संस्तुतियों करने के लिये एचपीडीसी पिकप से सलाह ले रही थी। इस मामले में, अग्रेतर प्रगति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के लेखों पर लेखा परीक्षा के परिणाम

1.25 अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 की अवधि के दौरान 51 सरकारी कम्पनियों (41 कार्यरत तथा 10 अकार्यरत) तथा सात सांविधिक निगमों के लेखे समीक्षा हेतु चयन किये गये। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का वास्तविक प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

विवरण	लेखों की संख्या			लाख रुपये में		
	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7
(i) लाभ में वृद्धि	6	-	2	129.56	-	1126.34
(ii) लाभ में कमी	2	-	1	8.50	-	51.04

1	2	3	4	5	6	7
(iii) हानि में वृद्धि	3	-	1	50244.56	-	7090.34
(iv) हानि में कमी	11	2	-	34274.60	18.41	-
(v) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	7	-	1	467.56	-	1076.47
(vi) वर्गीकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ	7	1	1	166285.81	70.04	5724.28

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित दृष्टिगत हुई त्रुटियाँ एवं चूकें

1.26 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2004-05)

- एल आई सी तथा केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु पूर्व वर्षों में किये गये अधिक प्रावधान के समायोजन न करने के कारण सुरक्षित ऋण एवं हानि की राशि 2.20 करोड़ रुपये से अधिक, प्रदर्शित हुई।
- वर्ष के व्यय एवं हानि तथा असुरक्षित ऋण 2.48 करोड़ रुपये से कम प्रदर्शित हुए थे क्योंकि उक्त ऋणों पर ब्याज की गणना, ऋण-स्वीकृति हेतु शासकीय आदेश के निर्गमन तिथि के बजाय, ऋण के निकासी की तिथि के आधार पर की गयी थी।

1.27 कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (2002-03)

- नगर निगम, कानपुर को देय गृहकर के दायित्व हेतु प्रावधान न किये जाने के कारण, वर्ष की हानि 71.04 लाख रुपये से कम, प्रदर्शित हुई।

1.28 उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (1998-99)

- अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान न करने के कारण, विविध देनदार 27.13 लाख से अधिक तथा हानि, इतनी ही राशि से कम, प्रदर्शित हुई।
- शासन को देय, अप्रयुक्त शासकीय कोष पर अर्जित ब्याज की राशि को ‘अन्य आय’ में सम्मिलित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ‘आय’ 33.43 लाख रुपये से अधिक तथा हानि एवं चालू दायित्व प्रत्येक इतनी ही राशि से कम प्रदर्शित हुए।

1.29 उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड (2002-03)

- 17 जमा कार्यों (डिपाजिट वक्स) से सम्बन्धित संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान न किये जाने के कारण, वर्ष की हानि 3.54 करोड़ रुपये से कम, प्रदर्शित हुई।

सांविधिक निगमों से सम्बंधित दृष्टिगत हुई त्रुटियाँ तथा चूकें

1.30 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (2004-05)

- 123.50 करोड़ रुपये के स्टोरेज चार्जेज और हैण्डलिंग तथा ट्रान्सपोर्ट चार्जेज (व्यापारिक आय शीर्षक के अन्तर्गत) के अन्तर्गत मार्गस्थ हानि के रूप में ग्राहकों द्वारा की गयी कटौती की राशि 8.87 करोड़ रुपये सम्मिलित थी, परिणामतः आय एवं लाभ 8.87 करोड़ रुपये से अधिक, प्रदर्शित हुए।

1.31 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (1998-99)

- राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋणों पर देय ब्याज (54.61 करोड़ रुपये) में राज्य सरकार को देय ब्याज से सम्बंधित 6.96 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। यह राशि 3.26 करोड़ रुपये से कम, प्रदर्शित हुई है क्योंकि वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज की गणना के आधार पर उक्त राशि 10.22 करोड़ रुपये आती है। इसके परिणामस्वरूप, दायित्वों की राशि 3.26 करोड़ रुपये से कम तथा व्यय पर आय के आधिक्य की राशि इतनी ही राशि से अधिक, प्रदर्शित हुई।
- ‘बैंक में रोकड़’ की राशि में, बैंक विवरण के अनुसार, 18.07 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकांन सिद्धान्तों के अनुसार, रोकड़ बही में प्रदर्शित बैंक बाकी को लेखाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- हुड़कों से प्राप्त ऋण पर 3.98 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान हुआ, जो ‘ऋण पर ब्याज’ भुगतान के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, ‘व्यय’ 3.98 करोड़ रुपये से कम तथा इतनी ही राशि से ‘व्यय पर आय के आधिक्य’ की राशि अधिक प्रदर्शित हुई।

पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएँ एवं प्रणाली दोष

1.32 पीएसयू के वित्तीय मामलों में निम्नलिखित सतत अनियमितताओं एवं प्रणाली दोषों को, लेखों के लेखा परीक्षण के समय बार-बार इंगित किया गया किन्तु अभी तक इन पीएसयू ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की:

क्र.सं.	सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के नाम	अनियमितताओं के प्रकार
(1)	(2)	(3)
सरकारी कम्पनियों		
1.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	(i) नकद और बैंक अवशेषों में कालातीत चेकों का सम्मिलित किया जाना। (ii) उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जारी देयकों के देरी से भुगतान पर अधिभार का प्रावधान न किया जाना।

(1)	(2)	(3)
2.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	(i) बैंक विवरण में दर्शाये गये बैंक अवशेषों को कम्पनी द्वारा रखी गई कैश/बैंक बुक से समाधान न करना। (ii) अवशिष्ट/अप्रचलित/निष्क्रिय तथा मन्द प्रगति वाली रहतिये के सापेक्ष मूल्य में कमी/अप्रचलन का प्रावधान न किया जाना।
3.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	(i) लेखा मानक-15 के अधीन, अवकाश नकदीकरण का प्रावधान न करना।
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	अप्राप्त एवं संदेहात्मक ऋण का प्रावधान न किया जाना।
5.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड से ऋण को सुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया जा रहा है। यद्यपि यह किसी सम्पत्ति के सापेक्ष पूर्णतः या अंशतः सुरक्षित नहीं है।
6.	उत्तर प्रदेश स्मॉल डण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	सरकार से प्राप्त ऋण एवं इसके, सहायक कम्पनियों में संवितरण को लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित न किया जाना।
7.	उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	भवन (44.63 लाख रुपये) का पूँजीकरण न किया जाना।
सांविधिक निगम		
8.	उत्तर प्रदेश जल निगम	निगम ने सरकार से प्राप्त उन ऋणों पर ब्याज हेतु प्रावधान नहीं किया जिनकी अदायगी अवधि 15 वर्ष थी और जो समाप्त हो चुकी थी फिर भी ऋण की राशि अदत्त रही।
9.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	लेखाओं में समायोजन करने के फलस्वरूप दायित्वों पर परिसम्पत्तियों के आधिक्य की राशि का समुचित जाँच/समाधान तथा लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा के आधार पर वसूलियाँ

1.33 2005-06 के दौरान पावर सेक्टर कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 223 मामलों में कुल 199.55 करोड़ रुपये की टैरिफ का गलत निर्धारण/निर्धारण न किया जाना/कम निर्धारण किया जाना/कम राजस्व वसूली किया जाना, परिलक्षित हुआ। कम्पनी ने लेखा परीक्षा में दिखाये गये 96 मामलों से सम्बंधित कुल 46.60 करोड़ रुपये मूल्य की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से चार लेखा परीक्षा आपत्तियों से सम्बंधित 91.49 लाख रुपये की वसूली की गयी।

आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियन्त्रण

1.34 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों (शासपन्त्रित लेखाकार) को उनके द्वारा लेखा परीक्षित की गयी कम्पनियों में आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक

नियन्त्रण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित करना होता है, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 11 कम्पनियों के मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में कमियों को अवलोकित किया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर महत्वपूर्ण संस्तुतियों/टिप्पणियों का सारांश परिशिष्ट-7 में दिया गया है। परिशिष्ट से यह प्रकट होता है कि मुख्य टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रकृति की थीं:

- आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति अधिकतर सरकारी कम्पनियों के व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
- आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति विद्यमान नहीं थी।
- लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं प्रतिवेदन की समयावधि पर्याप्त नहीं थी।

पीएसयू की बन्दी के लिये संस्तुति

1.35 अपने अस्तित्व में आने के 15 से 32 वर्षों के बाद भी 10 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ के कुल टर्नओवर (विक्री एंव अन्य आय), अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार, पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम रहें हैं (परिशिष्ट-8)। इसी प्रकार छः कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (परिशिष्ट-9) लगातार पाँच वर्षों से हानि उठाती रही थी (अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार) जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया। क्षीर्ण टर्नओवर और लगातार हानियों की दृष्टि से, सरकार को उपरोक्त सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.36 30 सितम्बर 2006 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित समीक्षाये एवं प्रस्तर		चर्चा की गयी समीक्षा एवं प्रस्तर	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1982-83	5	50	4	49
1983-84	4	60	2	60
1984-85	2	14	1	14
1985-86	6	22	5	22
1986-87	3	28	2	25
1987-88	8	23	7	23
1988-89	5	22	4	22
1989-90	6	14	6	14
1990-91	6	21	2	3
1991-92	4	38	-	5
1992-93	5	33	3	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1993-94	5	31	1	17
1994-95	5	41	1	32
1995-96	7	39	5	19
1996-97	8	40	2	29
1997-98	5	67	2	20
1998-99	5	26	3	14
1999-2000	4	41	3	23
2000-01	5	34	3	28
2001-02	4	34	-	-
2002-03	4	38	1	3
2003-04	4	26	-	2
2004.05	4	27	-	-
योग	114	769	57	432

1 अक्टूबर 2005 से 30 सितम्बर 2006 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने 16 बैठकें की तथा 1987-88 से 2003-04 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में उल्लिखित तीन समीक्षाओं तथा 40 प्रस्तरों पर चर्चा किया।

619-बी कम्पनियाँ

1.37 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ आती थी जिसमें एक कम्पनी कार्यरत थी। परिशिष्ट-10, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार, प्रदत्त पूँजी, अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश तथा संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

2.1 उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड ऐसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

मुख्य अंश

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी अभिन्न प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने लक्ष्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए अपने क्रियाकलापों को शासित करता है। ऐसी प्रणाली में कपट को रोकने, गलतियों को कम करने, क्रियाकलापों की दक्षता बढ़ाने और बनाई गयी नीतियों के अनुपालन को प्राप्त करने के लिये अभिकल्पित तरीके एवं नीतियां सम्मिलित हैं तथा ऐसी प्रणाली संसाधनों को क्षति, दुरुपयोग एवं कुप्रबन्धन से होने वाली हानि से बचाने में सहायता करती है। 2001-06 की अवधि में उत्तर प्रदेश स्टेट फूड ऐसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से कार्यात्मक नियमावलियों को न बनाने, बजट की विलम्बित तैयारी, खराब प्रचालनात्मक कार्यात्मक नियंत्रण, निष्प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली एवं क्रियाकलापों के समुचित निरीक्षण एवं मूल्यांकन में कमी के कारण आंतरिक नियन्त्रणों में हुई महत्वपूर्ण कमियाँ अवलोकित हुईं।

प्रबन्धन के निर्णयों एवं आदेशों का अनुपालन उसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों की कमी हुई।

(प्रस्तर 2.1.13 और 2.1.14)

कम्पनी के लेखों को तैयार करना 16 वर्षों (1990-91 से 2005-06) से बकाया था। परिणामस्वरूप कम्पनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी एवं गबन/कपट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(प्रस्तर 2.1.10)

आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त एवं प्रभावशाली नहीं थी। 2001-02 से 2005-06 के मध्य आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार नहीं की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया; परिणामस्वरूप आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा इंगित 4.20 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों की कमी/गबन अवसूलित रहे।

(प्रस्तर 2.1.30 और 2.1.25)

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिये शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण न होने के कारण 2002-03 से 2005-06 के दौरान अधिप्राप्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही।

(प्रस्तर 2.1.18)

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, 0.57 करोड़ रुपये के खाद्यान्न किसानों के स्थान पर बिचौलियों से क्रय किये गये।

(प्रस्तर 2.1.19)

प्रस्तावना

2.1.1 आंतरिक नियंत्रण, तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रबंधकीय यंत्र है कि प्रबंधकीय उद्देश्य कुशल, प्रभावी व समुचित ढंग से प्राप्त किए जा रहे हैं। आंतरिक नियंत्रण की एक अच्छी प्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, संगठन के अन्दर क्रियात्मक उत्तरदायित्वों का उचित विभाजन, लागू विधि एवं परिनियम का अनुपालन, लेखांकन आंकड़ों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समुचित परिचालन व लेखांकन क्रियाविधियाँ, परिचालनों व सम्पत्तियों की सुरक्षा में कुशलता, कार्मिकों की उनके उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की अनुरूपता में गुणवत्ता, एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति के द्वारा समीक्षा जिससे सॉथ-गॉथ की अनुपस्थिति में, कपट या गलती की सम्भावना न्यूनतम हो जाती है, सन्निहित है।

उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) में आंतरिक नियंत्रण प्रमुख महत्व रखता है जैसाकि इसका गठन (अक्टूबर 1974) राज्य की जनता की आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह समय-समय पर कम्पनी को सौंपी गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये सरकार के अधिकर्ता के रूप में भी कार्य करती है।

कम्पनी का प्रबन्धन, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये 11 निदेशकों एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्रबन्ध निदेशक (एमडी) से निर्मित निदेशक-मण्डल (बीओडी) में निहित है। प्रबन्ध निदेशक (एमडी) कम्पनी का मुख्य अधिशासी होता है उसे मुख्यालय पर एक महाप्रबन्धक (जी.एम.) एवं एक वित्त नियंत्रक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कम्पनी की गतिविधियाँ, 18 जिला कार्यालयों (मार्च 2005 तक 24 जिला कार्यालय) जिला प्रबन्धक (डीएम) की प्रधानता में, चार क्षेत्रीय प्रबन्धकों (आरएम) के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत संचालित होते हैं।

कम्पनी की कार्यप्रणाली पर निष्पादन समीक्षा 31 मार्च 1990 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में शामिल किया गया था एवं तत्पश्चात कम्पनी द्वारा मदिरा की बिक्री पर समीक्षा 31 मार्च 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। दोनों, प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा क्रमशः फरवरी 2005 एवं जून 1998 से अक्टूबर 1999 में चर्चा किये गये।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 वर्तमान निष्पादन समीक्षा दिसम्बर 2005 से अप्रैल 2006 की अवधि के दौरान की गई जो 2005-06 तक के पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन को आच्छादित करती है।

24 जिला कार्यालयों, जिनका व्यवसाय 2004-05 के दौरान 633.17 करोड़ रुपये था, में से 15 जिला कार्यालयों,* जिनका व्यवसाय 437.76 करोड़ रुपये (69.13 प्रतिशत) था, की नमूना जाँच लेखा परीक्षा में की गई। लेखा परीक्षा के लिये जिला कार्यालयों के चयन का आधार जिला कार्यालयों का व्यवसाय था।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.1.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- आंतरिक नियंत्रण उपकरण नामशः नियमावलियों, कार्पोरेट प्लान और बजट इत्यादि का उपयोग कुशलतापूर्वक किया गया एवं लेखे समय से तैयार किये गये।
- बीओडी और प्रबन्धन के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
- एक विश्वसनीय सूचना एवं संचार प्रणाली प्रचलन में थी तथा अपेक्षित रूप से कार्य कर रही थी।
- कार्यात्मक नियंत्रण प्रणाली में नीति, प्रक्रिया और अभ्यास को दर्शाता है और तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिये पर्याप्त है कि कम्पनी के कार्यकलाप कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किये जा रहे हैं; तथा
- एक सही एवं प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली अभिकल्पित की गई और सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उनका अनुकरण किया गया।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.1.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने के लिये प्रयुक्त लेखा परीक्षा कसौटी निम्न थी:

- कम्पनी की सेवा नियमावली;
- समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश;
- विभिन्न खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति योजनाओं से सम्बन्धित दिशानिर्देश;
- कम्पनी द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया;
- कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.1.5 निष्पादन समीक्षा की लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रिया का निम्नलिखित मिश्रण अपनाया गया:

- सरकारी योजनाओं, बीओडी की सभाओं का एजेण्डा एवं कार्यवृत्ति; लेखा परीक्षा समिति की सभाओं की कार्यवृत्ति, कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबन्धन के निर्देश और परिपत्र का परीक्षण।

* बहराइच, बदाँयू, गोण्डा, हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झाँसी और वाराणसी।

- केन्द्र सरकार की ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना’ (एमएसपीएस) के अन्तर्गत खाद्यान्नों के क्रय एवं सुपुर्दगी के लिये निर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के दिशानिर्देशों/आदेशों का परीक्षण तथा ‘लक्षित जन वितरण प्रणाली’ (टीपीडीएस) के अन्तर्गत सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।
- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)/स्टेट पूल के लिए क्रय एवं सुपुर्द किये गये खाद्यान्नों के अभिलेखों का मिलान, भंडार गृह में रखे हुये स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, खाद्यान्नों की परिवहन की प्रणाली एवं परिवहन एवं हैन्डिलिंग के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति से सम्बन्धित निविदा/अनुबन्ध तथा अनुश्रवण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन से सम्बन्धित अभिलेखों का परिनिरीक्षण।
- लेखा परीक्षा पूछताछों को निर्गत करना एवं प्रबन्धन से अंतक्रिया।

लेखा परीक्षा का प्रेक्षण

2.1.6 निष्पादन समीक्षा से उत्पन्न हुए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/सरकार को जून 2006 में प्रेषित किया गया तथा इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 11 अगस्त 2006 की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में विशेष सचित (खाद्य), उत्तर प्रदेश सरकार एवं कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक उपस्थित रहे। प्रबन्धन/सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और कम्पनी द्वारा अगस्त 2006 में प्रदान किये गये विस्तृत उत्तरों का समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

आंतरिक नियंत्रण के उपकरण

नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण

कारपोरेट प्लान को बनाना

कारपोरेट प्लान तैयार नहीं किया गया है।

2.1.7 एमडी के द्वारा किये गये कार्य के विनिधान (मई 2000) के अनुसार, कम्पनी के महाप्रबन्धक को वर्तमान कार्यकलापों तथा राजकीय नीति एवं निर्देश इत्यादि को ध्यान में रखते हुये किये जाने वाले कार्यकलापों को समामेलित करते हुये कारपोरेट प्लान को बनाना सुनिश्चित करना है। यद्यपि 31 मार्च 1990 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया था फिर भी कारपोरेट प्लान अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2006) कि कारपोरेट प्लान बनाने की कार्यवाही छः महीने के अन्दर कर ली जायेगी।

बजट

2.1.8 बजट एक दी गई अवधि में हुये क्रियाकलापों की परिमाणात्मक वित्तीय अभिव्यक्ति है। बजट भावी क्रियाकलापों का नियोजन करने तथा प्राप्त परिणामों

पर पूर्व प्रभावी नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से बनाया जाता है। बजट का समय से बनना एवं वास्तविक निष्पादन में आये विचलनों का विश्लेषण आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आंतरिक नियन्त्रण हेतु बजट के प्रयोग में निम्नलिखित कमियों अवलोकित की गई:

- कम्पनी से अपेक्षित था कि प्रत्येक वर्ष के शुरू होने के बहुत पहले ही अपना वार्षिक बजट बनायें। वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 के लिये बजट यद्यपि क्रमशः छः माह (सितम्बर 2001) से तीन माह (जून 2004) की देरी से तैयार किये गये एवं बीओडी को प्रस्तुत किये गये।
- परिशिष्ट-11 में दी गई तालिका 2004-05 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजटेड और वास्तविक आय एवं व्यय को दर्शाती है। इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवर्ष बजट में दर्शायें गये बिक्री आवर्त की तुलना में बिक्री आवर्त में कमी रही तथा यह कमी 44.80 करोड़ रुपये से 324.30 करोड़ रुपये के मध्य में रही। कम्पनी ने सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये बजटेड एवं वास्तविक के बीच में विचलनों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया।

वित्तीय नियंत्रण

2.1.9 कोष प्रबन्धन, वित्तीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से प्रबन्धन अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिये अपने संसाधनों के उपयोग पर लागत-प्रभावी ढंग से नियन्त्रण करता है। कम्पनी की आय का मुख्य ख्रोत विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से अर्जित की गई मार्जिन मनी थी। मार्जिन मनी का उपयोग प्रशासनिक एवं व्यापारिक खर्चों को पूरा करने के लिये किया जाता था। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक तरफ कम्पनी को राज्य सरकार से 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिये मार्जिन मनी के रूप में 27.97 करोड़ रुपये प्राप्त करना था, वही दूसरी तरफ 1990-91 के दौरान मदिरा व्यापार के लिए प्राप्त किये गये 13.47 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण देय थे जिस पर मार्च 2006 तक 14.40 करोड़ रुपये का ब्याज दायित्व पहले ही उपर्जित हो गया था। यदि मार्जिन मनी वसूल/प्राप्त कर ली गयी होती तो कम्पनी 13.47 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करने की स्थिति में होती। इससे व्यय एवं बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण की कमियों इंगित हुई तथा परिणामस्वरूप, एक तरफ सरकार से मार्जिन मनी की वसूली तथा दूसरी तरफ ऋण एवं उस पर ब्याज की वापसी का वृहद एकत्रीकरण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि राज्य सरकार ने 1990-91 के दौरान मदिरा व्यवसाय (12.59 करोड़ रुपये) के लिये तथा 1999-2000 में मोबाइल वैन (0.88 करोड़ रुपये) के क्रय के लिये, 13.47 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। मदिरा व्यापार में अप्रत्याशित हानि के कारण, ऋण की अदायगी नहीं की जा सकी और इस सम्बन्ध में 12.59 करोड़ रुपये के ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तन

करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया जो राज्य सरकार के पास लम्बित था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को देय राशि (27.99 करोड़ रुपये) की वसूली/समायोजन राज्य सरकार से नहीं कर सकी जिसका उपयोग ऋणों की अदायगी के लिये किया जा सकता था।

लेखा नियंत्रण

लेखे तैयार करने में दरी

2.1.10 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के अनुसार, कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में, बीओडी कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ-हानि खाता प्रस्तुत करेगी। कम्पनी अधिनियम 1956 के उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी के लेखे पिछले 16 वर्षों (1990-91 से 2005-06) से बकाया थे।

लेखों का अन्तिमीकरण पिछले 16 वर्षों से बकाया था।

लेखों के बकाया के लिये मुख्य कारण, जैसाकि सितम्बर 2003 में प्रबन्धन द्वारा बीओडी को सूचित किया गया, लेखा नियमावली को तैयार न किया जाना, सरकारी योजनाओं तथा मदिरा व्यवसाय में स्टाफ की तैनाती, लुप्त अभिलेख, वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के लेखों को अन्तिम रूप प्रदान करने में वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लिया गया अधिक समय (3 वर्ष एवं 11 माह) एवं कम्पनी में नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं लेखों की तैयारी के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की नियुक्ति न किया जाना था। लेखा परीक्षा द्वारा इसका उल्लेख पहले से ही 31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में, किये जाने के बावजूद, कम्पनी अपने लेखों को अन्तिम रूप न दे सकी।

इस सम्बन्ध में यह अवलोकित किया गया कि:

- यद्यपि एक वित्त नियंत्रक तथा एक वित्त एवं लेखा अधिकारी कम्पनी में तैनात थे तथा पर्याप्त मात्रा में लेखा कर्मचारी यथा लेखा प्रबन्धक (5), सहायक लेखा प्रबन्धक (58) और लेखा लिपिक (89) प्रतिवर्ष तैनात रहे फिर भी लेखे तैयार नहीं किये गये। 1990-91 से 2001-02 की अवधि के लिये अनन्तिम लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्मों से, 70,000 रुपये प्रतिवर्ष मुख्यालय के लिए एवं लेखों के समेकन हेतु और 5,000 रुपये प्रत्येक जिला कार्यालय के प्रतिवर्ष के लेखाओं हेतु फीस पर तैयार कराये गये (मार्च 2006) लेकिन इन लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
- 16 वर्षों से लेखों का अन्तिमीकरण न किये जाने के कारण, कम्पनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा गबन/कपट की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि 2004-05 तक के अनन्तिम लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की एक फर्म के माध्यम से तैयार करवाये जा चुके थे।

प्रशासनिक नियंत्रण

2.1.11 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान, प्रबन्ध निदेशकों का कार्यकाल एक से 28 माह के मध्य रहा। कम्पनी के मुख्य अधिशासी के बारंबार बदलाव ने कम्पनी के कार्यकलापों को कुप्रभावित किया।

मानव संसाधन नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं

2.1.12 मानव संसाधन नीतियाँ एवं प्रथाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों की मेहनताने पर नियुक्ति, दिशा निर्देश पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रदान करना आदि सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबन्धन व्यवसायिकता कारण को बढ़ाकर और दैनिक कार्यों में पारदर्शिता लाकर एक नैतिक वातावरण को बढ़ावा देता है।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में यह अवलोकित (फरवरी 2006) किया गया कि मानव संसाधन नीति एवं प्रक्रियाएं प्रभावी नहीं थीं जैसा कि नीचे चर्चित है:

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदधारिता पुस्तिका नहीं बनाई गयी थी जिससे प्रबन्धन को समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को समानुदेशित कर्तव्य एवं दायित्व एक नजर में जानने से वंचित रखा गया।
- कम्पनी के विभिन्न पदों की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष 126 विद्यमान मानव स्थिति अधिक थे जिनका नियमिततीकरण अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2006)।
- बीओडी की स्वीकृति के बिना साथ ही साथ कम्पनी की सेवा नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध विपणन सहायक का एक पद सृजित किया गया।
- 31 मार्च 2006 को 233 गोदामों के परिचालन के सापेक्ष, गोदाम सहायकों के मात्र 31 पदों की स्वीकृति थी जिसके विरुद्ध गोदाम सहायकों की वास्तविक क्षमता 25 थी। इसके आगे, सेवा नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में, गोदामों के क्रियाकलापों को ध्यान रखने के लिये शेष 208 गोदामों में विक्रियकर्ता एवं कम्पनी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लगाया गया।
- राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये (जुलाई 1977) और अन्तमिकरण के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की। यद्यपि यह देखा गया कि 31 मार्च 2006 को, कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, वितरण आदि में की गई अनियमितताओं के 64 अनुशासनिक प्रकरण 1995-96 से 2005-06 से निस्तारण के लिये लम्बित थे। इन प्रकरणों के निस्तारण न होने/विलम्ब से होने का प्रमुख कारण एक अधिकारी को एक से 30 प्रकरणों की जाँच का कार्य आबंटित किया जाना था।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2006) कि पदधारिता पुस्तिका तैयार करने के लिए कार्यवाही की जा हरी है। जहाँ तक,

अधिक कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रश्न है, यह बताया गया कि सरकार को 1992-93 में एक नियमितीकरण के लिये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने कम्पनी को स्थाई कर्मचारियों की क्षमता सूचित करने का निर्देश दिया था जोकि यद्यपि सूचित किया जाना बाकी है। लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों के निस्तारण के लिये यह बताया गया कि अधिकारियों के मध्य प्रकरणों का पुनर्आबंटन करके अनुशासनिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिये कार्यवाही की जा रही है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गोदाम प्रभारी के रूप में तैनाती

2.1.13 एमडी के आदेश (जून 2000) कि किसी भी परिस्थिति में किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गोदाम प्रभारी के रूप में तैनात नहीं किया जायेगा, का उल्लंघन करते हुये जिला प्रबन्धक (डीएम) ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सीतापुर एवं गोण्डा जिला के क्रमशः पिसवान और वजीरगंज गोदामों में गोदाम प्रभारी के रूप में तैनात किया (2004-05 तथा 2005-06)। परिणामस्वरूप, 2004-05 एवं 2005-06 में इन गोदामों में 10.02 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्नों की कमी हुई। कम्पनी ने न तो वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि गोदाम प्रभारी/बिक्रीकर्ता की अनुपलब्धता के कारण, कुछ जिला प्रबन्धकों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गोदाम का प्रभार दिया। आगे यह भी बताया गया कि वर्तमान में किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गोदाम का प्रभार नहीं दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो जिला प्रबन्धकों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व एमडी की स्वीकृति ली गयी और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के पूर्व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के आधिक्य से गोदाम प्रभारी के रूप में सम्भावना सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त, एमडी के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के लिये सम्बन्धित जिला प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई तथा सम्बन्धित स्टाफ से कमी की वसूली भी नहीं की गई।

गोदामों का दोहरा प्रभार

2.1.14 सभी क्षेत्र कार्यालयों को भेजे गये (जून 2000) एमडी के आदेश कि एक गोदाम प्रभारी को एक गोदाम से अधिक का प्रभार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि एक गोदाम प्रभारी द्वारा एक से अधिक गोदामों को संभालना कम्पनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कुप्रभावित करता है तथा वित्तीय अनियमिताओं के घटित होने की सम्भावनायें बनी रहती हैं। लेखा परीक्षा में यद्यपि यह पाया गया कि इलाहाबाद, बाँदा, सीतापुर और हरदोई जिलों के जिला प्रबन्धकों ने एक से ज्यादा गोदामों का प्रभार एक गोदाम प्रभारी को सौंपा। एमडी के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न होने के परिणामस्वरूप 2004-05 के दौरान 91.58 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्नों की कमी हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी की कमी के बावजूद, एक गोदाम प्रभारी को गोदामों का दोहरा प्रभार किसी भी प्रकरण में न दिया जाय।

कार्यात्मक नियमावली का बनाना

कार्मिकों के दिशानिर्देश के लिये कार्यात्मक नियमावलियों तैयार नहीं की गयी थी।

2.1.15 कार्यात्मक नियमावलियों प्रत्येक विंग/अनुभाग के कार्मिक प्रभारी को कम्पनी के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने तथा अनुश्रवण करने के लिये दिशानिर्देश प्रदान करता है। यद्यपि, कम्पनी तीन दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में है, फिर भी, कार्यात्मक नियमावलियों (प्रशासनिक/लेखा) अभी तक (अगस्त 2006) नहीं बनी हैं और इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण लुप्त रहा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि कार्यात्मक नियमावलियों बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्रचालनात्मक नियंत्रण

2.1.16 कम्पनी के मुख्य क्रियाकलापों में, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सम्मिलित था जैसे:

- न्यूनतम् समर्थन मूल्य योजना
- लक्षित जन वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाएँ।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण की कमी नीचे चर्चित है:

न्यूनतम् समर्थन मूल्य योजना

2.1.17 भारत सरकार की न्यूनतम् समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कम्पनी को गेहूँ एवं धान को राज्य के किसानों से सीधे क्रय करने के लिये क्रय एजेन्सियों में से एक के रूप में नामित किया। कम्पनी किसानों से गेहूँ एवं धान का क्रय राज्य सरकार द्वारा चिन्हित प्रत्येक जिले में क्रय केन्द्रों को खोलकर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करती है। ये क्रियाकलाप राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किये जाते हैं जिसमें प्रावधानित है कि खाद्यानन्द क्रय करने के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)/स्टेट पूल को सौप दिये जाते हैं तथा खाद्यान्नों की लागत और अन्य अनुसारिंग व्यय (रखरखाव, ढुलाई, लेखन सामग्री और अन्य विविध व्यय) का दावा एफसीआई/राज्य सरकार के खाद्य विभाग से किया जाता है। गेहूँ और धान की सहजता एवं समय से छरीद के लिए, कम्पनी ने यह कार्य जिला प्रबन्धकों को सौंपा।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियों पाई गयी:

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2.1.18 योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उपवाक्य 8.1 के अनुसार, क्रय एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी किसान अपने खाद्यानन्द को

बिना विक्रय किये हुये न लौटे। आगे दिशानिर्देशों के उपवाक्य 24 में प्रावधानित है कि कम्पनी के जिला प्रबन्धक एक सप्ताह में दो बार केन्द्रों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने हेतु करेगे कि खरीद केन्द्र समय से खुल रहे हैं, खरीद केवल किसानों से ही की जाती है तथा बिचौलियों द्वारा छोटे किसानों का शोषण नहीं हो रहा है। नीचे दी गयी तालिका में 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत गेहूँ एवं धान के क्रय के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों एवं वास्तविक क्रय को दर्शाती है:

(मात्रा मैट्रिक टन में)

विवरण	गेहूँ			धान		
	लक्ष्य	वास्तविक	कमी (+)/(-)	लक्ष्य	वास्तविक	कमी (+)/(-)
2001-02	1,00,000	1,36,604	36,604	-	--	--
2002-03	1,50,000	1,17,337	(-)32,663	40,000	755	(-)39,245
2003-04	1,50,000	1,01,928	(-)48,072	40,000	16,321	(-)23,679
2004-05	1,50,000	1,35,708	(-)14,292	1,00,000	7,076	(-)92,924
2005-06	1,50,000	35,373	(-)1,14,627	1,00,000	22,704	(-)77,296

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2002-03 से 2005-06 की अवधि के दौरान कम्पनी खाद्यान्नों के क्रय के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। कम्पनी दिशानिर्देशों के उपवाक्य 8.1 एवं 24 के प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस प्रकार, योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के क्रय के क्रियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 2002-03 से 2005-06 के दौरान क्रय के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होने का प्रमुख कारण सरकार द्वारा मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में न्यून समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाजार दर के ज्यादा होने के समर्थन में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रदान नहीं किया गया।

बिचौलियों से खाद्यान्नों की खरीद

शासन द्वारा प्रतिबन्धों को आरोपित किये जाने के बावजूद, 56.60 लाख रुपये मूल्य का गेहूँ बिचौलियों से क्रय किया गया।

2.1.19 दिशानिर्देशों के उपवाक्य 3 में प्रावधानित है कि खाद्यान्नों का क्रय सीधे किसानों से उनकी जोतबही और इंतखाब (कृषि भूमि के स्वामित्व अभिलेखों) के आधार पर किया जायें। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान 9136 कुन्टल गेहूँ (लखनऊ: 7390 कुन्टल तथा बरेली: 1746 कुन्टल) जिसकी कीमत 56.60 लाख रुपये है, किसानों की बजाय बिचौलियों से क्रय किया गया। परिणामस्वरूप, योजना का लाभ किसानों को पहुंचाया न जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि किसानों से खरीदे गये खाद्यान्न की मात्रा उनकी जोतबही और किसान बही में अंकित की गयी थी तथा ठीक उसी की प्रति संलग्न की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा जमा किये गये अभिलेख प्रस्तर में उल्लेखित प्रकरणों से सम्बन्धित नहीं थे।

लक्षित जनवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एंवं सरकार की अन्य योजनायें

2.1.20 टीपीडीएस के अन्तर्गत, कम्पनी ने सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिये बनाये गये आबंटन के सापेक्ष गेहूँ, चावल एवं चीनी एफसीआई/क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (आरएफसी)/प्रदेशीय सहकारी संघ (पीसीएफ) की डिपो/गोदामों से उठान किया। कम्पनी ने इन खाद्यान्नों को अपने गोदामों में रखा तथा टीपीडीएस की विभिन्न योजनाओं (जैसे गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अन्तयोदय) एवं अन्य योजनाओं जैसे अन्नपूर्णा, मिड-डे-मील (एमडीएम) तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अन्तर्गत वितरण के लिये सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के सापेक्ष सरकारी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को सुपुर्द किया। इन क्रियाकलापों के लिये कम्पनी उठाये गये खाद्यान्न पर प्रति कुन्तल मार्जिन मनी उस दर से अर्जित करती है जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष हैण्डलिंग एवं परिवहन, गोदाम किराया इत्यादि से सम्बन्धित व्ययों को पूरा करने के लिये निर्धारित करती है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने, अपने जिला कार्यालयों द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन का, समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, आबंटन के सापेक्ष खाद्यान्नों की कम उठान, खाद्यान्नों की ढुलाई एवं रखरखाव में अनियमिततायें, मार्जिन मनी दावे एवं खाद्यान्नों की कमी/गबन का पता लगा, इत्यादि घटित हुई, जैसा कि नीचे चर्चित है:

खाद्यान्नों का कम उठाना

2.1.21 एमडी द्वारा किये गये (मई 2000) कार्य के विनिधान के आधार पर कम्पनी के जीएम को योजनाओं के प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के आधार पर टीपीडीएस एवं अन्य सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2002-03 से 2004-05 की अवधि के दौरान जीएम ने आबंटनों के सापेक्ष प्रत्येक माह में अपने जिला कार्यालयों द्वारा खाद्यान्नों (गेहूँ एवं चावल) के शत-प्रतिशत उठान को सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप 49.43 लाख एमटी के आबंटन के सापेक्ष मात्र 24.87 लाख एमटी खाद्यान्न 18 से 22 जिला कार्यालयों द्वारा उठाया गया, जिसके कारण 24.56 लाख एमटी खाद्यान्नों की उठान में कमी आई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि आबंटन से कम खाद्यान्नों को उठाने का मुख्य कारण एफसीआई डिपो द्वारा खाद्यान्नों की सुपुर्दगी न करना था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने किसी अवमुक्तीय आदेश (जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)/जिला अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की मात्रा के सापेक्ष जारी किये गये खाद्यान्नों का अवमुक्तीय आदेश) की प्रति नहीं दिखाई जिसमें किसी भी एफसीआई डिपो द्वारा खाद्यान्न की सुपुर्दगी से मना किया गया हो। इस प्रकार खाद्यान्नों की कम उठान तथा परिणामतः उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित नहीं करने के कारण, योजनाओं का पूर्ण फायदा लाभार्थियों को नहीं पहुँचाया जा सका।

खाद्यान्तों का हैण्डलिंग व परिवहन

2.1.22 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये योजना दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार, कम्पनी द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले के प्रत्येक गोदाम के लिए कम्पनी में पंजीकृत ठेकेदारों में से निविदा आमन्त्रित करके हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों को नियुक्त किया जाना था। ठेकेदारों की नियुक्ति से सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित जिला प्रबन्धकों के पर्यवेक्षण में पूरी कर ली जानी थी।

इस सम्बन्ध में, निम्नलिखित बिन्दुओं को देखा गया:

- कम्पनी 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों के विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी।
- कम्पनी ने मार्च 2005 में 2005-06 के लिए 18 जिला कार्यालयों के लिये ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की तथा ठेके की कार्यवाही नौ जिलों में पूरी हुई। अन्य नौ जिला कार्यालयों में, हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य गोदाम प्रभारियों द्वारा स्वयं ही स्थानीय छोटे परिवहनकर्ताओं के माध्यम से उनके साथ बिना किसी अनुबन्ध निष्पादित किये ही किया जा रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि बोलीकर्ताओं से पर्याप्त संख्या में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण नौ जिलों में अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया जा सका।

- 2003-04 से 2005-06 की अवधि के दौरान गोण्डा जिले में, गोदाम प्रभारियों, चौकीदारों एवं चालकों को हैण्डलिंग एवं परिवहन व्ययों के लिये पिछले अग्रिमों को समायोजित किये बिना 72.85 लाख रुपये की राशि अग्रिम के रूप में प्रदान की गई। ये अग्रिम अब तक असमायोजित/अवसूलित पड़े रहे (अगस्त 2006)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि सम्बन्धित कर्मचारियों से अग्रिम को वसूलने/समायोजित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

खाद्यान्तों का एक योजना से दूसरी योजना में हस्तांतरण

एमडी के निर्देशों के उल्लंघन में, एक योजना से अन्य योजना को खाद्यान्तों का परिवहन 9.86 लाख रुपये की हानि में फलीभूत हुआ।

2.1.23 एमडी ने सभी आएम, डीएम एवं लेखा प्रभारियों को निर्देश जारी किया (फरवरी 2004) कि एक योजना से दूसरी योजना में खाद्यान्तों का हस्तांतरण अनुमन्य नहीं होगा ताकि योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्तों की विभेदात्मक लागत से होने वाली हानि से बचा जा सके।

लेखा परीक्षा में पाया गया (फरवरी 2006) कि उपरोक्त आदेश के विपरीत 2004-05 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 17 जिला कार्यालयों (24 जिला कार्यालयों में से) में 30 से 68,992 कुन्टल खाद्यान्त एक योजना से दूसरी योजना में हस्तांतरित किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट-12 में दिया गया है।

कम्पनी ने, यद्यपि, वास्तवकि हानि का निर्धारण करने के लिये खाद्यान्तों के हस्तान्तरण की योजनावार गणना नहीं की। इलाहाबाद जिले के अभिलेखों की नमूना

जॉच (अप्रैल 2006) में प्रकट हुआ कि वर्ष 2004-05 के दौरान, एक योजना से दूसरी योजना को 3855.60 कुन्टल खाद्यान्न का हस्तान्तरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9.86 लाख रुपये की हानि हुई (लेखा परीक्षा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों की विभेदात्मक लागत के आधार पर गणित की गई)।

प्रबन्धन द्वारा इन हस्तान्तरणों के कारणों को सुनिश्चित करने के लिये कोई अन्वेषण नहीं किया गया जिससे दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि आरएम/डीएम को एक योजना से दूसरी योजनाओं को खाद्यान्नों का अहस्तान्तरण सुनिश्चित करने के कड़े दिशानिर्देश दे दिये गये हैं। इलाहाबाद जिला कार्यालय में हुई 9.86 लाख रुपये की हानि के सम्बन्ध में यह बताया गया कि 0.47 लाख रुपये की धनराशि वसूली जा चुकी है। तथापि एक योजना से दूसरी योजना को खाद्यान्नों के हस्तान्तरण के कारणों का अन्वेषण किया गया न ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए हस्तान्तरण के कारण हुई हानि की गणना की गयी।

अवसूलित मार्जिन मनी

2.1.24 योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधानित है कि कम्पनी हैण्डलिंग तथा परिवहन व्ययों एवं गोदाम किराया आदि की पूर्ति के लिये राज्य के सम्बन्धित विभागों को मासिक आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी के आधार पर दावों को प्रस्तुत करेगी। मिड डे मील (एमडीएम) योजना के अन्तर्गत, मार्जिन मनी के दावे कम्पनी के मुख्यालय द्वारा दाखिल किये गये, जबकि अन्य योजनाओं में मार्जिन मनी के दावे जिला कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित विभागों को दाखिल किये गये। एमडीएम योजना के अन्तर्गत दावे, यद्यपि, मुख्यालय द्वारा समय से दाखिल नहीं किये गये। वर्ष 2001-02 में दावे वार्षिक रूप से दाखिल किये गये तथा 2002-03 से 2005-06 की अवधि के दौरान दावे छमाही एवं तिमाही दाखिल किये गये।

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त बिन्दुओं को अवलोकित किया गया:

- योजनावार नियन्त्रण रजिस्टर जिसमें मार्जिन मनी देय, प्रस्तावित दावे, प्राप्त राशि, खारिज किये गये दावे का उल्लेख हो, मुख्यालय/जिला कार्यालय द्वारा नहीं बनाये गये। परिणामस्वरूप प्रस्तावित दावे तथा बकाया दर्शायी गयी राशि की वास्तविक स्थिति लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि जिला कार्यालयों से सूचना माँगी जा रही है और उनकी प्राप्ति के बाद योजनावार नियन्त्रण रजिस्टर बनाया जायेगा।

- सीतापुर जिले में, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अन्तर्गत मार्जिन मनी के दावे मासिक आधार पर प्रस्तुत नहीं किये गये।

दावों को समय से जमा नहीं किये जाने के कारण, 14.20 लाख रुपये के दावे खारिज कर दिये गये।

परिणामस्वरूप, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डीआरडीए) द्वारा 14.20 लाख रुपये की राशि का भुगतान इस आधार पर नहीं किया कि दावों को समय से जमा नहीं किया गया था। जिला कार्यालयों द्वारा धनराशि की वसूली के लिये कोई अनुगामी कार्यवाही नहीं की गयी।

- गोण्डा जिला कार्यालय ने खाद्य विभाग में वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिये अन्तर्योदय योजना के सम्बन्ध में 49.90 लाख रुपये के मार्जिन मनी के दावों को प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 2004-05 के लिये एसजीआरवाई के अन्तर्गत 37.54 लाख रुपये तथा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 2.21 लाख रुपये के दावे भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके लिये अभिलेख में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि सीतापुर जिले में 14.20 लाख रुपये के दावे के प्रकरण में डीआरडीए ने समीपवर्ती जिले (लखीमपुर) में अनियमितताओं के कारण भुगतान रोक दिया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। गोण्डा जिले के दावे के सम्बन्ध में, प्रबन्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

टीपीडीएस में खाद्यान्नों की कमी

2.1.25 एमडी के निर्देशों के अनुसार (सितम्बर 2001, फरवरी 2002 एवं फरवरी 2004), सभी आरएम/डीएम/लेखा प्रभारियों को प्रायः गोदामों का निरीक्षण तथा उनका भौतिक सत्यापन करना था ताकि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उठाये गये तथा वितरित खाद्यान्नों का समुचित लेखांकन, विहित रजिस्टरों का रखरखाव तथा अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। लेखा परीक्षा में, यद्यपि, यह पाया गया कि आरएम/डीएम/लेखा प्रभारियों द्वारा गोदामों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण न किये जाने के कारण खाद्यान्नों की भारी कमी हुई। आगे, एमडी ने आंतरिक लेखा परीक्षा/प्रबन्धन द्वारा प्रतिवेदित कमियों/गबन की वसूली के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु सभी आरएम/डीएम/लेखा प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये (फरवरी 2002)। तथापि, कमियों की वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तथा वर्ष 2003-04 में 12.21 लाख रुपये की कमी 2005-06 में बढ़कर 2.62 करोड़ रुपये हो गयी (संचित कमियाँ 5.55 करोड़ रुपये), जिनका विवरण निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (दिसम्बर 2005 तक)
1	2	3	4	5
वर्ष के प्रारम्भ में वसूल की जाने योग्य कमियों का प्रारम्भिक शेष	176.83	190.63	185.85	314.20
वर्ष के दौरान वृद्धि	46.97	12.21	153.06	261.65
योग	223.80	202.84	338.91	575.85
वर्ष के दौरान की गयी वसूली	33.17	16.99	24.71	20.81
वर्ष के अन्त में शेष	190.63	185.85	314.20	555.04
कुल कमी से वसूली का प्रतिशत	14.82	8.38	7.29	3.61

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दुओं को अवलोकित किया गया:

- टीपीडीएस के अन्तर्गत, खाद्यान्नों की लागत के सापेक्ष अग्रिम में बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट प्राप्त करने के पश्चात् गोदाम प्रभारी द्वारा खाद्यान्न की सुपुर्दगी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को की जाती है ताकि नगदी में कमी के अवसर उत्पन्न न हो। इस प्रकार, 5.55 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण कमी केवल खाद्यान्नों की कमी से ही सम्बन्धित है।
- कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष में योजनावार कमियों के आँकड़ों का संकलन नहीं किया।
- 2002-03 से 2005-06 के दौरान वसूली का प्रतिशत बहुत खराब तथा 3.61 से 14.82 के मध्य था। प्रबन्धन द्वारा वसूली प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा सम्बन्धित गोदाम प्रभारी के विरुद्ध डीएम/लेखा प्रभारी द्वारा वसूली को निष्पादित करने में विलम्ब, निम्न वसूली के कारण थे। कमियों में वृद्धि के कारण जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, मुख्यतः नियमित अन्तरालों पर गोदामों को निरीक्षण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण तथा अनुश्रवण की कमी थे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि 5.55 करोड़ रुपये की कमियों के सापेक्ष 1.35 करोड़ रुपये अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूल किये जा चुके हैं। काश वसूली की कार्यवाही कमी घटित होने के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दी गयी होती तथा जिला प्रबन्धकों/लेखा प्रभारियों द्वारा गोदामों का प्रायः निरीक्षण किया जाता तो इन कमियों/गबन को दूर/कम किया जा सकता था।

खाद्यान्नों की कमी की वसूली सापान्य दरों के दोगुने पर करने से बचने के लिए, 71.89 लाख रुपये की खाद्यान्न की कमी को रोकड़ की कमी के रूप में दर्शाया गया।

- प्रबन्ध निदेशक द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों, जिला प्रबन्धकों/जिला प्रभारियों, को जारी किये गये दिशानिर्देशों (जनवरी 1998) के अनुसार, यदि गोदाम में खाद्यान्न की कोई कमी उत्पन्न होती है तो खाद्यान्न की लागत की वसूली, उस समय गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लिये लागू खाद्यान्नों की लागत के बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट प्राप्त करने के पश्चात् खाद्यान्नों की सुपुर्दगी एफपीएस को किया जाना अपेक्षित है। किसी भी दशा में बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किये बिना खाद्यान्न की सुपुर्दगी नहीं की जानी थी। लेखा परीक्षा में यद्यपि यह पाया गया कि कुछ जिला कार्यालयों ने अपने स्टाक में खाद्यान्नों की कमी को नियमित करने के लिए, खाद्यान्नों की वास्तव में सुपुर्दगी नहीं कर रहे थे बल्कि बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट को प्राप्त किये बिना उन्हें सुपुर्द किया हुआ प्रदर्शित कर रहे थे। केवल खाद्यान्न की लागत के दोगुने पर खाद्यान्न की कमी की वसूली से बचने के लिये, 2001-02 से 2004-05 के दौरान वाराणसी, गोण्डा बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, शाहजहाँपुर, चित्रकूट एवं हरदोई के जिला कार्यालयों द्वारा 71.89 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्नों की इस प्रकार की कमियाँ रोकड़ कमी के रूप में दिखाई गईं। उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा भविष्य में इस प्रकार की

कमियों को दूर करने के लिये सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु, यद्यपि, कोई अन्वेषण नहीं किया गया।

एमडीएम योजना में खाद्यान्नों का अनियमित निर्गमन

2.1.26 एमडीएम के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष में जुलाई से अप्रैल के शैक्षिक सत्र के दौरान राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय के विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (I से V) में नामांकित बच्चों के मध्य खाद्यान्नों (गेहूँ एवं चावल) के निःशुल्क वितरण के लिये सुपुर्दगी एफपीएस को की जानी थी। एमडी ने प्रत्येक जिला प्रबन्धक एवं लेखा प्रभारी को प्रत्येक गोदाम का प्रायः निरीक्षण किया जाय तथा खाद्यान्नों के उठान एवं सुपुर्दगी से सम्बन्धित योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किये (सितम्बर 2001 और फरवरी 2004)।

लेखा परीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2006) कि सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच और लखनऊ के जिला प्रबन्धकों/लेखा प्रभारियों द्वारा गोदामों का निरीक्षण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, गोदाम प्रभारियों द्वारा बिना आबंटन के खाद्यान्नों का निर्गमन किया गया, जैसा नीचे वर्णित है:

- सीतापुर, बलरामपुर और बहराइच के गोदाम प्रभारियों ने 13.48 लाख रुपये मूल्य के 2368.92 कुन्टल खाद्यान्न का मई और जून 2005 में निर्गमन किया, जबकि इन महीनों में खाद्यान्नों को निर्गत नहीं किया जाना था। खाद्यान्नों के अनियमित निर्गमन के लिए कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।
- इसी तरह, 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान लखनऊ (सरोजनीनगर, बक्शी का तालाब), बहराइच (हुजुरपुर) और बलरामपुर (बलरामपुर) जिलों के गोदाम प्रभारियों द्वारा 6.66 लाख रुपये मूल्य के 1173.59 कुन्टल खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) का आबंटन से अधिक निर्गमन एफपीएस को किया गया। यद्यपि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक (अगस्त 2006) कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि सीतापुर, बहराइच एवं बलरामपुर गोदामों में एमडीएम योजना के अन्तर्गत मई और जून माह में खाद्यान्नों का वितरण सम्बन्धित जिला अधिकारियों के निर्देशों पर किया गया था। आगे, यह बताया गया कि उचित मूल्य की दुकानों को सुपुर्दगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन के आधार पर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा कोई अभिलेख यह दिखाने के लिये प्रदान नहीं किया गया कि सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये गये थे।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निदेशक मण्डल के निर्णयों का अनुपालन

2.1.27 कम्पनी ने बीओडी के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। एक उदाहरणात्मक प्रकरण के

रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बीओडी का निर्णय (जून 2002), कि राज्य के स्थानीय बाजार (टाण्डा, अकबरपुर, मऊरानीपुर और परियावन) में उपलब्ध कपड़े क्रय एवं जनता स्टोर्स के माध्यम से विक्रय किये जा सकते हैं, का अनुपालन नहीं किया गया। इस क्रियाकलाप को आरम्भ न करने के तथ्य भी बीओडी को प्रतिवेदित नहीं किये गये।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि जनता स्टोर्स के बन्द होने के कारण यह क्रियाकलाप शुरू नहीं की जा सकी तथा इसके आगे बताया गया कि निदेशक मण्डल को अगली बैठक में सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा यह निर्णय जून 2002 में लिया गया था जब जनता स्टोर्स कार्यशील थे।

निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये तन्त्र की अनुपस्थिति प्रमुख आंतरिक नियन्त्रण असफलता थी।

सूचना एवं संचार प्रणाली

2.1.28 प्रभावी आंतरिक नियन्त्रण रखने तथा उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, संगठन के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचना की आवश्यकता कम्पनी के सभी स्तरों पर है। प्रभावी संचार कम्पनी के सभी अनुभागों/विंग से होकर जाना चाहिये। व्यावसायिक प्रक्रिया के रखरखाव के लिये, प्रबन्धन एवं कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष संचार होना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया (मार्च 2006) कि कम्पनी में सूचना एवं संचार प्रणाली प्रभावी नहीं थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- जिला कार्यालयों द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन एक से चार माह की दरी से प्रस्तुत किये गये।
- जिला कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए कोई भी प्रणाली नहीं थी।
- 2001-02 से 2005-06 के दौरान समय-समय पर शासन एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की गार्ड पंजिका कम्पनी ने तैयार नहीं की। परिणामस्वरूप, क्रियान्वयन स्तर पर निर्देशों का प्रवाह प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा लेखा परीक्षा में इन आदेशों का अनुपालन सत्यापित नहीं किया जा सका।
- प्रशासनिक प्रणाली तथा सेवाओं में सुधार करने तथा कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिये, राज्य सरकार ने सूचना एवं तकनीकी नीति के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक श्रेत्र के उपक्रमों में साफ्टवेयर के क्रय एवं उपयोग के लिये एक योजना बनाई (अगस्त 2002)। तदनुसार, बीओडी ने कम्पनी में सूचना तकनीक वातावरण बनाने का निर्णय लिया (जून 2004)। कम्पनी के मुख्यालय के लिए 12.02 लाख रुपये मूल्य के कम्प्यूटर क्रय किये गये (फरवरी 2005) परन्तु वे सर्वर न लगने के कारण संचालित नहीं किये जा सके। आगे, जिला कार्यालयों को सूचना के आसान एवं तेज पारेषण के लिये कोई हार्डवेयर/साफ्टवेयर भी प्रदान नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि क्षेत्र कार्यालयों को मासिक प्रतिवेदन समय से प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं एवं इन प्रतिवेदनों का मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। आगे सर्वर लगा लिया गया है तथा प्रभावी सूचना एवं संचार प्रणाली के लिए सभी अपेक्षित माड़ूल तैयार करवाने के लिये कार्यवाही की गयी है।

अनुश्रवण

2.1.29 मुख्य कार्यकलापों का अनुश्रवण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियन्त्रण वैसे ही किया जा रहा है जैसा अभीष्ट है एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के लिये समुचित बदलाव किये जा रहे हैं। यद्यपि कम्पनी अपने कार्यकलापों को कुशलतापूर्वक अनुश्रवण करने में असफल रही क्योंकि न तो कम्पनी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिला कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन प्रबन्धन द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अनुश्रवित किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन भी जिला कार्यालयों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। आगे, जिला कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक प्रतिवेदन भी कम्पनी के मुख्यालय द्वारा मूल्यांकित नहीं किये गये।

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

2.1.30 आंतरिक लेखा परीक्षा किसी निकाय में प्रतिस्थापित एक मूल्यांकन क्रियाकलाप है जिसका उद्देश्य लेखाकांन एवं आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली की शुद्धता एवं प्रभावशीलता का परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा कर्मचारियों के सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगाने के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विंग 1983-84 से अगस्त 2001 तक क्रियाशील नहीं थी। यह वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में तीन प्रबन्धक (लेखा परीक्षा) एवं 20 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों की कर्मचारी क्षमता के साथ सितम्बर 2001 से पुनः स्थापित हुई। यद्यपि, कम्पनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली निम्नलिखित के कारण प्रभावी नहीं थी:

- आंतरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र एवं आवरण को इंगित करने वाली कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली नहीं थी।
- 2001-02 से 2005-06 के दौरान, नियमित लेखा परीक्षा के लिये कोई वार्षिक लेखा परीक्षा योजना जिसमें लेखा परीक्षा का समय एवं अवधि, पर्यवेक्षण इत्यादि इंगित हो, नहीं बनाई गई।
- सभी जिला कार्यालयों (बलरामपुर को छोड़कर) के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सामान्यतः प्रबन्धन द्वारा विहित प्रारूप में तैयार नहीं किये गये (मई 2002 तथा जुलाई 2005)।
- 2001-02 से 2005-06 के दौरान 233 से 273 गोदामों में से, केवल 190 से 260 गोदामों की आंतरिक लेखा परीक्षा की गयी।

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन नहीं किया गया।

- आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उचित अभिलेख/पंजिकायें तैयार नहीं किये गये थे।
- कम्पनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा अपने प्रतिवेदनों में इंगित किये गये 1.89 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न की कमी के दृष्टान्त परिशिष्ट-13 में सारणीकृत है। यद्यपि अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं बताया (अगस्त 2006) कि आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार की जायेगी तथा वार्षिक लेखा परीक्षा योजना का सूजन किया जायेगा।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

2.1.31 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए में प्रावधानित है कि प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ से कम न हो, से अपेक्षित है कि वह निदेशक मण्डल की एक समिति जोकि लेखा परीक्षा समिति (एसी) के नाम से जानी जाये, संस्थापित करे। समिति को अपने लेखा परीक्षकों से समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा प्रेषणों को सम्मिलित करते हुये लेखा परीक्षा के क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना चाहिये तथा बीओडी के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करनी चाहिये एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा द्वारा अवलाकित किया गया कि सितम्बर 2001 से दिसम्बर 2005 के मध्य यद्यपि एसी की दस बैठकें हुई, फिर भी, कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इसकी पर्याप्तता या अनुपालन पर कभी भी विचार-विमर्श नहीं किया गया। आगे, यद्यपि वार्षिक लेखों (1990-91 से आगे तक लम्बित) को बनाने की प्रगति प्रत्येक बैठक में चर्चित की गयी, फिर भी, लेखों की शीघ्र तैयारी के लिये किसी कार्य योजना का निरूपण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने स्वीकार्य किया एवं बताया (अगस्त 2006) कि 2004-05 तक के अनन्तिम लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्म द्वारा तैयार कराये गये हैं। आगे, प्रबन्धन ने बताया कि, अगस्त 2009 तक सभी लेखों को अन्तिम रूप देने के लिये एक कार्य योजना बनायी गयी है। यद्यपि, प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा समिति की कार्यप्रणाली में कमियों के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया।

अभिस्वीकृति

2.1.32 निष्पादन लेखा परीक्षा के सम्पादन में विभिन्न स्तरों पर कम्पनी/शासन के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता को लेखा परीक्षा अभिस्वीकृत करता है।

निष्कर्ष

कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपूर्ण थी। बजटरी नियंत्रण निष्प्रभावी था क्योंकि न तो बजट समय से तैयार किया गया और न ही विचलनों का विश्लेषण

किया गया। वित्तीय प्रबन्ध असंतोषजनक था, क्योंकि कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों से मार्जिन मनी वसूल करने में विफल रही। कम्पनी के लेखे 1990-91 से 16 वर्षों के लिए बकाये थे तथा बीओडी के निर्णय एवं प्रबन्धन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। कारपोरेट प्लान और कार्यात्मक नियमावली (प्रशासनिक, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा) तैयार नहीं की गई। परिणामस्वरूप कम्पनी के विभिन्न कार्यकलापों का अनुश्रवण खराब रहा। सरकारी योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित नहीं किया गया परिणामस्वरूप विभिन्न अनियमितताएँ जैसे खाद्यान्नों के क्रय के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना, एफसीआई के डिपों से खाद्यान्नों की कम उठान तथा एमडीएम योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का अनियमित निर्गमन इत्यादि, उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से कमियों/गबन की वसूली सुनिश्चित करने के कोई सामूहिक प्रयास नहीं किये गये। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका प्रभावी नहीं थी तथा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्यवाही तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी होने के कारण से आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का उपयोग आंतरिक नियन्त्रण के उपकरण के रूप में नहीं किया गया।

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को अपने विभिन्न क्रियाकलापों को नियमित करने के लिए एवं आंतरिक तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यात्मक नियमावलियाँ (प्रशासनिक, लेखा एवं लेखा परीक्षा नियमावली) बनानी चाहिए।
- सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान, योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये योजनाओं के दिशानिर्देशन एवं उच्च प्रबन्धन के निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कम्पनी में प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण को सृदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण क्रियाकलापों पर नियन्त्रण वांछित रूप से किया जा रहा है।
- एक अच्छी प्रबन्ध सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।

2.2 कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड में देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता

मुख्य अंश

कम्पनी, भारी वितरण हानियाँ जो 32.27 और 43.30 प्रतिशत के मध्य थी, के कारण उपभोक्ताओं से ऊर्जा की लागत भी नहीं वसूल सकी एवं 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान निर्धारित मानदण्डों से अधिक इस प्रकार की कुल हानियाँ 384.34 करोड़ रुपये थीं।

(प्रस्तर 2.2.8)

कम्पनी ने अतिरिक्त माँग प्रभारों, विलम्ब भुगतान अधिभार और शंट कैपिसिटर अधिभार के न लगाये जाने के कारण कुल 3.23 करोड़ रुपये की राजस्व हानि बहन की।

(प्रस्तर 2.2.14, 2.2.21, 2.2.23)

कम्पनी, 3800 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को देयक जारी करने में असफल रही; फलतः कुल 3.47 करोड़ रुपये के राजस्व के प्रभारण की कमी हुई।

(प्रस्तर 2.2.22)

उपभोक्ताओं को समय से विद्युत देयक जारी करने में कम्पनी की असफलता के परिणामस्वरूप कुल 1.32 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.15)

उपभोक्ताओं के मीटरों की निर्धारित समयावधि में जाँच करने की कम्पनी की असफलता के फलस्वरूप कुल 1.06 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13)

कम्पनी उपभोक्ताओं से राजस्व बकायों की वसूली करने में असफल रही। जिसके फलस्वरूप कम्पनी के राजस्व बकाये, जो वर्ष 2001 में 1074.20 करोड़ रुपये थे, से बढ़कर मार्च 2006 के अन्त तक 1515.50 करोड़ रुपये हो गए।

(प्रस्तर 2.2.25)

प्रस्तावना

2.2.1 कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पूर्ववर्ती कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन - केसा) का गठन (जुलाई 1999) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की एक सहायक कम्पनी के रूप में कानपुर शहर के नगरीय क्षेत्र में विद्युत वितरण के मुख्य उद्देश्य से हुआ था। कम्पनी ने 14 जनवरी 2000 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

कम्पनी का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल में निहित है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक प्रबन्ध निदेशक (एमडी) को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 12 निदेशक हैं। 31 मार्च 2006 को मण्डल में 6 निदेशक थे। प्रबंध निदेशक, जो कम्पनी का मुख्य अधिशासी है, कम्पनी के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिये उत्तरदायी होता है। वह मुख्यालय पर, एक उप मुख्य लेखाधिकारी, एक महाप्रबन्धक और छः सहायक महाप्रबन्धकों (एजीएम) द्वारा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन महाप्रबन्धकों तथा 20 एजीएम द्वारा सहायित है। कम्पनी, अपने गठन से ही, कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 383-ए का उल्लंघन करते हुए बिना कम्पनी सचिव के कार्य कर रही है।

पूर्ववर्ती कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा) के समग्र क्रिया-कलापों पर अन्तिम समीक्षा 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गयी थी। जिस पर अभी तक, सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा नहीं की गयी है (सितम्बर 2006)।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 नवम्बर 2005 से अप्रैल 2006 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादन समीक्षा वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा के लिये देयकीकरण, राजस्व संग्रहण एवं उसके लेखाकरण की समग्र दक्षता की जाँच को सम्मिलित करती है।

2.2.3 नीचे दी गई तालिका उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या, संयोजित भार और निर्धारित राजस्व को इंगित करती है। लेखापरीक्षा में चयनित प्रतिदर्श 31 मार्च 2005 को संयोजित भार तथा चयनित उपभोक्ताओं और विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत उनके सापेक्ष राजस्व के निर्धारण पर आधारित है, जो कुल निर्धारित राजस्व के 25 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

क्रम संख्या	उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	संयोजित भार (केडब्ल्यू में)	वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व का निर्धारण (करोड़ रु 0 में)	चयनित उपभोक्ताओं का संयोजित भार (केडब्ल्यू में)	चयनित उपभोक्ताओं का राजस्व निर्धारण (करोड़ रु 0 में)	चयनित उपभोक्ताओं के निर्धारित राजस्व का कुल निर्धारित राजस्व से प्रतिशत (7/5x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	घरेलू	343871	585785	258.16	7630	3.36	1.30
2.	व्यावसायिक	71850	188670	114.71	14316	8.71	7.59
3.	सार्वजनिक प्रकाश	33	7193	7.95	7193	7.95	100.00
4.	सार्वजनिक एवं निजी संस्थान	784	34816	35.27	23645	23.95	67.91
5.	लघु एवं मध्यम शक्ति	6199	111334	58.99	2173	1.18	2.00
6.	पब्लिक वाटर वर्क्स	147	14697	17.26	10919	12.82	74.28
7.	उच्च एवं भारी शक्ति	370	91368	112.81	88649	109.45	97.02
	योग	423254	1033863	605.15	154525	167.42	

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अदत्त बकाया देयों के सन्दर्भ में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में समग्र निष्पादन, दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति का

विच्छेदन न करना, स्थाई विच्छेदन के अन्तिमीकरण में देरी, और अक्रियाशील उपभोक्ताओं के बिलिंग की भी जॉच की गई।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.2.4 लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- देयकीकरण की प्रक्रिया दक्षतापूर्वक की गयी;
- राजस्व संग्रहण दक्ष एवं त्वरित था;
- संग्रहीत राजस्व का लेखांकन परिशुद्ध और बैंक को शीघ्रतापूर्वक भेजा गया था;
- राजस्व बकाये की वसूली/कमी करने के लिये प्रभावी प्रयास किये गये;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.2.5 लेखा परीक्षा उद्देश्यों की परिलिंग्धियों के निर्धारण के लिये अपनायी गयी लेखा परीक्षा कसौटी थी:

- देयकीकरण की अनुसूची, टैरिफ वितरण कोड तथा यूपीईआरसी एवं यूपीपीसीएल द्वारा जारी वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावलियाँ।
- यूपीपीसीएल द्वारा सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के देयकीकरण हेतु बनाए गये निर्देश, नियम, विनियम।
- राजस्व संग्रहण के सम्बन्ध में यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल/कम्पनी के दिशानिर्देश।
- दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के लिये शासन/यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल के निर्देश, नियम एवं विनियम।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.2.6 निष्पादन समीक्षा के लेखा परीक्षा उद्देश्यों की परिलिंग्धियों हेतु लेखा परीक्षा प्रक्रिया के निम्न मिश्रण को अपनाया गया:

- यूपीईआरसी द्वारा जारी विनियमों/आदेशों/वितरण कोड और कम्पनी द्वारा अपनाये गये यूपीपीसीएल के आदेशों वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली का अध्ययन।
- वार्षिक प्रतिवेदनों एवं निदेशक मण्डल की बैठकों के एजेण्डा एवं कार्यवृत्तों, कम्पनी के निष्पादन प्रतिवेदनों का परीक्षण।
- उपभोक्ताओं से किये गये अनुबन्धों, मीटर रीडिंग, सीलिंग प्रमाणपत्र, लेजर के साथ देयकीकरण की पत्रावलियाँ, पत्राचार पत्रावलियाँ, राजस्व संग्रहण प्रणाली एवं अन्य प्रतिवेदनों की जॉच।

- राजस्व के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण तथा राजस्व एवं राजस्व की वसूली में प्रभावशीलता।
- लेखा परीक्षा द्वारा पूछताछ और प्रबन्धन के साथ सतत् वार्ता।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.2.7 कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड में देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता पर निष्पादन समीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को जून 2006 में जारी किया गया था और इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 11 अगस्त 2006 की बैठक में चर्चा की गई। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान प्रबन्धन द्वारा व्यक्त किये गये विचार समीक्षा को अन्तिम रूप दिये जाते समय ध्यान में रखे गये।

निष्पादन समीक्षा के परिणामों जिनमें 19.70 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव सम्मिलित है, की अग्रलिखित प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

देयकीकरण प्रक्रियाएं

2.2.8 वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली में विहित प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी से अपेक्षित है कि वह अधिसूचित देयकीकरण चक्रण के अन्त में प्रत्येक उपभोक्ता की ऊर्जा उपभोग रीडिंग ले। मीटर रीडिंग प्राप्त करने के पश्चात् कम्पनी, उपभोक्ताओं के परिसर में संस्थापित मीटरों में दर्ज ऊर्जा उपभोग के लिए उन्हें देयक प्रेषित करती है। घरेलू, वाणिज्यिक, और लघु एवं मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं का देयकीकरण कम्प्यूटरीकृत था जबकि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं* के मामले में, देयकीकरण कम्पनी मुख्यालय पर हाथ से किया जाता था। घरेलू उपभोक्ताओं को द्वैमासिक देयकीकृत किये जा रहा था। जबकि अन्य उपभोक्ताओं को मासिक देयकीकृत किया जा रहे थे।

आगे दी गयी तालिका 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान अपेक्षित ऊर्जा, कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी ऊर्जा, ऊर्जा के विक्रय तथा ऊर्जा की हानि को इंगित करती है:

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
						(अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7
1	ऊर्जा की आवश्यकता (एम्यू)	2348.00	2395.00	2084.00	2320.00	2366.00
2	क्रय की गयी ऊर्जा (एम्यू)	2348.188	2577.020	2208.606	2346.666	2308.812
3	क्रय की गयी ऊर्जा (करोड़ रुपये में)	509.24	494.58	425.68	448.48	439.78
4	क्रय की गयी ऊर्जा की कुल लागत** (करोड़ रु में)	651.65	655.67	582.15	600.51	600.24

* उच्च एवं भारी शक्ति, सार्वजनिक एवं निजी संस्थान, सार्वजनिक प्रकाश तथा पब्लिक वाटर वर्क्स।

** ऊर्जा का क्रय, स्थापना व्यय, मरम्मत एवं खराब लागत, अन्य वित्तीय व्यय, प्रशासनिक व्यय तथा द्वास सम्मिलित हैं।

1	2	3	4	5	6	7
5	क्रय की गयी ऊर्जा की प्रति केडल्यूएच लागत (रुपये) (4/2)	2.78	2.54	2.64	2.56	2.60
6	बिक्री की गयी ऊर्जा (एमयू)	1590.366	1709.603	1252.338	1353.030	1405.190
7	ऊर्जा की हानि (2-6) (एमयू)	757.822	867.417	956.268	993.636	903.622
8	ऊर्जा* विक्रय (करोड़ रु0 में)	577.43	568.18	450.78	463.76	454.04
9	ऊर्जा विक्रय की प्रति केडल्यूएच लागत (रुपये) (8/6)	3.63	3.32	3.60	3.43	3.23
10	ऊर्जा की हानि का मूल्य (करोड़ रु0 में) (9x7)	275.09	287.98	344.26	340.82	291.87
11	थ्वरण हानि का प्रतिशत (7/2x100)	32.27	33.66	43.30	42.34	39.14
12	यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित वितरण हानि का प्रतिशत	25.00	31.28	35.77	26.10	24.20
13	यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य अधिकतम् वितरण हानि (एमयू) (2x12)	587.047	806.092	790.018	612.480	558.732
14	मानकों के अधिकत्य में ऊर्जा की हानि (7-13) (एमयू)	170.775	61.325	166.250	381.156	344.890
15	मानकों से अधिक ऊर्जा की हानि का मूल्य (14x9) (करोड़ रु0 में)	61.99	20.36	59.85	130.74	111.40

यूपीईआरसी द्वारा विहित मानकों से अधिक उच्च वितरण हानियाँ
कुल 384.34 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण हानि में फलीभूत हुई।

उपर्युक्त विवरण में देखा जा सकेगा कि कम्पनी ने वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का क्रय किया। यूपीईआरसी ने वर्ष 2000-01 से 2004-05 के लिये टैरिफ आर्डर में वितरण हानियों का लक्ष्य 24.20 से 35.77 प्रतिशत के मध्य निर्धारित किया था। ये लक्ष्य यूपीईआरसी द्वारा कम्पनी से विचार विमर्श करके तय किये थे तथा वे पिछले निष्पादन पर आधारित थे। इन लक्ष्यों के सापेक्ष कम्पनी ने उपरोक्त अवधि के दौरान 32.27 तथा 43.30 प्रतिशत के मध्य वितरण हानियाँ वहन की। इस प्रकार, कम्पनी ने यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरण हानियाँ वहन की। परिणामस्वरूप, कम्पनी 31 मार्च 2005 तक के पाँच वर्षों के दौरान 384.34 करोड़ रुपये मूल्य की 1124.396 एमयू ऊर्जा का विक्रय न कर सकी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि भारी वितरण हानियों के बावजूद, कम्पनी फीडरवार वितरण हानियों का विश्लेषण करने में असफल रही।

देयकीकरण की प्रक्रिया में देखी गयी कमियों की चर्चा अग्रलिखित प्रस्तरों में की जा रही है:

तदर्थ देयकीकरण

2.2.9 वितरण कोड के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता का देयकीकरण, मीटर रीडिंग के आधार पर, समय से किया जाना चाहिए और कोई भी उपभोक्ता अदेयकीकृत नहीं छोड़ा जाना चाहिये। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित हुआ कि 31

* विक्रय की गयी ऊर्जा से विद्युत शुल्क को घटाकर।

मार्च 2005 के अन्त में महत्वपूर्ण संख्या में (21 प्रतिशत) उपभोक्ता अदेयकीकृत थे। 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में उल्लिखित किये जाने के बावजूद भी एक बड़ी संख्या में मीटरीकृत उपभोक्ताओं को नो एक्सेस (एनए) नो रीडिंग (एनआर), रीडिंग डिफेक्टिव (आरडीएफ), इन्फॉर्म्ड डिफेक्टिव (आईडीएफ) तथा एपियर्स डिफेक्टिव (एडीएफ) के आधार पर या तो नियत यूनिटों के लिये या न्यूनतम प्रभारों के लिये तदर्थ रूप से (50 प्रतिशत) देयकीकृत किया जा रहा था। मार्च 2005 के अन्त तक ऐसे उपभोक्ताओं की स्थिति निम्न प्रकार थी:

उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपभोक्ता ओं की संख्या	देयकीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	अदेयकीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	देयकीकृत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में तदर्थ देयकीकरण का विवरण				
				एनए/एनआर		आरडीएफ/आईडीएफ/एडीएफ		प्रतिशत (5) + (7)/(3) x 100
				संख्या	कुल देयकीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत	संख्या	कुल देयकीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
घरेलू बत्ती एवं पंखा	3,43,871	2,81,657	62,214 (18.09)*	64,534	22.91	83,244	29.56	52.47
व्यावसायिक	71,850	47,207	24,643 (34.30)*	6,350	13.45	11,851	25.10	38.55
लघु एवं मध्यम उद्योग	6,199	3,602	2,597 (41.89)*	841	23.35	268	7.44	30.79
योग	4,21,920	3,32,466	89,454 (21.20)*	71,725		95,363		50.26

उससे यह इंगित होता है कि कम्पनी जिसका क्षेत्राधिकार केवल नगरीय क्षेत्र में था, सभी प्रकरणों में देयकीकरण को सुनिश्चित करने में तथा मीटरीकृत उपभोक्ताओं के प्रकरण में वास्तविक निर्धारण में असफल रही।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि दोषपूर्ण मीटरों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत के तदर्थ देयकीकरण से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षण सही नहीं है। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा प्रेक्षण कम्पनी के अभिलेखों (मीटर इक्ससेप्शन रिपोर्ट्स) पर आधारित है।

मीटरों की आवधिक जाँच में असफलता

2.2.10 वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के प्रस्तर 5.1 के अनुसार, कम्पनी से अपेक्षित है कि वह मीटरों की शुद्धता का परीक्षण तथा सभी मीटरों एवं अधिकतम माँग सूचक (एमडीआई) की, उनकी प्रथम संस्थापना के पूर्व साथ ही साथ 6 केवीए तक, 6 केवीए से अधिक तथा 100 केवीए तक, एवं 100 केवी से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की दशा में क्रमशः पाँच वर्ष, दो वर्ष

* कोष्ठक में दिये गये अंक कुल उपभोक्ताओं का अदेयकीकृत उपभोक्ताओं से प्रतिशत दर्शाता है।

मीटर की आवधिक जाँच/परीक्षण अप्रभावी होने के कारण से, कम्पनी ने 1.06 करोड़ रुपये की राजस्व हानि वहन की।

एवं एक वर्ष की अवधि में, कम से कम एक बार जाँच तथा नियमन करे। कम्पनी के पास उपलब्ध अभिलेख, मीटरों की ऐसी आवधिक जाँचों की सीमा को नहीं दर्शते थे।

उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटरों की आवधिक जाँच/परीक्षण के प्रभावी न होने के परिणामस्वरूप निम्न प्रकरणों में ऊर्जा मीटरों के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध राजस्व निर्धारण न हो पाने के कारण, कम्पनी ने 1.06 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि वहन की।

2.2.11 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2002 (वितरण कोड) के उपवाक्य 5.26 के अनुसार, यदि किसी समय मीटर दोषपूर्ण हो जाता है, तो उस अवधि में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा का निर्धारण मीटर के दोषपूर्ण होने की तिथि से पिछले तीन माह या लगातार तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 11 केवी लाइन पर 1000 केवीए के संयोजित भार वाली कानपुर ऊलेन मिल्स लिमिटेड के परिसर में ऊर्जा मापन के लिए संस्थापित दो इलेक्ट्रो-मैकेनिकल ऊर्जा मापक (एल एण्ड जी मेक) एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मापक (सिक्योर मेक) द्वारा प्रतिस्थापित किए गए (17 जून 2002)। ‘सेक्योर’ मीटर ने अक्टूबर 2002 तक सही उपभोग दर्ज किया और तत्पश्चात् कम उपभोग दर्ज किया। ‘सेक्योर’ मीटर को भी मार्च 2003 में ड्यूक आर्निक्स निर्मित मीटर से प्रतिस्थापित कर दिया गया जिसने भी अगस्त 2003 तक कम उपभोग दर्ज किया और सितम्बर 2003 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। कम्पनी न न तो मीटर (सेक्योर एवं ड्यूक मेक) की शुद्धता का स्तर सुनिश्चित किया और न ही पिछले तीन महीने (अगस्त 2002 से अक्टूबर 2002 के दौरान), जब मीटर ठीक प्रकार से कार्य कर रहा था, के औसत उपभोग के आधार पर देयक ही संशोधित किये। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2002 से अगस्त 2003 के दौरान 70.88 लाख रुपये* मूल्य की 18,90,210 केवीएच ऊर्जा का अल्प निर्धारण हुआ। चूंकि कम्पनी वितरण कोड के प्रावधानों के अनुसार दो वर्षों से पूर्व की अवधि से संबंधित देयकों को जारी नहीं कर सकती, अतः इसे उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उपभोक्ता के उपभोग का अनुश्रवण किया गया था तथा कम उपभोग के लिये उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2002 से फरवरी 2003 तक के 9.63 लाख रुपये के देयक जारी किए गये थे जो कि मार्च 2003 में वसूल किये गये। इस सम्बन्ध में यह उल्लिखित करना संगतयुक्त है कि कम्पनी द्वारा जारी किए गये देयकों का मूल्य 13.21 लाख रुपये से कम था और 61.25 लाख रुपये (मार्च 2003 से अगस्त 2003 के दौरान 13.21 लाख रुपये का कम निर्धारण एवं 48.04 लाख रुपये का अनिर्धारण) अभी तक (अक्टूबर 2006) अवसूलित रहे और उसी सीमा तक की हानि में फलीभूत हुये।

* नवम्बर 2002 से अगस्त 2003 के दौरान औसत खपत=140745 केवीएच प्रतिमाह, पूर्ववर्ती तीन माह की औसत खपत=329766 केवीएच प्रतिमाह, प्रति माह न्यून प्रभारण=329766-140745 केवीएच=189021 केवीएच, कुल न्यून प्रभारण=189021 केवीएच×10 माह=1890210 केवीएच, न्यून प्रभारण का मूल्य =1890210×3.75 रुपये प्रति केवीएच=70,88,287 रुपये

2.2.12 गैगेज क्लब लिमिटेड कानपुर (एससी नं 0 4/8245) जिसका अनुबंधित भार 120 केडल्लू था और एलएमवी-2 के अन्तर्गत 400 वोल्ट्स पर सप्लाई प्राप्त कर रहे थे, ने 0.85 विद्युत गुणांक बनाये रखने की शर्त पर 25 सितम्बर 1999 से उपर्युक्त रेटिंग के बदले हुये मीटर से 11 केवी पर सप्लाई प्राप्त करना प्रारम्भ किया। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि नये मीटर के स्थापित होने के पश्चात् मीटर का विद्युत गुणांक अक्टूबर 1999 से नवम्बर 2005 के दौरान 0.27 से 0.80 के मध्य रहा। नये मीटर द्वारा दर्ज किया गया उपभोग अस्थिर था तथा इस 0.85 के विद्युत गुणांक के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। कम्पनी 0.85 विद्युत गुणांक के आधार पर ऊर्जा उपभोग निर्धारित करने में असफल रही जो अक्टूबर 1999 से नवम्बर 2005 के दौरान 27.75 लाख रुपये के ऊर्जा उपभोग के न्यून प्रभारण (देयकीकरण योग्य ऊर्जा एवं वास्तविक देयकीकृत ऊर्जा का अन्तर) में फलीभूत हुई। इस प्रकार कम्पनी को 27.75 लाख के राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी।

2.2.13 इसी प्रकार, निदेशक, भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान जो एलएमवी-4 के अन्तर्गत देयकीकृत किये जा रहे थे, के प्रकरण में, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का विद्युत गुणांक अक्टूबर 2001 से नवम्बर 2005 के बीच 0.66 से 0.83 के बीच रहा परन्तु कम्पनी ने मीटर की शुद्धता की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप 2,29,123 यूनिटों (देयकीकरण योग्य ऊर्जा एवं वास्तविक देयकीकृत ऊर्जा का अन्तर) का लेखांकन न होने के कारण कुल 7.81 लाख रुपये के ऊर्जा शुल्क का अवप्रभारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उपर्युक्त उपभोक्ताओं का देयकीकरण प्रशुल्क के प्रावधानों के अनुसार किया गया। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वह मीटर की शुद्धता निर्धारित करने में असफल रही।

माँग एवं अतिरिक्त माँग प्रभार वसूल नहीं हुए

2.2.14 दर सूची के अनुसार, उपभोक्ताओं से अपेक्षित है कि वे अनुबंधित भारों तक ही अपनी माँग को सीमित रखें। यदि किसी माह में टीवीएम/एमडीआई* रखने वाले किसी उपभोक्ता की अधिकतम माँग अनुबंधित भार को पार करती है तो ऐसी अधिक माँग वास्तविक माँग प्रभार के अतिरिक्त सामान्य दर के दो गुने से प्रभारित की जायेगी।

146 उपभोक्ताओं (भारी एवं वृहद् तथा छोटे एवं मध्यम उपभोक्ताओं के अलावा) की लेखा परीक्षा जाँच में अवलोकित हुआ कि 18 मामलों में अप्रैल 2003 से अगस्त 2005 के दौरान अनुबन्धित माँग से अधिक माँग के लिए न तो सामान्य माँग प्रभार प्रभारित किया गया और न ही अतिरिक्त माँग प्रभार प्रभारित हुआ जो 16.16 लाख रुपये के राजस्व के न्यून प्रभारण (सामान्य माँग प्रभार 10.95 लाख रुपये एवं अतिरिक्त माँग प्रभार 5.21 लाख रुपये) में फलीभूत हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सितम्बर 2003 से पूर्व के एलएमवी-4 के अधीन तथा दिसम्बर 2004 के पूर्व के एलएमवी-7 के अधीन देयकीकृत

* ट्राई वेक्टर मीटर (टीवीएम), अधिकतम माँग सूचक (एमडीआई)

उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त माँग प्रभार लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। यह आगे बताया कि 11 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 12.75 लाख रुपये का माँग प्रभार एवं अतिरिक्त माँग प्रभार प्रभारित कर दिया गया है और उसमें से सात उपभोक्ताओं से 5.48 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा ने एलएमवी-4(अ) एवं एलएमवी-7 के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में क्रमशः सितम्बर 2003 और दिसम्बर 2004 से अतिरिक्त माँग प्रभारों की गणना की है। तथ्य, यद्यपि, रह जाते हैं कि कम्पनी ने, देयक (12.75 लाख रुपये) लेखा परीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने के पश्चात् ही जारी किये थे। जारी किए गये देयक 3.41 लाख रुपये से कम थे तथा 7.27 लाख रुपये की वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)।

देयक जारी किए जाने में देरी एवं देयों के भुगतान करने के लिये अतिरिक्त समय दिया जाना

2.2.15 वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के प्रस्तर 6.8 में निर्दिष्ट है कि उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग महीने के अन्तिम तीन दिन में पूरी हो जानी चाहिए और देयक अगले महीने की तीन तारीख तक जारी हो जाने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमर) रेगुलेशन 1984 के प्रस्तर 19(vii) के अनुसार, विद्युत बिलों का भुगतान करने हेतु सात दिन तक का समय अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त वितरण कोड 2002 (जुलाई 2002 से प्रभावी) का प्रस्तर 6.5 विद्युत बिलों के भुगतान हेतु देयक जारी करने की तिथि से 15 दिन का समय अनुमन्य करता है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भुगतान की देय तिथि अगले महीने की 10 तारीख से आगे (जून 2002 तक) और जून 2002 के पश्चात् 18 तारीख से आगे नहीं रखी जानी थी।

37 बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं, जिनका वार्षिक निर्धारण 20 लाख रुपये से अधिक था, के देयकीकरण अभिलेखों की नमूना जॉच से अवलोकित हुआ कि तीन उपभोक्ताओं के मामले में, देयक बनाने में मीटर रीडिंग की तिथि से करीब 10 दिन की महत्वपूर्ण देरी हुई और अप्रैल 2001 से अक्टूबर 2005 के दौरान 20 दिन का समय देयक जारी होने की तिथि से भुगतान करने हेतु दिया गया। देयक तैयार करने हेतु तीन दिन की सामान्य अवधि तथा उनके भुगतान के लिये 7 से 15 दिन को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा देयकों को जारी करने में देर हुई और उपभोक्ताओं को उनके देयकों का भुगतान करने के लिये अत्याधिक समय अनुमन्य किया गया, जिनके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। यह इन उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करने के रूप में फलीभूत हुआ तथा विलम्ब भुगतान अधिभार पर लागू 18 प्रतिशत की दर से 1.32 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि के रूप में फलीभूत हुआ जो कि नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	उपभोक्ताओं का नाम	संयोजन संख्या	अवधि	बिल की धनराशि (लाख रुपये में)	दिनों की देरी	ब्याज की हानि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आईआईटी कानपुर	3/3177	4/2001 से 10/2005	27.96 से 108.68	1 से 15	9.86

1	2	3	4	5	6	7
2.	आईएल लिमिटेड	16/701	4/2001 से 6/2002, 8/2005 से 10/2005	350.26 से 1812.35	14 से 15	120.86
3.	एलएमएल लिमिटेड	16/2088	2/2002 से 10/2005	38.97 से 103.13	1 से 7	1.56
					योग	132.28

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उपभोक्ताओं की अधिक संख्या और कानपुर शहर के विस्तृत क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए, माह के अन्तिम तीन दिनों में रीडिंग का कार्य कर पाना तथा अगले माह की तीन तारीख को देयक जारी कर पाना सम्भव नहीं था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी से अपेक्षित था कि वह देयकों को समय से जारी करने के सम्बन्ध में वितरण कोड के प्रावधानों का पालन करे।

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का कम निर्धारण

2.2.16 जनवरी 1997 में राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (ईडी) की दर को सरकारी विभागों को विक्रय के लिए या राज्य सरकार के प्रयोग के लिये 0.03 रुपये प्रति यूनिट और अन्य मीटरीकृत उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए 0.09 रुपये प्रति यूनिट पर अधिसूचित किया। आगे यह अधिसूचित किया गया कि मीटर रहित आपूर्ति के लिए ईडी 20 प्रतिशत की दर से प्रभारित दरों (स्थिर प्रभार व मासिक स्थिर ऊर्जा प्रभार) पर लगाये जाने योग्य थी। तथापि, कम्पनी ने विभागीय कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभार का निर्धारण 22.13 लाख रुपये कम से किया जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

2.2.17 लेखा परीक्षा में यह अवलोकित हुआ कि कम्पनी ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि (सीएसए) विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय और एचबीटीआई, कानपुर को विद्युत कर 0.09 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर 0.03 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रभारित किया, यद्यपि कि वे सरकारी विभाग नहीं हैं। इसके फलस्वरूप वर्ष 2000-01 से 2005-06 के दौरान 14.75 लाख रुपये की ईडी की कम वसूली हुई।

2.2.18 विभागीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों पर लागू दरसूची एलएमबी-10 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभार एवं ईडी नियमित/मासिक रूप से उनके वेतन/पेंशन से, इस पर लागू दरों से घटाया जाना था। कम्पनी के कर्मचारी/पेंशनभोगी प्रत्येक श्रेणियों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों पर लागू दर प्रभारों (स्थिर प्रभार एवं स्थिर ऊर्जा प्रभार) पर मीटर रहित विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। तदनुसार ईडी, उन पर लागू प्रभारित दरों के 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाना था। कम्पनी ने, तथापि, स्थिर मासिक ऊर्जा प्रभारों पर ही 20 प्रतिशत ईडी की कटौती की जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2001 से मार्च 2006 के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों के स्थिर प्रभार पर 7.38 लाख रुपये तक ईडी का न्यून प्रभारण हुआ। कम्पनी ने पेंशनभोगियों पर लगाई गई ईडी से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उसने उपभोक्ताओं (एचबीटीआई और सीएसए विश्वविद्यालय) को 15.88 लाख रुपये के पूरक देयक, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के कम प्रभारण के विरुद्ध जारी किए थे। विभागीय कर्मचारियों/पेंशनरों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के कम प्रभारण के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने बताया कि निदेशक (वाणिज्यिक) यूपीपीसीएल के आदेश (सितम्बर 2001) के आधार पर ईडी स्थिर प्रभार पर भारित करने योग्य नहीं थी। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के साथ पठित यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आर्डर भी स्थिर प्रभारों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के लिए प्रावधान करता है।

अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का न लगाया जाना

2.2.19 वितरण कोड 2002 के प्रस्तर 4.54.2 में प्रावधानित है कि दो महीने के अनुमानित ऊर्जा उपभोग के समतुल्य एक अतिरिक्त प्रतिभूति सुनिश्चित की जानी थी एवं प्रतिवर्ष उसकी समीक्षा करनी थी। तदनुसार, यदि प्रतिभूति जमा पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग पर आधारित दो महीने के अनुमानित ऊर्जा उपभोग के देयक से कम हो जाती है कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को नोटिस जारी की जाती थी। उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति का भुगतान नोटिस के 15 दिन के अन्दर करना था। यदि उपभोक्ता अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो दोषी उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित कर दी जानी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा 2005-06 के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवलोकित हुआ कि कम्पनी ने 2005-06 के दौरान प्रभारित की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिभूति की स्थिति की समीक्षा नहीं की। फलस्वरूप 18 केडब्ल्यू से 2465 केडब्ल्यू के संयोजित भार वाले विभिन्न श्रेणियों* के 215 उपभोक्ताओं के मामले में, वर्ष 2005-06 के दौरान कम्पनी द्वारा 7.09 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिभूति वसूल नहीं की गयी। यह उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करने में फलीभूत हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की समाप्ति के बाद, अब 219 उपभोक्ताओं को 7.12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के देयक जारी किये गये (जून 2006) जिसमें से 9.73 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं (सितम्बर 2006)। 7.02 करोड़ रुपये की शेष धनराशि अभी भी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

देयकों का पुनरीक्षण

2.2.20 वितरण कोड 2002 के प्रस्तर 4.36 के अनुसार यदि सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा देयक का भुगतान, भुगतान की देय तिथि से सात दिन के अन्दर नहीं किया जाता है तो उसकी आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता लगातार छः माह तक ऊर्जा देयकों का भुगतान

*

एलएमवी-1:12,एलएमवी-2:23, एलएमवी-4:40, एलएमवी-7:18, एलएमवी-2:22 तथा एचवी-2:122

करने में असफल रहता है तो आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित की जानी थी और तदनुसार देयकों का अन्तिमीकरण कर देना था।

स्थाई विच्छेदन को अन्तिम रूप देने के लिए, अस्थाई विच्छेदन की तिथि एक प्रमुख कारक थी और यदि यह उपलब्ध न हो तो एलएमवी-1, एलएमवी-2 और एलएमवी-5 के मामलों में सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की एक समिति द्वारा तथा एलएमवी-6 के मामले में अधिशासी अभियन्ता (ईई)/ईई की समिति द्वारा निर्धारित की जानी थी और उपर्युक्त कोड के प्रस्तर 1.5 के प्रावधानों के अनुसार उनका निर्णय अन्तिम होगा। उपर्युक्त प्रस्तर आगे प्रावधान करता है कि समिति को, अस्थाई विच्छेदन की तिथि निर्धारित करने के लिये पड़ोसियों से सूचना प्राप्त करना चाहिए। पीडी को अन्तिम रूप देने के लिए, मीटर की स्थिति प्रदर्शित करने वाली मीटर प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट, तार हटाने एवं उसको सम्बन्धित अवर अभियन्ता के स्टाक लेखों में लेखांकन की तिथि का उल्लेख प्रत्येक मामले में किया जाना चाहिये। प्रत्येक पीडी के मामले में सम्बन्धित ईई का अनुमोदन लेना चाहिये।

लेखा परीक्षा के द्वारा कम्पनी के पाँच खण्डों (ईयूडीडी कल्यानपुर, दादानगर रतनपुर, नवाबगंज और गुमटी) के अभिलेखों की जाँच में अवलोकित हुआ कि विद्युत देयकों के 68.51 लाख रुपये वसूली विभिन्न श्रेणियों के 92 उपभोक्ताओं के विरुद्ध लम्बित थी। वर्ष 2004-05 के दौरान पीडी को अन्तिम रूप देते समय कम्पनी ने, यह मानते हुए कि, या तो संयोजन पहले ही विच्छेदित कर दिये गये है या परिसर मालिक द्वारा लम्बे समय पूर्व ही छोड़ दिये गये है या संयोजन अवमुक्त नहीं थे, 54.12 लाख रुपये के अपलेखन के पश्चात् देयक 14.39 लाख रुपये पर पुनरीक्षित किये। आगे यह अवलोकित हुआ कि उपभोक्ता के तार/मीटर वापसी की तिथि पीडी रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं थी और पीडी के ज्यादातर मामलों में सम्बन्धित ईई का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किये बिना तथा सक्षम अधिकारी (ईई) के अनुमोदन के बिना, पीडी देयकों का पुनरीक्षण अनियमित था और कम्पनी को 54.12 लाख रुपये की हानि का कारण बना।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि पीडी यूपीपीसीएल द्वारा बनाए गये मानकों के अनुसार ही किये गये। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बकाया राशि का अपलेखन मालिक के न होने/परिसर के बहुत पहले ही विच्छेदित होने के अनुमान के आधार पर किया गया था।

विलम्ब भुगतान अधिभार का अभारण

2.2.21 1 सितम्बर 2003 से प्रभावी टैरिफ की दर सूची, जिसे बाद में 1 दिसम्बर 2004 को पुनरीक्षित किया गया, तथा जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं (एलएमवी-3 तथा एलएमवी-7 सहित) पर लागू है, ऊर्जा बिलों के विलम्बित भुगतानों के लिये अधिभार/शास्ति के लगाये जाने को निर्दिष्ट करती है। तदनुसार, यदि किसी देयक का भुगतान उसमें दी गयी भुगतान तिथि तक नहीं किया जाता

है तो यूपीईआरसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर देय तिथि से अधिक विलम्बित दिनों के लिये प्रतिमाह विलम्ब अधिभार प्रभारित किया जाना था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एलएमवी-7 के 40 उपभोक्ताओं और एलएमवी-3 के दो उपभोक्ताओं द्वारा क्रमशः अप्रैल 2004 से दिसम्बर 2005 एवं अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि के ऊर्जा देयकों का भुगतान देयकों में दी गयी भुगतान तिथि तक नहीं किया परन्तु कम्पनी ने विलम्बित अवधि के लिए 2.46 करोड़ रुपये का अधिभार (एलएमवी-7: 2.20 करोड़ रुपये और एलएमवी-3: 0.26 करोड़ रुपये) नहीं लगाया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि इन सरकारी उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार (एलपीएस) लगाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि देयकों का सत्यापन करने के बाद सरकारी विभागों द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से यूपीपीसीएल को भुगतान करने के कारण भुगतान की वास्तविक तिथियों के निर्धारण में कठिनाई होती है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दर-सूची के प्रावधानों के अनुसार विलम्ब से भुगतान हेतु एलपीएस लगाया ही जाना है और कम्पनी की भुगतान की वास्तविक तिथि को निर्धारित करने की असफलता, देयकीकरण तंत्र की कमी को दर्शाती है।

मार्ग प्रकाश बिन्दुओं का अदेयकीकरण

उपभोक्ताओं का अदेयकीकरण
3.47 करोड़ रुपये के कम राजस्व प्रभार में फलीभूत हुआ।

2.2.22 लेखा परीक्षा में देखा गया कि सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) ईयूडीडी बर्गा ने अक्टूबर 2004 में सूचित किया कि कानपुर डेवलपमेन्ट एथारिटी (केडीए) द्वारा नव विकसित क्षेत्र को विकसित करते समय 3800 मार्ग प्रकाश बिन्दु थे जिनका कुल संयोजित भार 2000 केडब्ल्यू था और सहायक महाप्रबन्धक (बल्क) को देयक जारी करने का अनुरोध किया। तथापि, एजीएम (बल्क) केडीए को देयक जारी करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप यह अप्रभारित रहा (मार्च 2006) जो 3.47 करोड़ रुपये के राजस्व की न्यून प्रभारण का कारण बना।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि बर्गा खण्ड (2003-04) बनने के पहले, बर्गा क्षेत्र एजीएम नौबस्ता के क्षेत्राधिकार में था और कुल मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के भार को समाहित करते हुए देयकीकरण किया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एजीएम बर्गा के सूचित करने के बावजूद (अक्टूबर 2004) 3800 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं का देयकीकरण एजीएम (बल्क) द्वारा नहीं किया गया।

शैट कैपिसिटर सरचार्ज का अप्रभारण

2.2.23 सार्वजनिक लैम्पों पर लागू दर-सूची एलएमवी-3 का उपवाक्य 4(i) और (ii) प्रावधान करता है कि सभी उपभोक्ताओं को 0.85 से अधिक का औसत पावर फैक्टर बनाये रखना आवश्यक है। बिना स्टैटिक ट्राई वेक्टर मीटर (टीवीएम) के उपभोक्ताओं के मामले में, यदि उचित रेटिंग के कैपिसिटर गायब हो या अक्रियाशील हो तो देयक की धनराशि पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा।

**शण्ट कैपिसिटर
अधिभार न
लगाये जाने के
कारण 60.51
लाख रुपये का
न्यून राजस्व
भारित हुआ।**

लेखा परीक्षा में देखा गया कि कानपुर शहरी क्षेत्र के सार्वजनिक मार्ग प्रकाश श्रेणी के चार उपभोक्ता बिना टीवीएम के मार्ग प्रकाश की आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे और उपभोक्ता की ओर कोई शण्ट कैपिसिटर भी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था फिर भी कम्पनी ने दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005 के दौरान कोई भी शण्ट कैपिसिटर अधिभार, जैसाकि टैरिफ में दिया गया है, नहीं लगाया। यह 60.51 लाख रुपये तक के राजस्व के न्यून प्रभार के रूप में फलीभूत हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उक्त उपभोक्ताओं का पावर फैक्टर अमीटरीकृत आपूर्ति होने के कारण जॉचा नहीं जा सका। आगे यह कहा कि परीक्षण खण्ड ने कभी भी सूचित नहीं किया कि शण्ट कैपिसिटर नहीं लगे थे। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपयुक्त दर-सूची के प्रावधानों के अनुसार शण्ट कैपिसिटर अधिभार लगाये जाने योग्य था और यह प्रबन्धन की असफलता थी कि कम्पनी के परीक्षण खण्डों ने शण्ट कैपिसिटर के न लगे होने के विषय में सूचित नहीं किया।

उपभोक्ताओं को 6.6 केवी पर विद्युत की आपूर्ति

2.2.24 कम्पनी द्वारा प्रस्तुत एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (एआरआर) के आधार पर यूपीईआरसी प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ निश्चित करती है। टैरिफ आर्डर दो भागों में विभाजित है यथा लघु एवं मध्यम विभव (एलएमवी) तथा उच्च विभव (एचवी) के उपभोक्ताओं हेतु। लघु एवं मध्यम विभव के उपभोक्ताओं को प्रभारण योग्य दरें 400 वोल्ट्स पर तथा उच्च विभव के उपभोक्ताओं को 11 केवी वोल्ट्स पर की जाने वाली आपूर्ति पर आधारित है। बड़े एवं भारी शक्ति के उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची एचवी-2 के अनुसार यदि आपूर्ति 400 वोल्ट्स पर की जाती है तो उपभोक्ता अगस्त 2000 से अगस्त 2003 के बीच तथा सितम्बर 2003 से आज तक (अक्टूबर 2006) की अवधि के दौरान वसूली की दरों के आधार पर गणना की गयी राशि पर क्रमशः 10 एवं 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। लेकिन 6.6 केवी (11 केवी से कम) पर आपूर्ति प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु कोई अधिभार यूपीईआरसी द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि बहुत से उपभोक्ताओं द्वारा, जो 6.6 केवी पर आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे, 11 केवी से कम विभव पर आपूर्ति हेतु अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित था। कम्पनी ने न तो यूपीईआरसी को एआरआर प्रस्तुत करते समय 6.6 केवी के उपभोक्ताओं हेतु ऐसा ही प्रावधान किया और न ही उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभार ही वसूल किया। इसे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यूपीईआरसी ने कम्पनी को अगले टैरिफ संशोधन में विचार करने हेतु ऐसे उपभोक्ताओं के विवरण प्रेषित करने को कहा (मई 2006)। यद्यपि, यूपीईआरसी का उपरोक्त बिन्दु पर निर्णय प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)। इस प्रकार प्रशुल्क में 6.6 केवी के उपभोक्ताओं के लिए किसी अधिभार के प्रावधान के अभाव में, कम्पनी अधिभार लगा/वसूल नहीं सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि 6.6 केवी पर आपूर्ति प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं पर अधिभार लगाने के विशिष्ट आदेश नहीं थे। इसके अतिरिक्त कहा गया कि यूपीईआरसी का इस सम्बन्ध में निर्णय प्रतीक्षित है। वास्तविकता यह है कि कम्पनी ने अपनी एआरआर में 6.6 केवी लाइन पर विद्युत आपूर्ति के बारे में यूपीईआरसी को सूचित नहीं किया।

राजस्व का संग्रहण

2.2.25 चूँकि विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत है, इसलिये राजस्व का शीघ्र संग्रहण अतिमहत्व रखता है। वितरण कोड 2002 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता अपने ऊर्जा देयकों का भुगतान नगद (20000 रुपये तक) में, कम्पनी के मुख्यालय पर स्थित किसी बैंक पर लिखे गये चैक एवं डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कर सकता है। कम्पनी के नगर में विभिन्न स्थानों पर 41 राजस्व संग्रहण काउण्टर थे। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2005-06 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि, राजस्व निर्धारण के साथ-साथ राजस्व संग्रहण एवं अपलिखित राशि को इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष राशि	837.48	1074.20	1167.98	1346.17	1346.06
2	वर्ष के दौरान राजस्व निर्धारण	691.20	593.23	572.69	598.85	648.75
3	कुल वसूली योग्य राशि	1528.68	1667.43	1740.67	1945.02	1994.81
4	वर्ष के दौरान वसूल की गयी राशि	446.59	361.29	394.50	411.88	479.31
5	वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	7.89	138.16	---	187.08	---
6	वर्ष के अन्त में बकाया शेष राशि	1074.20	1167.98	1346.17	1346.06	1515.50
7	वसूल की गयी राशि का कुल वसूली योग्य राशि से प्रतिशत 4/3	29.21	21.67	22.66	21.18	24.03
8	माह के निर्धारण के रूप में शेष (माह में)	19	24	28	27	28
9	वसूली लक्ष्य	468.00	468.00	456.00	420.00	525.00
10	वसूली लक्ष्यों का वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व से प्रतिशत	67.71	78.89	79.62	70.13	80.92
11	वसूली लक्ष्यों का कुल वसूली योग्य राशि से प्रतिशत (9/3×100)	30.61	28.07	26.20	21.59	26.32

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने वसूली लक्ष्यों को, पिछले वर्षों के अन्त में कुल शेष बकाया राशि को आधार न मानते हुए सम्बन्धित वर्षों के दौरान निर्धारित राजस्व को ध्यान में रखकर निश्चित किया। आगे, यह भी अवलोकित किया कि 31 मार्च 2006 तक के पिछले पाँच वर्षों में बकायों के परिपेक्ष्य में वसूली लक्ष्य 21.59 से 30.61 प्रतिशत के मध्य रहे जो कि पुराने बकायों की अपर्याप्त वसूली को इंगित करता है। यहाँ तक कि कम्पनी वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व के संदर्भ में अपने वर्तमान वसूली लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार की 31

मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद, वसूली वर्ष 2001-02 में 67.71 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 80.92 प्रतिशत के मध्य रही।

लेखा परीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि राजस्व के न्यून संग्रहण और भारी बकाये के मुख्य कारण, वसूली के निम्न लक्ष्य निश्चित करना, अप्रभावी संग्रहण तन्त्र, अक्रियाशील लेखों को अन्तिम रूप न देना, ओटीएस योजना के अन्तर्गत वसूली न होना, इत्यादि थे। राजस्व संग्रहण की अप्रभावी प्रणाली के लिए उत्तरदायी घटकों को आगामी प्रस्तरों में विवेचित किया गया है:

देयों की वसूली

2.2.26 वितरण कोड 2005 का उपवाक्य 6.15 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के साथ पठित प्रावधानित करता है कि यदि विद्युत देयकों का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती है और इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) एक्ट, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत भुगतान हेतु 45 दिन अनुमन्य करते हुये एक सूचना जारी की जायेगी। भुगतान के उल्लंघन होने पर, आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी और अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को बकाया राशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु एक वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) भेजना अपेक्षित है।

वसूली प्रमाण-पत्रों के निर्गमन और उनके विरुद्ध वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 के दौरान की गई वसूली निम्न तालिका में इंगित की गई है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2002-03		2003-04		2004-05	
		आरसी की संख्या	धनराशि	आरसी की संख्या	धनराशि	आरसी की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	309	171.81	530	272.37	1105	638.83
2.	जोड़ा-निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र	429	230.03	2110	1449.06	1563	1117.04
3.	घटाया-जिला प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गये वसूली प्रमाण पत्र	136	99.01	1181	968.96	484	574.70
4.	शुद्ध वसूली योग्य (1+2-3)	602	302.83	1459	752.47	2184	1181.17
5.	वसूली	72	30.46	354	113.64	219	44.39
6.	शेष (4-5)	530	272.37	1105	638.83	1965	1136.78
7.	आरसी की राशि से वसूली का प्रतिशत ($5/4 \times 100$)		10.06		15.10		3.76
8.	अक्रियाशील खातों से देय राशि		12100.00		14600.00		79794.00
9.	जारी किये गये आरसी का अक्रियाशील खातों के विरुद्ध देयों से प्रतिशत ($4/8 \times 100$)		2.50		5.15		1.48
10.	अक्रियाशील खातों से वसूली का प्रतिशत ($5/8 \times 100$)		0.25		0.78		0.06

उपरोक्त इंगित करता है कि कम्पनी के द्वारा राजस्व बकायों की वसूली के लिए की गयी कार्यवाही निम्नलिखित कारणों से प्रभावी नहीं थी।

- कम्पनी ने आरसी के निर्गमन, आरसी वापसी एवं उनके सापेक्ष की गयी वसूली का प्रणालीबद्ध उपभोक्तावार व्यौरा तैयार नहीं किया।
- 31 मार्च 2005 के अन्त तक कम्पनी ने अक्रियाशील उपभोक्ता खातों की कुल बकाया राशि 777.94 करोड़ रुपये के विरुद्ध 11.37 करोड़ रुपये के आरसी निर्गत किये।
- 31 मार्च 2005 तक पाँच वर्षों के दौरान निर्गत आरसी के सापेक्ष बकाया राजस्व की वसूली काफी खराब थी जो कि 3.76 से 15.10 प्रतिशत के मध्य रही। इसके मुख्य कारण जिला प्राधिकारियों द्वारा अधिकतर आरसी उपभोक्ता के अपूर्ण/गलत नाम तथा पते एवं उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण लौटा दिया जाना था।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2006) कि भुगतान में दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति विच्छेदित करने एवं देयों की वसूली के लिये नोटिस जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

छापा दलों का निष्पादन

भारी वितरण हानियों के बावजूद, छापा दलों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसरों की जाँच नगण्य थी।

2.2.27 चोरी/ऊर्जा की हानि के मामलों में कमी लाने के लिए एवं कम्पनी को इस कारण होने वाले भारी वित्तीय हानि से बचाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163 विशिष्ट रूप से एक अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने एवं उपकरणों का निरीक्षण एवं परीक्षण करने का अधिकार को निर्दिष्ट करती है। तदनुसार, कम्पनी ने चार छापा दलों का गठन किया जिनके साथ 21 पुलिसकर्मी थे। इन छापा दलों का पर्यवेक्षण सहायक महाप्रबन्धक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। सहायक महाप्रबन्धक को ऐसे उपभोक्ताओं/क्षेत्रों, जहाँ बड़े पैमाने पर चोरी का संदेह था, की पहचान करके, कार्य योजना तैयार करनी थी।

विद्युत अनुसंधान एवं विकास संघ (ईआरडीए), बडोदरा के अध्ययन ने 96 ऐसे 11 केवी पोषकों की पहचान की (नवम्बर 2003) जहाँ वितरण हानियाँ 50 प्रतिशत से अधिक थी। जिनमें से 35 पोषकों में, वितरण हानियाँ 70 प्रतिशत से अधिक थी। नवम्बर 2003 में ईआरडीए द्वारा हानि प्रवृत्ति वाले पोषकों की पहचान को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को राजस्व बकायों को कम करने एवं ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए नियमित/आवधिक रूप से छापे डालने चाहिए थे अथवा जाँच करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान छापा दलों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर में की गयी जाँचों के साथ, प्रस्तावित निर्धारण तथा उसके सापेक्ष की गयी वसूली की स्थिति, निम्न तालिका में दी गयी है:

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	वितरण हानियाँ (प्रतिशत में)	33.66	43.30	42.34	39.14	34.25

1	2	3	4	5	6	7
2.	कुल उपभोक्ता (लाख में)	3.73	3.95	4.15	4.23	4.37
3.	छापा दलों द्वारा जांच किये गये उपभोक्ता परिसरों की संख्या	4361	11805	8958	1902	1675
4.	जांच किये उपभोक्ता परिसरों का प्रतिशत	1.17	2.99	2.16	0.45	0.38
5.	प्रस्तावित निर्धारण (लाख रुपये में)	640.38	2060.39	1249.97	2186.50	1471.35
6.	स्थल पर वसूली की राशि (लाख रुपये में)	301.06	1479.95	340.22	238.02	297.14
7.	वसूली की गयी धनराशि का प्रस्तावित निर्धारण से प्रतिशत ($6/5 \times 100$)	47.01	71.83	27.22	10.89	20.19

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रणाली इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि:

- यद्यपि वितरण हानियाँ जो वर्ष 2001-02 में 33.66 प्रतिशत थी वर्ष 2005-06 में बढ़कर 34.25 प्रतिशत हो गयी, उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच की संख्या का प्रतिशत जो वर्ष 2002-03 में 2.99 था, वर्ष 2005-06 में घटकर 0.38 प्रतिशत रह गया।
- इस प्रकार के निर्धारण से वसूली वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान 10.89 से 71.83 प्रतिशत के बीच रही।

प्रबन्धन की ओर से वितरण हानियों को कम करने एवं निर्धारित की गयी राशि को वसूल करने के सामूहिक प्रयासों की कमी ने कम्पनी की हानियों में योगदान किया।

द्वितीयक देयकीकरण वाले उपभोक्ता

2.2.28 यूपीईआरसी द्वारा नियुक्त ईआरडीए ने अपने अध्ययन में द्वितीयक देयकीकरण वाले एलटी उपभोक्ताओं के 259 मामले, जिन पर 3.21 करोड़ रुपये बकाये थे, की पहचान की (जनवरी 2005) एवं सुझाव दिया कि कम्पनी को उपभोक्ताओं का भौतिक सत्यापन कराना चाहिए विशेष रूप से उनका जिनके बिल दो वर्ष से अधिक समय से बकाया थे और बकाया राशि 10000 रुपये से अधिक थी ताकि द्वितीयक देयकीकरण में कमी लाई जा सके और वे उपभोक्ता जिनका अस्तित्व नहीं है, को ऑकड़ों से हटाया जा सके। तथापि, कम्पनी द्वितीयक देयकीकरण के मामलों की पहचान करने में असफल रही। कम्पनी, उचित कार्यवाही करने के लिए ईआरडीए द्वारा पहचान किए गये एलटी उपभोक्ताओं के 259 मामलों का भौतिक सत्यापन भी नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सुधारात्मक कार्यवाही हेतु ईआरडीए द्वारा इंगित द्वितीयक देयकीकरण के मामलों की जाँच की जा रही है।

अक्रियाशील खातों को अन्तिम रूप दिया जाना

2.2.29 ऐसे उपभोक्ताओं के बकाया शेष जिनकी आपूर्ति अस्थाई रूप से लगातार छः महीनों से अधिक विच्छेदित रही, प्रतिभूतियों से समायोजन करके तथा संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) मानते हुए, (पूर्ववर्ती यूपीएसईबी के अक्टूबर 1976 के आदेशानुसार) उपभोक्ताओं के अक्रियाशील खातों को स्थानांतरित किया जाना तथा बकाया देय की वसूली को अलग से वसूल करना अपेक्षित था।

पीडी के मामलों को अन्तिम रूप न देने के कारण 797.94 करोड़ रुपये के राजस्व बकाये का एकत्रीकरण हुआ।

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2003, 2004 एवं 2005 हेतु तैयार की गयी एआरआर के अनुसार, अक्रियाशील उपभोक्ताओं के विरुद्ध क्रमशः 121 करोड़ रुपये, 146 करोड़ रुपये एवं 797.94 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया था। कम्पनी ने स्थायी विच्छेदन (पीडी) को अन्तिम रूप नहीं दिया एवं दोषी उपभोक्ताओं से बकाये की वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के अक्रियाशील खातों की बकाया राशि जो वर्ष 2002-03 में 121 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2004-05 में बढ़कर 797.94 करोड़ रुपये में फलीभूत हुई।

कम्पनी के आठ खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच से अवलोकित हुआ कि 592 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 13.79 करोड़ रुपये की राशि 10 से लेकर 50 महीनों से भी अधिक बकाया थी। इन अक्रियाशील उपभोक्ताओं के संयोजन विच्छेदित कर दिये गये थे और देयकीकरण बहुत पहले बन्द कर दिया गया था फिर भी पीडी को अन्तिम रूप देने एवं आपूर्ति की अस्थायी विच्छेदन की तिथि से छः माह की अवधि बीतने के तुरन्त बाद देयों की वसूली करने हेतु कार्यवाही नहीं की गयी।

एआरसीपीएसई की बैठक में प्रबन्ध निदेशक ने लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों से सहमति व्यक्त की (अगस्त 2006)। आगे यह कहा गया (अक्टूबर 2006) कि सभी एजीएम को उन मामलों में जहाँ आपूर्ति को विच्छेदित किये छः माह से अधिक समय हो गया है, स्थायी विच्छेदन को अन्तिम रूप देने और बकायों के निस्तारण हेतु नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं।

बकाया राशियों की वसूली की एकमुश्त समाधान योजना

2.2.30 लम्बी अवधि से अदत्त राजस्व बकायों को कम करने के लिए कम्पनी ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) दो चरणों में अर्थात् मई 2003 एवं नवम्बर 2004 में लागू की। उपरोक्त ओटीएस योजना के अन्तर्गत, कम्पनी ने विभिन्न श्रेणियों के 6319 उपभोक्ताओं जिन पर 37.72 करोड़ रुपये बकाया था, का पंजीकरण किया। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी 4706 उपभोक्ताओं से केवल 8.66 करोड़ रुपये की वसूली कर सकी तथा 29.06 करोड़ रुपये की शेष राशि अब तक (सितम्बर 2006) अवसूलित रही क्योंकि उपभोक्ताओं ने या तो ओटीएस योजना को स्वीकार नहीं किया अथवा कुछ किस्तों के बाद आगे भुगतान करने में असफल रहे।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उन उपभोक्ताओं के संयोजन जिन्होंने ओटीएस योजना के अन्तर्गत देयों का भुगतान नहीं किया है, विच्छेदित कर दिये गये हैं एवं देयों की वसूली हेतु आरसी निर्गत कर दी गयी है।

ईस्टर्न लेदर एक्सपोर्ट से बकाया राशि की वसूली न होना

2.2.31 अप्रैल 2004 माह में ईस्टर्न लेदर एक्सपोर्ट जाजमऊ के परिसर पर छापा डाला गया एवं ऊर्जा चोरी का मामला दर्ज किया गया और फर्म के विरुद्ध 72.05 लाख रुपये का निर्धारण किया गया। मई 2004 में 72.05 लाख रुपये का वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) निर्गत किया गया लेकिन फर्म ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। सितम्बर/अक्टूबर 2005 में कम्पनी के अधिवक्ता ने सूचित किया कि स्थगन हट गया है तथा उपभोक्ता से बकाया वसूली की जा सकती है। तथापि कम्पनी ने अब तक (सितम्बर 2006) राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि जिला प्राधिकारियों को न्यायालय का स्थगन आदेश हटने की सूचना दे दी गयी है (मई 2006) और देयों की वसूली हेतु निवेदन किया गया है। वसूली, फिर भी, प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)।

केबिल टी0वी0 आपरेटरों को एलटी खम्भे पट्टे पर न देना

2.2.32 राजस्व वृद्धि हेतु नये क्षेत्रों की सम्भावनाओं के क्रम में यूपीपीसीएल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की पद्धति पर टीवी नेटवर्क हेतु तार बिछाने के लिये कम्पनी को अपने एलटी खम्भे पट्टे पर देने के लिये कहा (अगस्त 2001)। टी0वी0, केबिल आपरेटर एलटी खम्भों का प्रयोग कर रहे थे, कम्पनी ने न तो कोई सर्वेक्षण कराया जिससे पता चल सके कि कितने खम्भे उनके द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं, और न ही इन खम्भों को पट्टे पर देने का मामला तय करने की कोई पहल की। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी के पास नगर में 13790 एलटी खम्भों सहित 197 कि.मी. लाइनें थीं। यदि खम्भों को केबिल टी.वी. नेटवर्क के लिये पट्टे पर दे दिया गया होता तो ने मार्च 2006 को समाप्त होने वाले 4 वर्षों में कम्पनी द्वारा 2.76 करोड़ रुपये (डीवीबी द्वारा अनुमोदित 500 रुपये प्रति खम्भे की दर से आकलित) की आय उत्पन्न कर ली होती। एलटी खम्भों को पट्टे पर देने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होना था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि केबिल टी0वी0 आपरेटरों को एलटी खम्भे पट्टे पर देने के प्रयास किये जा रहे थे लेकिन अब तक किसी ने सम्पर्क नहीं किया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने केबिल आपरेटरों को पट्टे पर खम्भों को लिये बिना प्रयोग करने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

राजस्व का लेखांकन

2.2.33 वसूल किये राजस्व का लेखांकन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि वसूल किये राजस्व को सही तरीके से कम्पनी की पुस्तकों एवं बैंक खातों में ले लिया गया है।

राजस्व के संग्रहण और इसके लेखांकन एवं बैंक से प्रेषित धनराशि के मिलान पर उचित नियंत्रण के लिये कम्पनी ने दिन-प्रतिदिन के राजस्व का संग्रहण एवं उसको बैंक में जमा करने का कार्य अगले कार्य दिवस पर करना निर्धारित किया था। कम्पनी के अभिलेखों की नमूना जांच से अवलोकित हुआ कि माह नवम्बर 2004 के दौरान रोकड़ राशि को बैंक भेजने में दो से चार दिन के बीच विलम्ब हुआ।

राजस्व के अकुशल लेखांकन के लिये उत्तरदायी मुख्य कारक बैंकों से शेषों का मिलान न करना था जैसा कि नीचे चर्चित है:

बैंक समाधान विवरणों को तैयार करना

2.2.34 एफएचबी भाग VI के प्रस्तर 441 से 743 एवं यूपीपीसीएल के एकाउन्टिंग रूल्स एण्ड प्रोसीजर के प्रस्तर 474 में प्रावधानित है कि माह के अन्त में, जमा की गयी राशियों एवं बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये चेकों से सम्बन्धित व्यवहारों हेतु रोकड़ बही के शेष का मिलान बैंक शेषों से किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि कम्पनी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) कानपुर में तीन खाते क्रमशः जमा, व्यय एवं प्राप्ति थे। सम्पूर्ण संग्रहित राजस्व को प्राप्ति खाते में भेज दिया जाता था तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्ते सहित दिन प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिये तथा उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमाओं को वापस करने के लिये इस खाते से धन का हस्तांतरण व्यय खाते को कर दिया जाता था। 31 मार्च 1991 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में इसको इंगित किये जाने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित हुआ कि केसा* की अवधि (14 जनवरी 2000 से पूर्व) के दौरान बैंक व्यवहारों का मिलान बैंक विवरण से नहीं किया गया था इसके फलस्वरूप 10.10 करोड़ रुपये की चैक/लेन-देन अब तक (सितम्बर 2006) बिना वसूली/बिना मिलान के रह गये।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि पूर्ववर्ती केसा की अवधि में मिलान से सम्बन्धित कतिपय कमियाँ थीं जिनके कारण 10.10 करोड़ की धनराशि बिना मिलान के पड़ी हुई है।

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण

2.2.35 आंतरिक नियन्त्रण एक प्रक्रिया है जिसे परिचालन की कुशलता के उचित आश्वासन, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं उचित नियमों एवं विधि के अनुपालन हेतु अभिकल्पित किया जाता है। एक अन्तर्निहित आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली, तथा विधि, संहिता तथा निर्देशिका का कड़ाई से पालन गलतियों के

* कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन

जोखिम एवं अनियमितताओं को कम करता है। कम्पनी में प्रचलित प्रणाली के मूल्यांकन से निम्नलिखित कमियाँ प्रदर्शित हुईः

- कम्पनी वितरण हानियों को रोकने में विफल रही क्योंकि उसने इन हानियों को रोकने के लिये तथा मीटरों की आवधिक जाँच करने, देयकों को समय से जारी करने तथा समय-समय पर यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ आर्डर के आधार पर अतिरिक्त प्रतिभूति जमाओं की वसूली करने के लिये किसी नियन्त्रण प्रणाली का निर्माण नहीं किया।
- कम्पनी अपनी बकाया राशियों को कम करने हेतु अपनी देयों की समय से वसूली के लिए प्रणाली विकसित नहीं कर सकी।
- उच्च जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने के लिये देयों का आयुवार/उपभोक्तावार विश्लेषण नहीं किया गया था।
- बैंक व्यवहारों का बैंक विवरणों से मिलान नहीं किया जा रहा है।
- आंतरिक नियन्त्रण प्रक्रिया तन्त्र के विश्लेषण से अवलोकित हुआ कि आंतरिक नियन्त्रण तन्त्र अप्रभावी थी क्योंकि कम्पनी से सम्बन्धित 1992 से 2005 के मध्य दायर किये गये राजस्व विवाद के 169 अदालती मामले थे जो कि अनुचित अनुसरण के कारण अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित थे (मार्च 2006)।

आंतरिक लेखा परीक्षा

2.2.36 आंतरिक लेखा परीक्षा एक प्रणाली है जिसकी रचना आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के समुचित कार्य संचालन के साथ साथ इसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने तथा त्रुटियों एवं कपट का पता लगाने हेतु की जाती है। एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में इसे वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर की जांच एवं मूल्यांकन करना चाहिये। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- कम्पनी में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं थी। कम्पनी ने अपने सभी 15 खण्डों तथा मुख्यालय के वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की एक प्राइवेट फर्म को ठेके पर सौंपा (मार्च 2002)। फर्म ने कार्य आरम्भ किया परन्तु वर्ष 2002-03 की लेखा परीक्षा का कार्य पूरा नहीं किया (मार्च 2006)। फर्म ने खण्डों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित वर्ष 2001-02 का प्रतिवेदन कम्पनी को प्रस्तुत किया (मई 2004) जिसे खण्डों को प्रेषित किया गया था परन्तु खण्डों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (मार्च 2006)।

- वर्ष 2003-04 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य का समानुदेशन नहीं किया गया। कम्पनी ने एक अन्य चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स को वर्ष 2004-05 के आंतरिक लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया, (अगस्त 2005) जिसने अपनी रिपोर्ट कम्पनी को प्रस्तुत की (जून 2006)।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों ने कम्पनी के मुख्यालय की लेखा परीक्षा नहीं की, इसके कारण कम्पनी का कार्य रोकड़ बही के रोकड़ वाले खाने में अप्रैल 1998 से प्रदर्शित 1.23 करोड़ रुपये के शेष पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यह धनराशि आज तक (अक्टूबर 2006) समायोजित/मिलान नहीं की जा सकी। इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षा के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2000) कि एक जाँच समिति का गठन 1.23 करोड़ रुपये के शेष का मिलान करने हेतु किया गया है।

अभिस्वीकृति

2.2.37 निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने के विभिन्न स्तरों पर कम्पनी के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं सहायता को लेखापरीक्षा स्वीकार करती है।

उपरोक्त मामले जून 2006 में शासन को प्रतिवेदित थे, उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

निष्कर्ष

निष्पादन समीक्षा इंगित करती है कि देयकीकरण, तथा संग्रहण प्रक्रियायें एवं निगरानी अकुशल थी क्योंकि कम्पनी, तदर्थ देयकीकरण, मीटरों की अप्रभावी जाँच, माँग प्रभारों के न लगाये जाने, अधिभार के विलम्बित भुगतान, विद्युत बिलों को जारी करने में विलम्ब तथा ऊर्जा चोरी की जाँच में कम्पनी की असफलता के कारण, वितरण हानियों को कम नहीं कर सकी। राजस्व का संग्रहण प्रभावी एवं त्वरित नहीं था क्योंकि कम्पनी ने राजस्व वसूली के निम्न लक्ष्यों को निर्धारित किया था जिसके कारण राजस्व की वसूली बहुत खराब रही। कम्पनी समय से बैंक मिलान करने में असफल रही।

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को वितरण हानियों को न्यूनतम करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये।
- नियमित अन्तरालों पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मीटरों की जांच का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का न्यून प्रभारण एक स्पष्ट उदाहरण है; कम्पनी को अन्य मामलों की समीक्षा करनी चाहिये और तदनुसार बिलों का पुनरीक्षित करना चाहिये।
- कम्पनी को अपने देयों की त्वरित वसूली हेतु अपने संग्रहण तन्त्र में सुधार करना चाहिये।
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये।

2.3 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों (डिस्काम्स) द्वारा ऊर्जा का क्रय एवं विक्रय

मुख्य अंश

वर्ष 2005-06 तक के पाँच वर्षों में क्रय की गयी ऊर्जा, जिसका भुगतान किया गया एवं पारेषण तंत्र के आपूर्ति-बिन्दुओं के मापकों में अभिलेखित ऊर्जा के बीच 874.13 करोड़ रुपये मूल्य के 5208.022 एम्यू ऊर्जा का भारी अंतर है।

(प्रस्तर 2.3.9)

यूपीपीसीएल ने ग्रिड-अनुशासन का अनुपालन नहीं किया और 2005-06 तक के पाँच वर्षों में कुल 713.23 करोड़ रुपये का परिहार्य अनिर्धारित-अन्तर्विनिमय-शुल्क एवं रिएक्टिव-ऊर्जा-शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

(प्रस्तर 2.3.10 एवं 2.3.11)

यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को, औसत विक्रय लागत से औसत विक्रय मूल्य कम होने के कारण 2005-06 तक के पाँच वर्षों में कुल 16178.60 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 2.3.8)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) को वार्षिक-राजस्व-आवश्यकता की विलम्बित प्रस्तुति/अप्रस्तुति के कारण टैरिफ पुनरीक्षण विलम्बित रहा/न हो सका। इसके कारण अप्रैल 2002 से सितम्बर 2006 की अवधि में डिस्काम्स को 1485.75 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.13, 2.3.14 एवं 2.3.15)

यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में पारेषण एवं वितरण हानियाँ अत्यधिक होने के कारण यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को 2005-06 तक के पाँच वर्षों में 2979.62 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 2.3.18)

यूपीपीसीएल/डिस्काम्स के 132/33/11 केवी तन्त्र में खराब कैपेसिटर बैंक लगे होने के कारण, प्रणाली में क्षरित हुई 194.92 एम्यू ऊर्जा की क्षति से 48.54 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी। पुनः, कैपेसिटर बैंकों के न लगे होने अथवा अनुमन्य सीमा से नीचे के लो पावर फैक्टर हेतु उपभोक्ताओं को टैरिफ के अनुसार बिल प्रभारित न करने के कारण पूविनिलि को 2.59 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 2.3.19 एवं 2.3.20)

अत्यधिक मांग भार का बिल में चार्ज न करने एवं विद्यमान उपभोक्ताओं को काल्पनिक अवशेषों के साथ अविद्यमान मानकर उनके अवशेष माफ कर देने के कारण पूविनिलि को 1.42 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 2.3.29 एवं 2.3.30)

प्रस्तावना

2.3.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यकलापों को तीन सरकारी कम्पनियों में बाँट दिया (जनवरी 2000)। जबकि उसने विद्युत उत्पादन का कार्य दो सरकारी कम्पनियों को अर्थात् तापीय शक्ति उत्पादन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) को एवं जल-शक्ति उत्पादन, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) को सौंपा, उसने पारेषण एवं वितरण का कार्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीपीसीएल के कार्यों को पुनरावंटित किया (12 अगस्त 2003) एवं वितरण कार्य यूपीपीसीएल की चार नवनिर्मित सहायक वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) यथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पूर्विनिलि), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पविनिलि), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ (मविनिलि) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (दविनिलि) को सौंप दिया। यूपीपीसीएल के पास ऊर्जा के क्रय एवं इसके चार डिस्काम्स एवं दो बड़े लाइसेंस धारकों (केस्को¹ एवं एनपीसीएल²) को वितरण का कार्य, रह गया। डिस्काम्स ने अगस्त 2003 से राज्य के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय का प्रबन्धन किया।

मार्च 2006 में, यूपीपीसीएल के बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक (दोनों शासन से लिये गये) तथा एक वित्त, एक तकनीकी, एक वाणिज्यिक एवं एक कार्मिक प्रबन्ध के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु चार अन्य निदेशक थे। डिस्काम्स के बोर्ड में एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक तथा दो अन्य निदेशक, एक वित्त एवं एक तकनीकी कर्तव्यों के लिये थे। यूपीपीसीएल/डिस्काम्स द्वारा क्रय एवं वितरण³ का कार्य निदेशक (वाणिज्य) के समग्र नियंत्रण के एक अधीन मुख्य महाप्रबन्धकों, उपमहाप्रबन्धकों एवं अधिशासी अभियंताओं की अगुवाई में क्रमशः क्षेत्रों, मण्डलों व खण्डों में विभाजित था एवं डिस्काम्स में राज्य के उपभोक्ताओं को ऊर्जा का विक्रय निदेशक (तकनीकी) के अधिकार क्षेत्र में आता था।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.3.2 अगस्त/सितम्बर 2006 के बीच की गयी वर्तमान निष्पादन समीक्षा, यूपीपीसीएल/डिस्काम्स द्वारा 31 मार्च 2006 तक पाँच वर्षों की अवधि में किये ऊर्जा के क्रय-विक्रय को शामिल करती है। यूपीपीसीएल के प्रधान कार्यालय, जहाँ आधारभूत अभिलेख एवं सभी डिस्काम्स हेतु आंकड़े उपलब्ध हैं, के लेखों एवं एक डिस्काम (पूर्विनिलि) एवं इसके 61 वितरण खण्डों में से चार वितरण खण्डों (2 वाराणसी⁴ में एवं 2 गोरखपुर⁵) के लेखों की परीक्षण जांच की गयी।

¹ कानपुर शहरी क्षेत्र को ऊर्जा वितरण करने वाली कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।

² ग्रेटर नोयडा के एक भाग को ऊर्जा का वितरण करने वाली नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड, ग्रेटर नोयडा (एक निजी कम्पनी)।

³ केस्को तथा एनपीसीएल को ऊर्जा विक्रय को सम्मिलित करते हुये।

⁴ ईयूडीडी-I वाराणसी तथा ईयूडीडी-II, वाराणसी।

⁵ ईयूडीडी- I गोरखपुर तथा ईयूडीडी-II, गोरखपुर।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.3.3 ऊर्जा के क्रय एवं विक्रय की निष्पादन समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गयी थी कि क्या:

- राज्य एवं केन्द्र सरकार की उत्पादन कम्पनियों से ऊर्जा का क्रय, मांग के अनुमान एवं अनुबन्ध की शर्तों एवं नियमों अर्थात् दरों, ग्रिड स्टैण्डर्ड* इत्यादि के संदर्भ में मितव्ययी एवं कुशलतम ढंग से किया गया;
- उपभोक्ताओं को ऊर्जा का विक्रय यूपीईआरसी के दिशा-निर्देशों एवं टैरिफ दरों के अनुसार किया गया था; तथा
- आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावशाली थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लेखा परीक्षा की कसौटी आंकी गई:

- शासन एवं यूपीईआरसी द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देश;
- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड एवं उत्तर प्रदेश सप्लाई कोड, 2002/2005 के प्रावधान;
- यूपीईआरसी द्वारा निर्गमित टैरिफ आर्डर, यूपीपीसीएल के रेट शिड्यूल तथा यूपीईआरसी (कण्डकट आफ बिजनेस) रेगुलेशन 2000/2004 के प्रावधान।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निम्नलिखित मिश्रण अपनाया गया:

- यूपीईआरसी द्वारा निर्गमित दिशानिर्देशों/निर्देशों एवं यूपीपीसीएल एवं डिस्काम्स द्वारा तैयार की गयी एवं यूपीईआरसी को प्रस्तुत एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेन्ट (एआरआर) का परीक्षण;
- संचालक मण्डल की मीटिंग के एजेण्डा एवं मिनटस का सूक्ष्म अध्ययन;
- टैरिफ, ग्रिड कोड, सप्लाई कोड, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझ के स्मारक पत्र (एमओयू) के कार्यान्वयन की संवीक्षा;
- श्रेणी-वार ऊर्जा का विक्रय एवं उसकी बिलिंग की जांच तथा खण्डानुसार ऊर्जा हानि एवं क्षति रोकने हेतु नियंत्रण यंत्रावली की संवीक्षा;
- लेखापरीक्षा प्रश्नावाली जारी करना एवं प्रबन्धन से परस्पर संवाद।

* सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 73 के अन्तर्गत वर्णित ग्रिड स्टैनडर्ड (यथा पारेषण तन्त्र के प्रयोगकर्ताओं द्वारा अपने क्रियाकलापों को आवश्यक सुरक्षित आचार के अन्तर्गत रखना) एवं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रकाश में सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी द्वारा अप्रैल 2006 में संशोधित इण्डिया इलेक्ट्रिकल ग्रिड कोड।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.3.6 ऊर्जा क्रय के सम्बन्ध में यूपीपीसीएल/डिस्काम्स माँग का समुचित अभिनिर्धारण, क्रय लागत को ऊर्जा विक्रय दरों के परिपेक्ष्य में रखने में, टीएण्डडी हानियों को कम करने में, तंत्र में तथा उपभोक्ताओं के संस्थापनों पर कैपेसिटर बैंक उपलब्ध कराने तथा राजस्व का क्षरण रोकने के लिये उपलब्ध कराने तथा राजस्व का क्षरण रोकने के लिये आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में असफल रहा। ये बिन्दु, अनुवर्ती प्रस्तरों में विस्तार से चर्चित हैं:

माँग का निर्धारण

2.3.7 यूपीपीसीएल, पूर्व में ऊर्जा के उपभोग, भार-वृद्धि, अनुमानित पारेषण एवं वितरण हानियों तथा विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता पर आधारित मांग आंकलनों का निर्धारण करती है। ऊर्जा की मांग, जो कि यूपीपीसीएल द्वारा एआरआर के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, का अनुमोदन यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आर्डर आदेशों का अनुमोदन करते समय किया जाता है। निम्नलिखित तालिका, 2005-06 तक के पाँच वर्षों के लिये ऊर्जा के क्रय हेतु अनुमानित मांग, क्रय, आंकलित मांग के विरुद्ध आधिक्य/कमी, पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत, निजी नलकूपों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित आकलनों से अधिक मात्रा में ऊर्जा का विक्रय इंगित करती है:

वर्ष	ऊर्जा के क्रय हेतु अनुमानित मांग (एम्यू)	क्रय (एम्यू)	आधिक्य/कमी (एम्यू)	आधिक्य/कमी का प्रतिशत	यूपीआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से पारेषण एवं वितरण हानियों का आधिक्य (एम्यू)	यूपीईआरसी के आकलनों से अधिक मात्रा में विक्रय (एम्यू)	क्षेत्रीय ग्रिड से अधिक ऊर्जा ली (एम्यू)
						पीटीडब्ल्यू	घरेलू
2001-02	39940	41833	1893	4.74	1575.599	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2002-03	39869	37912	(-)1957	(-)4.91	532.128	228.740	उपलब्ध नहीं
2003-04	37975	41397	3422	9.01	2100.657	523.810	1005.440
2004-05	38816	42783	3967	10.22	3076.493	714.700	525.730
2005-06	उपलब्ध नहीं	45850	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4810.378	1104.490	1237.610
							1859.630

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि 2004-05 तक के चार वर्षों में (2002-03 को छोड़कर) यूपीपीसीएल ने एआरआर में आकलित मांग से अधिक ऊर्जा क्रय की। इसके लिये निम्नलिखित घटकों को श्रेय दिया जा सकता है:

- पारेषण एवं वितरण हानियों को यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रख पाने में असफलता (प्रस्तर 2.3.18);

- निजी नलकूपों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित मात्रा एवं दरों पर ऊर्जा का विक्रय सीमित कर पाने में असफलता (प्रस्तर 2.3. 22 एवं 2.3.24);
- 4029.74 एमयू की सीमा तक अनशिड्यूल्ड ऊर्जा के आहरण (अर्थात् अनुमोदित शिड्यूल से अधिक) द्वारा ग्रिड स्टैण्डर्ड्स को बनाये रखने में असफलता (प्रस्तर 2.3.10); एवं
- 2002-03 के दौरान खराब नकद स्थिति तथा यूपीपीसीएल को परिचालन अकुशलताओं के कारण कम ऊर्जा का आहरण।

यह इंगित करता है कि परिचालन अकुशलताओं के कारण यूपीपीसीएल ऊर्जा के क्रय को अनुमानित मांग के स्तर तक सीमित नहीं रख सका।

ऊर्जा का क्रय

2.3.8 यूपीपीसीएल, राज्य¹ की तथा केन्द्र सरकार² की उत्पादन कम्पनियों, छोटी निजी उत्पादन इकाइयों (जिन्हें स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक अथवा आईपीपीज³ कहा जाता है) एवं अन्य पड़ोसी राज्यों की उत्पादन कम्पनियों जिसे परिशिष्ट-14 में विस्तार से दिया गया है, से ऊर्जा का क्रय करती है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) केन्द्रीय क्षेत्र की कम्पनियों से किये ऊर्जा क्रय अनुबन्धों (पीपीए) के वाक्यांश 5 के संदर्भ में उनके प्रत्येक शक्ति स्टेशनों हेतु बदलते हुये स्थायी एवं परिवर्तनशील लागत तत्वों सहित ऊर्जा के क्रय की दरें तय करता है। यूपीईआरसी प्रत्येक वर्ष के लिये संयुक्त टैरिफ आर्डर द्वारा इसी का निर्धारण राज्य के उत्पादन स्टेशनों हेतु करती है। यूपीईआरसी, आईपीपीज के सम्बन्ध में, प्रत्येक आईपीपी के लिए स्वयं द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय अनुबन्धों द्वारा दरों को भी निश्चित करती है। यूपीपीसीएल एवं राज्य की उत्पादन कम्पनियों के बीच किये ऊर्जा क्रय अनुबन्धों को यूपीईआरसी के समक्ष यूपीईआरसी (व्यापार संचालन) नियमन 2000 (2004 के नियमन द्वारा संशोधित), के संदर्भ में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया। सीईआरसी का भारतीय वैद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी), बिना समय चक्र के ऊर्जा के आहरण हेतु दण्ड एवं आवश्यक स्तर पर पावर फैक्टर न बनाये रखने के कारण रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क से बचने के लिये ग्रिड अनुशासन बनाये रखने का प्रबन्ध करता है।

यूपीपीसीएल ने 2005-06 तक पांच वर्षों की अवधि में 209774.541 एमयू ऊर्जा क्रय की जिसका मूल्य 36918.74 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2006 तक पांच वर्षों

¹ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

² नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, न्यू-किलयर पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

³ 31 मार्च 2006 को चौदह इकाइयाँ थीं। 34 इकाइयों के साथ अनुबन्ध हुआ है जिससे जब ये इकाइयाँ उत्पादन प्रारम्भ करें तो आगामी वर्षों से ऊर्जा खरीद की जाय।

में बिक्री लागत, साथ-साथ बिक्री मूल्य प्रति इकाई तथा हानि का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अस्थाई)	2005-06 (अस्थाई)	कुल योग
i	ऊर्जा का क्रय (एम्यू)	41833.042	37912.370	41396.629	42782.960	45849.540	209774.541
ii	ऊर्जा का विक्रय (एम्यू)	25030.216	24717.510	26711.397	27983.936	30081.122	134524.181
iii	क्रय लागत (करोड़ रुपये में)	6753.62	5984.86	6193.96	8297.47	9688.83	36918.74
iv	अन्य (अप्रत्यक्ष) लागत (करोड़ रुपये में) ¹	2541.05	2314.30	1365.69	2719.91	3176.00	12116.95
v	कुल लागत (iii+iv)	9294.67	8299.16	7559.65	11017.38	12864.83	49035.69
vi	औसत क्रय लागत ² (रुपये प्रति इकाई) (iii/i)×10	1.61	1.58	1.50	1.94	2.11	--
vii	विक्रय की ऊर्जा का मूल्य (करोड़ रुपये में)	5770.75	5972.36	6639.01	6975.40	7492.24	32849.76
viii	विक्रय की औसत लागत ³ (रुपये प्रति इकाई) (v/ii) ×10	3.71	3.36	2.83	3.94	4.28	--
ix	औसत विक्रय मूल्य ⁴ (रुपये प्रति इकाई); (vii/ii) ×10	2.31	2.42	2.49	2.49	2.49	--
x	हानि (रुपये प्रति इकाई)	1.40	0.94	0.34	1.45	1.79	--
xi	कुल हानि (करोड़ रुपये में) (x)×(ii)	3504.23	2323.45	908.19	4057.67	5384.52	16178.06

उच्च टी एण्ड डी हानियों, विलम्बित/टैरिफ का पुनरीक्षण न होना, निजी नलकूप उपभोक्ताओं का कम टैरिफ एवं गलत राजस्व निर्धारण से

16178.06 करोड़ रुपये की हानि हुई।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया कि यूपीपीसीएल/डिस्काम्स ऊर्जा का लागत मूल्य भी नहीं वसूल कर पाया जो कि 2.83 रुपये एवं 4.28 रुपये प्रति यूनिट रही जबकि बिक्री मूल्य 2.31 रुपये एवं 2.49 रुपये प्रति इकाई के बीच रही। इससे, 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों में ऊर्जा विक्रय पर कुल 16178.06 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस हानि का कारण, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियाँ, टैरिफ का विलम्बित/संवर्धित न होना, निजी नलकूप उपभोक्ताओं का टैरिफ कम होना, गलत राजस्व का निर्धारण और नये कनेक्शनों को लेजर में न लिखना इत्यादि था।

¹ अप्रत्यक्ष लागत (ऊर्जा खरीद लागत को छोड़कर) में लाभ हानि खाते में बुक किये गये व्यय सम्मिलित हैं। चूंकि पीसीएल एवं डिस्काम्स के 2004-05 व 2005-06 के लेखे तैयार नहीं हैं इसलिये ये व्यय पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर ($37.83 \text{ प्रतिशत} + 26.74 \text{ प्रतिशत} + 33.99 \text{ प्रतिशत})/3 = 32.78 \text{ प्रतिशत}$ लिये गये हैं, इन वर्षों के ऊर्जा खरीद (प्रत्यक्ष) व्यय यूपीपीसीएल के इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट विभाग द्वारा दिये गये हैं।

² खरीद लागत को ऊर्जा की खरीदी गई मात्रा से भाग देकर औसत खरीद लागत निकाली गई है।

³ बेची गई ऊर्जा के मूल्य को बेची गई ऊर्जा से भाग देकर विक्रय की औसत लागत निकाली गई है।

⁴ औसत विक्रय दर बेची गयी ऊर्जा के मूल्य को बेची गई ऊर्जा की मात्रा से भाग देकर निकाला गया है।

ऊर्जा-क्रय की मात्रा में असंगति, अप्राधिकृत-अन्तविनिमय-शुल्क एवं रिएक्टिव-ऊर्जा-शुल्क के परिहार्य भुगतान के मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:

क्रय के आँकड़ों का मिलान न किया जाना

2.3.9 क्षेत्रीय ग्रिड से होकर प्रवाहित केन्द्रीय ऊर्जा कम्पनियों से प्राप्त ऊर्जा का विशेष प्रभार के मीटरों से मापन किया जाता है। ये मीटर क्षेत्रीय संघटकों या अन्य चिन्हित बिन्दुओं पर लगे होते हैं जो वास्तविक शुद्ध एमडब्ल्यूएच अन्तर्निमेय व एमबीएआरएच¹ आहरण के मापन को अभिलिखित करते हैं जिनका स्वयमेव बिल बन जाता है।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों में ऊर्जा क्रय, जिसका भुगतान हुआ एवं पारेषण तन्त्र के वाहक बिन्दु पर प्राप्त ऊर्जा में 874.13 करोड़ रुपये की 5208.022 एमयू की ऊर्जा (जो 2.48 प्रतिशत होती है) का भारी अन्तर है जिसका विवरण नीचे दिया है:

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कुल योग
1	ऊर्जा का क्रय (एमयू)	41833.042	37912.370	41396.629	42782.960	45849.540	209774.541
2	औंसत क्रय मूल्य (रुपये प्रति यूनिट)	1.61	158	150	1.94	2.11	
3	पारेषण प्रणाली के सुपुर्दगी बिन्दुओं पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा (एमयू)	39872.454	36458.970	40741.314	42210.197	45283.584	204566.519
4	अंतर (1-3) (एमयू)	1960.588	1453.40	655.315	572.763	565.956	5208.022
5	अंतर (प्रतिशत)	4.69	3.83	1.58	1.34	1.23	
6	हानि का मूल्य (4×2) (करोड़ रुपये में)	315.65	229.64	98.30	111.12	119.42	874.13

लेखा परीक्षा में यह भी प्रकाश में आया (सितम्बर 2006) कि क्षेत्रीय ग्रिड से वास्तविक शुद्ध ऊर्जा का अन्तविनिमय निर्धारण करने के लिये केन्द्रीय ऊर्जा कम्पनियों ने प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक की वैद्युत परिधि पर विशेष प्रकार के ऊर्जा मापक लगाये थे। भारतीय वैद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अन्तर्संयोजन पर का एक मुख्य मापक भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्टैण्डबाई/जांच मीटरों का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि धारा ट्रांसफार्मर (सीटी) या वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) में समस्या होने पर भी संघटक के शुद्ध अन्तर्विनियम की सही गणना सम्भव हो सके। इन प्रावधानों के बावजूद यूपीपीसीएल ऊर्जा क्रय के आँकड़े (जिसके लिये भुगतान किया गया था) तथा पारेषण प्रणाली के वाहक बिन्दुओं पर स्थापित मापकों के अनुसार ऊर्जा के मध्य महत्वपूर्ण अंतर के कारणों का पता लगाने हेतु प्रक्रिया विकसित करने में असमर्थ रही।

अनाधिकृत अन्तविनिमय-शुल्क (यूआई) का परिहार्य भुगतान

2.3.10 ऊर्जा का पारेषण क्षेत्रीय ग्रिड² से यूपीपीसीएल के संयोजन बिन्दुओं³ तक किया जाता है। केन्द्रीय वैद्युत नियामक आयोग के भारतीय वैद्युत ग्रिड कोड एवं

¹ मेगावोल्ट रिएक्टिव आवर्ती।

² वे प्रक्षेत्र जो राज्य विद्युत परिषदों व उपादानों के कार्य क्षेत्र में आते हैं एवं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ (यूटी), राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जेंडके, एनटीपीसी, एनएचपीसी, बीबीएमबी, पीजीसीआईएल के सीपीपीज/आईपीपीज के समग्र विद्युत कार्य प्रणाली से सम्बन्ध रखते हैं।

³ वे बिन्दु जहाँ एजेन्सी के प्लान्ट एवम्/व उपकरणों को अन्तर्ज्य पारेषण हेतु प्रयुक्त होते हैं।

यूपीईआरसी के उत्तर प्रदेश वैद्युत ग्रिड कोड 2000 के अनुसार ग्रिड का नियमन करने हेतु, एवं इसे क्षति व दोष से बचाने के लिए तथा अन्य राज्यों को उनके निर्धारित सीमा तक ऊर्जा आहरण सम्भव बनाने हेतु यूपीपीसीएल को ग्रिड अनुशासन का पालन करना आवश्यक है।

स्थानीय ग्रिड से अनाधिकृत ऊर्जा आहरण से 699.27 करोड़ रुपये का अप्राधिकृत ऊर्जा अन्तर्विनिमय शुल्क देना पड़ा।

यूपीपीसीएल को ग्रिड सुरक्षा बनाये रखने के लिये एवं उत्तरी क्षेत्र वैद्युत बोर्ड (एनआरईबी), एजेन्सी जो यूपीपीसीएल द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों से क्रय की गई ऊर्जा के लिए बिल बनाती है, को दण्ड का भुगतान करने से बचने के लिये सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथरिटी द्वारा निश्चित किये गये ग्रिड मानकों (जैसे वोल्टेज प्रोफाइल, ऊर्जा का अधिकृत आहरण इत्यादि) को बनाये रखना आवश्यक है। प्रतिमाह ऊर्जा आहरण* की मात्रा (जिसे अधिकृत ऊर्जा कहते हैं,) का निर्धारण किया जाता है। यूपीपीसीएल को क्षेत्रीय ग्रिड से दिन-प्रतिदिन ऊर्जा के शुद्ध आहरण को उक्त सीमा के भीतर रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का अधिक आहरण सीईआरसी द्वारा समय-समय पर निश्चित की गयी अधिक दरों पर अन्तर्विनिमय चार्ज अथवा यूआई चार्ज के भुगतान को आकर्षित करता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल ने ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा 4029.74 एमयू अनाधिकृत ऊर्जा आहरित की जिस पर इसे 1.50 रुपये व 2.11 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर 2.18 रुपये एवं 4.11 रुपये प्रति यूनिट की दरों पर भुगतान करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2006 तक के 3 वर्षों में कुल 699.27 करोड़ अधिक ऊर्जा लागत का भुगतान करना पड़ा, जिसका विस्तृत वर्णन निम्न है:

वर्ष	यूआई यूनिटों की मात्रा (एमयू)	यूआई शुल्क भुगतान (करोड़ रुपये में)	दर (रुपये प्रति यूनिट)	क्रय की औसत दर (रुपये प्रति यूनिट)	अधिक भुगतान (करोड़ रुपये में)
2003-04	955.450	208.23	2.18	1.50	64.97
2004-05	1214.660	498.61	4.10	1.94	262.37
2005-06	1859.630	764.22	4.11	2.11	371.93
योग	4029.740	1471.06			699.27

पुनः, सीईआरसी के निर्देशों के अनुसार ग्रिड अनुशासन का पालन न करने से लाभ प्राप्तकर्ता का फीडर (पोषक) भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि ग्रिड सुरक्षा का सर्वोपरि महत्व है।

रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क का परिहार्य भुगतान

2.3.11 इसी प्रकार, आईईजीसी के अनुसार, लाभार्थी राज्य को रिएक्टिव ऊर्जा की क्षतिपूर्ति स्थानीय रूप से करनी थी ताकि वे क्षेत्रीय ग्रिड से रिएक्टिव ऊर्जा, विशेष रूप से निम्न वोल्टेज में, न आहरित करे। यूपीपीसीएल को पावर फैक्टर 97 प्रतिशत से नीचे नहीं गिरने देना है। यह तब सम्भव है जब सम्पूर्ण पारेषण एवं वितरण तन्त्र में रिएक्टिव ऊर्जा की कमी की क्षतिपूर्ति हेतु कैपेसिटर** बैंकों

वाँछित पावर फैक्टर न रख पाने से 13.96 करोड़ रुपये का अर्थ दण्ड देना पड़ा।

* वैद्युत ऊर्जा के इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट हेतु प्रयुक्त।

** रिएक्टिव पावर के उत्पादन हेतु प्रयुक्त वैद्युतीय सुविधा।

की स्थापना की जाय। कमी की दशा में यूपीपीसीएल को निर्धारित दरों से कमी की सीमा तक दण्ड का भुगतान करना पड़ता है।

लेखापरीक्षा में यह जानकारी में आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल, अपर्याप्त कैपेसिटर बैंकों के कारण रिएक्टिव ऊर्जा आहरण में 97 प्रतिशत का पावर फैक्टर बनाये रखने में असफल रही और उसे 2001-02 से 2005-06 के दौरान रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क के रूप में 13.96 करोड़ रुपये दण्ड के रूप में भुगतान करना पड़ा।

पुनः जैसा कि यूपीईआरसी को सूचित^{*} किया गया, वाँछित शुद्धता श्रेणी व वाँछित सूचना तन्त्र का टूल जो माँग व ऊर्जा की रीडिंग दे सके और उनका जोड़ कर सके, ऐसा विशेष ऊर्जा मानक लगाने का कार्य अब भी प्रगति में है। इस कारण तन्त्र में बहने वाली ऐक्टिव व रिएक्टिव ऊर्जा का यूपीपीसीएल द्वारा मापन सम्भव नहीं हो सका।

ऊर्जा का विक्रय

2.3.12 यूपीपीसीएल ने राज्य के उपभोक्ताओं को ऊर्जा का विक्रय 11 अगस्त 2003 तक प्रत्यक्ष रूप से तथा 12 अगस्त 2003 और इसके उपरान्त डिस्काम्स के माध्यम से किया। इसने केस्को (यूपीपीसीएल की एक सहायक कम्पनी जो कानपुर के शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा विक्रय कर रही है) तथा एनपीसीएल (एक प्राइवेट कम्पनी जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय कर रही है) को भी ऊर्जा की आपूर्ति की। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय की दर का निर्धारण यूपीईआरसी द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित टैरिफ प्रणाली, पारेषण एवं वितरण (टीएण्डी) हानियों, ऊर्जा का कम निर्धारण इत्यादि से सम्बन्धित कमियों का अनुवर्ती प्रस्तरों में विवेचना की गई है:

टैरिफ प्रणाली

2.3.13 यूपीईआरसी (कंडक्ट आफ बिजनेस) रेगुलेशन 2000 (2004 के रेगुलेशन द्वारा संशोधित) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64(1), निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक लाइसेन्स धारक को आगामी वर्ष हेतु अनुमानित कुल राजस्व की गणना का पूर्ण विवरण (जिसे वास्तविक राजस्व आवश्यकता या एआरआर कहा जाता है) जिसे वह टैरिफ आर्डर के माध्यम से वसूल करने की आशा करता है, यूपीईआरसी को प्रस्तुत करना है। यूपीईआरसी ने 15 से 31 दिसम्बर की अवधि (2004 रेगुलेशन द्वारा, पिछले वर्ष के 30 नवम्बर तक संशोधित) यूपीईआरसी को एआरआर प्रस्तुत करने के लिये निश्चित किया है। एआरआर की प्राप्ति के पश्चात्, एआरआर की प्राप्ति की तिथि से 100 दिन के भीतर (संशोधन द्वारा 120 दिन) यूपीईआरसी अगले वर्ष के टैरिफ आर्डर को अन्तिम रूप देता है। निर्णित टैरिफ आर्डर आगामी वर्ष की 1 अप्रैल से प्रभावी होता है।

* टैरिफ आर्डर 2004-05 का पृष्ठ संख्या 170।

यूपीईआरसी ने 2000-01 से प्रारम्भ करके पाँच टैरिफ आर्डर निर्गमित किया है। एक दिसम्बर 2004 से प्रभावी अद्यतन टैरिफ आर्डर नवम्बर 2004 में निर्गमित किया गया।

एआरआर की विलम्बित/नहीं दाखिल करने की परिणति 1485.75 करोड़ रुपये की प्रचुर राजस्व वसूली न होने में हुई।

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा के दौरान जानकारी में आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर यूपीईआरसी को एआरआर प्रस्तुत करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप टैरिफ आर्डर को लागू होने में या तो विलम्ब हुआ अथवा बिल्कुल ही नहीं लागू किया जा सका। परिणामतः, यूपीपीसीएल/डिस्काम्स उपभोक्ताओं से 1485.75 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रचुर राजस्व नहीं वसूल सके, जैसा कि नीचे विवेचित किया है:

एआरआर का विलम्ब से दाखिल करना

2.3.14 यूपीपीसीएल ने समग्रता में एआरआर को विलम्ब से दाखिल किया। इससे टैरिफ आर्डर को अन्तिम रूप देने एवं उन पर अमल करने में देरी हुई। टैरिफ आर्डर जो 2002-03 से 2004-05 के अप्रैल से लागू होने थे, इन वर्षों के सितम्बर एवं दिसम्बर अर्थात् पाँच से आठ माह विलम्ब से लागू किये जा सके। परिणामतः, नई टैरिफ दरों का देर से लागू करने के कारण 585.75 करोड़ रुपये के भारी अतिरिक्त राजस्व की वसूली न हो सकी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि	प्रस्तुतीकरण की तिथि	टैरिफ आर्डर जारी करने की तिथि	टैरिफ लागू होने की तिथि	अप्रैल से लेकर विलम्ब महीनों में	टैरिफ बदलने से दरों में वृद्धि (प्रतिशत)	पिछले टैरिफ आर्डर के हिसाब से ऊर्जा चार्ज (करोड़ रुपये में)	अतिरिक्त राजस्व जो प्राप्त न हो सका (करोड़ रुपये में) (8X% का 7X6)/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	31 दिसम्बर 01	23 जुलाई 02	22 अक्टूबर 02	1 नवम्बर 02	7	7	5972.36	243.87
2003-04	31 दिसम्बर 02	12 मार्च 03	10 जून 03	1 सितम्बर 03	5	1.6	6639.01	44.26
2004-05	30 नवम्बर 03	30 जून 04	10 नवम्बर 04	1 दिसम्बर 04	8	6.4	6975.40	297.62
						योग	19586.77	585.75

टैरिफ दरों में अस्थाई वृद्धि को लागू न करना

2.3.15 यूपीआरबीयूएनएल (राज्य सरकार की थर्मल ऊर्जा उत्पादक कम्पनी) द्वारा ईधन लागत में की गई वृद्धि के कारण, आवश्यक हुए ईधन लागत के समायोजन के लिए टैरिफ में वृद्धि की माँग करते हुए यूपीपीसीएल ने अप्रैल 2005 में एक पेटीशन दाखिल किया। यूपीपीसीएल के अनुमानों के अनुसार, प्रस्तावित वृद्धि से 432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना था। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, यूपीईआरसी ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरुद्ध 9 पैसे प्रति यूनिट की अनन्तिम वृद्धि (बिना मीटर के उपभोक्ताओं के प्रकरण में आनुपातिक वृद्धि सहित) अनुमन्य की। अनन्तिम वृद्धि से, 2005-06 में 271.26 करोड़ रुपये के अतिरिक्त

राजस्व की प्राप्ति सम्भव थी। यूपीईआरसी ने यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को उनके 2005-06 के टैरिफ प्रस्तावों को तुरन्त प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

लेखा परीक्षा के यह संज्ञान में आया (सितम्बर 2006) कि राज्य शासन के अनुशंसा के अभाव में कम्पनी 2005-06 में 9 पैसे की अनन्तिम वृद्धि लागू नहीं कर सकी। राज्य सरकार ने मामले पर निर्णय हेतु एक कमेटी गठित की (मार्च 2006) परन्तु किन्तु कमेटी ने अभी तक (सितम्बर 2006) अपनी आख्या प्रस्तुत नहीं किया है। कम्पनी, आगामी वर्षों के पुनरीक्षित टैरिफ प्रस्तावों को भी प्रस्तुत नहीं कर सकी, परिणामतः यूपीपीसीएल/डिस्काम्स उपभोक्ताओं से अप्रैल 2005 से सितम्बर 2006 तक की अवधि में 406.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व को नहीं बसूल सकी।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह भी आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल या डिस्काम्स 2005-06 एवं 2006-07 वर्षों के एआरआर प्रस्तुत नहीं कर सके (सितम्बर 2006 तक) जिसकी परिणति यूपीईआरसी द्वारा आगामी टैरिफ आर्डर को अन्तिम रूप न देने में तथा ऊर्जा लागत में हुई वृद्धि की बसूली नहीं होने में हुई। यूपीपीसीएल ने टैरिफ के पुनरीक्षण न होने के फलस्वरूप स्वयं ही 900 करोड़ रुपये (टैरिफ के पुनरीक्षण न होने के फलस्वरूप अप्रैल 2005 से सितम्बर 2006 के 18 महीनों के 9 पैसे प्रति यूनिट की दर से अनन्तिम वृद्धि के 406.89 करोड़ की हानि सहित) प्रभावी राजस्व की हानि आँकी।

टैरिफ आर्डर के प्राविधानों को दर-सूची में शामिल न करने से हानि

2.3.16 लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल ने टैरिफ आर्डर 2004-05 के प्राविधानों को अपनी दर-सूची में सन्निहित करते समय, 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी एलएमवी-4 श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरसूची में टैरिफ आर्डर के प्रस्तर 9(iii) के प्राविधानों को शामिल नहीं कर सका जिसके अनुसार स्टेटिक टीवीएम के उपभोक्ताओं से लो पावर फैक्टर सरचार्ज (जहाँ औसत पावर फैक्टर 0.85 से कम है वहाँ मासिक बिल का 5 प्रतिशत और जहाँ यह 0.80 से कम है वहाँ 10 प्रतिशत लेना था)। यूपीपीसीएल की दर सूची के प्राक्कथन में यह लिखा है कि दर सूची में किसी त्रुटि की अवस्था में यूपीईआरसी के टैरिफ आर्डर में सम्मिलित प्राविधान लागू होंगे। परन्तु उपभोक्ता के डिस्काम्स के खण्डों द्वारा यूपीपीसीएल की दर सूची के हिसाब से ही बिल बनाये जा रहे हैं और उपभोक्ताओं से तदनुसार राजस्व बसूला जाता रहा। दर सूची में छूटे हुये प्राविधान लागू कर उपभोक्ताओं से बसूली करने के लिए यूपीपीसीएल द्वारा एक नया नोटीफिकेशन जारी करना अपेक्षित है।

सितम्बर 2006 तक यूपीपीसीएल के पाँच खण्डों में इस मद में सांकेतिक हानि की राशि 12.20 लाख रुपये आकलित होती है। राज्य में कुल हानि बहुत अधिक होगी जिसे यूपीपीसीएल समुचित कार्यवाही हेतु पुनरीक्षित करें।

क्रास सब्सीडाइजेशन

2.3.17 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 61(जी) में यह प्राविधान है कि यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित समय सीमा में टैरिफ मैकेनिज्म द्वारा क्रास-सब्सीडाइजेशन को कम करके समाप्त करना चाहिए। 2005-06 तक के पाँच वर्षों के लिए क्रास सब्सीडाइजेशन विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपभोग के अंश की तुलना में अभिनिर्धारण के अंश का घनात्मक (+) या ऋणात्मक (-) योगदान का विवरण परिशिष्ट-15 में दिया गया है। जैसा कि परिशिष्ट में देखा जा सकता है, वाणिज्यिक, छोटे एवं मध्यम, बड़े एवं बहुद और रेलवे ट्रेक्शन के उपभोक्ताओं की लागत पर घरेलू व नलकूप के उपभोक्ता क्रास सब्सीडाइजेशन से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। यूपीईआरसी ने 2004-05* के टैरिफ आर्डर में कहा है कि वह धीरे-धीरे क्रास सब्सिडी को घटाने हेतु प्रयास करेगा।

लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया (सितम्बर 2006) कि क्रास सब्सीडाइजेशन अब भी हो रहा है जैसा कि परिशिष्ट-15 से परिलक्षित होता है और 2005-06 व 2006-07 के एआरआर के विलम्बित/अप्रस्तुतीकरण के कारण टैरिफ को तर्कसंगत बनाने के लिये क्रास सब्सीडाइजेशन को घटाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

पारेषण एवं वितरण हानियाँ

2.3.18 पारेषण एवं वितरण की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा क्षरित हो जाती है। पारेषण हानि ट्रांसफार्मरों, केबुल तथा कण्डकटर आदि के अन्तर्निहित वैशिष्ट्यों के कारण तकनीकी हानि है। वितरण हानि, वितरण तंत्र के अन्तर्निहित वैशिष्ट्यों के कारण होती है तथा इसका एक भाग चोरी, खराब मीटर, मीटर रीडिंग न लेने, आदि (वाणिज्यिक हानियाँ) के कारण क्षरित हो जाती है। लोड-एण्ड पर तथा उपभोक्ता परिसर में कैपेसिटर बैंक के संस्थापन द्वारा प्रणाली की क्षतिपूर्ति का अपर्याप्त प्राविधान के कारण ऊर्जा का भारी हिस्सा प्रणाली में भी क्षरित हो जाता है।

ऊर्जा प्राप्ति, उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित पारेषण एवं वितरण की हानि एवं लेखा परीक्षा द्वारा आगणित अधिक हानि नीचे दी गयी है:

(एम्यू में)

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ऊर्जा क्रय	41833.042	37912.370	41396.629	42782.960	45849.540	209774.541
2	डिस्काम व बल्क-उपभोक्ता को पारेषित ऊर्जा	38080.601	34644.427	38616.875	40332.634	42985.835	194660.372
3	उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा	25030.216	24717.510	26711.397	27983.936	30081.122	134524.181
4	पारेषण हानि (1 - 2)	3752.441	3267.943	2779.754	2450.326	2863.705	15114.169
5	पारेषण हानि का प्रतिशत	8.97	8.62	6.71	5.73	6.25	--
6	टीएण्डडी हानि (1-3)	16802.826	13194.860	14685.232	14799.024	15768.418	75250.360

* टैरिफ आर्डर 2004-05 का पृष्ठ संख्या 14।

1	2	3	4	5	6	7	8
7	टीएण्डडी हानि का प्रतिशत (6/1)	40.17	34.80	35.47	34.59	34.39	--
8	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टीएण्डडी हानि का प्रतिशत	36.40	33.40	30.40	27.40	23.90	--
9	यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हानि (एम्यू)	15227.227	12662.732	12584.575	11722.531	10958.040	63155.105
10	लक्ष्य की तुलना में अधिक टीएण्डडी हानि (6-9)	1575.599	532.128	2100.657	3076.493	4810.378	12095.255
11	औसत बिक्री मूल्य (रुपये)	2.31	2.42	2.49	2.49	2.49	--
12	लक्ष्य की तुलना में अधिक टीएण्डडी हानि का मूल्य (करोड़ रुपये में)	363.96	128.77	523.06	766.05	1197.78	2979.62

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित मानक की तुलना में अधिक टी एण्ड डी हानि का मूल्य 2979.62 करोड़ रुपये होता है।

- यूपीईआरसी ने 2001-02 के लिये 36.40 प्रतिशत टीएण्डडी हानि का लक्ष्य निर्धारित किया जिसे धीरे-धीरे घटाकर 2005-06 के टैरिफ आर्डर में 23.90 प्रतिशत तक कर दिया गया। यह लक्ष्य कमीशन की इस प्रत्याशा पर आधारित था कि यूपीपीसीएल/डिस्काम तन्त्र की हानियों को धीरे-धीरे कम करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में दक्षता लायेंगी। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (सितम्बर 2006) कि ये कम्पनियाँ अपने दक्षता में सुधार लाने में असफल रही तथा वास्तविक हानियाँ यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अधिक रहीं। इन वर्षों में वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियाँ 34.39 से 40.17 प्रतिशत के मध्य विचलित रहीं। लक्ष्यों की तुलना में अधिक टी एण्ड डी हानियों का मूल्य 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों में 2979.62 करोड़ रुपये आकलित होता है।
- वास्तविक पारेषण हानियाँ बहुत अधिक थी तथा यूपीईआरसी के टैरिफ आर्डर 2004-05 में ली गई 5 प्रतिशत के पारेषण हानि की तुलना में 5.73 से 8.97 प्रतिशत के मध्य विचलित रही। कमीशन ने वास्तविक पारेषण हानियों के आकलन हेतु विस्तृत अध्ययन करवाने के लिए यूपीपीसीएल को निर्देशित किया परन्तु इन नियन्त्रण-योग्य कारकों के निवारण के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया। तन्त्र के पावर फैक्टर को सुधार कर इस प्रकार की हानि को काफी हद तक घटाया जा सकता है। तन्त्र की हानियों के अतिरिक्त, समग्र हानियाँ कदाचार यथा चोरी, कटिया* कनेक्शन, खराब मीटर, बिना मीटर के कनेक्शन या मीटरीकृत कनेक्शनों के प्रकरण में मीटर की रीडिंग न लेने के कारण थीं।
- ऊर्जा सुधार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत, यूपीपीसीएल ने अपने सभी 11 केवी फीडर के बाहरी पैनल पर विश्व-बैंक ऋण से मीटर लगा दिये थे। पूर्वविनिलि में 31 मार्च 2006 तक, 2059 फीडरों में से 938 फीडरों को

* वितरण लाइन से अनाधिकृत ऊर्जा आहरण।

30 प्रतिशत के ऊपर से 60 प्रतिशत तक के अति-हानि वाले फीडरों के रूप में चिन्हित किया लेकिन उच्च हानि वाले फीडरों पर हानि से लड़ने के लिये कोई उपाय (जैसे शुद्धता के लिए फीडर से जुड़े सभी मीटरों की जाँच, खराब मीटरों का बदलना, बिना मीटर के उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराना, विजिलेन्स विंग द्वारा संस्थापनों की चेकिंग आदि) नहीं किये। यूपीपीसीएल के इनर्जी एकाउन्टिंग डाइरेक्टरेट ने 11 केवी फीडरों की हानि के आँकड़े इनके कारणों को चिन्हित व वांछित कारगर उपाय करने हेतु डिस्काम्स को प्रेषित किये एवं अन्य कोई कार्यवाही नहीं की।

पारेषण व वितरण नेटवर्क में अपर्याप्त रिएक्टिव ऊर्जा

2.3.19 इण्डियन इलेक्ट्रिकल ग्रिड कोड (आईजीसी) के अनुसार, रिएक्टिव पावर की आवश्यकता को प्राप्त करने के लिये उप-पारेषण एवं वितरण में लगी ऐजेन्सियों को अपने पारेषण एवं वितरण तन्त्र में आवश्यक रिएक्टिव कम्पेन्सेशन का आकलन करना तथा उपलब्ध कराना है।

उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त बिजली के उपकरण तन्त्र से एकिटव एवं रिएक्टिव दोनों ऊर्जा ग्रहण करते हैं। एकिटव ऊर्जा उपकरणों के चलने में प्रयुक्त होती है जबकि रिएक्टिव ऊर्जा उन्हें मैग्नेटाइज़ेट रखने के लिए आवश्यक होती है। आदर्श स्थिति में एकिटव व रिएक्टिव ऊर्जा का अनुपात (पावर फैक्टर) एक होना चहिये परन्तु उत्पादन केन्द्रों से दूरी के कारण लोड-एण्ड पर रिएक्टिव ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। कम पावर फैक्टर से तन्त्र में न केवल ऊर्जा की बरबादी होती है वरन् वोल्टेज पार्श्वक (वोल्टेज प्रोफाइल) कमजोर हो जाता है एवं बिजली संयंत्रों (जैसे ट्रान्सफार्मर, कन्डक्टर या केबिल आदि) के भार वाहक क्षमता घट जाती है। तन्त्र में रिएक्टिव ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिये भार के सिरे पर वांछित रेटिंग का कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल पर्याप्त मात्रा में कैपेसिटर बैंक लगाने एवं खराब पड़े कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत करने में असफल रहा। परिणामतः, वह ऊर्जा की बचत, वोल्टेज पार्श्वक में सुधार, एवं ट्रान्सफार्मर, कन्डक्टर व केबिल की अतिरिक्त क्षमता पर लागत की बचत का लाभ लेने में असफल रहा। लगाये गये कैपेसिटर, उनकी कार्यरत क्षमता, क्षतिग्रस्त कैपेसिटर की क्षमता तथा ऊर्जा हानि का विवरण नीचे दिया गया है:

(एमवीएआर में)

31 मार्च को	कैपेसिटर की प्रतिष्ठापित क्षमता	कार्यरत क्षमता	क्षतिग्रस्त कैपेसिटर की	ऊर्जा की हानि 0.04958 एमयू के प्रति एमवीएआर	औसत विक्रय दर (रुपये प्रति यूनिट)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
	132/33/11 केवी	132/33/11 केवी	132/33/11 केवी			
2004	4493.37	3299.70	1193.67	59.18	2.49	14.74
2005	4502.67	3230.72	1271.95	63.06	2.49	15.70
2006	4592.67	3126.80	1465.87	72.68	2.49	18.10
			योग	194.92		48.54

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2004 के अन्त में 1193.67 एमवीएआर का खराब कैपेसिटर बैंक मार्च 2006 के अन्त में बढ़कर 1465.87

खराब कैपेसिटर
बैंकों के कारण
48.54 करोड़
रुपये का ऊर्जा
क्षरण हुआ।

पावर फैक्टर कम
होने का अर्थ
दण्ड न लगाने से
2.59 करोड़ रुपये
की राजस्व हानि
हुई।

एमवीएआर क्षमता तक के (27 से 32 प्रतिशत) हो गये। यह इस बात का सूचक है कि खराब पड़े कैपिसिटर बैंकों को सुधारने या मरम्मत करने के प्रयास का अभाव रहा। इस क्षमता पर 194.92 एमयू ऊर्जा का हास हुआ जिसका मूल्य 48.54 करोड़ रुपये होता है। यह 1382.91 एमवीएआर कैपेसिटर बैंक की क्षमता के लागत के बराबर होता है (3.51 लाख रुपये प्रति एमवीएआर के आधार पर आगणित)।

उपभोक्ता के स्तर पर कैपेसिटर बैंक प्रबन्धन की अक्षमता

2.3.20 पावर फैक्टर को वांछित स्तर (0.85–0.95) पर कायम रखने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु, टैरिफ में वाँछित औसत पावर फैक्टर* को 0.95 के ऊपर रखने पर, छूट का प्राविधान करती है। टैरिफ, उपभोक्ताओं पर औसत पावर फैक्टर 0.85 से अधिक बनाये रखने के लिये बाध्यकारी बनाती है। बिना स्टेटिक ट्राईवेक्टर मीटर (टीवीएम) वाले उपभोक्ताओं के मामलों में, यदि वांछित क्षमता का कैपेसिटर बैंक उपलब्ध या कार्यशील नहीं पाये जाते हैं तब बिल की धनराशि का 10 प्रतिशत का अधिभार लगाना होता है। पुनः, यदि पावर फैक्टर 0.85 से नीचे हो तो 5 प्रतिशत का तथा 0.80 से नीचे की अवस्था में 10 प्रतिशत का अधिभार प्रभारित करने का प्राविधान है। टैरिफ में, 0.70 से कम पावर फैक्टर वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति विच्छेदित करने का प्राविधान है (घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जिनका भार 25 केडब्ल्यू तक हो, को छोड़कर)।

यूपीपीसीएल ने, कम्प्यूटर से बिलिंग के मामलों या हाँथ से बिलिंग के मामलों में, कैपेसिटर बैंकों (लगे या नहीं लगे, कार्यशील है अथवा कार्यशील नहीं) के आँकड़े प्राप्त करने का कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है। यहाँ तक कि बड़े एवं वृहद् उपभोक्ताओं के मामलों में भी, मीटर रीडिंग स्लिप या सीलिंग सर्टीफिकेट में कैपेसिटर बैंक के संस्थापन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं रहती है। कई मामलों में, जहाँ पावर फैक्टर 0.85 या 0.80 से कम पाया गया वहाँ कोई दण्ड नहीं लगाया गया।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2006) में उपभोक्ताओं द्वारा उपयुक्त स्तर पर पावर फैक्टर कायम न रखने के मामले नीचे वर्णित हैं:

- आठ वितरण खण्डों** ने 1.17 लाख बीएचपी कुल संयोजित भार वाले 26138 विद्यमान एवं 742 नये निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ताओं का वांछित श्रेणी के ट्राई वेक्टर मीटर एवं कैपेसिटर बैंक की संस्थापना को सुनिश्चित किये बिना ऊर्जा आपूर्ति की। 1 दिसम्बर 2004 से लागू टैरिफ यह प्राविधान करती है कि यदि कैपिसिटर बैंक उपलब्ध न हो या कार्यशील न हों तो 10 प्रतिशत का कैपेसिटर अधिभार लगाया जाय। ऊर्जा तन्त्र में पावर फैक्टर की दयनीय स्थिति के सन्दर्भ में, कम पावर फैक्टर

* बिलिंग अवधि में उपभुक्त केडब्ल्यूएच व केवीएच का अनुपात।

** चन्दौली, खलीलाबाद, देवरिया-I, बस्ती, प्रतापगढ़-I एवं II, गोरखपुर-I, बाराणसी।

होने की स्थिति में 10 प्रतिशत का अधिभार नहीं लगाने के कारण पूर्विनिलि में दिसम्बर 2004 से अप्रैल 2006 की अवधि में 1.48 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

- लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह भी आया (सितम्बर 2006) कि पूर्विनिलि के उन अन्य उपभोक्ता श्रेणी में जहाँ पावर फैक्टर निर्धारित सीमा से कम था, वहाँ समय-समय पर लागू दर सूची की दरों पर (अर्थात् 1 सितम्बर 2003 और 1 दिसम्बर 2004 से) कैपेसिटर अधिभार नहीं लगाया गया जैसा नीचे विवरणित है:

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	भार	पावर फैक्टर का अन्तराल	अवधि	टैरिफ	कम निर्धारण (लाख रुपये में)	कारण
ईयूडीडी-I, वाराणसी	जल संस्थान, वाराणसी	945 केंडब्ल्यू	0.47-0.82	1/04-3/06	एलएमवी -7	14.68	सर्वचार्ज नहीं लगा, कनेक्शन काटा नहीं गया।
ईयूडीडी-I, वाराणसी	जल संस्थान, वाराणसी	448 केंडब्ल्यू	0.23-0.84	09/03-3/06	एलएमवी -7	13.73	सर्वचार्ज नहीं लगा, कनेक्शन काटा नहीं गया।
ईयूडीडी-I वाराणसी	नगर निगम वाराणसी	2240 केंडब्ल्यू	टीवीएम नहीं लगा	12/04-3/06	एलएमवी -3	30.46	10 प्रतिशत का अधिभार नहीं लगाया।
ईडीडी-I, वाराणसी	वर्ल्ड बैंक ट्यूबवैल्स	2017.50 बीएचपी	टीवीएम नहीं लगा	8/05-4/06	एलएमवी -8	4.54	10 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत का अधिभार लगा।
ईडीडी-I, वाराणसी	स्टेट ट्यूबवैल्स	3555 बीएचपी	टीवीएम नहीं लगा	12/04-4/06	एलएमवी -8	15.11	10 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत का अधिभार लगा।
ईडीडी-I, गोरखपुर	स्टेट ट्यूबवैल्स	5425 बीएचपी	टीवीएम नहीं लगा	12/04-6/06	एलएमवी -8	25.77	10 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत का अधिभार लगा।
ईडीडी-I, गोरखपुर	जायसवाल रबर इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर	350 केंवीए	0.32-0.83	12/04-8/06	एचवी -2	3.55	सर्वचार्ज नहीं लगा, कनेक्शन काटा नहीं गया।
ईडीडी-I, गोरखपुर	विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज, गोरखपुर	370 केंवीए	0.67-0.83	12/04-7/06	एचवी -2	2.51	सर्वचार्ज नहीं लगा, कनेक्शन काटा नहीं गया।
ईडीडी-I, गोरखपुर	बज्र शक्ति सीमेन्ट, कुसमही	180 केंवीए	0.42-0.83	12/04-8/06	एचवी -2	0.89	सर्वचार्ज नहीं लगा, कनेक्शन काटा नहीं गया।
योग						111.24	

यह, पूर्विनिलि के तीन खण्डों के नौ उपभोक्ताओं के मामलों में सितम्बर 2003 से अगस्त 2006 की अवधि में 1.11 करोड़ रुपये का कम राजस्व निर्धारण हुआ।

कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिक्री

2.3.21 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2002/2005 के क्लाज 5.1 एवं 5.2 में यह प्राविधिक है कि कोई नया कनेक्शन बिना मीटर के अवमुक्त नहीं

किया जाना चाहिए। निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू), शासकीय नलकूप एवं घरेलू उपभोक्ता समेत, बिना मीटर के विद्यमान उपभोक्ता, कोड 2002 के जारी होने की तिथि (जून 2002) से तीन वर्षों के अन्दर मीटरीकृत किये जाने थे। लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल/डिस्काम्स ने बिना मीटर वाले विद्यमान उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर नहीं लगाये। इन्होंने पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं को बिना मीटर के आपूर्ति को अवमुक्त करना जारी रखा। यह यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को राजस्व की हानि में परिणामित हुआ जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

निजी नलकूपों को ऊर्जा की बिक्री

2.3.22 निजी नलकूपों को बेची गई ऊर्जा को यूपीपीसीएल एवं डिस्काम्स, एलएमवी-5 टैरिफ (बिना मीटर की सप्लाई) में प्राविधानित फिक्सड दर पर बिल करते हैं। इस बिक्री को वाणिज्यिक प्रपत्र में अभिलिखित किया जाता है और यूपीपीसीएल को निष्पादन की अन्तर-इकाई तुलना एवं प्रबन्धकीय निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। 31 मार्च 2006 तक के चार वर्षों में वाणिज्यिक प्रपत्र में दिखाई गई ऊर्जा बिक्री, यूपीईआरसी द्वारा निजी नलकूपों के टैरिफ निर्धारण हेतु ली गई थ्रू-दर, वास्तविक थ्रू-दर एवं परिहार्य हानि नीचे विवरणित हैं:

क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
1	ऊर्जा बिक्री (एमयू)	3541.740	3885.810	4242.700	4632.490	16302.74
2	निर्धारण (करोड़ रुपये में)	243.13	266.54	276.08	323.13	1108.88
3	कमीशन द्वारा स्वीकृत समग्र औसत थ्रू-रेट (रुपये प्रति यूनिट)	3.02	2.84	2.65	2.65	
4	थ्रू-रेट से मूल्य (करोड़ रुपये में) $(1 \times 3)/10$	1069.61	1103.57	1124.32	1227.61	4525.11
5	थ्रू-रेट से ऊर्जा चार्ज में कमी (करोड़ रुपये में) $(4-2)$	826.48	837.03	848.24	904.48	3416.23
6	कमीशन द्वारा निर्धारित बिक्री (एमयू)	3313.000	3362.000	3528.000	3528.000*	13731.000
7	निर्धारण के विरुद्ध अधिक ऊर्जा बिक्री का मूल्य (एमयू) $(1-6)$	228.740	523.810	714.700	1104.490	2571.740
8	यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित कुल बिक्री में निजी नलकूपों को विक्रय का प्रतिशत (करोड़ रुपये में) $(7 \times 3)/10$	69.08	148.76	189.40	292.69	699.93
9	यूपीईआरसी के अनुसार निजी नलकूपों की कुल बिक्री में अंश	13.09	12.72	12.52	12.52	
10	निजी नलकूपों को वास्तविक ऊर्जा विक्रय का प्रतिशत	14.33	14.55	15.16	15.40	
11	यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित विक्रय दर (रुपये प्रति यूनिट)	0.95	0.98	1.14	1.14*	
12	वास्तविक प्राप्त दर (रुपये प्रति यूनिट)	0.69	0.69	0.65	0.70	
13	परिहार्य कमी (करोड़ रुपये में) $(12-11) \times 1$	92.09	112.69	207.89	203.83	616.50

लेखा परीक्षा में, इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:

- यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित बिक्री दरसे कम बिक्री से 616.50 करोड़ रुपये की हानि हुई।**
- जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कि यूपीपीसीएल/डिस्काम्स 2005-06 तक के चार वर्षों में थ्रू-रेट के हिसाब से 3416.23 करोड़ रुपये की इनर्जी चार्ज की हानि उठायी। यूपीईआरसी के अनुमोदित दरों से कम दरों के कारण इन वर्षों में 616.50 करोड़ रुपये की हानि आकलित होती है।

* चूंकि 2005-06 का एआरआर अनुमोदित नहीं है इसलिये 2004-05 के आंकड़े अंगीकृत किये गये हैं।

- कम्पनियों ने यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित मात्रा (12.52 से 13.09 प्रतिशत) से अधिक (14.33 से 15.40 प्रतिशत) ऊर्जा का विक्रय किया। इस अधिक आकलित ऊर्जा का मूल्य 699.93 करोड़ रुपये होता है जो अनुदान हेतु भी अनुमन्य नहीं है। कम्पनियाँ बिक्री को अनुमन्य मात्रा तक रख कर क्षति को कम कर सकती थीं।

वाणिज्यिक प्रपत्रों में विसंगतियाँ

**प्रपत्रों में
अभिलिखित ऊर्जा
बिक्री व वास्तविक
ऊर्जा बिक्री के मध्य
भारी अन्तर को
कम्पनी समाधानित
नहीं कर सकी।**

2.3.23 यूपीपीसीएल/डिस्काम्स द्वारा शासकीय नलकूप, विश्व बैंक पोषित नलकूप एवं पम्प कैनाल (100 बीएचपी तक) उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा के लिए एलएमवी-8 दर-सूची में दिये गये दर पर बिल करता है। यह बिक्री वाणिज्यिक प्रपत्रों में अभिलिखित की जाती है और निष्पादकता की अन्तर-इकाई तुलना, टीएण्डडी हानियों की गणना एवं प्रबन्धकीय निर्णय हेतु यूपीपीसीएल को प्रस्तुत किया जाता है। लेखा परीक्षा द्वारा 2005-06 के वाणिज्यिक प्रपत्रों की छान-बीन से यह प्रकाश में आया कि 283.83 करोड़ रुपये (फिक्सड चार्जों के अतिरिक्त) के निर्धारित राजस्व के विरुद्ध प्रपत्रों में 1599.70 एमयू की ऊर्जा अभिलिखित की गई थी। वाणिज्यिक प्रपत्रों में दिखाये गये राजस्व निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में लागू टैरिफ के हिसाब से ऊर्जा बिक्री की मात्रा 1135.360 एमयू आकलित होती है। इससे यह इंगित होता है कि बेची गई ऊर्जा (प्रपत्रों के अनुसार) तथा आकलित ऊर्जा के बीच 464.110 एमयू (मूल्य: 115.56 करोड़ रुपये) की भारी अन्तर था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	भार केडब्ल्यू	भार बीएचपी में	स्थिर चार्ज (करोड़ रुपये में)	ऊर्जा चार्ज (करोड़ रुपये में)	बेची गई ऊर्जा (एमयू)	ऊर्जा बिकी की आकलित ऊर्जा (एमयू) (250 रुपये प्रति यूनिट की दर से)	ऊर्जा का अन्तर जिसे समाधानित नहीं किया गया (एमयू)
एसटीडब्ल्यू	347622	463496	31.15	207.92	1203.080	831.680	371.400
डब्ल्यूबी	71760	95680	6.43	42.93	262.490	171.720	90.770
पीसी (100 बीएचपी तक)	35212	46949	3.15	32.99	133.900	131.960	1.940
योग	454594	606125	40.73	283.84	1599.470	1135.360	464.110

2.3.24 इसी प्रकार, पूर्विनिलि, बेची गई ऊर्जा को क्रमशः एलएमवी-1, एलएमवी-2 एवं एलएमवी-6 के टैरिफ के अनुसार घरेलू (शहर), वाणिज्यिक, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बिल जारी करता है। यह बिक्री वाणिज्यिक प्रपत्रों में भी अभिलिखित कर यूपीपीसीएल को अन्तर इकाई तुलना, टी एण्ड डी हानि की गणना एवं प्रबन्धकीय निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। बारह* नगरीय वितरण खण्डों के वाणिज्यिक प्रपत्रों की नमूना जाँच में यह संज्ञान में आया (सितम्बर

* I,II,III,IV,V एवं VI वाराणसी, I,II एवं III गोरखपुर, रामबाग, मेयो हाल, कल्याणी देवी (इलाहाबाद)।

2006) कि 271.29 करोड़ रुपये के राजस्व निर्धारण के विरुद्ध 2005-06 के प्रपत्रों में घरेलू, वाणिज्यिक, एवं लघु व मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1306.730 एम्यू ऊर्जा की बिक्री दर्शायी गयी है। वाणिज्यिक प्रपत्रों में अंकित राजस्व निर्धारण के आधार पर, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरुद्ध, लगने वाली टैरिफ की दरों के आधार पर बेची गई ऊर्जा 933.551 एम्यू आकलित होती है। इससे यह इंगित होता है बेची गई ऊर्जा की मात्रा (प्रपत्र के अनुसार) तथा बेची गई आगणित ऊर्जा के बीच नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 373.179 एम्यू ऊर्जा (मूल्य 92.92 करोड़ रुपये) का भारी अन्तर था, जिसका समाधान नहीं हो पाया है:

श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	भार (केडब्ल्यू)	ऊर्जा अधिभार (करोड़ रुपये में)	प्रपत्र के हिसाब से ऊर्जा बिक्री (एम्यू)	ऊर्जा बिक्री की आगणित मात्रा (एम्यू)	ऊर्जा की मात्रा का अन्तर (एम्यू)
1	2	3	4	5	6	7
घरेलू (शहरी)	384877	649563	155.53	874.300	636.964 (1.90 रुपये/3.0 रुपये प्रति इकाई)	237.336
वाणिज्यिक	92214	220308	96.39	347.990	246.920 (3.90 रुपये प्रति इकाई)	101.070
लघु एवं मध्यम शक्ति	4248	37475	19.37	84.440	49.667 (3.90 रुपये प्रति इकाई)	34.773
योग	481339	907346	271.29	1306.730	933.551	373.179

नोट: कोष्ठक में निर्दिष्ट आँकड़े लगने वाली टैरिफ के अनुसार प्रति यूनिट दर को दर्शाते हैं।

यूपीईआरसी द्वारा

अनुमोदित बिक्री दर की तुलना में कम बिक्री दर के अंगीकृत करने से

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से 1382.04 करोड़ रुपये की कम राजस्व वसल हो पाया।

घरेलू (एलएमवी-1) उपभोक्ताओं को अधिक ऊर्जा बिक्री के कारण हानि

2.3.25 कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ता भी राजस्व निर्धारण में अपने योगदान से अधिक ऊर्जा ले रहे थे। लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि वास्तविक बिक्री की दर यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित दरों की तुलना में कम थी। इसके परिणामतः 2005-06 तक के तीन वर्षों में 1382.04 करोड़ रुपये की ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	योग
1	2	3	4	5	6
1	ऊर्जा बिक्री (एम्यू)	10276.440	10868.730	11580.610	32725.780
2	राजस्व निर्धारण (करोड़ रुपये में)	1580.07	1670.90	1797.01	5047.98
3	कमीशन द्वारा संज्ञान में लिया गया थ्रू-रेट (रुपये प्रति यूनिट)	2.84	2.65*	2.65	

* चूंकि 2005-06 का एआरआर अनुमोदित नहीं है इसलिये 2004-05 के आँकड़े लिये गये हैं।

1	2	3	4	5	6
4	थू-रेट की दर से मूल्य (करोड़ रुपये में) ($1 \times 3/10$)	2918.51	2880.21	3068.86	8867.58
5	ऊर्जा निर्धारण में कमी (करोड़ रुपये में) ($4-2$)	1338.44	1209.31	1271.85	3819.60
6	कमीशन द्वारा अनुमोदित बिक्री (एमयू)	9271.000	10343.000	10343.000*	29957.000
7	अनुमान के विरुद्ध अधिक ऊर्जा (एमयू) (1-6)	1005.440	525.730	1237.610	2768.780
8	अनुमान के विरुद्ध अधिक ऊर्जा का मूल्य (करोड़ रुपये में) ($7 \times 3)/10$	285.54	139.32	327.97	752.83
9	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित कुल बिक्री में घरेलू उपभोक्ताओं की बिक्री का प्रतिशत	35.08	36.70	36.70	
10	घरेलू उपभोक्ताओं को औसत बिक्री का प्रतिशत	38.47	38.84	38.50	
11	कमीशन द्वारा अनुमोदित बिक्री दर (रुपये प्रति यूनिट)	2.35	1.79	1.79*	
12	वास्तविक प्राप्त दर (रुपये प्रति यूनिट)	1.54	1.54	1.55	
13	हानि (करोड़ रुपये में) ($12-11 \times 1$)	832.39	271.72	277.93	1382.04

इस सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया (सितम्बर 2006) कि अनुमोदित मात्रा से अधिक बेची गई ऊर्जा का मूल्य 752.83 करोड़ रुपये आगणित होता है जो उपदान के लिये अर्ह नहीं है।

मीटर/बिना मीटर के उपभोक्ता

2.3.26 केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सम्पन्न (फरवरी 2000) मेमोरांडम आफ अण्डरस्टैण्डिंग के अनुसार 31 दिसम्बर 2001 (सभी उपभोक्ताओं के परिसर में) तक शत-प्रतिशत मीटर लगाना सुनिश्चित किया जाना था। यूपीईआरसी के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2002 (कोड) के अध्याय-V अनुसार वाँछित विशिष्ट क्षमता के मीटर, मिनियेचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) एवं सर्किट ब्रेकर (सीबी) के बिना कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। पुनः, इस कोड की जारी करने की तिथि (जून 2002) से तीन वर्षों के अन्दर कोई भी आपूर्ति बिना मीटर के नहीं रहेगी। सप्लाई कोड 2005 में यह प्राविधान है कि लाइसेन्सधारी, पीटीडब्ल्यू तथा स्ट्रीट लाइट सहित सभी बिना मीटर के कनेक्शनों पर मीटर लगाये। यद्यपि, पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं को मीटर वाली/बिना मीटर की आपूर्ति का चुनाव का विकल्प दिया गया था। इस प्रकार के प्राविधानों के बावजूद भी लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (सितम्बर 2006) कि पूर्विनिलि के घरेलू, वाणिज्यिक एवं लघु व मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं के प्रकरणों में मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अन्त में मात्र क्रमशः 38.15 व 30.33 प्रतिशत उपभोक्ता परिसरों में ही मीटर लगे थे। मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से, 'घुस न पाना (एनए)' तथा रीडिंग नहीं (एनआर) के कारण 8 से 43 प्रतिशत उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी। इसी प्रकार, 8 से 36 प्रतिशत तक के मीटर, 'खराब बताये गये (आईडीएफ)', 'खराब लगे (एडीएफ)' तथा 'त्रुटि पूर्ण रीडिंग (आरडीएफ)' थे।

इस प्रकार, पूर्विनिलि, यूपीईआरसी के निर्देशों के अनुसार मीटर सहित आपूर्ति करने में बहुत पीछे था एवं सही बिलिंग हेतु पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति ऊर्जा का मापन नहीं हो रहा था।

कम/गलत निधरण

2.3.27 पूर्विनिलि के चार वितरण खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कम निधरण/ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिये उपभोग नमूना विश्लेषण के अभाव के कई मामले प्रकाश में आये। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

शीतगृहों के नमूना उपभोग-विश्लेषण न करने से हानि

2.3.28 भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के मेरठ क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता (वितरण) ने शीतगृहों के नमूना-उपभोग का विश्लेषण करने का निर्देश जारी किया (दिसम्बर 1996) और डिफ्यूजर टाइप शीतगृहों के लिए 9 यूनिट प्रति कुन्तल प्रति सीजन (मार्च से अक्टूबर) एवं बंकर टाइप शीतगृहों के लिये 12 यूनिट प्रति कुन्तल प्रति सीजन का मानक निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, शीतगृहों एवं बर्फ की फैक्ट्रियों में करेन्ट ट्रान्सफार्मर/पोटेन्शियल ट्रान्सफार्मर की अनियमितता के परिपेक्ष्य में यूपीपीसीएल ने अप्रैल 2005 में ऊर्जा हानि पर नियन्त्रण हेतु निम्न कदम उठाने हेतु निर्देश जारी किये थे:

- भण्डारण क्षमता पता करना;
- मीटर, ट्रान्सफार्मर व सीलिंग सर्टीफिकेट की जाँच;
- प्रत्येक सीजन के मई, जून व जुलाई में एवं साप्ताहिक रीडिंग लेना;
- मीटर रीडिंग यन्त्र द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटरों से ऑकड़े नियमित रूप से डाउन-लोड करना;
- सन्देहास्पद मामलों में चेक मीटर लगाकर नमूना-उपभोग-विश्लेषण करना।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि विद्युत वितरण खण्ड-I, वाराणसी के दो उपभोक्ताओं के मामलों में उक्त कदम नहीं उठाये गये। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नमूना-उपभोग जाँच न करने से ऊर्जा क्षरण (यदि कोई हो) का मामला लेखा परीक्षा द्वारा नहीं आँका जा सका। नौ यूनिट के मानक के हिसाब से दो सीजनों (2004-05 व 2005-06) में सन्देहास्पद ऊर्जा क्षरण का राजस्व 16.10 लाख रुपये आकलित होता है।

माँग व ऊर्जा प्रभार का कम निधरण

उपभोक्ताओं
को गलत बिल
करने से 1.18
करोड़ रुपये का
कम राजस्व
वसूल हुआ।

2.3.29 कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होने वाली टैरिफ के प्राविधानों के अनुसार बिलिंग महीने में अभिलिखित अधिकतम मांग अथवा संविदा भार जो भी अधिक हो, पर सामान्य दर से तथा संविदा भार से अधिक भार को सामान्य दर के दुगने दर पर अतिरिक्त के साथ डिमाण्ड चार्ज भारित करना होता है। पुनः, दर सूची एलएमवी-8 के अनुसार, बिना मीटर की श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रभार की दरें, 1 दिसम्बर 2004 से 400 रुपये प्रति बीएचपी से बढ़कर 500 रुपये प्रति बीएचपी हो गयी थी।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि पूर्विनिलि, वाराणसी तीन मामलों में अधिक माँग को बिल करने में असफल रहा एवं पांच मामलों में सही

प्रभार दर लगाने में गलती की। परिणामतः 1.18 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	भार (केडब्ल्यू)	भार का अधिक आहरण (केडब्ल्यू)	अवधि	टैरिफ	प्रकृति	कम निर्धारण (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
ईयूडीडी-I, वाराणसी	जल संस्थान, वाराणसी	945	22728	1/04 से 3/06	एलएमवी-7	अतिरिक्त भार चार्ज न लगाना	31.50
ईयूडीडी-I, वाराणसी	जल संस्थान, वाराणसी	448	6622	6/05 से 10/05	एलएमवी -7	भार एवं अतिरिक्त भार चार्ज न लगाना	14.90
ईडीडी-I, वाराणसी	वर्ल्ड बैंक ट्यूबवैल्स	1513 (2017.50 बीएचपी)	टीवीएम नहीं लगा।	12/04	एलएमवी -8	सही दरों का न लगाना	2.02
ईडीडी-I, वाराणसी	स्टेट ट्यूबवैल्स	2652 (3555 बीएचपी)	टीवीएम नहीं लगा।	12/04	एलएमवी -8	सही दरों का न लगाना	3.56
ईडीडी-I, गोरखपुर	स्टेट ट्यूबवैल्स	5425 बीएचपी	टीवीएम नहीं लगा।	12/04 से 2/05	एलएमवी -8	सही दरों का न लगाना	16.28
ईडीडी-I, गोरखपुर	शुगर कारपोरेशन	127 केवीए	361	12/02 से 10/05	एलएमवी -4(अ)	भार एवं अतिरिक्त भार चार्ज न लगाना	0.54
ईडीडी-II, गोरखपुर	स्टेट ट्यूबवैल्स	2872 (3829.5 बीएचपी)	टीवीएम नहीं लगा।	12/04 से सितम्बर 2005	एलएमवी -8	सही दरों का न लगाना	38.30
ईडीडी-II, गोरखपुर	इण्डो-डच ट्यूबवैल्स	786 (1047.5 बीएचपी)	टीवीएम नहीं लगा।	12/04 से सितम्बर 2005	एलएमवी -8	सही दरों का न लगाना	10.48
						योग	117.58

पीडी केस में राजस्व निर्धारण की गलत माफी

2.3.30 पूर्विनिलि ने वाराणसी के छ: शहरी विद्युत वितरण खण्डों का बिल सम्बन्धी कार्य एक बाहरी फर्म के एलजी सिस्टम लिमिटेड, गुडगाँव को 4.10 करोड़ रुपये पर दिया (नवम्बर 2004)। इस कार्य में उपभोक्ता के घर-घर जाकर प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता का फीडर/ट्रांसफार्मर/पोलवार सर्वे करना और उन्हें एक अलग पहचान संख्या देना सम्मिलित था। फर्म, जिसने उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया, उपभोक्ताओं की लिस्ट खण्ड को एक कम्पैक्ट डिस्क (सीडी) पर दिया।

ईयूडीडी-I वाराणसी की लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया (सितम्बर 2006) कि उसने स्थाई रूप से विच्छेदन (पीडी) के मामलों को अन्तिम रूप दिया एवं 2005-06 में 1.88 करोड़ रुपये के अवशेष माफ किया। अन्तिम रूप दिये गये पीडी के प्रकरणों की मार्च 2006 में सर्वेक्षित उपभोक्ताओं की लिस्ट से मिलान करने पर यह प्रकाश में आया कि केएलजी ने चार उपभोक्ताओं को क्रम संख्या 25550, 28633, 25794 एवं 31578 पर वर्तमान उपभोक्ता के रूप में अंकित किया था। तथापि, खण्ड ने इनके 23.74 लाख रुपये का अवशेष यह कह कर माफ कर दिया (जुलाई 2006) कि ये उपभोक्ता क्रमशः अप्रैल 1993, जुलाई 1995, मार्च 2002 व अप्रैल 2005 के बाद अस्तित्व में नहीं थे।

इस प्रकार, विद्यमान उपभोक्ताओं कि अवशेष पूर्वकालिक प्रभाव से माफ कर देने के परिणामतः 23.74 लाख रुपये की हानि हुई। जैसा कि केएलजी की सर्वे रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि उपभोक्ता अब भी ऊर्जा उपभोग कर रहे हैं।।

डेटा बैंक में त्रुटियाँ

2.3.31 पूर्विनिलि के ईयूडीडी-I, वाराणसी में बृहत एवं भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं तथा स्ट्रीट लाईट उपभोक्ताओं को छोड़कर, अन्य उपभोक्ताओं की बिलिंग मार्च 2006 की भुगतान तिथियों के साथ, फरवरी 2006 तक, इन्टीग्रेटेड साप्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बी-57, मन्दिर मार्ग, लखनऊ (आईएसएस) द्वारा की जा रही थी। यह मार्च 2006 से यह केएलजी सिस्टम्स लिमिटेड, गुडगाँव को हस्तान्तरित कर दी गई। आईएसएस/केएलजी के डेटा बैंक के विश्लेषण से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

- आईएसएस के डाटा बैंक के 43827 अभिलेखों में से, केएलजी ने मात्र 42240 अभिलेख ही अपने डाटा बैंक में अंकित किये गये।
- 43827 अभिलेखों में से, आईएसएस द्वारा 2209 उपभोक्ताओं के बिल जारी नहीं किये थे।
- 42240 अभिलेखों में से, 5464 उपभोक्ताओं के डाटा 'नल' (एनयूएलएल) पाये गये थे जो यह इंगित करता है कि डेटा में विसंगतियाँ थीं जिससे बिल जारी नहीं हो सकते थे।
- 1145 मामलों में, सीक्वेन्स नं0 जीरो था जो निर्दिष्ट करता है कि ये उपभोक्ता केएलजी द्वारा सर्वेक्षित नहीं थे।
- उपभोक्ताओं का मीटर नं0 एकल (यूनीक) होना चाहिये। तथापि ईयूडीडी-I वाराणसी को डेटा की नमूना जाँच में आईएसएस के डेटा बैंक में 9840 द्वितीयक मीटर नं0 के एवं 3712 द्वितीयक सर्विस नम्बर के मामले प्रकाश में आये।
- आईएसएस के डेटा बैंक के 43827 अभिलेखों में से, 1682 अभिलेखों में जोन व डिवीजन का नाम नहीं था, कोई बिल जारी नहीं किया गया और इन पर भारी अवशेष था।
- 1988 अभिलेखों में, सब-डिवीजन व फीडरों का नाम नहीं लिखा था, बिल नहीं जारी किये और इन पर भारी अवशेष थे।
- 1986 अभिलेखों में मकान नम्बर नहीं दिखाया गया था।
- 7303 अभिलेखों में मोहल्ले का नाम नहीं था।
- 1682 अभिलेखों में मीटर नम्बर नहीं दिखाया गया था, तथा
- 1682 अभिलेखों में बिलिंग स्टेटस नहीं दिखाया गया था।

इस प्रकार, डेटा की समुचित अभिपुष्टि के अभाव, त्रुटियुक्त साप्टवेयर एवं कुशल कर्मचारियों के अभाव में, खण्ड/मण्डल/जोन/एमडी कार्यालय सर्वे एवं बिलिंग डेटा पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं थे।

इलाहाबाद एवं गोरखपुर खण्डों की कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग साई कम्प्यूटर्स, लखनऊ एवं केएलजी, गुडगाँव द्वारा की जाती है। इन फर्मों के साथ के अनुबन्ध एवं इन एजेंसियों द्वारा प्रक्युक्त की जारी उपभोक्ताओं की बिलिंग फाइले लेखा परीक्षा को जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

उपभोक्ताओं को लेजरीकृत न करना

2.3.32 कनेक्शन अवमुक्त करने के तुरन्त पश्चात् उपभोक्ताओं का नाम, पिता का नाम, उपभोक्ताओं का पता, सर्विस कनेक्शन नम्बर, भार, बुक नम्बर, मीटर नम्बर, संयोजन की तारीख, प्रारम्भिक रीडिंग, प्रयुक्त टैरिफ आदि को बिलिंग प्रारम्भ करने के लिए उपभोक्ता लेजर में चढ़ाना चाहिये। लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि ईयूडीडी-II, गोरखपुर ने जून 2003 से सितम्बर 2003 की अवधि में अवमुक्त 460 कुटीर ज्योति के कनेक्शन, (1190 में से) सितम्बर 2006 तक लेजरीकृत नहीं किये गये थे। इसकी परिणति 21.36 लाख रुपये (ईडी सहित) तक बेची गई ऊर्जा के राजस्व का निर्धारण न होने में हुई।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.3.33 आंतरिक नियंत्रण एक प्रबन्धकीय उपकरण है जो प्रबन्धकों को यह आश्वासन देता है कि प्रबन्धकीय उद्देश्यों की पूर्ति कुशल, प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। यह तब सम्भव है जब प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस) हेतु हस्त-प्रचलित या कम्प्यूटर से लिये गये आंकड़े सही एवं विश्वसनीय हों। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया (सितम्बर 2006) कि यूपीपीसीएल/डिस्काम्स की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमज़ोर थी जिसके कारण नीचे दिये गये हैं:

- पारेषण क्षोर पर प्राप्त ऊर्जा एवं वह ऊर्जा जिसका भुगतान किया गया, दोनों के आंकड़ों के बीच भारी अन्तर के मिलान की कोई प्रणाली नहीं थी;
- खण्डों/मण्डलों/जोनों व वाराणसी डिस्काम में उपलब्ध कम्प्यूटरों का प्रयोग इनपुट-डेटा के विश्लेषण हेतु नहीं किया जाता। तकनीकी व लेखा शाखा के कर्मचारियों द्वारा कम्प्यूटर से निकाले बिलों का कम्प्यूटर के प्रयोग द्वारा जाँच करने की विधा की जानकारी नहीं थी। बाहरी संस्थाओं द्वारा बनाये जा रहे बिलों की सीडी खण्डों के पास उपलब्ध नहीं थी जिससे आंतरिक या वाह्य लेखा परीक्षा दल उनकी जाँच कर सके। अपने कर्मचारियों के कम्प्यूटर ज्ञान बढ़ाने के बजाय, कम्प्यूटर सुविधाओं के प्रयोग हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें ली जाती हैं। यूपीईआरसी ने यह महसूस* किया कि एक वृहत् एवं शक्तिशाली एमआईएस होनी चाहिये जिसमें मानक फार्मेट हों और अतिमहत्वपूर्ण निष्पादन मानक हेतु आंकड़ों के जोड़ व मिलान सम्भव हो सके।

* टैरिफ आर्डर 2004-05 का पृष्ठ संख्या 46।

- पूर्वविविनि में रेवेन्यू कैश बुक का बैंक-समाधान अधूरा था। ईयूडीडी-I वाराणसी, ईडीडी-I वाराणसी एवं ईडीडी-II, गोरखपुर ने कैश बुक एवं बैंक अवशेषों का मिलान क्रमशः दिसम्बर 2005, मार्च 2004 एवं दिसम्बर 2005 तक किया था। अन्तिम समाधान के समय क्रमशः 5.48 करोड़ रुपये, 40.34 लाख रुपये एवं 61.63 लाख रुपये के असमाधानित अवशेष थे। इसके कारण, जुलाई 2002 एवं मार्च 2005 के बीच ईयूडीडी-I, वाराणसी में 4.11 लाख रुपये के तीन गबन के प्रकरण हो गये।
- खण्डीय लेखाकार (राजस्व), सहायक अधिशासी अभियंता (राजस्व) एवं अन्य स्टाफ द्वारा कम्प्यूटर से बने बिलों की निर्धारित जाँच नहीं हो रही थी एवं आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा कम्प्यूटर उपकरण से बिलों की जाँच नहीं हो रही थी। सुरक्षा, प्रतिभूति एवं जोखिम संरक्षण हेतु बाहरी एजेन्सी से बिलिंग डेटा एवं सीडी प्राप्त नहीं की जा रही थी।
- वितरण खण्डों द्वारा बाहरी एजेन्सी की प्रणाली के बर्बाद होने की दशा में सुरक्षा एवं जाँच हेतु मास्टर डेटा एवं बिल के लेजर की सीडी नहीं ली जा रही थी।
- आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अंग है जिसका कार्य अनियमिततायें, गबन, धोखाधड़ी आदि की खोज करना एवं यह देखना है कि समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। यूपीईआरसी ने यह चाहा था कि यूपीपीसीएल की आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा (i) टैरिफ के गलत प्रयोग; (ii) कन्जम्शन चार्जेज का कम निर्धारण; (iii) पहली बिल का न जारी होना; (iv) कनेक्शन काटने का निर्देश आदि की जाँच करे। कमीशन ने कहा कि यूपीपीसीएल की प्रतिक्रिया टाल-मटोल वाली थी। यूपीईआरसी ने डिस्काम्स को यह भी निर्देशित किया कि वह आंतरिक लेखा परीक्षा की राजस्व सम्बन्धी ऑकड़ों की विसंगतियों को दूर करने में मदद ले। राजस्व-सम्बन्धी ऑकड़े बहुत गलत स्थिति दर्शाते हैं जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तरों में वर्णित है।

अभिस्वीकृति

2.3.34 निष्पादन लेखा परीक्षा के सम्पादन में विभिन्न स्तरों पर कम्पनी के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिये गये सहायता एवं सहयोग के लिये लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता है।

प्रबन्धकों/शासन को उपर्युक्त निष्कर्ष अक्टूबर 2006 में रिपोर्ट किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2006)।

निष्कर्ष

यूपीपीसीएल का कार्य निष्पादन निर्बल था क्योंकि यह खरीदी गई ऊर्जा एवं पारेषण-तन्त्र के वाहक बिन्दुओं के मीटर पर अभिलिखित ऊर्जा का समायोजन नहीं कर पाया। ग्रिड-अनुशासन, एआरआर को निर्धारित समय सीमा में अप्रस्तुति/विलम्बित प्रस्तुति के कारण संभावी राजस्व की वसूली न हो पाना,

यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित टी एण्ड डी मानक हानियों से अधिक हानि, पारेषण एवं वितरण तन्त्र एवं उपभोक्ता छोर पर वांछित कैपेसिटर बैंकों की स्थापना न करना, बिना मीटर के अत्यधिक कनेक्शन, लम्बे समय तक उपभोक्ताओं को लेजरीकृत न करना एवं राजस्व का कम निर्धारण आदि के कारण यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। पूर्विनिलि द्वारा डेटा बैंक व बिलिंग लेजर जिनमें भारी स्तर के दोहरे मीटर व दोहरे सर्विस कनेक्शन नम्बर के मामले थे, के विश्लेषण की कोई प्रणाली विकसित नहीं कर पाया।

उपर्युक्त अकुशलताओं के कारण, प्रति यूनिट औसत बिक्री लागत (2.83 रुपये से 4.28 रुपये) औसत बिक्री मूल्य (2.31 रुपये से 2.49 रुपये) से अधिक था। इस प्रकार, यूपीपीसीएल/डिस्काम्स द्वारा ऊर्जा का व्यापार आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

संस्तुतियाँ

- ऊर्जा खरीद के आंकड़े, जिसके लिये भुगतान किया गया है एवं पारेषण-तन्त्र के वाह्य-बिन्दुओं पर मीटर में अभिलिखित ऊर्जा का समय-समय पर समाधान किया जाना चाहिये;
- सीईआरसी/यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों से हुये अनुबन्धों को प्रभावी रूप से लागू किया जाय;
- पारेषण एवं वितरण तन्त्र में कैपेसिटर बैंकों की स्थापना कर ग्रिड-अनुशासन का अनुपालन किया जाय एवं उपभोक्ता परिसर में कैपेसिटर बैंकों की स्थापना से होने वाले लाभ को जागरूकता उत्थान के माध्यम से उपभोक्ताओं की जानकारी में लाया जाय;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाय जिससे राजस्व क्षरण को कम किया/रोका जा सके, टैरिफ की गलती, गलत टैरिफ या दरों का लगाना, उपभोक्ताओं को लेजरीकृत न करना, ऊर्जा का कम निर्धारण और वाणिज्यिक प्रपत्रों में बेची गई ऊर्जा का गलत बुकिंग करने को रोका जाना चाहिये; तथा
- उच्च हानि फीडरों के समस्त उपभोक्ताओं के परिसर में ऊर्जा क्षरण/चोरी रोकने हेतु कम्पनी की सतर्कता शाखा द्वारा छापा मारा जाय।

2.4 दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड की वसूली एवं बिलिंग प्रणाली पर आईटी समीक्षा

मुख्य अंश

कम्पनी ने बिना समग्र और समन्वित आईटी नीति अथवा रणनीति को निरूपित किये ही वसूली एवं बिलिंग प्रणाली का आंशिक कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ कर दिया। सामान्य व अनुप्रयोग नियन्त्रण प्रभावी नहीं थे, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को परिभाषित या अभिलिखित नहीं किया गया था। प्रणाली के दुरुपयोग अथवा संग्रहित आँकड़ों के अनाधिकृत परिचालन को रोकने के लिये आवश्यक भौतिक एवं तार्किक नियन्त्रणों का अभाव था।

(प्रस्तर 2.4.6 से 2.4.8 एवं 2.4.12 से 2.4.15)

साफ्टवेयर में नियन्त्रणों की अभिकल्पक कमियाँ थीं जिसने अत्यावश्यक फील्ड्स, जैसे प्रतिभूतिदाता, प्रवर्तक का नाम, पुनर्भुगतान अनुसंची इत्यादि को रिक्त पड़े रहने और स्वीकृत धनराशि से अधिक संवितरण करने, में सहायता पहुँचाई।

(प्रस्तर 2.4.9 एवं 2.4.10)

‘रिक्वर 2000’ को एकमुश्त समाधान सम्बन्धी विवरण (ओटीएस) के रखरखाव हेतु प्रयुक्त किये जा रहे एक विलग डाटा बेस के साथ समाकलित न किये जाने के कारण, एक मुश्त समाधान के प्रकरणों से सम्बन्धित आँकड़ों में बहुत विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं। प्रत्येक व्यक्ति को आँकड़ों में परिवर्तन करने की अनुमति थी क्योंकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं को लांग इन व पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

(प्रस्तर 2.4.16 एवं 2.4.21)

आँकड़े अविश्वसनीय थे और सत्यनिष्ठा के बारे में पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं करते थे तथा इसमें लिखित प्राधिकरण उपलब्ध नहीं थे तथा चोरी, हानि व प्रोग्राम/डाटा फाइल इत्यादि की संरक्षा हेतु रक्षोपाय उपलब्ध नहीं थे। इसमें आपदा से पुनरुत्थान व व्यवसाय की नियन्त्रता से सम्बन्धित योजनायें भी नहीं थीं।

(प्रस्तर 2.4.23 एवं 2.4.26)

प्रस्तावना

2.4.1 दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (कम्पनी) का गठन, प्रदेश में स्थापित अथवा स्थापना हेतु प्रस्तावित मध्यम व वृहत्ताकार उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनका प्रोत्साहन एवं विकास करने के मुख्य उद्देश्य से, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में, मार्च 1972 में हुआ था।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) प्रदेश के नये/विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिये एक निवेश कम्पनी के व्यवसाय का संचालन करना;

(ii) मूल अंशदान, सिन्डिकेट में भागीदारी इत्यादि द्वारा अंश स्कन्ध, ऋणपत्र, बॉण्ड्स और प्रतिभूति को क्रय करना, जोखिम लेना, निवेश करना और शेयरों की अधिप्राप्ति व धारण करना; (iii) मर्चेन्ट बैंकिंग के व्यवसाय समग्र रूप में संचालन करना और प्रस्तावों (आफर) को निर्गत करने हेतु प्रबन्धक के रूप में कार्य करना; तथा (iv) पट्टे पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और समग्र रूप में निवेश व वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने वाले व्यवसाय का संचालन करना।

कम्पनी के वर्तमान कार्यकलाप औद्योगिक इकाइयों को सावधिक ऋण, अल्पाकालिक ऋण, कार्यशील पूँजी सावधि ऋण, पूर्णतया परिवर्तनीय ऋणपत्र (एफसीडी) अपरिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) और लीज सहायता के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता की वसूली तक सीमित है।

30 जून 2006 को कम्पनी का प्रबन्धन एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक और सात अन्य निदेशकों वाले निदेशक मण्डल में निहित था। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है तथा दो महाप्रबन्धकों (वित्त एवं तकनीकी) तथा कम्पनी सचिव द्वारा मुख्यालय पर तथा एक वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नोयडा क्षेत्रीय कार्यालय पर कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता की जाती है।

कम्पनी की सूचना तकनीकी (आईटी) विंग का प्रमुख एक वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी), है जिसकी सहायता एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर/प्रबन्धक (कम्प्यूटर), एक सहायक प्रबन्धक (हार्डवेयर व साफ्टवेयर) और पाँच अन्य कर्मचारी द्वारा की जाती है।

लेखा परीक्षा के क्षेत्र

2.4.2 आईटी लेखा परीक्षा के क्षेत्र में वसूली एवं बिलिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण की समीक्षा तथा आईटी अनुप्रयोग में नियन्त्रणों के परीक्षण को सम्मिलित किया।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

2.4.3 कम्पनी की वसूली व बिलिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की आईटी लेखा परीक्षा यह आंकलित करने के लिये की गयी कि, क्या:

- कोई आईटी रणनीति अस्तित्व में थी और साफ्टवेयर कम्पनी के दीर्घकालीन उद्देश्यों के तारतम्य में समुचित रूप से समझे गये/विश्लेषित किये गये यूआरएस के आधार पर अभिकल्पिक/विकसित किये गये थे;
- प्रणाली का क्रियान्वयन, क्रमबद्ध नियोजन एवं प्रचलनात्मक अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं के समुचित निर्धारण के द्वारा अनुगमित किया गया तथा कम्पनी ने प्रणाली के विकास हेतु एक ढांचागत उपागम का अनुकरण किया;
- प्रणाली की दक्ष एवं सतत कार्यशीलता को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली अभिलेखन पर्याप्त एवं अद्यतन थे;

- जनित ऑकड़े पूर्ण एवं विश्वसनीय हैं तथा कम्पनी के व्यावसायिक नियमों का पालन करते हैं तथा उपयोगकर्ता सही प्रारूप में तथा सही समय से अपेक्षित सूचनायें प्राप्त करने में समर्थ हैं;
- भौतिक व तार्किक अभिगत नियन्त्रण, अनाधिकृत अभिगमन से रक्षा करने तथा ऑकड़ों की सुरक्षा व अक्षुण्णता को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त है।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.4.4 निम्नलिखित लेखा परीक्षा कसौटी यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयुक्त की गयी कि क्या उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है:

- अनुमोदित आईटी रणनीति;
- उपयोगकर्ता आवश्यकता विशिष्टियाँ (यूआरएस), प्रणाली आवश्यकता विशिष्टियाँ (एसआरएस), प्रणाली अभिकल्प अभिलेख (एसडीडी) और अन्य नियमावलियाँ;
- शासन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश और कम्पनी के नियम एवं विनियमन; तथा
- सुरक्षा नीति और विहित सुरक्षा अभ्यास की आवर्तता।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.4.5 अभिलेखों के परीक्षण से आईटी नीति/रणनीति, प्रणाली अभिकल्प विश्लेषण एसडीएलसी, बीसीपी इत्यादि के अस्तित्व में होने के साक्ष्य एकत्रित किये गये। बिलिंग एवं वसूलियाँ से सम्बन्धित जून 2006 तक के उपलब्ध ऑकड़ों को कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षा उपकरण अर्थात् आइडिया* को उपयोग कर विश्लेषित किया गया ताकि ऑकड़ों की पूर्णता, उपलब्धता व अक्षुण्णता का परीक्षण किया जा सके। ऑकड़ों का परीक्षण करने के अतिरिक्त, सामान्य आईटी नियन्त्रणों के अस्तित्व एवं पर्याप्तता का भी मूल्यांकन किया गया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

प्रणाली विकास एवं क्रियान्वयन

साफ्टवेयर के विकास व क्रियान्वयन की अवस्था में एक क्रमबद्ध एवं नियोजित उपागम का अभाव रहा जैसा कि निम्न से स्पष्ट है:

आईटी रणनीति का अभाव एवं ढाँचागत विकास उपागम की अनुपस्थिति

2.4.6 कम्पनी 1985-86 में हस्त कार्य प्रणाली से एचसीएस के होराइजन मिनी कम्प्यूटर पर आधारित अर्द्ध कम्प्यूटरीकरण की ओर अग्रसर हुई। कम्पनी ने पिछले 20 वर्षों (2005-06 तक) में अपने कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 2.10 करोड़

* इंटरक्टीव डेटा एक्स्ट्रैक्सन एण्ड एनालिसिस

रूपये व्यय किये परन्तु संगठन ने आईटी प्रणाली हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के दिशानिर्देशों की स्थापना तथा उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक संसाधनों को जुटाने हेतु कोई अभिलिखित आईटी रणनीति अंगीकृत नहीं की है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि कम्पनी का मुख्य कार्यकलाप, अर्थात् सावधि ऋण प्रदान करना वर्तमान में बन्द है तथा इस पर निर्णय, कम्पनी की योजना के अन्तिम रूप ले लेने के पश्चात्, निकट भविष्य में लिया जायेगा। उत्तर से स्पष्ट नहीं है कि कम्पनी, कम्प्यूटरीकरण के विगत 20 वर्षों के दौरान कोई भी आईटी रणनीति विकसित करने में क्यों विफल रही। अन्य मामलों के सम्बन्ध में, कम्पनी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ करने वाले किसी भी संगठन को एक ढाँचाबद्ध उपागम का अनुसरण करना चाहिये जो एक सूचना प्रणाली विकास परियोजना को सुस्पष्ट स्तरों में विभाजित करता हो, जो क्रमबद्ध रूप से अनुसरण महत्वपूर्ण निर्णय बिन्दुओं और कार्य-समापन स्थितियों को समाविष्ट किया गया हो। यह समस्या का समाधान करने के लिये उनका क्रमबद्ध मूल्यांकन, एक क्रमबद्ध अभिकल्पना एवं विकास प्रक्रिया तथा समाधान का क्रमबद्ध कार्यान्वयन करने को अनुमति प्रदान करता है। वसूली एवं बिलिंग प्रणाली के विकास की प्रक्रिया के दौरान कम्पनी ने ढाँचाबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जिसकी चर्चा निम्नवत् है:

- कम्पनी ने वसूली एवं बिलिंग अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास का कार्य 1.50 लाख रुपये की लागत पर प्रासिक्स साफ्ट्रॉन (प्राइवेट) लिमिटेड, लखनऊ को प्रदान किया (दिसम्बर 1999)। यद्यपि कार्य प्रदान करने के पूर्व, कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, कम्पनी उपयोगकर्ता आवश्यकता विशिष्ट (यूआरएस) को, कार्यादेश देते समय स्पष्ट रूप से समाविष्ट करने में विफल रही और विशिष्टियों विकास की सम्पूर्ण अवधि में, परिवर्तनशील रही। (परिणामतः प्रासिक्स ने कार्य की निश्चित मदों को 'अतिरिक्त मद' कहते हुए 0.80 लाख रुपये का अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया)। कम्पनी, पुनः प्रासिक्स को एक समेकित कार्यादेश देने में विफल रही। 'रिकवर 2000' की समाप्ति के बाद, कम्पनी ने ब्याज अतिरेयों (बिलिंग तथा वसूली प्रणाली का भाग) के साधारण दण्ड तथा चक्रवर्ती ब्याज तत्वों की गणना करने के लिये एक विलग साफ्टवेयर पैकेज का विकास करने हेतु उसी फर्म को 0.95 लाख रुपये की लागत का पुनः आदेश दिया (अप्रैल 2001)।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि चूंकि वाई-2-के समस्या का सामना करने के लिये बहुत ही अल्प समय में साफ्टवेयर विकसित किया जाना था इसलिये कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया और यह कि विभिन्न साफ्टवेयर के विकास हेतु आदेश निर्गत किये गये जब उनकी आवश्यकता उत्पन्न हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को वाई-2-के समस्या की जानकारी बहुत पहले से थी।

इसके अतिरिक्त टुकड़ों में कायदेश को दिया जाना एक असंगठित उपागम को दर्शाता है।

- प्रणाली आवश्यकता विशिष्टियाँ (एसआरएस) भी तैयार नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप कार्य की निश्चित मदों (एक साथ दो क्षेत्रों के लिये माँग बिलों की प्रिन्ट फाइल और मेनू से डाटा का बैकअप लेना) को प्रासिक्स द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी के पास उस समय उपलब्ध प्रणाली साफ्टवेयर (ओरेकल- संस्करण 7.0) उक्त कार्यों हेतु सुसंगत नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि कथित मदों की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर, लेखा परीक्षा के अभिमत की पुष्टि करता है कि कम्पनी अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रही।

- स्वीकृत परीक्षण की समाप्ति को व्यक्त करने वाला कोई प्रपत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। वास्तविक प्रयोग करने पर साफ्टवेयर में कई समस्यायें देखी गयी जिनमें से कुछ का निदान अभी तक नहीं हुआ है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि प्रासिक्स द्वारा विकसित कुछ प्रतिवेदनों में प्रारम्भिक अवस्था से ऑकड़े अपेक्षित थे जो कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं था। अतः ये प्रतिवेदन ओरेकल में निर्मित नहीं की जा सकी। वांछित प्रतिवेदनों को डी-बेस का प्रयोग कर एक विलग प्रणाली पर निर्मित किया जा रहा है। उत्तर लेखा परीक्षा के अभिमत की पुष्टि करता है।

एक असमेकित प्रणाली का विकास

2.4.7 बिलिंग कार्यकलाप में विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण/उपस्कर वित्त पोषण योजना/उपस्कर पुनर्वित्त पोषण योजना/ उपस्कर साख योजना, अल्पकालिक ऋण, कार्यशील पूँजी सावधि ऋण, लीज सहायता और एफसीडी/एनसीडी के अधीन वित्त पोषित उधारकर्ताओं को माँग देयक जारी करना सम्मिलित है। कम्पनी की आईटी प्रणाली की जाँच में देखा गया कि:

- कम्पनी ने ओरेकल/डेवलपर 2000 का प्रयोग न करके वसूली एवं बिलिंग एप्लीकेशन साफ्टवेयर 'रिकवर 2000' विकसित कराया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी आंतरिक रूप से 'कोबोल' में विकसित किये गये साफ्टवेयर 'पेरोल' (पेरोल, जो कि हाल में ही ओरेकल में विकसित किया गया है, अपी क्रियान्वयन परीक्षण के अधीन है) और 'टैली' को लेखांकन के उद्देश्य से प्रयोग कर रही थी।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर 'रिकवर 2000' केवल सावधिक ऋणों की बिलिंग से सम्बन्धित है। कम्पनी के पास लीज सहायता योजना और एफसीडी/एनसीडी से सम्बन्धित माँग बिलों को बनाने हेतु कोई साफ्टवेयर नहीं था और इन योजनाओं के अधीन प्रकरणों की बिलिंग हाथ से की जा रही थी।

- प्रतिवेदन/एमआईआर को बनाने के लिये अपेक्षित ऑकड़े फीड न करने के कारण से एप्लीकेशन साफ्टवेयर 'रिकवर 2000' अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि ऐसे प्रकरणों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुये लीज सहायता योजना से सम्बन्धित बिलिंग एवं वसूली क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया। एनसीडी/एफसीडी के विषय में कम्पनी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

प्रणाली प्रलेखन नीतियाँ और परिवर्तन नियन्त्रण प्रक्रिया का अभाव

2.4.8 दक्षतापूर्ण और सतत परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्याप्त प्रलेखन नीति आवश्यक है। फिर भी, लेखा परीक्षा के दौरान बहुत सी कमियाँ अवलोकित हुई जिनका ब्यौरा निम्न है:

- कम्पनी में कोई प्रलेखन नीति नहीं थी। फलतः 'रिकवर 2000' पैकेज के विकास, परीक्षण, क्रियान्वयन और पुनरीक्षण से सम्बन्धित कोई अभिलेख कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे।
- यद्यपि कम्पनी के पास रिकवर 2000 के लिए उपयोगकर्ता हस्तपुस्तिका उपलब्ध थी, फिर भी साफ्टवेयर के क्रियान्वयन के पश्चात उसमें किये गये परिवर्तनों (नवम्बर 2000) को उक्त हस्तपुस्तिका में समाविष्ट नहीं किया गया था।
- कम्पनी ने, यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रोग्राम में किये गये परिवर्तन अधिकृत, उपयोगकर्ता की संतुष्टि तक परीक्षित, अनुमोदित और अभिलिखित थे, न तो किसी औपचारिक परिवर्तन नियन्त्रण प्रक्रिया का निर्माण किया और न ही अनुपालन किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि चूंकि प्रणाली में किसी परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई थी अतः इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बनायी गयी। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि परिवर्तन नियन्त्रण प्रक्रिया का अनुकरण किये बिना साफ्टवेयर में कई बार परिवर्तन किये गये थे।

प्रणाली अभिकल्प

लेखा परीक्षा को साफ्टवेयर में अधोलिखित अभिकल्पित कमियाँ दृष्टिगोचर हुईः

रिक्त पड़ी अत्यावश्यक फील्ड्स

2.4.9 कुछ फील्ड्स जो डाटाबेस निर्माण के लिये अत्यावश्यक हों, उन्हें अनिवार्य बनाया जाना अपेक्षित था। अनादृत चेकों को दर्शाने वाले कॉलम में 'वाई' (हॉ) अथवा 'एन' (नहीं) को इंगित करने वाली आवश्यक सूचना को भरे बिना ही 47236065.84 रुपये की चेकों को ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। अनिवार्य फील्डों का प्रावधान न किये जाने के कारण, ये आवश्यक फील्डें रिक्त पड़ी रहीं।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि ये या तो ऐसे प्रकरण थे जिनका पुनर्भुगतान हो चुका था या फिर ये ऐसे प्रकरण थे जो प्रणाली में उपयोग में नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई भी सम्बन्धित अभिलेख सम्प्रेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अत्यावश्यक फील्ड्स के रिक्त पड़े रहने सम्बन्धी कुछ अन्य प्रकरणों की चर्चा प्रस्तर 2.4.12 में की गयी है।

वैधता परीक्षण का अभाव

2.4.10 साफ्टवेयर की विभिन्न फील्ड्स में समुचित वैधता की कमी पायी गयी थी जैसा कि नीचे चर्चित है:

- अवैध तिथियों को निरस्त करने के लिये कोई वैधता परीक्षण नहीं थी। ऋणियों से की गयी प्राप्तियों के विवरण को समाविष्ट करने वाली तालिका का विश्लेषण करते समय, यह पाया गया कि पाँच प्रकरणों में साफ्टवेयर ने अवैध तिथियों को स्वीकार कर लिया था।
- इसी प्रकार, प्राप्त प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित मास्टर डाटा को समाविष्ट करने वाली तालिका के विश्लेषण के समय पाया गया कि नौ प्रकरणों में साफ्टवेयर ने फील्ड में अवैध तिथियों को स्वीकार कर लिया।
- इसके अतिरिक्त, वैधता परीक्षणों की अनुपस्थिति के कारण, चेकों को उनकी जमा की तिथि से पूर्व उधारकर्ता के खातों में क्रेडिट दिये जाने, स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान किये जाने इत्यादि प्रकरण, जैसा कि पश्चातवर्ती प्रस्तर 2.4.12 में वर्णित है, एप्लीकेशन साफ्टवेयर द्वारा खोजे नहीं जा सके।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि तिथियों में सुधार कर लिया गया है। अधिक भुगतान/अधिक क्रेडिट के प्रकरण में प्रबन्धन ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

ब्याज की दर के प्रभारण से सम्बन्धित व्यापारिक नियम साफ्टवेयर में समाविष्ट नहीं किये गये

2.4.11 एप्लीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से केवल सावधि ऋणों (एसटीएल/टीएल/डब्ल्यूसीटीएल/ईएफएस/ईसीएस/ईआरएस) के प्रकरणों में बिलिंग की जा रही थी। राजस्व लेखा परीक्षक (आरए)ने अप्रैल 2002, जुलाई 2002, सितम्बर 2002 और जनवरी 2003 को समाप्त होने वाली तिमाही के अपने प्रतिवेदनों में इंगित किया कि जुलाई 1999 को समाप्त होने वाली तिमाही तक वसूली प्रकोष्ठ में प्रवर्तमान वसूली के पुराने ('रिकवर 2000' के क्रियान्वयन के पूर्व) साफ्टवेयर पैकेज में अधिदेय ब्याज पर दो ब्याज दरों के प्रभारण का प्रावधान नहीं था। इसलिये, ब्याज की केवल एक ही दर, वह भी दो अभिलिखित प्रयोज्य ब्याज दरों में से निम्नतर दर, अतिदेय ब्याज पर प्रभारित की जा रही थी (31 दिसम्बर 1999 को समाप्त हुई तिमाही से प्रभावी बिलिंग के नये साफ्टवेयर पैकेज के क्रियान्वयन के

पश्चात्, अतिदेय ब्याज पर अभिलेख दरों के अनुसार ब्याज की दो दरों के प्रभारण की प्रणाली प्रारम्भ हुई। राजस्व लेखा परीक्षक ने ऐसे कई प्रकरण उद्धृत किये और प्रबन्धन को सुविधा प्रदान करने के लिये, उन्होंने 'वी पी रोलिंग एण्ड सिद्धार्थ स्पिनफैब लिमिटेड' के प्रकरण में नवम्बर 1999 से जनवरी 2003 की अवधि के लिये 17.05 लाख रुपये की हानि आगणित की तथा कई अन्य प्रकरणों में करोड़ों रुपये की राजस्व हानि की आशंका व्यक्त की। कम्प्यूटर ने यद्यपि, सिद्धार्थ स्पिनफैब के प्रकरण में ब्याज की पुनः गणना की (फरवरी 2004) और 5.26 करोड़ रुपये की अधिदेय राशि (पुराने साफ्टवेयर द्वारा आगणित) के विरुद्ध 5.82 करोड़ रुपये के वास्तविक अधिदेय आगणित की। 56.49 लाख रुपये का अल्प प्रभारण किया गया। अन्य प्रकरण फाइलें, समीक्षा हेतु लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि 'आरए' द्वारा इंगित प्रकरणों का पुनरीक्षण कर लिया गया। यद्यपि, प्रकरण फाइल लेखा परीक्षा को समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

अनुप्रयोग नियन्त्रण

आगत नियन्त्रण

2.4.12 आगत नियन्त्रण डाटा की अक्षुण्णता के विषय में आश्वासन उपलब्ध कराता है। यद्यपि वसूली एवं बिलिंग साफ्टवेयर 'रिकवर 2000' के अभिलेख और ऑकड़ों की तालिका के परीक्षण से अवलोकित हुआ कि उसमें आगत नियन्त्रण का अभाव था जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- 93.93 करोड़ रुपये के ऋण के 48 प्रकरणों में प्रतिभूतिदाताओं का नाम नहीं था और तालिका में आवश्यक फील्डें रिक्त पड़ी हुई थीं।
- इसी प्रकार ऋण के 139 प्रकरणों में प्रवर्तकों का नाम नहीं था और सम्बन्धित फील्ड्स रिक्त पड़ी हुई थीं।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि नये एप्लीकेशन साफ्टवेयर में, ऑकड़े होराइजन से पोर्ट किये गये थे और इस लिये पुराने/पुनर्भुगतान के प्रकरणों से सम्बन्धित कुछ ऑकड़े कम्प्यूटरीकरण की प्रारम्भिक अवस्था के समय में पूर्ण न किये गये हो सकते हैं। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डाटा पोर्ट करते समय पर्याप्त अवैध डाटा पाये गये थे और प्रासिक्स के साथ यह सहमति हुई थी कि बिलिंग अनुभाग डाटा को शुद्ध/पूर्ण करेगा।

- 11 प्रकरणों में 0.01 लाख रुपये तथा 56.00 लाख रुपये के मध्य रही स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल 1.18 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान दर्शाया जा रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि ये प्रकरण आईडीबीआई के माध्यम से दिये गये विदेशी मुद्रा ऋण से सम्बन्धित हैं और बदले में पिकप द्वारा भारतीय मुद्रा में आईडीबीआई को पुनर्भुगतान किया गया है। चूँकि आईडीबीआई को दिया गया

पुनर्भुगतान संवितरण के समय (विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन के कारण से) दी गयी विदेशी मुद्रा के रूपये में मूल्य की तुलना में काफी अधिक था, इसलिये बकाया ऋण से मिलान करने के लिये संवितरित राशि को अभिलेखों में हाथ से ही परिवर्तित कर दिया गया। अन्य विसंगतियाँ यूनिक्स से ओरेकल में पोर्ट करने के दौरान ऑकड़ों के विकृत हो जाने (पाँच प्रकरण), फीडिंग की त्रुटियाँ (दो प्रकरण) और रूपये को लाख रूपये में पूर्णांकित किये जाने (एक प्रकरण) के कारण थीं।

- कम्पनी द्वारा वितरित किये गये ऋण के 2145 प्रकरणों में से 362 प्रकरणों (कुल संवितरित राशि 70.79 करोड़ रूपये) में पुनर्भुगतान अनुसूची उपलब्ध नहीं थी।

प्रबन्धन द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

- 15 प्रकरणों में, ऋणी के खातों में क्रेडिट की गयी धनराशि, 0.23 लाख रूपये से 4.43 करोड़ रूपये के मध्य जमा की गयी धनराशि से अधिक थी। कुल अधिक जमा की गयी राशि 5.82 करोड़ रूपये आगणित की गयी।
- 23 प्रकरणों में, उधारकर्ताओं से प्राप्त कुल 1.29 करोड़ रूपये की चेकों को उनकी जमा की तिथियों के पूर्व 1 दिन से 2955 दिनों (इन प्रकरणों में से एक में क्रेडिट की तिथि उल्लिखित नहीं थी) के मध्य उनसे सम्बन्धित खातों में क्रेडिट दिया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि ‘एमाउन्ट डिपाजिटेड’ तालिका ओरेकल में प्रासंगिक नहीं थी। पूर्वापेक्षी प्रभाव से ऋणियों के खातों को क्रेडिट दिये जाने के सम्बन्ध में, प्रबन्धन ने कहा है कि डाटाबेस में जमा की तिथियाँ संशोधित कर दी गयी हैं। यद्यपि उधारकर्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि पर इसके प्रभाव को लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया।

प्रक्रिया नियन्त्रण

2.4.13 हस्त एवं स्वाचालित प्रक्रियाओं पर नियन्त्रण, जो आगत ऑकड़ों का प्रयोग कर निर्गम की उत्पत्ति करता है, के लिये सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनायें उत्पन्न करना आवश्यक है। लेखा परीक्षा ने कमियाँ अवलोकित की जिसे नीचे चर्चित किया गया है:

हस्तलिखित बहियों/अभिलेखों पर नियन्त्रण का अभाव

2.4.14 विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न बिलों को हस्तलिखित बहियों में दर्ज किया जाता है और माह/तिमाही के दौरान प्राप्तियों को इसमें दर्ज किये जाने के पश्चात् ब्याज की शेष अतिदेय राशि का आगणन किया जाता है। उक्त शेष को कम्प्यूटर में हाथ से डाला जाता है। इस प्रकार समस्त बिलिंग हस्तलिखित बहियों पर आधारित है।

- कुछ प्रकरणों (सुनील साल्वेक्स लिमिटेड, लिनाक माइको इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड- बिलिंग तिमाही: अप्रैल एवं जून 2002) में यह पाया गया कि हस्तलिखित बही में प्रविष्ट की गयी ब्याज की धनराशि कम थी। तदनुसार प्रणाली ने पश्चातवर्ती महीनों के लिये भी त्रुटिपूर्ण/अल्प ब्याज की राशि जनित की।
- अभिलेखों की जाँच में इसके अतिरिक्त अवलोकित हुआ कि 'रिकवर 2000' में बनाये गये लेजर व लेजर हिस्ट्री नियमित रूप से अद्यतन नहीं किये जा रहे हैं। यह पाया गया कि 2005-06 के दौरान ओटीएस के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरणों की लेजर हिस्ट्री में अद्यतन प्रविष्टियाँ मार्च 2003 से सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार बिलों की तैयारी व ओटीएस के अन्तर्गत प्रकरणों का निबटारा हाथ से की गयी गणनाओं के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि ओटीएस के अन्तर्गत निबटाये गये प्रकरणों की बहियाँ एक मुश्त समाधान के मास से पूर्व की पूर्ण तिमाही तक अद्यतन नहीं पायी गयीं।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि कम प्रविष्टि की गयी ब्याज की धनराशि को सुधार लिया गया है। लेजर व लेजर हिस्ट्री के अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऋणों पर ब्याज का त्रुटिपूर्ण आगणन

2.4.15 कम्पनी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणी से वसूली का उसके देयों के सापेक्ष समायोजन, कम ब्याज दर वाले ऋण से प्रारम्भ कर (ब्याज को पुनः साधारण, चक्रवृद्धि व दण्ड ब्याज के रूप में आनुपातिक रूप से विघटित किया जाता है) उच्च ब्याज दर की ओर अग्रसर होते हुए किया जाता है। लेखा परीक्षा की नमूना जाँच ने छः प्रकरणों का अवलोकन किया जिसमें प्राप्त किये गये उत्पाद में अपेक्षित परिणामों से भिन्नता थी जैसा कि नीचे चर्चित है:

- अभिलेखों की जाँच से अवलोकित हुआ कि नियत प्रकरणों में प्रबन्धन द्वारा निश्चित की गयी द्विभाजन की प्राथमिकताओं का पालन नहीं किया गया। कुछ उधारकर्ताओं (कानपुर स्ट्रीब्स: जुलाई 2002; एग्रो फाइबर्स: अप्रैल 2002; क्वायर कुशन्स; चारू पेपर्स: जनवरी 2003) के अन्य ऋणों (कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के अतिरिक्त) के प्रकरणों में, यह देखा गया कि निमतर ब्याज दर वाले ऋणों के सापेक्ष समायोजन करने की बजाय, कम्पनी ने उच्चतर ब्याज दर वाले ऋणों के सापेक्ष समायोजन कर दिया जिससे कम्पनी को राजस्व की हानि हुई।
- बहुत से प्रकरणों में, कम्पनी ने, एक ही ऋण खाते (विशेष कर अतिरिक्त ऋण इत्यादि के प्रकरण में) के सम्बन्ध में, दो भिन्न ब्याज की दरें स्वीकृत की हैं। इस प्रकार, एक ही ऋण खाते में ब्याज की दो या अधिक प्रलेखित दरें थीं। राजस्व क्षरण की लेखा परीक्षा में देखा

गया कि दो प्रकरणों (ओम बिवेरेज़ और एलाइट एप्लाइन्सेज़: बिलिंग तिमाही अप्रैल 2002 और जुलाई 2002) में स्वीकृत/प्रलेखित दर की अपेक्षा ब्याज की निम्नतर दर उधारकर्ताओं पर प्रभारित की गयी। इसके परिणामस्वरूप 3.69 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

- संगठन के व्यापारिक नियमों के अनुसार बही में प्रविष्ट प्रत्येक ऋणी के विरुद्ध बकाया ऋण का अन्तिम शेष, प्रारम्भिक शेष (+) डेबिट प्रविष्टियाँ (-) क्रेडिट प्रविष्टियाँ के आधार पर आगणित किया जाना चाहिये। यद्यपि, प्रणाली में उपलब्ध बही तालिका की समीक्षा से अवलोकित हुआ कि कुल 44274 अभिलेखों में से 5953 प्रकरणों में इस सूत्र का अनुकरण नहीं किया गया। 1982 प्रकरणों में, बही में दर्शाया गया अन्तिम शेष सूत्र के अनुसार आगणित शेष की अपेक्षा 1059.29 करोड़ रुपये अधिक था तथा 3971 प्रकरणों में आगणित राशि, बही के शेष की तुलना में अधिक थी (951.93 करोड़ रुपये)। इस प्रकार की विसंगति का अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता है ताकि डाटाबेस में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत परिवर्तन की सम्भवना का प्रतिकार किया जा सके।

कम्पनी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं से प्रतिकूल प्राप्तियों के समायोजन और निम्न ब्याज दर प्रभारित किये जाने के प्रकरण में, प्रबन्धन ने कहा कि अनियमितताओं में सुधार किया जा चुका है। बिना किसी प्रविष्टि के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों में अन्तर के सम्बन्ध में प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

एकमुश्त समाधान (ओटीएस) वाले प्रकरणों से सम्बन्धित डाटा बेस में विसंगतियाँ

2.4.16 कम्पनी समय-समय पर लागू योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर बकाया देयों के ओटीएस की अनुमति प्रदान करती है ताकि काफी पुराने दोषियों, जिन्होंने एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29 के अधीन जारी नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था, से वसूली में सुधार किया जा सके तथा गैर निष्पादक सम्पत्तियों (एनपीए) को भी कम किया जा सके। एकमुश्त समाधान की राशि सामान्यतः एक किश्त में अथवा मासिक/त्रैमासिक/अद्वैत वार्षिक किश्तों में 12 से 18 माह के अन्दर वसूल की जाती है।

यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि ओटीएस विवरण बनाये जाने का प्रावधान एप्लीकेशन साफ्टवेयर 'रिकवर 2000' में उपलब्ध था, किन्तु बिलिंग अनुभाग द्वारा उसका उपयोग नहीं किया गया। विवरण डी-बेस में बने एक विलग डाटा बेस में बनाये गये। इसके परिणामस्वरूप एप्लीकेशन साफ्टवेयर की असमेकित प्रणाली का विकास हुआ।

चूंकि ओटीएस से सम्बन्धित विवरणों को एक विलग साफ्टवेयर में तैयार किया जा रहा है। इसलिये 'रिकवर 2000' के ऑकड़ों के आधार पर ओटीएस विवरण

तथा विलग साफ्टवेयर में उपलब्ध विवरण में भिन्नता थी जिसका विवरण निम्नवत् है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	ओटीएस का माह	कम्पनी का नाम	डी-बेस पर ओटीएस विवरण के अनुसार बकाया धनराशि		'रिकवर 2000' में बनायी गयी बही के अनुसार बकाया राशि		टिप्पणियाँ।
			मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	
1.	मार्च 2006	गुप्ता पेपर मिल्स	82.75	74.04	82.75	2213.86	ब्याज में 2179.82 लाख रुपये का बहुत अन्तर।
2.	दिसम्बर 2005	आर्फिक रिसार्ट्स लिमिटेड	595.24	1945.21	595.24	1813.24	रिकार्ड तिथि 31.07.05 के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक बही में कोई प्रविष्टि नहीं। ब्याज में 131.97 लाख रुपये का अन्तर।
3.	मई 2005	पर्फेक्ट लैटेक्स	104.18	702.40	104.18	670.91	रिकार्ड तिथि 31.01.05 के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक बही में कोई प्रविष्टि नहीं। ब्याज में 31.49 लाख रुपये का अन्तर।
4.	मई 2005	प्रोपीन प्रोडक्ट्स	35.69	54.86	35.69	50.65	रिकार्ड तिथि 31.01.05 के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक बही में कोई प्रविष्टि नहीं। ब्याज में 4 लाख रुपये का अन्तर।
5.	सितम्बर 2005	पैक्कुइक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	165.50	214.75	197.12	214.75	31.62 लाख रुपये का अन्तर।
6.	दिसम्बर 2005	बी आर पालीमर्स	75.58	667.77	75.58	787.31	19.24 लाख रुपये का अन्तर।

प्रबन्धन द्वारा प्रकरणावार प्रस्तुत किये गये उत्तर निम्नवत् थे:

गुप्ता पेपर मिल्सः

- मूलधन और ब्याज क्रमशः 28.75 लाख रुपये एवं 74.04 लाख रुपये के अतिरिक्त, समस्त देय अपलिखित कर दिये गये हैं।

आर्फिक रिसार्ट्स लिमिटेड एवं पर्फेक्ट लैटेक्सः

- हस्तनिर्मित बही के आधार पर ओटीएस को अन्तिम रूप दिया गया है। एप्लीकेशन साफ्टवेयर में बनाई गयी बही को, तदनुसार, अद्यतन कर दिया जायेगा।

प्रोपीन प्रोडक्ट्सः

- ब्याज देयों के विरुद्ध समायोजित किये गये, अक्टूबर 2000 में प्राप्त, 4 लाख रुपयों को समिति के निर्णयानुसार तत्पश्चात् मूलधन देयों के विरुद्ध समायोजित किया गया।

पैक्कुइक इन्डस्ट्रीज लिमिटेडः

- पहले 31.62 लाख रुपये के साधारण ब्याज को वित्त पोषित किया गया किन्तु ऋणी की प्रार्थना पर वित्त-पोषण को निष्प्रभावी करते हुए तथा साधारण ब्याज को प्रारम्भ से पुनः आगणित करते हुए प्रकरण को ओटीएस के अन्तर्गत निस्तारित किया गया।

बी आर पालीमर्सः

- ओटीएस के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण होने के पश्चात्, ऋणी ने दोबारा वर्तमान ओटीएस की देयों के सापेक्ष 1996-97 के दौरान किये गये भुगतान का पुनरीक्षण करने के लिये कम्पनी के समक्ष प्रस्ताव रखा। तदनुसार,

ऋणी के खाते का, वर्तमान ओटीएस के सापेक्ष उक्त राशि का समायोजन करने के लिये, पहले की वसूलियों को हटाते हुये, पुर्णमूल्यांकन किया गया। इसने ऋणी की वर्तमान देय राशि में वृद्धि कर दी। समिति ने, यद्यपि, उक्त पुर्णमूल्यांकन को अनुमोदित नहीं किया।

प्रत्युत्तर स्वयं ही ओटीएस के अधीन देयों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति का उपयुक्त सूचक है।

- यह भी अवलोकित किया गया कि नियत प्रकरणों (जैसे जी एस रबर्स लिमिटेड, न्यूटेक पैकेजिंग्स लिमिटेड, वी आर पालीमर्स लिमिटेड - ओटीएस को क्रमशः मार्च 2006, दिसम्बर 2005 तथा दिसम्बर 2005 में अन्तिम रूप दिया गया) में ओटीएस को अन्तिम रूप दिये जाने के बावजूद बिलिंग का कार्य जारी था। सयोंगवश, समस्त तीनों ऋणियों को उनके देयों के भुगतान में नियमित दर्शाया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि जी एस रबर लिमिटेड के प्रकरण में बिलिंग का कार्य जारी था क्योंकि समाधान समिति द्वारा ओटीएस को अनुमोदित नहीं किया गया है। अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

एमआईएस के उपकरण के रूप में प्रणाली का प्रयोग

2.4.17 लेखा परीक्षा ने पाया कि प्रणाली में उपलब्ध ऑकड़ों को एमआईएस के आगत के रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:

सहायतित इकाइयों को अनुमन्य राहत से सम्बन्धित डाटा बेस का तैयार न होना

2.4.18 कम्पनी की नीति के अनुसार, मूलधन को स्थगित करके या/और ब्याज को वित्त पोषित करके ऋणियों को कुछ राहत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ऋण का पुनर्सूचीकरण भी स्वीकृत करती है तथा अपने देयों के भुगतान की समस्या से जूझ रहे ऋणियों को अपनी पुनर्स्थापन योजना के अधीन अन्य छूटें एवं राहत प्रदान करती है।

- ‘रिकवर 2000’ में तैयार किये जा रहे ऑकड़ों की जाँच से यद्यपि यह अवलोकित हुआ कि कम्पनी के पास, मूलधन के पुनर्सूचीकरण के प्रकरणों से सम्बन्धित कोई डाटा बेस नहीं था।
- ‘रिकवर 2000’ में पिछले दो वर्षों (एमआईआर 7) में स्थगित/अपलिखित मूलधन तथा ब्याज के वित्त पोषण/माफी/अपलेखन/परित्याग को दर्शाने वाले विवरण को बनाये जाने का प्रावधान था लेकिन मासिक सूचना प्रतिवेदन प्रणाली में उपलब्ध नहीं था।

प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

वसूली प्रक्रिया से सम्बन्धित डाटा बेस की अनुपलब्धता

2.4.19 त्रुटि के निस्तारण के लिये, कम्पनी अनुगामी पत्रों को निर्गत करती है तथा ऋणी के साथ बैठक की व्यवस्था करती है। विफल रहने की दशा में, कम्पनी ऋणी/प्रतिभूतिदाता को ‘डिमाण्ड शो कॉज नोटिस’ (डीएससीएन) जारी करती है और उसके पश्चात् एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत वसूली

प्रमाणपत्र/नोटिस जारी करती है जिसमें एक निर्धारित अवधि में देयों के भुगतान की माँग की जाती है। अनुपालन न होने की स्थिति में, वित्त पोषित इकाई को सम्बद्ध करने तथा सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करने के लिये आगामी कार्यवाही की जाती है। इसके पश्चात् विक्रय के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। विक्रय प्राप्त धनराशि को पहले मूलधन के सापेक्ष और तत्पश्चात् ब्याज देयों के सापेक्ष समायोजित किया जाता है।

यद्यपि यह देखा गया कि:

- वसूली की प्रक्रियाओं जैसे डीएससीएन, एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29 के अधीन नोटिस तथा कम्पनी द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाणपत्रों को, किसी ऋणी की प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं पारदर्शी स्थिति बनाये रखने के लिये, एप्लीकेशन साफ्टवेयर का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया। इन विवरणों का बनाने के लिये साफ्टवेयर में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- इसी प्रकार, सम्बद्ध इकाइयों/सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति पर किये गये व्यय तथा की गयी वसूली इत्यादि सहित विक्रय की गयी इकाइयों, विभिन्न देयों के विरुद्ध समायोजित तथा वसूली योग्य शेष धनराशि से सम्बन्धित कोई डाटाबेस एप्लीकेशन साफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है।

प्रबन्धन ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

सामान्य नियन्त्रण

2.4.20 जिस परिवेश में आईटी संक्रियायें संचालित होती हैं, को शासित करने वाले नियन्त्रण, जिन्हें सामान्य नियन्त्रण कहा जाता है, प्रणाली में प्रवाहित तथा संकलित सूचना की गोपनीयता, अक्षुण्णता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। लेखा परीक्षा ने विभिन्न कमियाँ अवलोकित की जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

उपयोगकर्ता विशेषाधिकार (यूजर प्रिवलेज) और ऑकड़ों की सुरक्षा का अभाव

2.4.21 प्रासिक्स साफ्टारन (प्राइवेट) लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2000 के माध्यम से अवलोकित किया कि वसूली एवं बिलिंग प्रणाली में ऑकड़ों की सुरक्षा समुचित नहीं थी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य बही के ऑकड़ों में परिवर्तित करने की अनुमति थी और आगे कहा कि बिना सम्बन्धित अधिकारी के संज्ञान में लाये किसी अधिकारी द्वारा अभिलेखों में किये गये परिवर्तनों से ऑकड़ों में विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी थी तथा उन अधिकारियों को चिन्हांकित करने का सुझाव दिया जो ऑकड़ों को चयनित, प्रविष्टि तथा संशोधित कर सकते हों तथा इन उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग लॉग इन तथा पासवर्ड उपलब्ध किया जाये।

यद्यपि, समस्या बिलिंग अनुभाग में अभी भी बनी हुई है क्योंकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग लाग इन व पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और बिलिंग अनुभाग का एक सहायक प्रबन्धक, जो एक क्षेत्र की बिलिंग की देखरेख करता है, दूसरे सहायक प्रबन्धक (अन्य क्षेत्र देखरेख करने वाला) के ऑकड़ों को चयनित, प्रविष्टि तथा संशोधित कर सकता है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि केवल बिलिंग अनुभाग के अधिकारी को ऑकड़ों तक पहुँचने का अधिकार है। उत्तर लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दु को सम्बोधित नहीं करता है।

2.4.22 'रिकवर 2000' पर वसूली एवं बिलिंग की प्रक्रिया की जाँच से स्पष्ट हुआ कि उसमे कोई भी आउटपुट नियन्त्रण नहीं था। सेलेक्ट/एड/मोडिफाई की सुविधा न केवल बिलिंग अनुभाग के समस्त उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध थी बल्कि यह कम्प्यूटर अनुभाग में स्थापित सिस्टम पर भी बिना किसी पहुँच नियन्त्रण के उपलब्ध थी। बिलिंग/कम्प्यूटर अनुभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को परिवर्तन ऑकड़ों सहित जोड़ने/संशोधन करने की सुविधा की उपलब्धता, नियन्त्रण के अभाव को दर्शाता है क्योंकि बिलों/बहियों/प्रतिवेदनों को किसी भी प्रकार के संशोधन के साथ, लेखा परीक्षा पूछताछ की अनुपस्थिति में संशोधनों का कोई चिन्ह छोड़ बिना, बनाया जा सकता है।

प्रारम्भिक प्रेक्षण के प्रत्युत्तर में, प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि जोड़ने/संशोधन करने की सुविधा केवल बिलिंग अनुभाग की टीम को ही उपलब्ध है। जिसके बिना अनुभाग सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। उत्तर बचने का उपाय है क्योंकि उक्त की ऑन लाइन सुविधा कम्प्यूटर अनुभाग में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के आउटपुट नियन्त्रण की अनुपस्थिति में ऑकड़ों की अक्षुण्णता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

प्रबन्धन प्रक्रिया में दोषपूर्ण परिवर्तनों के कारण अविश्वसनीय डाटा बेस

2.4.23 लेखा परीक्षा द्वारा किये गये अध्ययन से प्रगट हुआ कि डाटा की अक्षुण्णता के विषय में प्रणाली तार्किक आश्वासन नहीं प्रदान करती है जोकि निम्न तथ्यों से स्पष्ट है:

- साफ्टवेयर किसी भी डाटा को परिवर्तनरोधी नहीं बनाता। किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी डाटा तालिका में किसी भी पश्चातवर्ती तिथि को किया जा सकता है;
- सोर्स कार्ड सुरक्षित नहीं था। साफ्टवेयर के माध्यम से किये गये परिवर्तनों के कुछ प्रकरणों की चर्चा उपरिवर्णित प्रस्तर 2.4.15 में की गयी है;
- परिवर्तन योग्य डाटा की तालिका के साथ प्रत्येक अन्तिम उपयोगकर्ता को उपलब्ध जोड़ने/संशोधित करने की सुविधा से यथा वांछित परिवर्तनों के साथ, कोई भी बिल/बही/प्रतिवेदन बनाया जा सकता है। जैसा कि पश्चातवर्ती प्रस्तर 2.4.24 में चर्चित है।

2.4.24 सामान्य नियन्त्रण की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

- कम्प्यूटर केन्द्र में, कर्मचारियों को अभिगमन प्रदान करने संबन्धित कोई लिखित अनुमति अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- बिलिंग अनुभाग में, कर्मचारियों को, उनके दायित्वों का निर्वाह करने के लिये न्यूनतम अभिगमन आवश्यकता का समुचित विश्लेषण किये बिना, सामान्य अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं।

- जानने की आवश्यकता/कार्य की आवश्यकता का विश्लेषण किये बिना ही, मॉड्यूल से संबद्ध रिपोर्ट और क्वेरी राइट्स बिलिंग अनुभाग में कार्यरत समस्त उपयोगकर्ताओं को सामान्य रूप से प्रदान कर दिया गया था।
- कम्पनी ने साफ्टवेयर लाइसेन्सों की सही आवश्यकता का आंकलन नहीं किया था तथा आवश्यकता के समय आवश्यक साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति नहीं की थी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि (i) चूंकि कम्प्यूटर अनुभाग, सेवा व सहायता अनुभाग है, इसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराने हेतु लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं है (ii) बिलिंग साफ्टवेयर में अभिगमन हेतु केवल बिलिंग टीम के अधिकारी ही अधिकृत है (iii) चूंकि वे बिलिंग अनुभाग के अधिकारी हैं; उन्हें वसूली एवं बिलिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट व क्वेरी को उत्पादित कराने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं (iv) कम्पनी के कार्यकलापों के पुनः प्रारम्भ होने पर वैध साफ्टवेयर लाइसेन्स क्रय किये जायेंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऑकड़ों की विश्वसनीयता के लिये ये नियन्त्रण आवश्यक हैं।

भौतिक व तार्किक अभिगमन नियन्त्रण में कमियाँ

2.4.25 भौतिक अभिगमन नियन्त्रण का उद्देश्य कम्प्यूटर उपकरण को अनाधिकृत पहुँच, चोरी दुर्घटना/जानबूझकर की गयी कार्यवाही आदि के कारण हुई क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है जबकि तार्किक अभिगमन नियन्त्रण, अनाधिकृत पहुँच, संशोधन प्रतिकृति एवं विलोपन से प्रोग्राम व डाटा फाइल्स को सुरक्षा प्रदान करता है। कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की गयी कम्प्यूटर प्रणाली में इस प्रकार के अभिगमन नियन्त्रण अनुपस्थित थे। यह भी अवलोकित किया गया कि:

- कम्पनी में एक औपचारिक आईटी सुरक्षा नीति की कमी थी और किसी भी सुरक्षा ड्रिल को न तो कभी बनाया गया और न ही कार्यान्वित किया गया। कम्प्यूटर रूम में प्रवेश न तो नियन्त्रित था और न ही प्रतिबन्धित था। जैसा कि यह आसानी से आगन्तुकों एवं दूसरे विभागों के कर्मचारियों की पहुँच में था, मुख्य सर्वर की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गयी है।
- इन्टरनेट के माध्यम से बाह्य अभिगम से प्रणाली की सुरक्षा हेतु 'फायर वाल' उपलब्ध नहीं थीं।
- कम्पनी के पास एक पूर्णतः परिभाषित और प्रलेखित 'पासवर्ड' नीति का अभाव था। पासवर्ड आवधिक रूप से परिवर्तित नहीं किये जा रहे थे। यद्यपि, साफ्टवेयर में यूजर-आईडी और पासवर्ड से सम्बन्धित फीचर्स उपलब्ध थे फिर भी सुरक्षा के उपाय अपर्याप्त थे क्योंकि (i) पिछले अभिगम की तिथि एवं समय तथा अन्तिम सफल लागइन के पश्चात् किये गये असफल प्रयासों की संख्या, प्राधिकृत उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर लागइन के समय प्रदर्शित नहीं होती थी; (ii) बहुत छोटी लम्बाई के पासवर्ड निर्माण को निरस्त करने के लिये कोई बैलिडेशन-चैक नहीं था; (iii)

प्रणाली द्वारा अल्फा-न्यूमेरिक पासवर्ड का प्रवर्तन नहीं किया गया था; (iv) पासवर्ड केस-संवेदी नहीं थे; और (v) यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों एक ही थे।

लेखा परीक्षा को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पर्याप्त आपदा पुनरुत्थान और व्यवसाय निरन्तरता नियोजन का अभाव

2.4.26 कम्पनी के पास इस बात का पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराने हेतु कि स्वचालित प्रणाली को परिचालन विहीन बना देने वाली किसी आपदा से डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रभावी एवं समयबद्ध ढंग से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, कोई औपचारिक आपदा- पुनरुत्थान एवं व्यवसाय निरन्तरता नियोजन नहीं था। मूल विन्यासात्मक मर्दें (हार्डवेयर, साप्टवेयर, वैयक्तिक एवं डाटा अस्तियाँ) जो कि आईटी कार्यकलापों की निरन्तरता के लिये अपरिहार्य थीं, यथोचित जोखिम विश्लेषण द्वारा चिन्हांकित नहीं की गयी थीं और प्रतिकारात्मक उपायों की रूपरेखा नहीं बनायी गयी थीं।

आगे यह अवलोकित किया गया कि:

- अग्निरोधी उपकरण, जो कि निगम कार्यालय में 40.90 लाख रुपये की लागत से वर्ष 1991 में स्थापित किये गये थे तथा कम्प्यूटर अनुभाग (जहाँ मेन सर्वर भी स्थापित है) को भी आच्छादित करता है, परिचालन में नहीं था (जून 2006)।
- बैंक-अप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक यन्त्रों को रखने के लिये फायरप्रूफ अल्मारी, कम्प्यूटर अनुभाग में उपलब्ध नहीं थी।
- कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा लिये जा रहे दैनिक/साप्ताहिक बैंक-अप का रोजनामचा तैयार नहीं किया जा रहा है।

किसी भी ‘आपदा पुनरुत्थान व व्यवसाय निरन्तरता नियोजन के अभाव में, कम्पनी के सर्वरों एवं अन्य संगणनीय प्रणाली पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण आपदा ने कम्पनी की कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के पंगु हो जाने का जोखिम उत्पन्न किया जो इसके पुनरुत्थान के प्रयास में गम्भीर अवरोध उत्पन्न करेगा।

कम्पनी ने बताया (जुलाई 2006) कि बैंक-अप लेने और उसे अलग-अलग अल्मारियों में रखे जाने और साथ ही ऑकड़ों को तीन हार्डिंडिस्कों में विसरित करने जैसी समस्त सावधानियाँ बरती जा रही हैं। पुनः फायर वाल का क्रय विचाराधीन है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, की जा रही कार्यवाही अपर्याप्त है।

हार्डवेयर व साप्टवेयर इन्वेन्ट्री के नियन्त्रण में विसंगतियाँ

2.4.27 लेखा परीक्षा की जॉच ने स्पष्ट किया कि कम्पनी की आईटी विंग ने अपनी आईटी से सम्बन्धित वस्तुओं का कोई अभिलेख नहीं रखा। कम्पनी के भण्डार अनुभाग की पंजिकाओं की प्रविष्टियों ने हार्डवेयर का नाम/प्रकार, इसकी लागत, क्रय का स्रोत, तिथि सहित बीजक का विवरण इत्यादि को इंगित नहीं किया। वर्तमान भण्डार पंजिका, ‘कम्प्यूटर/पीसी-एटी/484, सिस्टम/पीसी एक्सटी/पेन्टियम: 146 नग प्रिन्टर: 100 नग, दर्शाती है। भण्डार पंजिकाओं में

समय-समय पर क्रय किये गये साप्टवेयर से सम्बन्धित प्रविष्टियों का पता नहीं लगाया जा सका। इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि इन्वेन्ट्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन कभी किया गया है या कि भण्डार पंजिकाओं में सूचीबद्ध मदों का भौतिक इन्वेन्ट्री से आवधिक मिलान किया जा रहा है। प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अभिस्वीकृति

2.4.28 निष्पादन लेखा परीक्षा के आयोजन की विभिन्न अवस्थाओं में, कम्पनी/शासन के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग और सहायता को लेखा परीक्षा अभीस्वीकृत करता है।

उक्त निर्णय शासन को अक्टूबर 2006 में प्रतिवेदित किये गये; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

निष्कर्ष

कम्पनी ने किसी समग्र और समन्वित आईटी नीति या रणनीति को निरूपित किये बिना ही अपने क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ कर दिया। इसमें सामान्य व अनुप्रयोग नियन्त्रण प्रभावी नहीं थे, उपयोगकर्ता की आवशकताओं को परिभाषित या प्रलेखित नहीं किया गया था एवं प्रणाली के दुरुपयोग एवं संग्रहित ऑकड़ों के प्रवंचन को रोकने के लिये आवश्यक भौतिक एवं तार्किक नियन्त्रणों का अभाव था। देयों की वसूली तथा बिलिंग हेतु अभिकल्पित साप्टवेयर 'रिकवर 2000' का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा था और उसमें वैधता परीक्षण का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को राजस्व की हानि हुई।

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को अन्य बातों के साथ-साथ अभिप्रेत कम्प्यूटरीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा उससे उपार्जित होने वाले लाभों को परिभाषित करने वाली संगत आईटी रणनीति का निरूपण करना चाहिये। यह आवश्यक है कि एक एकीकृत साप्टवेयर पैकेज का विकास कराया जाये जो कम्पनी के समस्त व्यवसायिक कार्यकलापों विशेषतः वसूली एवं बिलिंग के कार्यात्मक श्रेत्रों का ध्यान रख सके।
- प्रणाली के सुगम एवं त्रुटिमुक्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी को प्रणाली विकास की सभी अवस्थाओं तथा बाद की तिथि को प्रणाली में किये गये परिवर्तनों का प्रलेखन सुनिश्चित करना चाहिये।
- कम्पनी को पर्याप्त भौतिक एवं तार्किक अभिगम नियन्त्रणों को सुनिश्चित करना चाहिये ताकि ऑकड़ों के बचाव एवं सुरक्षा से समझौता न हो। इसके अतिरिक्त, वैधता परीक्षण सहित पर्याप्त इनपुट नियन्त्रणों को साप्टवेयर में अन्तर्निहित होना चाहिये ताकि ऑकड़ों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा ऑकड़ों के प्रवंचन से बचा जा सके।

अध्याय-III

सांविधिक निगमों से सम्बंधित निष्पादन-समीक्षाएं

3.1 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सम्पत्तियों का निर्माण एवं आवंटन

मुख्य अंश

परिषद द्वारा पूर्ण विवरण सहित प्रस्तावों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण, शासन ने छः योजनाओं के अनुमोदन में 21 से 272 महीने का समय लिया। परिणामस्वरूप, परिषद 8860.36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सका और वह क्षेत्र अविकसित एवं अनगरीकृत रहे।

(प्रस्तर 3.1.9)

परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण से सम्बंधित अधिनियम की धारा 28 को शासकीय आदेश ने अप्रभावी कर दिया और इसका परिणति, एक निजी निर्माणिक के पक्ष में 1765 एकड़ की भूमि (अधिनियम की धारा 28 के अधीन पहले से ही अधिसूचित) छोड़ते हुए, अनुचित पक्षपात के रूप में हुयी।

(प्रस्तर 3.1.10)

भूमि पर अतिक्रमण के कारण, 104.82 करोड़ रुपये के विकास एवं सुधार व्यय को वसूला नहीं जा सका।

(प्रस्तर 3.1.13 एवं 3.1.17)

पूर्ण विवरण के अभाव में, जिला कलेक्टरों द्वारा अवार्ड्स की उद्घोषणा न करने के कारण, जिला कलेक्टरों के पास परिषद द्वारा जमा किया गया 8.60 करोड़ रुपये का कोष तीन वर्षों से भी अधिक समय तक निष्क्रिय पड़ा रहा।

(प्रस्तर 3.1.15)

शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, परिषद, 40482 परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं कर सका, जो आवास नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में परिषद की असफल इंगित कर रही है।

(प्रस्तर 3.1.24)

हरदोई रोड योजना, लखनऊ में प्रथम आबंटन हेतु भूमि की दर 2355 रुपये प्रति वर्ग मीटर का निर्धारण, लागत निर्धारण सम्बंधी अनुदेशों के उल्लंघन में, बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के किया गया और परिणामतः परिसम्पत्तियों की लागत 8.32 करोड़ रुपये से बढ़ गयी।

(प्रस्तर 3.1.33)

अपनी नीति के प्रतिकूल, वर्ष 2004-05 में कम भूमि दर निर्धारण के कारण परिषद ने 602 परिस्मतियों के आवंटन में 2.52 करोड़ रुपये की हानि बहन किया।

(प्रस्तर 3.1.34)

बसुंधरा योजना में, पूर्व नीलामी में प्राप्त उच्चदर का ध्यान रखे बिना, आगामी नीलामियों हेतु आरक्षित मूल्य के निर्धारण करने एवं व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु प्लाटों के त्रुटिपूर्ण ढंग से आरक्षित मूल्य निर्धारित किये जाने के कारण, 13.44 करोड़ रुपये की राशि की बसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 3.1.36 एवं 3.1.37)

आवंटियों से पूर्व में बसूल की गयी लागत तथा अन्तिम लागत के मध्य अन्तर के समायोजन हेतु परिषद ने कोई प्रणाली विकसित नहीं किया था।

(प्रस्तर 3.1.38)

एक सहकारिता समिति को, कम दरों पर भूमि उपलब्ध कराते हुए, 4.12 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(प्रस्तर 3.1.39)

वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना के अधीन, 26.90 करोड़ रुपये लागत की भूमि से सम्बंधित दावा राज्य सरकार/राज्य नगरीय विकास अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.1.46)

प्रस्तावना

3.1.1 समाज के विभिन्न वर्गों की आवास-समस्याओं को हल करने हेतु, राज्य एवं राष्ट्रीय आवास नीति के अनुरूप ग्राह्य मूल्यों पर आवासों/प्लाटों को उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (अधिनियम) के अधीन, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) की स्थापना अप्रैल 1966 में की गयी थी।

परिस्मतियों के निर्माण एवं आवंटन हेतु परिषद, निम्नलिखित क्रमानुसार कार्यकलापों को सम्पादित करता है:

- भूमि का अधिग्रहण;
- भूमि का विकास;
- परिस्मतियों का निर्माण; तथा
- परिस्मतियों का आवंटन।

परिषद का प्रबन्धन, 14 सदस्यीय निदेशक मंडल के अधीन है। इस मंडल का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है। आवास आयुक्त, परिषद का मुख्य कार्यकारी और साथ ही बोर्ड का सदस्य भी होता है। परिषद के दिन प्रतिदिन कार्यकलापों की

देख-रेख मुख्यालय स्तर पर आवास आयुक्त द्वारा, अतिरिक्त आवास आयुक्त-सह-सचिव, दो संयुक्त/उप आवास आयुक्त, एक वित्त नियंत्रक, एक मुख्य अभियन्ता, एक मुख्य वास्तुविद और नियोजक तथा एक विधिक सलाहकार के सहयोग से की जाती है।

परिषद के कार्य-संचालन पर आधारित निष्पादन-समीक्षा को वर्ष 2000-01 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार, में सम्मिलित किया गया था जिस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा आंशिक रूप से विचार-विमर्श किया गया है (अगस्त 2006)।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.1.2 वर्तमान निष्पादन-समीक्षा, अक्टूबर 2005 से मई 2006 के दौरान सम्पादित की गयी जिसमें 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2006 के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, भूमि के अधिग्रहण, भूमि के विकास, परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं आवंटन (आवास एवं प्लाट) से सम्बंधित परिषद के निष्पादन को समाहित किया गया है।

31 मार्च 2006 को परिषद के 36 निर्माण प्रखण्डों (निप्र) तीन विद्युत प्रखण्डों (विप्र0) और 59 सम्पत्ति-प्रबन्धन कार्यालयों (सप्रका) के द्वारा क्रियान्वित किये जाने हेतु 142 योजनाएं थीं। 20 योजनाओं के सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा द्वारा मुख्यालय, 14^{*} नि.प्र. और सात^{**} सम्बद्ध स.प्र.का. के अभिलेखों की जाँच की गयी। लेखा परीक्षा हेतु नमूने का चयन, निर्माण प्रखण्डों एवं उनसे सम्बद्ध सप्रका के टर्नओवर पर आधारित था। 14 नि.प्र. का टर्नओवर 398.36 करोड़ रुपये रहा, जो कुल टर्नओवर 597.67 करोड़ रुपये का 66.65 प्रतिशत था।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

3.1.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों में यह अभिनिर्धारण करना सम्मिलित था कि, क्या:

- भूमि की उपयुक्तता तथा अतिक्रमण से परिषद के हितों के पर्याप्त सुरक्षोपाय का आकंलन करने के बाद, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया समय से पूर्ण की गयी थी;
- भूमि के विकास हेतु पर्याप्त नियोजन किया गया था तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से अपनाया गया था;
- निर्माण कार्य लागत प्रभावी एवं गुणात्मक था;
- समाज को ग्राह्य मूल्यों पर प्लाटों/आवासों को प्रदान करने विषयक मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विकसित प्लाटों (आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थात्मक) और निर्मित आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी थी; तथा

* निप्र0- 2,3,12,13,19 एवं 21, लखनऊ, निप्र0-10,16,27 और 32 गाजियाबाद, निप्र0- 17 और 18, कानपुर, निप्र0-35 इलाहाबाद, निप्र0-26 मुरादाबाद।

** स0प्र0का0- इलाहाबाद, बृन्दावन लखनऊ, हरदोई रोड योजना लखनऊ, कानपुर योजना सं0 1 एवं 3, गाजियाबाद और मुरादाबाद।

- सरकारी योजनाओं के अधीन, समाज के कमज़ोर वर्गों को आवासों के आवंटन में योजनाओं में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए किया गया था।

लेखा परीक्षा की कसौटी

3.1.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आंकलन हेतु, लेखा परीक्षा की कसौटियों में निम्नलिखित के अनुपालन स्तर की जाँच करना सम्मिलित था:

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एल.ए.ए) और उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण करार नियमावली, 1997 (एलएकेएन) के प्राविधान;
- समाज के कमज़ोर वर्गों हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बंधी दिशा निर्देश;
- परिषद के लागत निर्धारण सम्बंधी दिशा निर्देश;
- रजिस्ट्रेशन एण्ड एलाइमेण्ट रेगुलेशन, 1979; एवं
- वाटर (प्रीवेंशन एण्ड कन्ट्रोल आफ पालूशन) एक्ट, 1974।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

3.1.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित समन्वित लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया:

- परिषद की आवास नीति, बोर्ड के एजेण्डा एवं सूक्ष्मों, प्रशासनिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से सम्बंधित प्रतिवेदनों का अध्ययन करना।
- भूमि अधिग्रहण के अभिलेखों, प्रोजेक्ट ले-आउट और प्राक्कलनों, निविदाओं एवं करारों तथा निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति एवं उसके उपभोग की संवेद्धा करना।
- आवंटियों से वसूली हेतु प्रस्तावित परिसम्पत्तियों के लागत-निर्धारण के लिए परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन का परीक्षण करना।
- परिसम्पत्तियों के आवंटन से सम्बंधित प्रपत्रों का परीक्षण करना; और
- लेखा परीक्षा प्रपत्र को जारी करना एवं प्रबन्धन के साथ अन्तःक्रिया करना।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

3.1.6 निष्पादन-समीक्षा के परिणामस्वरूप ज्ञात लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को जून 2006 में प्रतिवेदित किया गया था और 10 अगस्त 2006 को आयोजित राज्य लोक उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी. एस.इ.) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। जिसमें परिषद के आवास आयुक्त एवं वित्त नियंत्रक उपस्थित थे। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय, बैठक में सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखा गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा क्रमानुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

भूमि का अधिग्रहण

3.1.7 परिषद भूमि का अधिग्रहण, भूस्वामित्व वाले व्यक्तियों अथवा वर्गों से, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण करार नियमावली 1997 के प्राविधानों के अधीन करती है।

भूमि अधिग्रहण करने के उद्देश्य से परिषद, अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत आवास योजना में आवृत्त सीमाओं का विशिष्ट ब्यौरा देते हुए, अधिसूचना प्रकाशित करता है। तत्पश्चात्, भू-स्वामियों को नोटिस जारी की जाती है, उनकी आपत्तियाँ सुनी जाती हैं और धारा 29, 30, एवं 31 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के क्षेत्र में संशोधन किया जाता है तथा धारा 31 (2) के अधीन, शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। तब, धारा 32 के अधीन, राजकीय अधिपत्र में योजना को अन्तिम रूप से अधिसूचित किया जाता है। तत्पश्चात्, एलएकेएन के अधीन भू-स्वामियों के साथ तय की गयी क्षतिपूर्ति दर सहित प्रस्ताव को, एल.ए.ए. के अन्तर्गत, भूमि का अधिग्रहण परिषद के पक्ष में करने हेतु जिला प्रशासन को भेज दिया जाता है। पुनः, अधिनियम की धारा 35 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जहाँ कहीं किसी आवासीय योजना के सम्बंध में धारा 28 के अधीन, नोटिस का प्रकाशन किया गया है, आवास आयुक्त किसी भी व्यक्ति को, किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने अथवा योजना में विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी भूमि का अन्यथा विकास करने से, रोक सकता है।

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

3.1.8 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान भूमि अधिग्रहण के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है:

(भूमि एकड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	विकास हेतु उपलब्ध भूमि	4050.29	3494.86	3935.02	3273.26	3158.11
2.	अधिग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य	848.86	1117.36	1460.71	1900.77	864.85
3.	अधिग्रहीत भूमि	156.32	1145.41	98.52	359.38	573.25
4.	वर्ष के अन्त में उपलब्ध कुल भूमि	4206.61	4640.27	4033.54	3632.64	3731.36
5.	वर्ष के दौरान विकसित की गयी भूमि	711.75	705.25	760.28	474.53	1062.13
6.	वर्ष के अन्त में विकास हेतु उपलब्ध कुल भूमि	3494.86	3935.02	3273.26	3158.11	2669.23
7.	निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भूमि-अधिग्रहण का प्रतिशत	18.42	102.51	6.73	18.91	66.28

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से परिलक्षित है, भूमि अधिग्रहण का प्रतिशत अत्यन्त निम्न तथा गत पाँच वर्षों के दौरान, वर्ष 2002-03 के अतिरिक्त, 6.73 से 66.28 प्रतिशत के मध्य रहा।

निष्पादन समीक्षा के दौरान, धारा 28 के अधीन अधिसूचना की तिथि से धारा 32 के अधीन अधिसूचना में और अधिनियम की धारा 31(2) के अधीन शासन का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, त्रुटिपूर्ण सूचना को प्रस्तुत करने और उन्नयन एवं विकास शुल्क की वसूली में चूक के अतिरिक्त अधिसूचित भूमि के अतिक्रमण के कारण भूमि अधिग्रहीत न किये जाने के प्रकरण लेखा परीक्षा के संज्ञान में आये जैसा पश्चातवर्ती प्रस्तरों में चर्चित किया गया है:

भूमि अधिग्रहण में प्रणालीगत कमियों

3.1.9 भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में संज्ञान में आयी प्रणालीगत कमियों की चर्चा निम्नवर्त् की गयी है:

- 14 योजनाओं से सम्बंधित भूमि अधिग्रहण एवं विकास की स्थिति को **परिशिष्ट-16** में प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट से यह अवलोकन किया जा सकता है कि 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचना निर्गमन की तिथि से, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब (12 माह की युक्तियुक्त अवधि की छूट के बाद)* की अवधि 10 से 86 माह तक थी। विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि अधिनियम की धारा 28 के अधीन परिषद द्वारा अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से धारा 32 के अधीन भूमि अधिग्रहण हेतु, अधिनियम में समयावधि का विशिष्ट प्रावधान की अनुपलब्धता है। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, कुछ प्रकरणों में भूमि-अतिक्रमण के रूप में परिणामित हुआ, जिसकी चर्चा क्रमानुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:
- छ^{**}: योजनाओं की स्थिति जिसमें भूमि अधिग्रहण में अप्रत्याशित विलम्ब को दर्शाती हुई, जहाँ अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचना के निर्गमन के पश्चात, कोई प्रगति-कार्य नहीं हुआ, परिशिष्ट-17 में वर्णित है। परिशिष्ट से यह अवलोकन किया जा सकता है कि परिषद ने 6 आवासीय योजनाओं से सम्बंधित 8860.36 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु, सितम्बर 1983 से अगस्त 2004 की अवधि के दौरान प्रथम अधिसूचना (धारा 28 के अधीन) निर्गत की किन्तु शासन को पूर्ण सूचना उपलब्ध न कराने और अधिनियम की धारा 31(2) के अधीन शासन स्तर पर निर्णय में विलम्ब

* अधिनियम की धारा 28 के अधीन प्रथम अधिसूचना के निर्गमन तिथि के पश्चात, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा धारा 29 के लिए 6 सप्ताह, धारा 30 के लिए 60 दिन, और धारा 31(1) हेतु 6 माह तथा धारा 31(2) के अधीन शासन द्वारा स्वीकृति हेतु कोई समय सीमा नहीं थी तथा शासन की स्वीकृति के पश्चात भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 32 के अधीन अधिसूचना निर्गत की जाती है।

** (1) लोहगढ़ योजना, सुल्तानपुर (2) दिल्ली-सहारनपुर बाईपास रोड, गाजियाबाद (3) अतरौली योजना, आगरा (4) जामूति बिहार स्कीम संख्या-11, मेरठ (5) जौनपुर-इलाहाबाद सड़क योजना, जौनपुर और (6) सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।

के कारण, अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 21 से 272 महीनों की समाप्ति के बाद भी अधिनियम की धारा 32 के अधीन अधिसूचना का निर्गमन नहीं हो सका। अधिनियम की धारा 32 के अधीन अधिसूचना के निर्गमन में विलम्ब के परिणामस्वरूप, प्रभावित किसान (भू-स्वामी) न तो कोई निर्माण कार्य कर सके और न ही आवास नीति की मंशा के अनुरूप, उक्त क्षेत्र नगरीकृत किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि भूमि का अधिग्रहण विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और कतिपय प्रकरणों में विलम्ब अपरिहार्य था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विलम्ब हेतु उत्तरदायी विशिष्ट कारणों को लेखा परीक्षा के संज्ञान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- क्षतिपूर्ति दर का निर्धारण किये बिना, परिषद द्वारा, बोर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 32 के अधीन अधिसूचित भूमि के सम्बन्ध में जिला कलेक्टरों (डी.सी.) के पास, उनकी माँग के अनुरूप कोष जमा किया जाता है। जिला कलेक्टरों के पास जमा की गयी भूमि अधिग्रहण लागत की राशि पर, परिषद द्वारा 16 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाता है। भू-स्वामियों को भुगतान की तिथि तक डी.सी. के पास पड़ा हुआ कोष निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय अवधि के दौरान ब्याज लगने के कारण, भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने ब्याज-भार को कम करने के उद्देश्य से (जनवरी 1993) एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार, डी.सी. के पास पड़ा हुआ कोष सावधि जमा के रूप में निवेशित किया जाना था। शासन के आदेश के बावजूद, डी.सी. के पास निष्क्रिय रूप में पड़े हुए कोष का मामला लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया और किसी भी मामलों में कोषों को सावधि जमाओं के रूप में विनियोजित नहीं किया गया था।
- आवासीय सहकारी समितियाँ, जोकि परिषद की योजनाओं के सन्निकट स्थित होती हैं, परिषद की उस भूमि का अतिक्रमण कर लेती है जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 28 एवं 32 के अधीन पूर्व में ही अधिसूचना निर्गत की गयी होती है। तथापि, परिषद, अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के अधीन, आवासीय समितियों को भूमि अतिक्रमण करने से रोक नहीं सका। इसकी वजह से क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब होता है और परिणामस्वरूप भूमि का कब्जा प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण भू-स्वामियों द्वारा उच्च दर पर क्षतिपूर्ति की माँग की जाती है। इससे भूमि-अधिग्रहण लागत बढ़ जाती है। परिषद की भूमि का अतिक्रमण करने वाली आवासीय समितियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही को दर्शित करने वाला परिषद द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सके।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आयी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की कमियों के कुछ दृष्टांतों की चर्चा निम्नवत् की गयी है:

सुल्तानपुर-सड़क योजना

एक निजी निर्माणक को अनुचित लाभ

3.1.10 लखनऊ जनपद स्थित सुल्तानपुर-सड़क योजना के अन्तर्गत 4465.398 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने हेतु अधिनियम की धारा 28 के अधीन परिषद ने अधिसूचना निर्गत की गयी (अगस्त 2004)। आपत्तियों के श्रवण के दौरान (नवम्बर/दिसम्बर 2004) परिषद को ज्ञात हुआ कि अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (एपीआईपीएल) ने परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में 58 एकड़ भूमि अनधिकृत रूप से, भू-स्वामियों से क्रय कर लिया था और आवासों एवं प्लाटों के निर्माण एवं बुकिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। परिषद ने एपीआईपीएल द्वारा कृत निर्माण पर अदालत के माध्यम से रोक लगाया और अनधिकृत निर्माणों को धराशायी कर दिया (जनवरी 2005)। एपीआईपीएल ने, परिषद द्वारा अधिसूचित 1765 एकड़ भूमि में अपनी योजना स्वीकृत करने हेतु परिषद से अनुरोध किया (फरवरी 2005) जो परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी (फरवरी 2005)। परिषद ने (मई 2005) 4085.423 एकड़ भूमि पर एक कालोनी के विकास हेतु एक प्रस्ताव को शासन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जो कि शासन द्वारा (जून/जुलाई 2005) आपत्तियों के साथ, वापस कर दिया गया। परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधित प्रस्ताव (दिसम्बर 2005) शासन द्वारा इस निर्देश के साथ कि परिषद योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपनी क्षमता का आंकलन करे, पुनः वापस कर दिया गया (अप्रैल 2006)। जबकि शासन को पूर्णतः ज्ञात था कि परिषद ने सफलतापूर्वक कालोनियों का विकास-कार्य सम्पन्न किया था तथा परिषद के पास (469.23 करोड़ रुपये से 844.11 करोड़ रुपये) पर्याप्त कोष विद्यमान था। राज्य सरकार ने, निजी निर्माणकों की हाईटेक टाउनशिप आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया (30 दिसम्बर 2005)। संशोधन के अनुसार, (अ) परिषद, धारा 28 के अधीन अधिसूचित भूमि को हाईटेक टाउनशिप हेतु, मुक्त कर सकता है (ब) यदि एक पंजीकृत लाइसेन्स धारक ने धारा 28 के अधीन अधिसूचित भूमि का न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग क्रय कर लिया है तो क्रय की गयी भूमि को अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत समावेशित नहीं किया जायेगा। परिषद ने एपीआईपीएल के पक्ष में 1765 एकड़ भूमि छोड़ने का निर्णय लिया (मई 2006) और अनुमोदन हेतु शासन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रकार, शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन ने एपीआईपीएल के पक्ष में भूमि छोड़ते हुए, एपीआईपीएल को परिषद द्वारा अनुचित लाभ प्रदान करने में सहजता प्रदान किया।

पर्याप्त कोष एवं संसाधन होने के बावजूद, परिषद ने अधिसूचित भूमि के 1765 एकड़ भाग को एपीआईपीएल के पक्ष में छोड़ने हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सुल्तानपुर-सड़क योजना हेतु भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुआ क्योंकि निर्धारित नीति में संशोधन का कार्य शासन के विचाराधीन था। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एपीआईपीएल के पक्ष में भूमि छोड़ने का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया था।

वृन्दावन योजना

3.1.11 परिषद ने लखनऊ की वृन्दावन योजना-1 एवं 2 हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना अधिनियम की धारा 32 के अधीन जारी किया (सितम्बर 1991)।

हालांकि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि का इसके द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जा सका, जैसा कि निम्नवत् उल्लिखित किया गया है:

- स्कीम-1 के अन्तर्गत, परिषद ने 344.386 एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु, डी.सी. के पास 14 करोड़ रुपये जमा किया। डी.सी. ने हालांकि, 22 एकड़ भूमि को हस्तगत करने की अधिघोषणा नहीं की। दो वर्षों की समाप्ति के बावजूद, परिषद ने न तो 22 एकड़ भूमि को प्राप्त करने हेतु और न ही डी.सी. के पास जमा की गयी धनराशि की वापसी हेतु कोई प्रयास किया।
- योजना-2 के अन्तर्गत परिषद ने 843.09 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु डी.सी. के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें से डी.सी. ने 768.38 एकड़ भूमि हेतु 44 स्वीकृतियाँ 31 मार्च 2006 तक प्रदान की और परिषद को भूमि का कब्जा प्रदान कर दिया। अवशेष 65.71 एकड़ भूमि को परिषद को हस्तगत नहीं किया जा सका क्योंकि इसने (फरवरी 2006) डी.सी. द्वारा माँग की गयी 1.06 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि को जमा नहीं किया जिसके उत्तरदायी कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि डी.सी. के पास क्षतिपूर्ति राशि को जमा करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

3.1.12 वृन्दावन योजना-3 एवं 4 हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना परिषद ने अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत जारी की (दिसम्बर 1999)। भू-स्वामियों को नोटिस जारी करने, उनकी सुनवाई करने और अधिग्रहण हेतु मुक्त क्षेत्र का निर्णय करने एवं भूमि का प्रयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त करने में डी.सी. ने चार वर्षों से अधिक का समय लिया। अधिनियम की धारा 32 के अधीन योजना-3 हेतु 376.141 एकड़ भूमि एवं योजना-4 हेतु 654.340 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अप्रैल 2004 तक केवल अधिसूचना ही जारी की जा सकी।

एलएकेएन की धारा 2 में यह प्रावधान है कि भूमि की क्षतिपूर्ति दरों के निर्धारण हेतु, भू-स्वामियों के साथ संवाद हेतु पर्याप्त प्रयास किये जाने चाहिए। लेखा परीक्षा के दौरान (मई 2006) यह ज्ञात हुआ कि अधिनियम की धारा 32 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात परिषद ने, एलएकेएन की धारा 2 के प्रावधान के अनुसार, भू-स्वामियों के साथ क्षतिपूर्ति दरों के निर्धारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया और डी.सी. के पास 50.18 करोड़ रुपये (योजना-3, 18.34 करोड़ रुपये और योजना-4, 31.84 करोड़ रुपये) विलम्ब से मार्च 2005 में जमा किया। आयुक्त द्वारा क्षतिपूर्ति दरों का निर्धारण जुलाई 2005 में किया गया। परिषद ने भू-स्वामियों के साथ संविदा करने हेतु पर्याप्त प्रयास भी नहीं किया ताकि अधिग्रहीत भूमि की स्वीकृति हेतु डीसी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके। परिणामतः परिषद कुल अधिग्रहीत भूमि 1030.481 एकड़ के सापेक्ष केवल

क्षतिपूर्ति दर का निर्धारण करने के बाद भी, परिषद ने 834.491 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु भू-स्वामियों के साथ समझौते हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किया।

195.99 एकड़ भूमि (योजना-3 में 116.59 एकड़ भूमि एवं योजना-4 में 79.40 एकड़ भूमि) का ही अधिग्रहण कर सका (अगस्त 2006)।

विकास-शुल्क की वसूली न होना

3.1.13 अधिनियम विकास-शुल्क की वसूली के लिए प्रावधानित नहीं करता था। हालांकि, अधिग्रहीत भूमि को अवमुक्त करने/अधिसूचित भूमि को आवंटित करने का निर्णय परिषद/शासन द्वारा, विकास-शुल्क को अवमुक्त करने के पश्चात् ही किया गया था। इस सम्बन्ध में, परिषद द्वारा विकास-शुल्क हेतु, सर्वेक्षण किया जाना एवं विद्यमान भू-स्वामियों को कानूनी नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। वृन्दावन योजना-1 लखनऊ के प्रकरण में, 386.96 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 32 के अधीन, सितम्बर 1991 में अधिसूचना जारी की गयी थी। उक्त भूमि में से 89.664 एकड़ भूमि में सितम्बर 1991 में नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् अनधिकृत निर्माण किया गया। परिषद ने विकास-शुल्क की वसूली के पश्चात्, अधिधारकों के पक्ष में भूमि आवंटन करने का निर्णय (सितम्बर 2001) लिया। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि सीडी-12 ने, वास्तविक भू-स्वामियों, जिनको माँग-पत्र जारी किया जाना था और जिनसे विकास-शुल्क की वसूली की जानी थी, की पहचान हेतु सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न नहीं किया। पुनः, इसने विलम्ब से 133 भू-स्वामियों से सम्बंधित आगणन-पत्र तैयार किया और उक्त भू-स्वामियों से विकास-शुल्क की 36.71 करोड़ रुपये की धनराशि की वसूली हेतु, ईएमओ के पास भेजा (मई 2003 से फरवरी 2006)। मूल भू-स्वामियों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अपनी भूमि पहले ही दूसरे व्यक्तियों को बेच दिये जाने के कारण, सभी माँग-पत्र बिना वितरित हुए ही, वापस लौट आये। अतः गलत व्यक्तियों को नोटिसें जारी किये जाने के कारण 36.71 करोड़ रुपये विकास-शुल्क अवसूलित रहा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि भूमि के अतिक्रमण को दूर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। प्रबन्धन का उत्तर, एआरसीपीएसइ की मीटिंग में दिये गये व्यक्तव्य, जिसमें कहा गया था कि वास्तविक अधिधारकों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया जायेगा और वसूली प्रमाण-पत्रों को जारी करके विकास-शुल्क की वसूली की जायेगी, के विपरीत था।

लोनी-रोड एवं दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास योजना

3.1.14 परिषद ने लोनी-रोड योजना, गाजियाबाद हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना, अधिनियम की धारा 28 के अधीन जारी की (अगस्त 1997)। अधिनियम की धारा 32 के अधीन 335.024 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना, हालांकि, सात वर्षों के पश्चात फरवरी 2005 में जारी की गयी। इसी प्रकार दिल्ली-बुलन्दशहर बाई पास योजना के प्रकरण में, परिषद ने अधिनियम की धारा 28 के अधीन नवम्बर 1998 में अधिसूचना जारी किया और 703.720 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने में इसे चार वर्षों का समय लग गया। अन्तरित अवधि में, 12 आवास समितियों ने लोनी सड़क योजना के अन्तर्गत

विद्यमान भू-स्वामियों के बजाय, मूल भू-स्वामियों को माँग पत्र जारी करने के कारण परिषद, भू-स्वामियों से 36.71 करोड़ रुपये का विकास शुल्क वसूल नहीं कर सकी।

अधिग्रहण प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब के कारण परिषद की अधिसूचित भूमि में से 95.341 एकड़ भूमि, 39 आवास समितियों द्वारा क्रय कर ली गयी थी।

41.760 एकड़ भूमि क्रय कर लिया था और 27 समितियों ने दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास योजना के अन्तर्गत 53.581 एकड़ भूमि सीधे भू-स्वामियों से क्रय कर लिया था। परिषद, अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत आवास समितियों को परिषद की भूमि का अतिक्रमण करने से रोक सकती थी।

अतः परिषद द्वारा, समितियों के कार्यकलापों को रोकने हेतु कोई कार्यवाही न करने, अधिग्रहण-प्रक्रियायों में विलम्ब एवं भू-स्वामियों के साथ दर निर्धारण हेतु पर्याप्त प्रयास न किये जाने के परिणामस्वरूप लोनी-सड़क योजना के अन्तर्गत डीसी द्वारा अभी तक (अगस्त 2006) भूमि पर कब्जा हेतु स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी। दिल्ली- बुलन्दशहर बाईपास योजना के अन्तर्गत, हालांकि केवल 64.99 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा सका (मार्च 2006)।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि समितियों द्वारा अनधिकृत भूमि क्रय के मामलों पर, जोकि उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु डी.सी. के पास प्रस्तुत हुई, परिषद द्वारा प्रत्येक मामले की गुणवत्ता के आधार पर, भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात निर्णय किया जायेगा।

इन्दिरानगर विस्तार-2 योजना, लखनऊ

3.1.15 इन्दिरानगर विस्तार-2 योजना लखनऊ हेतु प्रथम चरण में 172.93 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु परिषद ने क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 8.60 करोड़ रुपये जमा किया (फरवरी/अप्रैल 2003)। लेखा परीक्षा (मई 2006) में देखा गया कि भूमि की क्षतिपूर्ति दर को अन्तिम रूप देने एवं उसके सापेक्ष स्वीकृति की घोषणा में विलम्ब से बचने की दृष्टि से डीसी ने (मई 2003) सूचित किया कि क्षतिपूर्ति की कुल राशि 19.68 करोड़ रुपये सूचित किया और 11.08 करोड़ रुपये की अवशेष राशि जमा करने हेतु, परिषद से अनुरोध किया लेकिन यह परिषद द्वारा जमा नहीं की गयी।

डीसी के समक्ष गलत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुआ।

पुनः यह देखा गया कि अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में परिषद ने गलत सूचना (खसरा संख्या) दिया था तथा अनधिकृत-निर्माणों का क्षेत्रफल, डीसी को सूचित किये गये क्षेत्रफल से बहुत अधिक था। प्रबन्धन ने अभी तक (अगस्त 2006) सही सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, भूमि को हस्तगत करने का निर्णय नहीं घोषित किया जा सका और परिषद का 8.60 करोड़ रुपये का कोष डी.सी. के पास निष्क्रिय पड़ा रहा (अगस्त 2006)। राज्य सरकार के जनवरी 1993 के निर्देशों के बावजूद उक्त कोषों को सावधि जमा विनियोजित नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि विभिन्न स्तरों पर भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु किसी निर्धारित समय सारिणी के अभाव में, परिषद अपना स्वामित्व नहीं प्राप्त कर पाया और भूमि पर अतिक्रमण को रोकने का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सका। परिणामतः समयान्तराल के साथ-साथ, भूमि का बार-बार सीमांकन होता रहा जिसे गलत सूचना के रूप में नहीं लेना चाहिए। प्रबन्धन का उत्तर, एआरसीपीएसइ में दिये गये वक्त्यव्य के

विपरीत है जिसमें कि यह स्वीकार किया गया था कि सर्वेक्षण रिपोर्ट गलत है और पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

देव प्रयागम् योजना

3.1.16 परिषद ने देव प्रयागम् योजना प्रारम्भ किया जिसके लिए इसने इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से 3.50 करोड़ रुपये में 19.82 एकड़ भूमि (मई 2003) क्रय किया, जिसमें 1.03 करोड़ रुपये की 5.82 एकड़ अतिक्रमित भूमि, जो अभी तक मुक्त नहीं हो सकी, शामिल थी। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि भूमि का कब्जा लेते समय, परिषद ने भूमि की स्थिति का प्रमाणन नहीं किया था और यद्यपि, तीन वर्षों की अवधि व्यतीत हो चुकी थी, फिर भी, कोई अग्रेतर प्रगति नहीं की गई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह या तो धनराशि वापस कर दे या भूमि का कब्जा परिषद को प्रदान कर दे।

कानपुर योजना

सुधार-शुल्कों के आरोपित किये जाने में अनिर्णय

3.1.17 अधिनियम की धारा 28 के अधीन योजना संख्या 1 एवं 2 कानपुर हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जुलाई 1972 में जारी की गयी थी तथा योजना संख्या-3 कानपुर हेतु अधिसूचना दिसम्बर 1979 में निर्गत की गयी थी। अधिनियम की धारा 32 के अधीन इन योजनाओं का प्रारम्भ, योजना संख्या 1 एवं 2 के सम्बन्ध में सितम्बर 1980 में तथा योजना संख्या-3 के सम्बन्ध में अगस्त 1982 में अधिसूचित किया गया था। इसी बीच, योजना संख्या-2 (हंसपुरम) की 287.25 एकड़ भूमि एवं योजना संख्या 1 एवं 3 (केशवपुरम) की 37.80 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो गया। जिला प्रशासन (जून 1986) को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि सघन अनधिकृत निर्माण के कारण, योजना संख्या 1,2 एवं 3 से सम्बंधित अतिक्रमण को दूर करना सम्भव नहीं था। इन परिस्थितियों में, परिषद के पास अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत यह विकल्प था कि वह भूमि को मुक्त कर दे और सुधार शुल्कों की वसूली कर ले। लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ (मई 2006) कि बीस वर्षों की समाप्ति के बाद भी, उपर्युक्त योजनाओं (हंसपुरम योजना संख्या-2: 310.31 करोड़ रुपये मूल्य की 287.25 एकड़ भूमि, केशवपुरम योजना संख्या 1 एवं 3: 30.22 करोड़ रुपये मूल्य की 37.80 एकड़ भूमि) की कुल 325.05 एकड़ भूमि से सम्बन्धित 68.11 करोड़ रुपये के सुधार-शुल्कों (भूमि की कीमत 340.53 करोड़ रुपये का 20 प्रतिशत) की वसूली भू-स्वामियों से करने के बाद, अधिधारकों के पक्ष में भूमि छोड़ने का परिषद ने निर्णय नहीं लिया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उक्त प्रकरण को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अधिग्रहीत भूमि को छोड़ने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा निर्णय लेने में चूक के कारण 68.11 करोड़ रुपये के सुधार-शुल्कों की वसूली नहीं हो सकी।

भूमि का विकास

3.1.18 परिषद, अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के बाद विकास कार्य प्रारम्भ करता है जिसमें ले आऊट प्लान तैयार करना तथा बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य शामिल होते हैं। योजना में बाह्य विकास के अन्तर्गत, मुख्य एवं बाह्य सड़कों का निर्माण, जल एवं निकासी व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सम्मिलित है। क्षेत्र को आवासीकृत करने के लिए भू-खण्डों एवं आवासों के आवंटन हेतु परिसरों में आंतरिक विकास कार्य यथा-आंतरिक एवं सेवा सड़कों का निर्माण, जल एवं निकासी व्यवस्था, पार्कों तथा अन्य जनोपयोगी कार्य टुकड़ों में सम्पन्न किये जाते हैं।

लक्ष्य एवं उपलब्धि

3.1.19 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, भूमि के विकास की स्थिति को निम्न सारिणी में प्रस्तुत किया गया है:

(भूमि एकड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	प्रारम्भ में विकास हेतु उपलब्ध भूमि	4050.29	3494.86	3935.02	3273.26	3158.11
2.	विकास हेतु लक्ष्य	300.13	350.14	688.32	740.31	898.11
3.	विकसित की गयी भूमि	711.75	705.25	760.28	474.53	1062.13
4.	विकास हेतु उपलब्ध भूमि पर उपलब्धि का प्रतिशत	17.57	20.18	19.32	14.50	33.63

उपर्युक्त से यह अवलोकित किया जा सकता है कि:

- वर्ष 2004-05 के अतिरिक्त सभी पाँच वर्षों में लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे। 2004-05 में निम्न निष्पादन का कारण, 16 योजनाओं से सम्बंधित 78.78 एकड़ के लक्ष्य के सापेक्ष शून्य विकास कार्य था।
- 2001-02 से 2005-06 तक की पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, विकास हेतु उपलब्ध भूमि के सापेक्ष विकसित भूमि का प्रतिशत 14.50 तथा 33.63 के मध्य विचलित रहा। उपलब्ध भूमि का निम्न उपयोग, परिषद की दोषपूर्ण योजना का परिचायक था, और
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, 2087.01 एकड़ विवादित/अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु दृढ़ प्रयत्नों के अभाव के कारण, भूमि के विकास कार्य में बाधा पहुँची।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि परिषद कई योजनाओं में, भूमि के विकास हेतु निर्धारित समय-सारिणी का अनुपालन करने एवं पर्यावरण नियंत्रण उपायों इत्यादि का अनुपालन करने में असफल रहा, जिनकी चर्चा निम्नवत की गयी है:

कानपुर योजना संख्या 2

3.1.20 कानपुर योजना संख्या 2 में आधारभूत सुविधाओं, यथा सड़क, जल आपूर्ति एवं निकासी व्यवस्था के विकास हेतु चिन्हित भूमि विवादग्रस्त थी, जिसके कारण विकासात्मक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। बिना विकास कार्य पूर्ण किये ही, आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था और 1987 से 1992 की अवधि में 25.09 करोड़ रुपये की लागत से अविकसित भूमि पर 933 आवासों का निर्माण किया गया किन्तु आधारभूत सुविधाओं को विकसित न किये जाने के कारण, अभी तक (अगस्त 2006) इनका आवंटन, जनता को नहीं किया जा सका। अतः परिषद द्वारा किया गया 25.09 करोड़ रुपये का व्यय अभी तक निष्फल सिद्ध हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सामान्यतः मुख्य ट्रंक लाइन कार्य पूर्ण होने के बाद आवासों का निर्माण एवं क्षेत्रवार विकासात्मक कार्य साथ-साथ सम्पन्न किये जाते हैं। समय से विवाद हल न होने की स्थिति में, भूमि की अनुपलब्धता, प्रबन्धन के नियंत्रण से परे हो जाती है। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवासों का निर्माण, उस भूमि का जिस पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना था, बिना भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किये ही, कर दिया गया था।

प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

3.1.21 राज्य-आवास नीति के अनुसार, परिषद को प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना था। परिषद को यह सुनिश्चित करना होता है कि कालोनियों के सीवेज का निस्तारण बिना उपचार किये/खुले स्थानों/नालों/नदियों में न किया जाये। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि परिषद ने अपनी विकसित/विकासशील आवासीय कालोनियों में अभी तक (अगस्त 2006) सीवेज के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की थी। अधिकांश कालोनियों में सीवेज खुले स्थानों और नालों में निस्तारित किया जाता रहा है जो कि अन्ततः, नदियों में प्रवाहित होकर स्वास्थ्य-समस्याओं में परिणामित हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि परिषद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस0टी0पी0) के निर्माण हेतु प्रावधान किये जा रहे हैं।

3.1.22 वसुंधरा योजना के अन्तर्गत, मोहन मीकिन लिमिटेड और राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पाद लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा अनधिकृत रूप से परिषद के ड्रेनेज सिस्टम में प्रदूषित जल निस्तारित किया जा रहा था जो हिन्डन नहर से होते हुए अन्तिम रूप से यमुना नदी में प्रवाहित होकर इसके जल को प्रदूषित करता है। सिंचाई विभाग की शिकायतों (सितम्बर 2005 एवं मार्च 2006) के बावजूद परिषद ने मोहन मीकिन और राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पाद लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा प्रदूषित जल निस्तारित करने पर रोक नहीं लगायी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 12.047 एकड़ भूमि मोहन मीकिन्स को इस शर्त के साथ हस्तान्तरित की गयी थी (जून 2004) कि इस भूमि का प्रयोग एक बाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के निर्माण में किया जाय। मोहन मीकिन्स ने उक्त भूमि को

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास न होने के कारण 25.09 करोड़ रुपये से निर्मित 933 आवासों का आवंटन नहीं हो सका।

परिषद द्वारा विकसित की गयी किसी भी आवासीय कालोनी में, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को क्रियान्वित नहीं किया गया था।

क । नमाण हतु, माहन मीकिन्स को हस्तान्तरित, को अनधिकृत रूप से एक निर्माणक को व्यावसायिक उपयोग हेतु विक्रय किया गया।

इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करने के बजाय, एक निर्माणिक को बेच दिया (अगस्त 2005) और योजना के ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से प्रदूषित जल निस्तारित करना जारी रखा। परिषद ने इस प्रकरण को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित नहीं किया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि इस त्वरित प्रकरण में निर्माणिक की (निर्माण हेतु) अपील उच्च न्यायालय द्वारा जून 2006 में अस्वीकृत कर दी गई है। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अदालत के निर्णय के पश्चात् परिषद ने भूमि वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

3.1.23 प्रबन्धन ने विकसित की गयी आवासीय कालोनियों के कूड़ा-करकट के निस्तारण हेतु किसी अवसंरचना का विकास नहीं किया। परिणामतः कालोनियों के आवासियों द्वारा कूड़ा-करकट को सड़क के किनारों पर फेंका जा रहा था जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी, और यह स्वास्थ्य के लिए जोखिमयुक्त है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि परिषद ने योजनाओं के अन्तर्गत, कूड़ा-करकट के निपटान हेतु आरसीसी से निर्मित कूड़ेदानों की व्यवस्था की थी। यह भी कहा गया कि निष्पादित की गयी 164 योजनाओं में से 147 योजनाओं को अनुरक्षण हेतु स्थानीय निकायों को पर्याप्त कोष के साथ हस्तगत किया जा चुका है। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरसीसी कूड़ेदानों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तथा प्रबन्धन द्वारा स्थायी अपशिष्ट-गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए था।

परिसम्पत्तियों का निर्माण

3.1.24 राज्य सरकार प्रतिवर्ष आवास नीति के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं आवंटन हेतु लक्ष्य निर्धारित करती है और इसके आधार पर, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु परिषद द्वारा निर्माण-योजना तैयार करना होता है। निम्न सारिणी परिसम्पत्तियों के निर्माण से सम्बंधित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण दर्शाती है:

(परिसम्पत्तियों अंकों में)

क्रम संख्या	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
लक्ष्य							
1.	शासन द्वारा तय लक्ष्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	25000	33000	24000	82000*
2.	परिषद की निर्माण योजना	6064	7705	10379	8908	7620	
3.	उपलब्ध कोष (करोड़ रुपये में)	469.23	581.30	467.61	739.35	844.11	
उपलब्धियाँ							
भौतिक							
4.	निर्माण हेतु ग्रहण की गयी	6647	9227	13545	17273	10700	41518*
5.	पूर्ण की गयी परिसम्पत्तियाँ	3819	5220	9151	9692	7546	26389*
6.	चालू-कार्य	2828	4007	4394	7581	3154	15129*

* ये आँकड़े 2003–04 से 2005–06 तक से सम्बंधित हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ई.एम.ओ. को आबंटन हेतु हस्तगत	5518	4910	8450	6875	8414	
कमियाँ							
8.	योजना में (1-2)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	14621	24092	16380	
9.	वास्तविक निर्माण में (1-4)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11455	15727	13300	
10.	पूर्ण करने में (2-5)	4245	2485	1228	(-)784	74	
11.	ई.एम.ओ को हस्तगत करने में (1-7)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	16550	26125	15586	

लेखा परीक्षा की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि परिषद ने निर्माण योजना तथा तदनुरूप लक्ष्यों को तैयार करने के लिए माँग का निर्धारण करने की पद्धति को विकसित नहीं किया था। पुनर्श्च, लक्ष्यों की प्राप्तियों में कमी के उत्तरदायी कारणों और अवरोधों पर किसी स्तर पर न तो चर्चा की गयी है और न ही बोर्ड को अवगत कराया गया।

सारिणी से यह भी अवलोकित किया जा सकता है कि:

- 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, 467.61 करोड़ रुपये से 844.11 करोड़ रुपये तक के विपुल कोषों की उपलब्धता के बावजूद, प्रबन्धन ने शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निर्माण हेतु कार्य योजना नहीं तैयार की थी।
- शासन द्वारा वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान 82000 परिस्मृतियों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य को, परिषद प्राप्त नहीं कर पायी। परिषद ने इन तीन वर्षों में 41518 परिस्मृतियों के निर्माण (चालू कार्य सहित) की जिम्मेदारी ली। वर्ष 2001-03 से सम्बंधित, शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आँकड़ों को परिषद ने लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। अतएव, परिषद आवास नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि यह 40482 परिस्मृतियों का निर्माण नहीं कर सकी।

लागत प्रभावोत्पादकता

3.1.25 परिषद का मुख्य उद्देश्य, आवासों/प्लाटों का निर्माण करना तथा उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों को ग्राह्य मूल्य पर उपलब्ध कराना है। उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु परिषद को लागत नियंत्रण पद्धति का विकास करना चाहिए। हालांकि, लेखा परीक्षा द्वारा यह अवलोकित किया गया कि परिषद निर्माण लागत के नियंत्रण की कोई पद्धति नहीं विकसित की है जैसा कि निम्न प्रस्तरों में वर्णित है:

अमितव्ययी क्रय

3.1.26 परिषद द्वारा अनुबंध पत्र के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को स्टील एवं सीमेन्ट निश्चित दर पर निर्गत किये जाते थे। हालांकि, क्रय की वास्तविक दरें अनुबंध पत्र में उल्लिखित दरों से अधिक थीं। दरों में अन्तर की राशि को परिस्मृतियों की लागत में भारित किया गया था। सीमेन्ट और स्टील के उच्च क्रय दरें, स्थानीय बाजारों से टुकड़े-टुकड़े में क्रय के कारण थीं। दर अनुबन्धों के माध्यम से सीधे निर्माताओं से थोक क्रय का लाभ नहीं प्राप्त किया गया ताकि दर में स्थायित्व रखा जा सके।

सीमेन्ट एवं स्टील के थोक क्रय का लाभ प्राप्त करने हेतु परिषद कोई प्रणाली विकसित नहीं कर सकी।

एक ही मण्डल एवं अन्तर्क्षेत्रीय मण्डल के अन्तर्गत लखनऊ एवं कानपुर जनपदों के छः सीडी के अन्तर्गत, सीमेन्ट एवं स्टील के क्रय दरों की तुलना से एक ही अवधि के दौरान और जहाँ एक ही आपूर्तिकर्ता भी थे, के अन्तर्गत दरों में अन्तर परिलक्षित हुआ। यह इस बात का द्योतक था कि क्रय पद्धति में इस स्तर तक कमी थी कि दीर्घकाल के लिए दरों में एकरूपता स्थापित करने हेतु दर-अनुबन्ध केन्द्रीयकृत आधार पर नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, 2005-06 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान निर्मित की गयी परिसम्पत्तियों की लागत 22.21 लाख रुपये से बढ़ गयी, जिसका विवरण परिशिष्ट-18 में दिया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि स्टील एवं सीमेन्ट का क्रय, प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के माध्यम से तथा केवल तीन महीनों की आवश्यकता के सापेक्ष किया जा रहा है। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्टील एवं सीमेन्ट का क्रय प्रत्येक जनपद हेतु दर-अनुबन्ध के आधार पर किया जाना चाहिए था।

खाली सीमेन्ट थैलों एवं अवशिष्ट स्टील की लागत का समायोजन न किया जाना

3.1.27 परिषद, ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु स्टील एवं सीमेन्ट निर्गत करती है। इन सामग्रियों की लागत, ठेकेदारों से वसूल की जाती है। परिषद, हालांकि, सीमेन्ट के खाली थैलों को ठेकेदारों से वापस ले लेती है, बेच देती है, और इसे अपनी आय मानता है। अवशिष्ट स्टील, हालांकि, ठेकेदारों से वापस नहीं लिया जा रहा है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि खाली सीमेन्ट-थैलों एवं अवशिष्ट स्टील के मूल्य को कार्य की लागत से घटाया नहीं जा रहा है। 12 सीडी से सम्बंधित इन मदों का मूल्य 21.08 लाख रुपये था जैसाकि परिशिष्ट-19 में दर्शाया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि ठेकेदारों से प्राप्त खाली सीमेन्ट-थैलों एवं अवशिष्ट स्टील को बेच दिया जाता है और धनराशि को स्टोर खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाली सीमेन्ट-थैलों एवं अवशिष्ट स्टील के मूल्य की वसूली ठेकेदारों से नहीं की गयी थी।

अधिकार-शुल्क की वसूली न होना

3.1.28 विभिन्न निर्माण-सामग्रियों से सम्बंधित अधिकार शुल्क के भुगतान के अनुसमर्थन में परिषद से, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से प्रारूप एमएम 11 में रवन्ना* प्राप्त करना अपेक्षित है। यदि ठेकेदार द्वारा फार्म-एमएम 11 प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अधिकार शुल्क की राशि उसके देयकों से काटी जानी चाहिए।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि गाजियाबाद के सीडी- 10, 16, 27 एवं 32 ठेकेदारों के देयकों से कम दर पर अधिकार शुल्क की कटौती कर रहे थे और कानपुर के सीडी-17 एवं 18, लखनऊ के सीडी-21 तथा मुरादाबाद के सीडी-26 के अन्तर्गत न तो ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता फार्म एमएम 11 प्रस्तुत कर रहे थे और न ही प्रखण्ड अधिकार शुल्क की कटौती कर रहे थे। वर्ष 2004-05 एवं

* प्रारूप एमएम-11 में रवन्ना को चालान कहा जाता है।

2005-06 की अवधि से सम्बन्धित 39.80 लाख रुपये अधिकार शुल्क की राशि, ठेकेदारों से अवसूलित रही।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सम्बन्धित अधिकारी को नियमानुसार अधिकार शुल्क की कटौती करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली

3.1.29 परिषद ने (जुलाई 2003) अपने गुणात्मक प्रबन्धन पद्धति तथा पारदर्शिता हेतु एशिया पैसिफिक, बीवीक्यूआई,* इण्डिया से आई.एस.ओ. 9001:2000 अधिस्वीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आई.एस.ओ की व्यवस्थाओं के अधीन गुणवत्ता हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, यह आगे भी, अपनी कार्य क्षमताओं को विकसित कर रही है।

लेखा परीक्षा के दौरान निर्मांकित गुणवत्ता आश्वासन की प्रणालीगत कमियाँ देखी गईः

विहित-मानक की सामग्रियों के प्रयोग के अभिलेखन में कमी

3.1.30 सीडीज द्वारा क्रीत/ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गयी निर्माण सामग्रियों (ईटों, गिट्टियों, पत्थर के टुकड़ों, ईट के टुकड़ों, इत्यादि) की जाँच प्रखण्डों की प्रयोगशालाओं में की जाती है। सामग्रियों की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करने वाले जाँच परिणामों को फार्म-‘ख’ में प्रतिवेदित किया जाता है। विहित मानकों के अनुसार, सामग्री न होने की स्थिति में, फार्म ‘ख’ में यह अभ्युक्ति दी जाती है कि सामग्रियों का प्रतिबद्धता के साथ स्तरीकरण किये जाने के साथ-साथ, सात दिनों के अन्दर, अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है।

पॉच सी.डी** के फार्म-‘ख’ की जाँच में अवलोकित हुआ कि 2003-04 से 2004-05 के दौरान परीक्षण किये गये नमूनों में निम्न/वृहद आकार की सामग्री का परीक्षण प्रतिवेदनों के 3.23 से 100 प्रतिशत में श्रेणीयन किया जाना अपेक्षित था (परिशिष्ट-20)। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो इस बात की पुष्टि करते हों कि स्तरीकरण के पश्चात, सामग्रियों की प्रयोगशालाओं में जाँच की गयी थी। इस प्रकार, स्तरीकरण के पश्चात, जाँच के अभिलेखन के अभाव के कारण, विहित मानक की निर्माण सामग्रियों के प्रयोग में विश्वसनीयता को लेखा परीक्षा में अभिप्राप्ति नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुण नियंत्रण पुस्तिका के अन्तर्गत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। सामग्री के नमूना चयन एवं जाँच को तदनुसार सम्पादित किया जा रहा है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

निम्न आकार की ईटों का प्रयोग

3.1.31 सीडी-10, 16, 27 एवं 32, गाजियाबाद के अभिलेखों की जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि इन सी.डी ने ठेकेदारों को निम्न आकार वाली ईटों का प्रयोग

* ब्रिटिश वैरिटास क्वालिटी इन्टरनेशनल।

** सी.डी-21, लखनऊ, सी.डी-10,16,27 एवं 32, गाजियाबाद।

ठेकेदारों द्वारा आवासों के निर्माण में निम्न आकार वाली ईटों का प्रयोग किया गया।

अनुमन्य किया। एम-150 ईटों की विशिष्टताओं की तुलना में, एक ईट की औसत लम्बाई 0.81 सेमी से कम थी। अतएव, ठेकेदारों को, कार्य को पूरा करने हेतु 502970 अतिरिक्त ईटों की आवश्यकता पड़ी (परिशिष्ट-21) जिसके लिए (जोड़ो की संख्या में वृद्धि होने के कारण) गारे (सीमेन्ट एवं बालू) का उपभोग आनुपातिक रूप से बढ़ गया। चूंकि, इन सीडी द्वारा निर्गत की गयी सीमेन्ट का उपभोग सभी स्थितियों में, प्रमाणिक मानदण्डों के अनुसार (एम-150 ईटों के प्रयोग हेतु) था, अतः ठेकेदारों ने मानदण्ड से अधिक (स्वयं द्वारा व्यवस्था करके) बालू का प्रयोग कर सके होंगे। इसने आवासों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सामग्री का उपभोग, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार किया गया और निर्धारित मानदण्डों में दो प्रतिशत का विचलन अनुमन्य था। अतः स्थानीय ईटों के प्रयोग ने गुणवत्ता को प्रभावित नहीं किया। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निम्न आकार वाली ईटों के प्रयोग से जोड़ों की संख्या बढ़ गयी जिससे जोड़ लगाने वाली सामग्री के उपभोग की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी।

परिसम्पत्तियों का आवंटन

3.1.32 सीडीज, तैयार परिसम्पत्तियों को परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवंटन एवं विक्रय हेतु, ईएमओ को दे देते हैं। लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि 14 योजनाओं के अन्तर्गत सीडीज द्वारा ईएमओ को मार्च 2006 तक दी गयी 55790 परिसम्पत्तियों (आवासों एवं प्लाटों) (परिशिष्ट-16), में से 51731 परिसम्पत्तियों आवंटित की गयी थी तथा 4059 परिसम्पत्तियों 31 मार्च 2006 तक अविक्रीत पड़ी रही।

विकसित भूमि एवं निर्मित आवासों की लागत का निर्धारण करने हेतु परिषद को लागत निर्धारण सम्बंधी अनुदेशों का पालन करना होता है। परिषद द्वारा अनुदेशों के पालन में ज्ञात हुई कमियों की चर्चा निम्नांकित प्रस्तरों में की गयी है:

हरदोई रोड योजना

3.1.33 लागत निर्धारण अनुदेशिका का पैरा 5.3 प्रावधानित करता है कि किसी योजना के अन्तर्गत भूमि के विक्रय दर का निर्धारण करने हेतु, भूमि के अधिग्रहण एवं विकास पर किये गये व्यय में 12 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क तथा 2 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क अधिरोपित किया जाता है। अधिग्रहण/विकास दर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ज्ञात की गयी कुल अधिग्रहण एवं विकास लागत को विक्रय योग्य क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। विकसित भूमि की दर ज्ञात करने के लिए इसमें 8 प्रतिशत अन्य सेन्टेज* जोड़ जाता है। इस प्रकार ज्ञात की गयी दर, परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि परिषद ने हरदोई रोड योजना के विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण से, 12.31 करोड़ रुपये की लागत से 219 एकड़ भूमि

* आठ प्रतिशत अन्य सेन्टेज, तीन प्रतिशत संग्रहण शुल्क, दो प्रतिशत परिषद की परिसम्पत्तियों हेतु तथा तीन प्रतिशत अनपेक्षित व्यय को सम्मिलित करता है।

क्रय किया (दिसम्बर 2003)। योजना के अन्तर्गत प्रथम आवंटन हेतु, बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के 2355 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गयी। अनुदेशिका के पैरा 5.3 के प्राविधानों के अनुसार, लेखा परीक्षा द्वारा संगणित की गयी योजना की भूमि की दर 1900 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। लागत निर्धारण अनुदेशिका के उल्लंघन में परिषद द्वारा भूमि-दर के निर्धारण से, परिसम्पत्तियों के लागत में 8.32 करोड़ रुपये की वृद्धि में फलीभूत हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि भूमि दर के निर्धारण के सम्बन्ध में, अभिलेखों के प्रमाणीकरण के बाद कार्यवाही की जायेगी।

वसुन्धरा योजना

भूमि दर के कम पर निर्धारण के परिणामस्वरूप
2.52 करोड़ रुपये की हानि हुई।

3.1.34 लागत निर्धारण अनुदेशिका के पैरा 5.3.6 के अनुसार, भूमि-दर में वार्षिक वृद्धि का निर्णय, अधीक्षण अभियन्ता एवं संयुक्त आवास आयुक्त की संयुक्त संस्तुतियों के आधार पर, आवास-आयुक्त द्वारा लिया जाना है। यदि किसी योजना में परिसम्पत्तियों के विक्रय की गति मन्द हो तो भूमिदर को अपरिवर्तित रखने का अधिकार आवास-आयुक्त को होता है। उपर्युक्त प्राविधान के अनुसार, परिषद, सभी आवास योजनाओं हेतु गत वर्ष की भूमि दर के सापेक्ष, 16 प्रतिशत की दर से प्रचलित भूमि दर में वृद्धि कर देती है। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि वसुन्धरा आवास योजना के अन्तर्गत, परिषद ने वर्ष 2004-05 में अपनी नीति के प्रतिकूल, किसी कारण का उल्लेख किये बिना, केवल 8 प्रतिशत की दर से भूमि दर में वृद्धि किया जबकि यह योजना एक त्वरित प्रगति वाले क्षेत्र में स्थित थी और उक्त योजना हेतु वर्ष 2003-04 तक 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भूमि दरों में पहले ही वृद्धि की जा चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2004-05 के दौरान 602 परिसम्पत्तियों (50480 वर्ग मीटर) (नीलामी को छोड़कर) के आवंटन में लगभग 2.52 करोड़ रुपये (500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की विभेदीकृत दर पर संगणित) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि भूमि दर का निर्धारण योजना से सम्बंधित बाजार दर और विक्रयशीलता के आधार पर किया गया था। प्रबन्धन का उत्तर, परिषद की लागत निर्धारण अनुदेशिका के प्रावधानों के आलोक में मान्य नहीं था।

प्लाटों की नीलामी

3.1.35 लागत निर्धारण अनुदेशिका का पैरा 16.1 प्राविधानित करता है कि व्यावसायिक उद्देशयों हेतु विक्रय की जाने वाली भूमि के आरक्षित मूल्य का निर्धारण करते समय, निकटस्थ स्थित प्लाटों की नीलामी में अर्जित कीमत को दृष्टिगत रखा जाता है। जहाँ कहीं भी निकटस्थ प्लाटों की नीलामी न हुई हो, वहाँ भूमि दर का निर्धारण, आवासीय प्लाटों के विद्यमान दर के दुगने के आधार पर किया जाता है। लेखा परीक्षा द्वारा की गयी संवीक्षा में देखा गया कि

व्यावसायिक प्लाटों के आवंटन हेतु आरक्षित मूल्य के निर्धारण में परिषद ने अपने ही लागत निर्धारण अनुदेशिका का उल्लंघन किया, जिनका उल्लेख निम्नवत है:

व्यावसायिक प्लाट

आगामी नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य का निर्धारण करते समय, पूर्व में की गयी नीलामी के मूल्य पर विचार न करने के कारण 6.28 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

3.1.36 वसुंधरा योजना गाजियाबाद के अन्तर्गत, व्यावसायिक प्लाट संख्या 11/कॉम-ए (1036 वर्ग मीटर) का विक्रय (नवम्बर 2004) नीलामी द्वारा 27000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया। परिषद ने, हालांकि, 6859 वर्ग मीटर (प्लाट संख्या 14/कॉम-2 एवं 11/कॉम-1 बी) एवं 414.40 वर्ग मीटर मापन वाले प्लाटों के आरक्षित मूल्य का निर्धारण करते समय (दिसम्बर 2004), नवम्बर 2004 में अर्जित 27000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मूल्य को, विचार में नहीं लिया। परिषद ने, लागत निर्धारण के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए, आरक्षित मूल्य क्रमशः 18145 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं 15120 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ठीक एक माह पूर्व उसी क्षेत्र में नीलामी में अर्जित 27000 प्रति वर्ग मीटर से काफी कम मूल्य 18200 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं 21000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से परिसम्पत्तियाँ बेची गयी। यह, न्यूनतम 6.28 करोड़ रुपये की कम वसूली में परिणामित हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि आरक्षित मूल्य आवासीय दर के दुगने के आधार पर निर्धारित किया गया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दर का निर्धारण परिषद की लागत निर्धारण अनुदेशिका के प्राविधानों के अनुसार नहीं किया गया था।

आवासीय समूह हाउसिंग प्लाट

3.1.37 वसुंधरा योजना गाजियाबाद में सम सेक्टर एवं विषम सेक्टर के अन्तर्गत प्रभावी भूमि दर क्रमशः 8100 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 6750 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि परिषद ने ग्रुप हाउसिंग आवासीय प्लाटों को निर्माणिकों को जुलाई एवं अगस्त 2004 में नीलामी के द्वारा विक्रय किया। चूंकि निकटस्थ क्षेत्रों में आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्लाटों के लिए कोई नीलामी नहीं हुई थीं अतः लागत निर्धारण अनुदेशिका के पैरा 16.1 के अनुसार, प्रभावी दरों के दोगुने के आधार पर भूमि दरों का निर्धारण किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। यह 7.16 करोड़ रुपये से कम वसूली में परिणामित हुआ, जैसाकि निम्नवत् संगणित किया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	आवासीय प्लाट	
		सम-सेक्टर 6 जी.एच-04	विषम सेक्टर 5 जी.एच-08
1.	नीलामी की तिथि	5.7.2004	18.8.2004
2.	प्लाट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	8146.17	3225.35
3.	परिषद की नीति के अनुसार सामान्य दर	8100	6750
4.	आरक्षित कीमत सामान्य दर की दुगनी	16200	13500
5.	नीलामी हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य	8100	7560
6.	वास्तविक नीलामी मूल्य जिस पर प्लाट बेचे गये	8125	11710
7.	दुगनी आरक्षित कीमत एवं वास्तविक नीलामी कीमत में अन्तर	8075	1790
8.	हानि की राशि (करोड़ रुपये में)	6.58	0.58

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत भूमि-दर का निर्धारण आवासीय भूमि दर के सम मूल्य पर किया जाता है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्लाटों का विक्रय निर्माणकों को व्यावसायिक उपयोग हेतु किया गया था। अतएव, आरक्षित मूल्य का निर्धारण, व्यावसायिक प्लाटों पर लागू मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए था।

आवंटियों से वसूल की गयी लागत का समायोजन न किया जाना

3.1.38 लागत निर्धारण अनुदेशिका के अनुपालन में, सीडीज द्वारा लागत का निर्धारण योजना के पूर्ण होने की तिथि तक 50 प्रतिशत वास्तविक व्यय करने के पश्चात् एवं योजना को पूर्ण करने के लिए अनुमानित व्यय के आधार पर किया जाता है। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि वसुंधरा योजना, गाजियाबाद में, 17 प्रोजेक्ट को पूर्ण करने पर वास्तविक निर्माण व्यय, आवंटियों से वसूलित लागत की तुलना में 1.30 करोड़ रुपये कम था। लेकिन परिषद ने, आवंटियों से पूर्व में ही वसूल की गयी लागत में विद्यमान प्रकार की विभिन्नता को समायोजित करने हेतु, कोई प्रणाली नहीं विकसित किया था (परिशिष्ट-22)।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि आवास की लागत का निर्धारण 75 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा 25 प्रतिशत व्यय का प्रावधान करने के बाद लागत निर्धारण अनुदेशिका के आधार पर किया जाता है। पश्चातवर्ती लागत के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि निर्माण लागत बढ़ती नहीं है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह परिषद द्वारा वहन योग्य मूल्यों पर आवासों को उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के प्रतिकूल है और आवंटियों से वसूल की जाने वाली लागत का निर्धारण करने से पूर्व पर्याप्त नियोजन एवं अध्ययन आवश्यक है।

आवास समिति के प्रति अनुचित पक्षपात

3.1.39 परिषद के आवंटन नियमों में यह प्रावधान है कि पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन तभी किया जा सकेगा जबकि समिति का प्रत्येक सदस्य परिषद के साथ पंजीकृत हो। इस सम्बन्ध में, समितियों द्वारा पंजीकृत सदस्यों की सूची प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

कम दर पर भूमि के आवंटन द्वारा, समिति को 4.12 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि परिषद के आवंटन नियमों के प्रतिकूल, अगस्त 1999 से मई 2000 के दौरान, वार्तलोक सहकारी आवास समिति को बिना समिति के साथ पंजीकृत सदस्यों की सूची प्राप्त किये 21264.45 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन कर दिया। आगे, यह भी देखा गया कि परिषद ने (अगस्त 1999) लागू भूमि दर 4200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के सापेक्ष 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 11710 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया और पुनः (मई 2000) लागू दर 5570 रुपये प्रति वर्ग मीटर के सापेक्ष 9554.45 वर्ग मीटर भूमि को 4200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किया और समिति के पक्ष में पंजीकरण मार्च 2003 में किया गया था। अग्रशः, 11710 वर्ग मीटर भूमि हेतु केवल 60 प्रतिशत लागत, समिति से वसूल की गयी थी जिसके अनुसर्थन में कोई अभिलेख

उपलब्ध नहीं थे। अतः परिषद ने समिति को 4.12 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि प्लाट का आकार बड़ा होने के कारण 40 प्रतिशत क्षेत्र पार्कों एवं सड़कों के लिए छोड़ा गया था। प्रबन्धन का उत्तर सटीक नहीं है क्योंकि परिषद द्वारा समिति को बेचे गये सम्पूर्ण क्षेत्र के मूल्य की वसूली की जानी चाहिए थी।

भूमि का थोक विक्रय

3.1.40 झौंसी, इलाहाबाद की योजना संख्या 3 में 19.97 एकड़ (80803.40 वर्ग मीटर) भूमि के एक पॉकेट का आवंटन 2.55 करोड़ रुपये (315 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से) साजम हाउसिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड (एसएचसीएल) को किया गया (मई 1997)। सम्पूर्ण धनराशि मार्च 1998 तक जमा की जानी थी।

आवंटन के समय विक्रय योग्य भूमि के आंकलन में त्रुटि के कारण 1.54 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने भूमि के अर्द्धविकसित पॉकेट का विक्रय करने का निर्णय इस आधार पर लिया (मई 1997) कि परिषद यदि स्वयं उस भूमि का विकास करता है तो उसे नगण्य लाभ प्राप्त होगा क्योंकि विक्रय योग्य क्षेत्र अधिकतम 50 प्रतिशत होगा। तथापि, लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बेचे गये भूमि का ले आउट, विक्रय योग्य क्षेत्र का 68.89 प्रतिशत हेतु अनुमोदित था। इस प्रकार, प्रबन्धन द्वारा विक्रय को सुनिश्चित करते समय विक्रय योग्य भूमि का गलत आंकलन किया गया था, परिणामतः 1.54 करोड़ रुपये की हानि हुई, जैसा कि निम्नवत् है:

विवरण	50 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्र = 0.50 वर्ग मीटर	69 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्र = 0.69 वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)
1 वर्ग मीटर विकसित भूमि की लागत	490	490
1996-97 में 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विक्रय मूल्य	500	690
मार्जिन (रुपये)	10	200
80803.40 वर्ग मीटर पर मार्जिन (रुपये)	808034	16160680
भूमि के विक्रय के समय आंकलित की गयी हानि (3-2)		15352646

प्रबन्धन ने, ले आउट प्लान इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (फरवरी 1998) कि परिषद के पक्ष में 20 प्रतिशत भूमि, तीन माह के अन्दर गिरवी रखी जायेगी ताकि एसएचसीएल द्वारा सन्तोषजनक ढंग से किये गये आंतरिक विकास-कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। एसएचसीएल ने भूमि गिरवी नहीं रखी। प्रबन्धन ने न तो यह सुनिश्चित किया कि एसएचसीएल द्वारा आंतरिक विकास सम्बंधी कार्य किया गया है और न ही समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही किया है। परिणामतः एसएचसीएल ने न तो परिषद के 2.71 करोड़ रुपये (1.74 करोड़ रुपये मूलधन और नवम्बर 2005 तक 0.97 करोड़ रुपये ब्याज) देयों का भुगतान किया और न ही परिसर का विकास किया (अगस्त 2006)। यह भी देखा गया कि एसएचसीएल यह सूचित करती रही

कि परिसर के अन्दर अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं किन्तु परिषद ने इस सम्बन्ध कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं किया है।

परिसम्पत्तियों की अविपणनीयता

अविपणनीय परिसम्पत्तियों का सृजन असुविधाजनक स्थानों पर करने के परिणामस्वरूप परिषद के 65.62 करोड़ रुपये के कोषों का तरलीकरण नहीं हुआ।

1.08 करोड़ रुपये मूल्य की अनधिकृत कब्जे वाली परिसम्पत्तियों को मुक्त करने में प्रबन्धन की निष्क्रियता प्रकट हुई।

3.1.41 परिषद की 16 योजनाओं के अन्तर्गत 1196 परिसम्पत्तियाँ (संस्थात्मक/व्यावसायिक/आवासीय प्लाटों एवं विभिन्न श्रेणी के आवास) 2 से 20 वर्षों तक अबिक्रीत पड़ी रही। इन परिसम्पत्तियों की अविपणनीयता के मुख्य कारण, इन परिसम्पत्तियों का असुविधाजनक स्थानों पर स्थित होना तथा माँग की कमी होना था। परिणामस्वरूप, परिषद के 65.62 करोड़ रुपये के कोष अतरलीकृत रहा, जैसा कि परिशिष्ट-23 में प्रदर्शित है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि परिसम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

परिषद की परिसम्पत्तियों में अनाधिकृत कब्जा

3.1.42 परिषद की 1.08 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियाँ अनाधिकृत कब्जे में हैं, जैसा कि परिशिष्ट-24 में दर्शित किया गया है। इनके अन्तर्गत व्यावसायिक-एक प्लाट, आवासीय- दो प्लाट तथा आवासीय गृह- 11 को सम्मिलित किया गया है। इन परिसम्पत्तियों को मुक्त करने हेतु प्रबन्धन की निष्क्रियता के कारण, ये परिसम्पत्तियाँ अनधिकृत रूप से कब्जा में बनी रही हैं।

पुनः इलाहाबाद में चार प्लाटों पर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों ने कब्जा लिया हुआ था। प्रबन्धन ने इन्हें, समाज के कमजोर वर्ग के लिए शासन की विशेष योजनाओं के अन्तर्गत समायोजित करने का प्रयास नहीं किया ताकि परिषद की कीमती परिसम्पत्तियों को खाली कराया जा सके।

निम्नांकित छाया चित्र इस बात को इंगित करता है कि प्लाट को मुक्त करना अब दुष्कर हो गया है क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों द्वारा झोपड़ियों का निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। समय से कार्यवाही से अनाधिकृत कब्जा रोका जा सकता था।



प्लाट संख्या - सीपी-23, जी.टी.बी नगर, इलाहाबाद

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि अतिक्रमित परिसम्पत्ति को मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्लाटों को अनुचित रूप से रोके रखना

3.1.43 रजिस्ट्रेशन एण्ड अलाटमेण्ट रेगुलेशन 1979 (आरएआर-1979) (संशोधित-1995) में यह प्रावधान है कि आरक्षित वर्गों* के आवेदकों की अनुपलब्धता की स्थिति में परिसम्पत्तियों का आवंटन सामान्य वर्ग के आवेदकों को कर दिया जायेगा। ईएमओ गाजियाबाद के अभिलेखों की परीक्षण जॉच में यह परिलक्षित हुआ कि प्रबन्धन आवंटन के दौरान, आरक्षित वर्गों के अनावंटित प्लाटों को उक्त नियम 1979 के अधीन सामान्य वर्ग के आवेदकों को आवंटित करने के बजाय, उसी वर्ग हेतु जारी रख जा रहा है जैसा कि निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष	प्लाटों की संख्या	प्लाटों का आकार (वर्ग मीटर)
1997-98	3	177.53 से 180
1998-99	17	65 से 336
2000-01	2	162 से 324
2002-03	9	162 से 258.12
2003-04	101	78 से 261
योग	132	

जैसा कि उपर्युक्त से अवलोकित किया जा सकता है, ईएमओ गाजियाबाद के पास विभिन्न आकारों वाले 132 प्लाट थे जिन्हें आरक्षित वर्गों हेतु जून 1997 से फरवरी 2004 के दौरान आवंटित नहीं किया जा सका तथा उन्हें सांसद/विधायक और विस्थापित लोगों के लिए आवंटन हेतु रखा गया। जैसाकि ईएमओ, गाजियाबाद द्वारा कहा गया (सितम्बर 2006), सांसद/विधायक एवं विस्थापित लोगों से क्रमशः 41 एवं 128 आवेदन पत्र पूर्व में ही प्राप्त हो चुके थे।

आरएआर 1979 के अनुसार, आरक्षित वर्गों हेतु निर्धारित कोटे को पूर्ण करने के पश्चात्, बचे हुए प्लाटों को रोके रखने और केवल सांसद/विधायक/विस्थापित श्रेणी के लिए आरक्षित में परिवर्तित करने के बजाय, सामान्य वर्गों हेतु आवंटित किया जाना चाहिए था। पुनर्श्च, विस्थापित लोगों के लिए विशेष आवंटन हेतु प्लाटों को रोके रखने का आवास आयुक्त के आदेश (दिसम्बर 2005) आरएआर 1979 का उल्लंघन में थे, और इन प्लाटों को सामान्य वर्ग के लिए आवंटन हेतु खुली उस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि बसुंधरा योजना पहले लोकप्रिय नहीं थी जिसके कारण सांसदों/विधायकों ने आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त किया। यह योजना बाद में लोकप्रिय हुई और सांसदों/विधायकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु पंजीकरण कराया जा रहा है। 5 प्रतिशत के कोटे के

* अनुसूचित जाति-21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति-2 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग-27 प्रतिशत पी एण्ड आरएस-5 प्रतिशत, सांसद/विधायक/स्वतंत्रता सेनानी-5 प्रतिशत, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक- 5 प्रतिशत, परिषद/नगरत निगम/स्थानीय निकाय कर्मचारियों 2 प्रतिशत, विकलांग- 2 प्रतिशत, एफसी- 2 प्रतिशत, विस्थापित लोगों- 10 प्रतिशत के अतिरिक्त सामान्य वर्ग 31 प्रतिशत।

अनुसार, उन्हें 180 प्लाटों (उपलब्ध 3590 प्लाटों का 5 प्रतिशत) का आवंटन किया जा सकता था जिसमें से 76 प्लाटो का आवंटन किया जा चुका है। अग्रेतर आवंटन प्रगति पर है।

कमजोर वर्गों के लिए शासन की विशेष योजना का क्रियान्वयन

3.1.44 परिषद ने कमजोर वर्गों के लिए, शासन की निम्नलिखित दो विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया:

- केन्द्र सरकार की वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना।
- राज्य सरकार की आश्रयहीन योजना।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ज्ञात हुई कमियों को क्रमानुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किया गया है:

वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना

3.1.45 शहरी गंदी बस्तियों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु शरण स्थल उपलब्ध कराने अथवा विद्यमान शरण स्थल को उच्चीकृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2001-2002 में वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वीएएमबीए) प्रारम्भ किया। परिषद, राज्य के कार्यकारी अभिकरणों में से एक है। इस योजना के अन्तर्गत, लागत का 50 प्रतिशत तक का उपदान, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से प्रदान किया जाना था और शेष 50 प्रतिशत, जो कि लाभार्थियों से वसूल किया जाना था, की व्यवस्था कार्यकारी अभिकरण द्वारा की जानी थी। योजना के अन्तर्गत, आवासों के निर्माण हेतु भूमि सूडा द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी थी।

निम्नांकित सारणी में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों तथा योजना के समग्र प्रस्थितियों को परिलक्षित करती है:

वर्ष	लक्ष्य (संख्या में)	उपलब्धि (संख्या में)			लगायी गयी लागत (लाख रुपये में)	प्राप्त उपदान (लाख रुपये में)
		सूडा भूमि पर	स्वयं की भूमि पर	योग		
2000-01 ¹	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2002-03	2155	812	1338	2150	661.62	431.00
2003-04	2300	200	2100	2300	560.57	496.10
2004-05	3008	151	— ²	151	12.68	429.35
2005-06 ³	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
योग	7463	1163	3438	4601	1234.87	1356.45

उपर्युक्त से यह अवलोकन किया जा सकता है कि यद्यपि परिषद ने वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान लक्ष्य के अनुरूप आवासों का निर्माण किया। सूडा द्वारा भूमि का प्राविधान न किये जाने कारण वर्ष 2004-05 के दौरान केवल 151 आवासों (लक्ष्य का 5 प्रतिशत) का निर्माण किया गया।

¹ परिषद ने जून 2003 से योजना शुरू किया।

² अपनी भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया।

³ वर्ष 2005-06 के लिए कोई लक्ष्य नहीं प्रदान किये गये थे।

भूमि की लागत से सम्बन्धित दावे का प्रस्तुत न करना

परिषद ने 26.90 करोड़ रुपये भूमि की लागत से सम्बन्धित दावे को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

3.1.46 योजना की अनुदेशिका के अनुसार, आवासों के निर्माण हेतु भूमि सूडा द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी थी। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि परिषद ने वर्ष 2002-03 से 2003-04 तक वर्षों में निर्मित किये गये 4601 आवासों में से 3438 आवासों का निर्माण अपनी ही 93450 वर्ग मीटर विकसित भूमि पर किया। परिषद ने 26.90 करोड़ रुपये के भूमि की सकल लागत का राज्य सरकार/सूडा से दावा नहीं किया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सूडा द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि के अभाव में, परिषद ने अपनी ही भूमि पर आवासों के निर्माण का निर्णय किया। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवासों का निर्माण सूडा द्वारा प्रदान की गयी भूमि पर ही किया जाना था। अतः भूमि की लागत से सम्बन्धित दावे (26.90 करोड़ रुपये) की वापसी की माँग शासन/सूडा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

उपदान की प्राप्ति न होना

3.1.47 योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा 10 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में निर्मित किये गये आवासों हेतु क्रमशः 25000 रुपये एवं 20000 रुपये प्रति आवास का उपदान अनुमन्य था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि परिषद ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों लखनऊ, कानपुर एवं आगरा में सूडा द्वारा प्रदान किये गये लक्ष्य से अधिक 2304 आवासों का निर्माण परिषद के आवास आयुक्त के अनुमोदन से किया (760 वर्ष 2002-03 में तथा 1544 वर्ष 2003-04 में)। परिषद के अनुरोध पर, राज्य स्तरीय समन्वयन समिति ने लक्ष्य से अधिक निर्मित आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान किया (अगस्त 2005)। दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में निर्मित किये जाने वाले आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध, इन शहरों में अतिरिक्त निर्मित आवासों को समाजोजित करके, इन शहरों में निर्मित आवासों हेतु अनुमन्य उपदान से कम दर पर उपदान स्वीकृत किया गया। उपदान के रूप में 1.02 करोड़ रुपये कम प्राप्त राशि को लागत में अधिरोपित किया गया जिसकी वसूली लाभार्थियों से की जानी थी, जो योजना के मितव्यिता सम्बन्धी मानदण्ड को विफल करता है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि स्वीकार्य उपदान, शासन द्वारा मंजूर किया गया था, अतः लाभार्थियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रति आवास उपदान की राशि कम हो गयी थी क्योंकि इन आवासों का निर्माण सूडा द्वारा प्रदान किये लक्ष्य से अधिक था।

अतिरिक्त लागत का अधिरोपण

3.1.48 वीएमबीएवाई परियोजना की लागत निर्धारण प्रक्रिया की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रबन्धन ने लाभार्थियों से प्रति आवास 654 रुपये से 14860 रुपये के बीच अधिक लागत वसूल किया।

2178 लाभार्थियों से 92.14 लाख रुपये के अतिरिक्त लागत की वसूली की गयी।

लेखा परीक्षा मे देखा गया कि परिषद ने पाँच परियोजनाओं के अन्तर्गत 2178 आवासों का विक्रय मूल्य एक समान रूप से 50000 रुपये प्रति आवास निर्धारित किया यद्यपि उनकी वास्तविक निर्माण लागत उससे कम थी जो 35140.13 रुपये एवं 49346.43 रुपये प्रति आवास के मध्य थी। इस प्रकार, परिषद ने, वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर लाभार्थियों से की जाने वाली वसूली की नीति के प्रतिकूल अनियमित रूप से 2178 लाभार्थियों से 92.14 लाख रुपये अतिरिक्त लागत वसूल किया। यह, ग्राह्य मूल्य पर आवासों को प्रदान करने के योजना के उद्देश्य के प्रतिकूल था और तब जबकि आवासों का निर्माण समाज के कमजोर वर्गों के लिए ही हुआ था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि आवंटितों से 50000 रुपये प्रति आवास की दर से सीलिंग लागत की वसूली की गयी है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आवासों की कीमत की गणना केवल वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर की जानी चाहिए थी, जो कि सीलिंग लागत से कम थी।

निष्फल व्यय

3.1.49 योजना की अनुदेशिका के अनुसार, सूडा से लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना था। परिषद ने हालांकि, बिना लाभार्थियों की सूची प्राप्त किये ही आवासों का निर्माण किया। परिणामतः नौ योजनाओं के अन्तर्गत, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान निर्मित किये गये 1050 आवासों का आवंटन नहीं हो सका (मार्च 2006)। इसकी परिणति परिषद के 9.15 करोड़ रुपये (5.74 करोड़ रुपये भूमि लागत को सम्मिलित करते हुए) के कोषों के अवरुद्ध होने के अतिरिक्त, योजना के उद्देश्य की पूर्ति न होने में हुई। परिषद ने अभी तक (अक्टूबर 2006) भूमि की लागत का दावा सूडा से नहीं किया है।

आरक्षण नीति का अनुपालन न किया जाना

3.1.50 योजना की अनुदेशिका, आवासों का आवंटन, परिवार की महिला सदस्य अथवा पति और पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाने का उल्लेख करती है। अनुदेशिका, एस.सी/एस.टी, ओबीसी, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान करती है।

लेखा परीक्षा मे यह देखा गया कि तीन आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 1328 आवासों में से 688 आवासों का आवंटन केवल पुरुष सदस्यों के नाम से किया गया था। पुनर्श्च, दो योजनाओं के अन्तर्गत, 1050 आवासों के आवंटन में आरक्षण सम्बंधी मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि अभिलेखों की विस्तृत जाँच के पश्चात्, प्रत्युत्तर दिया जायेगा।

आश्रयहीन योजना

3.1.51 नगरीय विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ने इच्छा व्यक्त की (मई 1997) कि परिषद को, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, जो कि दैनिक मजदूरी के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं, के लिए आवासों को उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। तदनुसार, परिषद ने ऐसे परिवारों को,

जिनकी वार्षिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं हो, आवास उपलब्ध कराने हेतु आश्रयहीन योजना तैयार किया। आवास की लागत, लाभार्थियों से 20 वर्षों में वसूल की जानी थी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि राज्य सरकार ने योजना हेतु कोई अनुदेशिका जारी नहीं किया था। परिषद ने इस योजना के अन्तर्गत, आरम्भ से, 11008 आवासों का निर्माण किया था। मार्च 2006 तक 11008 आवासों, में से 3132 आवासों का आवंटन इस कारण से नहीं हो सका कि प्रबन्धन ने, बिना सक्षम लाभार्थियों का सर्वेक्षण किये एवं मुख्य नगर-क्षेत्र से सुविधाजनक दूरी का आकलन किये, आवासों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। इसके परिणामस्वरूप 11.17 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि आवासों का निर्माण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार किया गया था। अतः योजनाओं का क्रियान्वयन अप्रभावी नहीं था। यह तथ्य, हालांकि कायम है कि परिषद को अभी भी (अक्टूबर 2006) योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों का आवंटन करना है और एआरसीपीएसई की मीटिंग में प्रबन्धन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि 1250 आवास अनावंटित पड़े हुए थे जो यह इंगित करता है कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा में यह भी देखा गया कि वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत, 10 रुपये प्रतिदिन (300 रुपये प्रतिमाह) की किस्त पर आवासों को उपलब्ध कराने हेतु योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का पंजीकरण किया गया था। निर्मित किये गये कुल 1613 आवासों में से, 1396 आवासों का आवंटन 967 रुपये से 1564 रुपये तक की मासिक किस्तों का निर्धारण करते हुए किया गया था। पुनर्श्च, मार्च 2006 तक कुल आवंटन में से, 217 आवास, समाज के अन्य वर्गों को जिनकी वार्षिक आय 15000 रुपये से अधिक थी, आवंटित कर दिये गये थे। लेखा परीक्षा द्वारा की गयी संकीर्ण से परिलक्षित हुआ कि आवासों का आवंटन अन्य वर्ग को किया गया था जिसकी आय 15000 रुपये वार्षिक से अधिक थी, जैसा कि आवंटित आवासों के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी किस्तों से स्पष्ट होता है।

आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक नियंत्रण

3.1.52 आंतरिक नियंत्रण एक प्रबन्धकीय उपकरण है जो परिचालन कौशल, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं सम्बद्ध विधियों एवं कानूनों के प्रति अनुपालनीयता, तार्किक आश्वासन का, उपलब्ध कराने हेतु अभिकल्पित की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा एक पद्धति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के समुचित कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने एवं त्रुटियों तथा कपटों का पता लगाने हेतु

अभिनिन्यसित की जाती है। परिषद की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं/प्राविधियों एवं आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति के संवीक्षा-विश्लेषण में निमांकित कमियाँ प्रकट हुईः

परिचालनात्मक एवं प्रक्रियात्मक नियंत्रण

3.1.53 परिषद के पास कोई परिचालनात्मक एवं प्रक्रियात्मक नियंत्रण पद्धति नहीं है क्योंकि डीसी के पास योजनावार अग्रिम जमा को प्रदर्शित करने वाली भूमि अधिग्रहण पंजिका, अन्तिम स्वीकृति की तिथि, भू-स्वामियों को दी गयी क्षतिपूर्ति और भूमि के कब्जे की तिथि अद्यतित नहीं थी।

प्रबन्धन ने एआरसीपीएसई की मीटिंग में बताया कि मिलान कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय नियंत्रण

3.1.54 परिषद में उचित वित्तीय नियंत्रण का अभाव था जैसे कि:

**संयुक्त रूप से
हस्ताक्षरित चेकों
के निर्गमन
प्रचलन में नहीं
था।**

- भुगतान हेतु चेकें केवल अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर से निर्गत की जाती है। परिषद ने सीडी के लेखा-संभाग के प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त चेकों के निर्गमन की प्रणाली नहीं अपनायी है ताकि वित्त एवं लेखा सम्भाग की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

प्रबन्धन ने अधिशासी अभियन्ता एवं लेखा सम्भाग के प्रमुख द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर हेतु नियमों के क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है।

- परिषद के मुख्यालय के स्तर पर 12 बैंक खाते थे, जिनके अन्तर्गत, ईएमओ से प्रेषित धनराशियाँ प्राप्त की जाती हैं। ईएमओ द्वारा प्रेषित धनराशियाँ एवं बैंक में क्रेडिट किये जाने का समाधान, तथापि, नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया कि मिलान कार्य प्रगति पर है।

समानुदेशन (मॉनिटरिंग)

**हार्डवेयर की आपूर्ति
एवं साफ्टवेयर
विकास हेतु 1.01
करोड़ रुपये के
निवेश के बावजूद
अभीष्ट लाभ नहीं
प्राप्त किया जा
सका।**

3.1.55 भूमि अधिग्रहण, वास्तु एवं परियोजना नियोजन, परिसम्पत्ति एवं सम्पदा प्रबन्धन के सुगम समानुदेशन (मॉनिटरिंग) आदि के उद्देश्य से परिषद ने टाटा कंसलेटेन्सी सर्विसेज (टीसीएस) से हार्डवेयर की आपूर्ति एवं साफ्टवेयर विकास हेतु 1.01 करोड़ रुपये लागत पर टर्न-की करार किया (7 दिसम्बर 1998)। इसने एप्लीकेशन साफ्टवेयर से सम्बन्धित अनुरक्षण एवं समर्थित सेवाओं हेतु 13 लाख रुपये के वार्षिक सेवा शुल्क के अधीन समझौता भी किया (2002)।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि टीसीएस ने परिषद को सभी साफ्टवेयर माड्यूल्स को संस्थापित एवं हस्तगत कर दिया (2002)। परिषद, तथापि, अपने लक्षित कार्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं समुचित डेटा इनपुट नहीं प्रदान कर सकी। परिणामस्वरूप, मुख्य कार्यों जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने थे, को पूर्णतः परिचालित नहीं किये जा सके और परिषद को टीसीएस सहयातित सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ा जबकि कम्प्यूटरीकरण को यूजर-फ्रेन्डली किया जाना था।

अतएव, परिषद 1.01 करोड़ रुपये के निवेश एवं गत चार वर्षों से 13 लाख प्रतिवर्ष लगातार सहायतित सेवाओं पर व्यय करने के बावजूद, कम्प्यूटरीकरण का लक्षित लाभ नहीं प्राप्त कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि टीसीएस द्वारा उपलब्ध कराये गये अपेक्षित हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर माड्यूल्स का समुचित उपयोग किया जा रहा है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिषद, सम्बंधित माड्यूल्स से ईच्छित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकी।

आंतरिक लेखा परीक्षा

3.1.56 लेखा परीक्षा एवं लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं की गयी है। आंतरिक लेखा परीक्षा सम्भाग (आईएडब्ल्यू) के अन्तर्गत एक सहायक लेखाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं एक लेखाधिकारी के नेतृत्व के अधीन चार कनिष्ठ लेखाधिकारी एवं सात लेखा परीक्षक सम्मिलित हैं। परिषद के अन्तर्गत मुख्यालय के अतिरिक्त 36 निर्माण प्रखण्ड, तीन विद्युत प्रखण्ड एवं 11 मंडल कार्यालय थे।

यह देखा गया कि आईएडब्ल्यू ने मुख्यालय के कार्यालय की लेखा परीक्षा कभी नहीं की थी। सम्प्रेक्षित इकाइयाँ, कालाविधि, आंतरिक लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन की स्थिति को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। परिषद के आकार के सापेक्ष आईएडब्ल्यू में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः आंतरिक लेखा परीक्षा असर अप्रभावी है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि आईएडब्ल्यू का विस्तारण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

अभिस्वीकृति

3.1.57 लेखा परीक्षा सम्पादित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर परिषद एवं शासन के विविध स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता को लेखा परीक्षा अभिस्वीकृति करती है।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षण को जून 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

निष्कर्ष

भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि, जिला कलेक्टर कार्यालयों के पास पड़े हुए निष्क्रिय कोष का निवेश न किये जाने, भूमि अतिक्रमण से बचाने में असफलता, उपलब्ध भूमि के विकास की मंथरगति साथ ही शासन द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य एवं निर्माण योजना में प्रतिकूलता के परिणामस्वरूप प्लाटों एवं आवासों के निर्माण में भारी कमी होने के कारण परिषद, ग्राह्य मूल्यों पर आवासों एवं प्लाटों को उपलब्ध कराने सम्बंधी अपने मुख्य उद्देश्य को पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं कर सका। इसके द्वारा निर्मित कालोनियों में पर्यावरण नियंत्रण हेतु पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किये गये थे जिसके कारण सतत् विकास का उद्देश्य असफल सिद्ध हुआ। सीमेन्ट एवं स्टील की क्रय प्रणाली अमितव्यी थी। विकसित

भूमि एवं आवासों के सम्बन्ध में, आवंटियों से वसूल की गयी लागत, वास्तविक व्यय के आधार पर समायोजित नहीं की गयी थी। लागत निर्धारण अनुदेशिका के प्रतिकूल, प्लाटों की आगामी नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य के निर्धारण हेतु पूर्व की नीलामियों में अर्जित नीलामी दरों पर विचार नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन की समाज के कमज़ोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने की योजना की अनुदेशिका के अनुरूप समाज के कमज़ोर वर्ग लाभान्वित नहीं हुए।

संस्तुतियाँ

- भूमि अधिग्रहण हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करने हेतु अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए एवं प्रभावी समानुदेशक (मॉनिटरिंग) प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि भूमि का अतिक्रमण न हो;
- भूमि अधिग्रहण की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से तत्काल देय न होने वाले कोषों को, सावधिक जमा में निवेशित करने हेतु, डीसी को शासन द्वारा निर्देशित करना चाहिए;
- शासन द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप एवं प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुसार, निस्तारण से पहले सीवेज वाटर के प्रतिपादन की व्यवस्था करने के पश्चात् परिषद द्वारा स्वयं भूमि विकास एवं निर्माण योजना तैयार किया जाना चाहिए;
- निर्माण सामग्रियों की क्रय प्रणाली को औचित्यपूर्ण होना चाहिए और ग्राह्य मूल्यों पर आवासों एवं प्लाटों को उपलब्ध कराने हेतु कार्य पूर्ण होने के बाद, आवासों की लागत के समायोजन की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए;
- व्यावसायिक प्लाटो की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य का निर्धारण दृढ़तापूर्वक लागत निर्धारण अनुदेशिका के अनुसार किया जाना चाहिए; एवं
- शासन की योजनाओं की शर्तों के अधीन, समाज के कमज़ोर वर्गों को आवासों का आवंटन परिषद द्वारा दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.2 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा भण्डारणहों का निर्माण एवं संचालन

मुख्य अंश

वास्तविक आवश्यकता से कम मात्रा के कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित करने के कारण निगम भण्डारणहों के निर्माण हेतु प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 3.2.8)

एफसीआई के लिए विनिर्देशन के अनुरूप भण्डारणहों का निर्माण न करने के फलस्वरूप धारण क्षमता का कम निर्धारण हुआ और परिणामतः 34.48 करोड़ रुपये भण्डारण शुल्क की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.9)

जमीन को बिना ऊँचा किये, निचली निम्न स्तरीय क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण की परिणति 65.99 लाख रुपये के व्यर्थ व्यय में हुई।

(प्रस्तर 3.2.10)

यूबीआई के ऋण का आस्थगन न करने के कारण निगम 4.69 करोड़ रुपये के पूँजीगत परिदान से बंचित हुआ तथा परिदान का विलम्बित दावा प्रस्तुत करने के परिणामतः ब्याज के रूप में 29.11 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

(प्रस्तर 3.2.12 तथा 3.2.13)

गोहूँ स्कन्ध का असंगत एवं अपर्याप्त भण्डारण करने के कारण निगम ने 3.09 करोड़ रुपये की हानि उठायी।

(प्रस्तर 3.2.19)

धर्मकाँटों की संस्थापना न करने तथा मौजूद धर्मकाँटों की समय से रख-रखाव एवं मरम्मत न करने के कारण स्कन्ध के तौलने पर निगम ने 1.03 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 3.2.20 एवं 3.2.21)

जाँच रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण भण्डारण-हानियों से सम्बन्धित 7.71 करोड़ रुपये की राशि अनिस्तारित रही।

(प्रस्तर 3.2.17)

खाद्य-विभाग द्वारा चावल के भण्डारण में अनुमन्य भण्डारण हानि की तुलना में 15.47 करोड़ रुपये की अत्यधिक भण्डारण हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.18)

निगम ने, गोदामों के निर्माण हेतु अधिक ब्याज दर पर लिये गये ऋणों तथा गेहूं के क्रय हेतु लिये गये ऋण की शासन को विलम्बित वापसी, के कारण 1.85 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.2.24 तथा 3.2.26)

प्रस्तावना

3.2.1 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (निगम) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, “एग्रीकल्चर प्रोड्यूस (डेवलपमेण्ट एण्ड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन एक्ट 1956,” जो बाद में “वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962” द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, के अन्तर्गत 1958 में संस्थापित किया गया था। निगम एक सांविधिक-निगम है तथा इसकी प्रदत्त-अंशपूँजी, जो उत्तर प्रदेश शासन तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा बराबर मात्रा में अंशदायित थी, 31 मार्च 2005 को 13.37* करोड़ रुपये थी। निगम के मुख्य कार्य-कलाओं में अन्यान्य के अतिरिक्त, गोदामों का निर्माण, कृषि उत्पादों, बीजों, खादों, उर्वरकों, कृषि-औजारों तथा अधिसूचित उपयोगी वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं वितरण कार्य सम्मिलित थे।

निगम का प्रबन्धन, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए 11 सदस्यीय निदेशक मण्डल में सन्निहित है। प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। प्रबन्ध-निदेशक एक उप प्रबन्ध निदेशक, पाँच सामान्य प्रबन्धकों (जीएम) तथा 12 क्षेत्रीय प्रबन्धकों (आरएम) द्वारा सहयोगित होता है। 31 मार्च 2006 को निगम के पास वरिष्ठ भण्डारण अधीक्षक/भण्डारण अधीक्षक की प्रधानता में 157 भण्डार-केन्द्रों के साथ 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.2.2 अप्रैल से जून 2006 के दौरान की गयी वर्तमान निष्पादन-समीक्षा, 31 मार्च 2005 तक के पाँच वर्षों (वर्ष जिनके लेखे अन्तिम रूप दिये जा चुके हैं) में निगम द्वारा किये गये निर्माण के कार्य-कलाप तथा भण्डारणों का परिचालन, सन्निहित करती है। धारण-क्षमता के विशिष्ट संदर्भ में, मुख्यालय तथा पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों (12 क्षेत्रीय कार्यालयों में से) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। नमूने में जाँचे गये पाँच क्षेत्रीय-कार्यालयों की धारण-क्षमता 18.03 लाख एमटी थी, जो कुल 12 क्षेत्रीय कार्यालयों की 29.06 लाख एमटी धारण क्षमता की 62.03 प्रतिशत थी, को अभिव्यक्त करती है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

3.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- समुचित तथा पर्याप्त धारण सुविधायें निर्मित/सृजित की गयी थीं तथा ग्राहकों/जमाकर्ताओं को कम खर्च पर एवं दक्ष तरीके से सही समय से सही स्थान पर उपलब्ध करायी गयी थीं;

* 2.21 करोड़ रुपये का समतुल्य योगदान सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से प्राप्त नहीं हुआ है।

- धारण क्षमतायें उच्चतम स्तर तक उपयोग में लायी गयी थीं तथा निजी धारण क्षमताओं को कम खर्च पर तथा दक्षतापूर्वक किराये पर लिया गया/खाली किया गया था;
- भण्डारण के समय खाद्यान्नों के क्षरण को कम से कम करने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये थे;
- मानव शक्ति के विनियोजन में मानकों का अनुपालन किया था; तथा
- कोष प्रबन्धन प्रभावी था।

लेखा परीक्षा की कसौटी

3.2.4 लेखा परीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का निर्धारण करने के लिये ली गई, लेखा परीक्षा की कसौटी, निम्न की अनुपालन-सीमा की जाँच करने के लिये थी:

- गोदामों के निर्माण से सम्बन्धित विनिर्देश/निर्देश;
- वेअर हाउसिंग एक्ट के प्राविधान;
- गोदामों के आक्यूपैसी/उपयोग से सम्बन्धित भारत सरकार/सीडब्ल्यूसी/एफसीआई द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शन/निर्देश; तथा
- संचालक मण्डल के मार्ग-दर्शन/निर्देश।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

3.2.5 लेखा परीक्षा कसौटी को ध्यान में रखते हुये लेखा परीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के तहत निम्न का परीक्षण करना:

- शासकीय नीतियाँ/परिपत्रों, परिषद की बैठक के एजेण्डा एवं कार्यवृत्तियाँ, वार्षिक प्रतिवेदन, परियोजना-प्रतिवेदन तथा भौतिक एवं वित्तीय-प्रगति आख्यायें।
- गोदामों का ले-आउट-प्लान, प्राक्कलन, निविदायें, संविदायें तथा कार्य सम्पादन से सम्बन्धित माप-पुस्तिकायें।
- प्रत्येक गोदाम की क्षमता तथा इसके उपयोग से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेख
- लेखापरीक्षा पूँछताछ-पत्र निर्गत करना तथा प्रबन्धन के साथ अन्तः विचार।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

3.2.6 निगम के निर्माण कार्यकलापों तथा भण्डारणों के संचालन की निष्पादन समीक्षा के दौरान पाये गये प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को जुलाई 2006 में प्रतिवेदित किया गया तथा 10 अगस्त 2006 को हुई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में, विवेचित किया गया। संयुक्त सचिव (सहकारिता), उत्तर प्रदेश शासन तथा निगम के प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में

भाग लिया। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय, प्रबन्धन/शासन द्वारा बैठक में अभिव्यक्त किये गये विचार तथा प्रबन्धन द्वारा अगस्त 2006 में दिये गये विस्तृत उत्तर को संज्ञान में लिया गया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण की चर्चा अगले प्रस्तरों में की गई है:

गोदामों का निर्माण

3.2.7 31 मार्च 2006 तक के अन्तिम पाँच वर्षों में निगम ने 12.29 लाख एमटी क्षमता के 35 गोदामों का निर्माण अपने कोष का उपयोग करते हुए 167.65 करोड़ रुपये लागत पर करवाया। गोदामों के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में निम्न तथ्य परिलक्षित हुए:

वास्तविक सन्निहित मात्रा से कमतर कार्यों हेतु निविदाओं का आमन्त्रण

3.2.8 अधिकतम प्रतिस्पर्धी दरों प्राप्त करने की दृष्टि से, शासकीय-संगठनों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्राक्कलित मात्रा के लिए खुली निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। लेखा परीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने 19 स्थानों पर 10000 से 1,00,000 एमटी के मध्य क्षमता वाले, सकल 5,00,000 एमटी क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु, निगम को निदेशित किया (फरवरी 2001)। इसके विरुद्ध निगम ने 10000 एमटी क्षमता के गोदामों का एकीकृत रूप से 1.27 करोड़ रुपये मानक लागत पर, प्राक्कलन बनाया (फरवरी 2001) तथा मात्र 10000 एमटी क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित किया, यद्यपि उन स्थानों पर जहाँ राज्य सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण की वास्तविक माँग 10000 एमटी क्षमता से अधिक थी। इसके परिणामतः, निगम अधिक मात्रा के कार्य के प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ नहीं उठा सका।

छः स्थानों पर निर्मित किये जाने वाले गोदामों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा जाँच, जो निम्न तालिका में इंगित किये गये हैं, यह दर्शाते हैं कि निगम के इन केन्द्रों पर निर्मित किये जाने वाले गोदामों के निर्माण के लिए निविदायें आमन्त्रित करते समय वास्तविक क्षमता की आवश्यकता को नजरन्दाज किया।

क्रम संख्या	स्थान	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित क्षमता (एमटी में)	निविदा में दर्शायी गई क्षमता (एमटी में)	निविदा की तिथि	कार्य की प्राक्कलित लागत (करोड़ रु० में)	विस्तारित क्षमता (एमटी में)	विस्तारित कार्य की लागत (करोड़ रु० में)	लागत में बढ़ोत्तरी (प्रतिशत में)	बढ़ी हुई तिथि
1.	बद्राला (शाहजहांपुर)	100000	10000	02/01	1.27	25000	3.23	154	16.4.2001
2.	कुर्सी रोड (बाराबंकी)	25000	10000	02/01	1.27	23750	2.59	103	16.4.2001
3.	खिमसेपुर (फर्रुखाबाद)	20000	10000	02/01	1.27	25000	2.53	100	16.4.2001
4.	जैनपुर (कानपुर देहात)	20000	10000	02/01	1.27	25000	2.61	106	16.4.2001
5.	फिरोजाबाद	20000	10000	02/01	1.27	23940	3.07	142	18.6.2001
6.	एटा	20000	10000	02/01	1.27	50500	5.71	350	16.4.2001

तालिका से स्पष्ट है कि छः स्थानों पर 20000 एमटी और 100000 एमटी के मध्य क्षमता वाले गोदामों के निर्माण की माँग के विरुद्ध, 10000 एमटी क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु, 1.27 करोड़ रुपये प्रति गोदाम की लागत के प्राक्कलन बनाये गये तथा निविदायें तदनुसार आमन्त्रित की गयी। यह पाया गया कि बाद में निगम ने उन्हीं ठेकेदारों से विस्तारित मात्रा का निर्माण, पहले प्रदत्त दरों पर करने के लिए कहा, यद्यपि, मात्रा में 350 प्रतिशत तक का विचलन था। इस प्रकार, निगम वास्तविक अपेक्षित मात्रा से कमतर मात्रा के लिये निविदा आमन्त्रित करने के कारण वास्तविक मात्रा के कार्य के लिए प्राप्त होने वाले प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से वंचित रहा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि विस्तारित (स्कोप) भाग के कार्यों हेतु नयी निविदायें आमन्त्रित करने, जो स्वाभाविक रूप से परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय सन्निहित करती; से बचने के लिए विस्तारित भाग का कार्य उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, अधिक मात्रा के कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के क्रम में सम्बन्धित स्थलों की सम्पूर्ण मात्रा के लिए निविदायें, प्रारम्भ में ही आमन्त्रित की जानी चाहिए थी।

एफसीआई के विशिष्टियों के अनुरूप गोदामों का निर्माण न होना

3.2.9 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने, 2001-02 के खरीफ मानसून से प्रारम्भ कर, सात वर्ष की गारण्टी के आधार पर, 5 लाख एमटी क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करने के लिए निगम से कहा (जुलाई 2001)। निगम ने राज्य के 17 स्थानों पर 5 लाख क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव एफसीआई को प्रस्तुत किया (जुलाई 2001)। एफसीआई ने अनुमोदित कर दिया तथा प्रस्ताव को 14 स्थानों पर 6 लाख एमटी क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित कर दिया (जुलाई 2001 से अक्टूबर 2001) तथा निगम को गोदामों के निर्माण के समय अनुपालन हेतु विशिष्टियों का विस्तृत दिशा-निर्देश, जारी किया (सितम्बर 2001)।

लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2005) कि निगम ने 6 लाख एमटी क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया तथा उन्हें भण्डारण के लिए एफसीआई को, जनवरी से जून 2002 के बीच प्रस्तावित किया। एफसीआई ने 6 लाख एमटी क्षमता के विरुद्ध 5.33 लाख एमटी की भण्डारण क्षमता को अन्तरिम रूप से स्वीकृत किया। एफसीआई ने, अपने फील्ड ऑफिसों यथा, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि से गोदामों के निर्माण को निर्गत मानकों के अनुरूप न होने से सम्बन्धित प्रतिवाद प्राप्त होने पर (जनवरी से जून 2002), गोदामों की गुणवत्ता के साथ प्रभावी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए अपने तीन अधिकारियों की कमेटी गठित किया (दिसम्बर 2003)। कमेटी ने अवलोकित किया (जनवरी 2004) कि निगम द्वारा निर्मित गोदाम एफसीआई की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे। एफसीआई ने कमेटी के जाँच परिणाम के आधार पर, अन्तरिम से स्वीकृत किये 5.33 लाख एमटी गोदामों की क्षमता के विरुद्ध मात्र 3.86 लाख एमटी क्षमता का आंकलन किया (फरवरी 2005)। एफसीआई ने मात्र 3.86 लाख एमटी की प्रभावी भण्डारण

क्षमता के सात वर्ष की संशोधित गारण्टी भी जारी किया (फरवरी 2005)। निगम ने, यथानिर्मित तथा उनके द्वारा प्रस्तावित 6 लाख एमटी की पूरी क्षमता के लिए गारण्टी निर्गत करने के लिए अभिवेदित किया (मई 2005)। तथापि, एफसीआई द्वारा यह माँग ठुकरा दी गई (जून 2005)।

एफसीआई के मानकों के अनुरूप गोदामों का निर्माण न होने के परिणामतः 34.48 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार निगम ने, एफसीआई के मानकों के अनुरूप गोदामों का निर्माण न करने के कारण 31 मार्च 2006 तक 34.48 करोड़ रुपये (35.80 रुपये प्रति एमटी प्रति माह की दर से 2.14 लाख एमटी के लिए भण्डारण-शुल्क जुलाई 2002 से मार्च 2006 की अवधि के लिए) के सम्भावित राजस्व की भारी हानि बहन किया। निगम, बची हुई गारण्टी अवधि (3 वर्ष 3 माह) में 9.19 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष (35.80 रुपये प्रति एमटी प्रतिमाह की दर से 2.14 लाख एमटी के लिए) की दर से आवर्ती राजस्व की हानि उठायेगा।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जून/जुलाई 2006) कि एफसीआई ने गोदामों के निर्माण के लिए कोई संशोधित दिशा-निर्देश नहीं दिया था और गोदामों का निर्माण पूर्व से चले आ रहे मानकों के आधार पर किया गया तथा पूरी क्षमता के रिजर्वेशन को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर, इस तथ्य के दृष्टि में मान्य नहीं है कि मानकों को दर्शाते हुए एफसीआई के दिशा-निर्देश सितम्बर 2001 में उपलब्ध करा दिये गये थे तथा पूरी क्षमता को रिलीज करने के निगम द्वारा किया गया अनुरोध, एफसीआई द्वारा पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया था।

लखीमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण पर निर्थक व्यय

3.2.10 निगम ने, लखीमपुर औद्योगिक क्षेत्र केन्द्र पर कार्यालय भवन, चहारदीवारी, नाले के कार्य तथा सड़क के निर्माण के लिए रतन लाल एण्ड एशोसिएट से 91.63 लाख रुपये का अनुबंध किया (जनवरी 2001)। सड़क निर्माण की लागत 65.99 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुये, कार्य 1.02 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा हुआ (अक्टूबर 2001)। सड़क, तथापि, दो वर्ष के अन्दर क्षतिग्रस्त हो गयी (नवम्बर 2003)। सम्बन्धित केन्द्रों द्वारा मुख्यालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अवलोकन से लेखा परीक्षा में देखा गया कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण केन्द्रों के परिसर के अन्दर की सड़कों का स्तर जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के स्तर से कम होना था जिसके परिणामतः पानी का भराव तथा क्षति हुई।

जैसा कि सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा अनुपयोगी हो गयी थी, निगम को सब-बेस तथा सीमेण्ट-कंक्रीट के द्वारा 1.07 करोड़ रुपये की लागत पर सड़क का पुनः निर्माण करना पड़ा (अप्रैल 2005) तथा पहले सड़क के निर्माण पर हुआ 65.99 लाख रुपये का पूरा व्यय निर्थक हो गया।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकार करते हुये (सितम्बर 2006) कहा कि परिसर तथा वहाँ पर आंतरिक सड़क का स्तर यूपीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्पर्क मार्ग से नीचा था जिसके परिणामतः जल-भराव हुआ और नुकसान का कारण बना। जल-भराव की सम्भावना से बचने के लिए निगम को

जमीन का स्तर बिना ऊँचा किये निचली स्तर की जमीन पर सड़क के निर्माण के परिणामतः 65.99 लाख रुपये का निर्थक व्यय हुआ।

कैम्पस तथा अन्दर की सड़क का स्तर, सम्पर्क मार्ग के स्तर से ऊँचा रखने की सावधानी रखनी चाहिए थी।

गोदामों के निर्माण के लिए ऋण का आस्थगत

3.2.11 वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के दौरान (फरवरी 2001) वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण गोदामों हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की घोषणा किया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गोदाम योजना के लिए निर्गत किये गये (मार्च 2002) दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरुद्धार/विस्तारण की परियोजना की जमा लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 37.50 लाख रुपये प्रति परियोजना का पूँजी-परिदान अनुमन्य था बशर्ते ये परियोजनायें कामर्शियल बैंकों द्वारा वित्तपोषित हो तथा ऋण एक अप्रैल 2001 अथवा बाद में, स्वीकृत हो। यह परिदान दो किस्तों में अवमुक्त होना था, परिदान का 50 प्रतिशत, प्रोजेक्ट-प्रोफाइल कम क्लेम फार्म उपलब्ध कराये जाने पर, नाबार्ड द्वारा सहभागी बैंक को अवमुक्त करना था तथा शेष 50 प्रतिशत सहभागी बैंक को निरीक्षण सम्पन्न करने के उपरान्त दिया जाना था। नाबार्ड द्वारा अवमुक्त किया गया परिदान, बैंक द्वारा ऋण-ग्राही के अलग रिजर्व फण्ड एकाउण्ट्स में रखा जाना था तथा कार्य के पूर्ण हो जाने पर अन्तिम रूप से ऋण-राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परिदान की समतुल्य राशि पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं चार्ज करना था।

3.2.12 लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (यूबीआई) द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 64 करोड़ रुपये का सावधि-ऋण 15 मार्च 2001 को स्वीकृत किया गया। निगम को 64 करोड़ रुपये का ऋण 29 मार्च 2001 से 27 दिसम्बर 2001 के मध्य अवमुक्त किया गया। 14 स्थानों पर, प्रत्येक स्थान पर 3110 एमटी से 92000 एमटी क्षमता के गोदाम मार्च 2003 तक निगम द्वारा निर्मित किये गये। निगम, इन गोदामों की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की दर से अनुमन्य, 4.69 करोड़ रुपये (परिशिष्ट-25) का पूँजीगत परिदान नहीं ले सका, क्योंकि इन गोदामों के निर्माण हेतु निगम को ऋण एक अप्रैल 2001 से ठीक 16 दिन पहले स्वीकृत किया गया था। चूँकि, ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु पूँजीगत परिदान की घोषणा बजट-भाषण 2001-02 फरवरी 2001 में, अर्थात् ऋण स्वीकृत होने के पहले की गई थी, सावधि ऋण के विरुद्ध 4.69 करोड़ की सकल पूँजीगत परिदान को प्राप्त करने के लिए निगम को यूबीआई द्वारा ऋण की स्वीकृति को 1 अप्रैल 2001 तक स्थगित करा देनी चाहिये थी।

इस प्रकार, 4.69 करोड़ रुपये का परिदान का लाभ न उठाने के कारण निगम को 4.69 करोड़ रुपये पर, 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से आगणित, 1.13 करोड़ रुपये का परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि प्रश्नगत परिदान की कार्यालयी अधिसूचना फरवरी 2002 में जारी की गई थी और प्रतिलिपि, बैंक द्वारा मार्च 2002 में

ऋण स्वीकृति का स्थगन न होने के कारण निगम 4.69 करोड़ रुपये का पूँजीगत परिदान का उपभोग नहीं कर सका।

उपलब्ध करायी गयी थी, जबकि ऋण मार्च 2001 में स्वीकृत हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन का आशय, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर लागू तत्कालीन योजना को, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित गोदामों के निर्माण तक विस्तारित करना था, जिसे फरवरी 2001 के बजट-भाषण में उद्घोषित किया गया। निगम को, इस प्रकार की महत्वपूर्ण उद्घोषणा का संज्ञान लेना चाहिए था इस पर उपयुक्त तरीके से कार्य करना चाहिए था।

3.2.13 निगम ने 18 स्थानों पर ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु 82.40 करोड़ रुपये के सकल योग के दो ऋण बैंक ऑफ इण्डिया से (65.40 करोड़ रुपये) तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से (17.00 करोड़ रुपये) नवम्बर 2001 से जुलाई 2002 के मध्य प्राप्त किया। निगम ने, बैंकों से यह कहते हुए कि वे उपरोक्त ऋणों पर पूँजीगत परिदान को प्राप्त करने के लिये नाबार्ड से सम्पर्क करें, बैंकों से मई 2002 में सम्पर्क किया तथा सहभागी बैंकों द्वारा परिदान के लिए दावा मई 2002 में किया गया। जैसा कि परिसर के अनुसार दावा प्रस्तुत करने के लिए नाबार्ड द्वारा अपेक्षित किया गया था, सहभागी बैंकों ने 26 मार्च 2003 को दावा पुनः पेश किया। नाबार्ड द्वारा, 3.23 करोड़ रुपये (बीओआई 2.02 करोड़ तथा एसबीआई 1.21 करोड़ रुपये) का अग्रिम परिदान 17 अप्रैल 2003 को अवमुक्त किया गया था। नाबार्ड की अपेक्षा के अनुसार, दावे को प्रस्तुत करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब तथा परिदान के अवमुक्ति में परिणात्मक विलम्ब के कारण निगम को, नाबार्ड द्वारा अप्रैल 2003 में अवमुक्त परिदान की राशि पर जून 2002 से मार्च 2003 की अवधि के लिए 29.11 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज की राशि (बीओआई तथा एसबीआई से ऋण की राशि पर क्रमशः 11 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आंकलित) का भुगतान करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि फरवरी 2002 में अधिसूचना की प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने सम्बन्धित बैंकों से परिदान के लिये दावे को नाबार्ड को प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध मई 2002 में किया था। इसके प्रतिफल में बैंकों ने, मई 2002 में नाबार्ड से सम्पर्क किया। इसके उत्तर में, नाबार्ड द्वारा 10 माह पश्चात् बैंकों को परिदान अवमुक्त किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नाबार्ड ने, उनकी अपेक्षा के अनुरूप, दावे के पुनः प्रस्तुतीकरण के 22 दिन की अवधि के भीतर, परिदान अवमुक्त कर दिया। इससे इंगित होता है कि निगम ने परिदान के अवमुक्ति के मामले को सम्बन्धित बैंकों से प्रभावी तरीके से अनुसरण नहीं किया, परिणामतः नाबार्ड द्वारा विलम्ब से परिदान की अवमुक्ति की गई।

केन्द्रीय सहायता का उपयोग

3.2.14 निगम द्वारा चिन्हित 25 स्थानों पर प्रत्येक 2000 एमटी क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से निगम ने 1999-2001 के मध्य 8.16 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त किया। निगम ने 22 स्थानों पर अपनी भूमि पर तथा तीन स्थानों पर खाद्य एवं रसद विभाग की भूमि पर गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव किया। तथापि, निगम मात्र 23 स्थानों (निगम के 20 स्थान तथा शासन के तीन स्थान) पर, दो स्थानों (नौवस्ता तथा सुल्तानपुर) को छोड़कर, जहाँ निर्माण के लिए भूमि वास्तव में उपलब्ध नहीं थी, गोदामों का निर्माण कर

गोदामों के निर्माण के लिए स्थलों का असमुचित चुनाव करने के कारण निगम 64.80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सका।

सका। निगम ने अन्य दो स्थानों पर गोदामों का निर्माण करने के लिए शासन से अनुरोध किया (जून 2001) लेकिन शासन ने ऐसा करने से मना कर दिया (अगस्त 2001)। इसके फलस्वरूप, इन दो स्थानों पर गोदामों के निर्माण के लिए स्थलों के असमुचित चुनाव के कारण, निगम 64.80 लाख रुपये (32.40 लाख रुपये प्रत्येक गोदाम के लिये) की केन्द्रीय सहायता उपयोग नहीं कर सका। परिणामतः निगम 4000 एमटी की अतिरिक्त धारक-क्षमता, जिसके द्वारा निगम के लिए अतिरिक्त राजस्व का योगदान हो सकता था, का सृजन नहीं कर सका।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा के प्रेक्षण का समर्थन किया (अगस्त 2006)।

भण्डार गृहों का संचालन

3.2.15 भण्डार गृहों का संचालन मुख्यतया निम्न क्रिया-कलाओं को निहित करता है:

- कृषि उत्पादों तथा फर्टिलाइजर का भण्डारण;
- जमाकर्ता की ओर से हैण्डलिंग एवं परिवहन; तथा
- गेहूं की खरीद।

क्रियाकलापानुसार लेखा परीक्षा-प्रेक्षण अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है:

भण्डारण कार्यकलाप

3.2.16 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राज्य सरकार (खाद्य विभाग), राज्य सरकार की एजेंसियों तथा फर्टिलाइजर पीएसयूज, निगम के लिए कृषि उत्पादों तथा फर्टिलाइजर के मुख्य जमाकर्ता थे। निगम गेहूं, चावल, फर्टिलाइजर तथा जिप्सम आदि के भण्डारण के लिए निर्धारित दरों पर, इन जमाकर्ताओं के लिए समुचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित था।

31 मार्च 2005 तक अन्तिम पाँच वर्षों के लिए निगम की भण्डारण क्रियाकलाप निम्न तालिका में दर्शित हैं:

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	भण्डारण केन्द्रों की संख्या	155	185	147	152	158
	(अ) स्व-स्वामित्व वाले गोदाम (संख्या)	90	106	116	117	118
	(ब) किराये के गोदाम (संख्या)	154	158	121	187	91
2.	वार्षिक उपलब्ध क्षमता					
	(अ) स्व-स्वामित्व वाले (एमटी)	1290260	1645020	2362351	2415700	2424570
	(ब) किराये वाले (एमटी)	854841	1944930	961932	324360	421700
3.	योग	2145101	3589950	3324283	2740060	2846270
4.	वार्षिक क्षमता उपभोग (एमटी में)	2146392	3381467	2921177	2581955	2718188
5.	उपभोग क्षमता (प्रतिशत में)	100.06	94.19	87.87	94.23	95.50
6.	व्यय (गेहूं-क्रय को छोड़कर) करोड़ रुपये में	45.53	69.38	100.05	80.26	100.56
7.	प्रति एमटी प्रतिवर्ष व्यय (रुपये में)	212.12	205.18	342.50	310.85	369.95
8.	आय (गेहूं क्रय को छोड़कर) करोड़ रुपये में	72.62	102.67	114.21	91.75	126.81
9.	प्रति एमटी प्रतिवर्ष आय (रुपये में)	338.33	303.63	390.97	355.35	466.52
10.	शुद्ध आय (करोड़ रुपये में)	27.09	33.29	14.16	11.49	26.25
	शुद्ध आय (रुपये में) प्रति एमटी	126.21	98.45	48.47	44.50	96.57

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- गोदामों का क्षमता उपयोग, 31 मार्च 2005 तक के पाँच वर्षों में 87.87 तथा 95.50 प्रतिशत के बीच रहा, सिवाय 2000-01 के जब यह 100 प्रतिशत से अधिक रहा; तथा
- वर्ष 2000-01 के पश्चात्वर्ती अवधि में, प्रति एमटी प्रतिवर्ष शुद्ध आय अधोमुख थी।

भण्डारण हानियों का निस्तारण

3.2.17 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने चावल की भण्डारण हानियों का मानक, एक वर्ष तक भण्डारण के लिए 0.5 प्रतिशत तथा एक वर्ष के पश्चात् के लिए 0.75 प्रतिशत निर्धारित किया (मई 1998)। इस अनुमन्य सीमा के अधिक की भण्डारण हानियों का निस्तारण, निगम से जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् एफसीआई द्वारा किया जाना था।

लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों की जाँच में पता चला कि 2005-06 तक के अन्तिम पाँच वर्षों में, 462 प्रकरणों में 15.13 करोड़ रुपये की भण्डारण हानियों, अनुमन्य सीमा से अधिक पायी गयी। भण्डारण हानियों के नियमितीकरण हेतु प्रकारान्तर में एफसीआई को भेजने के लिए, ये प्रकरण निगम के विजिलेंस विभाग को विस्तृत जाँच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को सन्दर्भित किये गये। जाँच के लिए विजिलेंस विभाग को संदर्भित प्रकरणों तथा एफसीआई द्वारा निस्तारित प्रकरणों का वर्षानुसार विवरण निम्नवत् है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	विजिलेंस विभाग को सन्दर्भित प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		जाँच के लिए लम्बित प्रकरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रारम्भिक	49	222.43				
2001-02	62	104.75	59	89.09	52	238.09
2002-03	151	473.64	107	393.62	96	318.11
2003-04	121	429.00	79	124.58	138	622.53
2004-05	52	204.69	17	117.23	173	709.99
2005-06	27	78.95	04	18.37	196	770.57
योग	462	1513.46	266	742.89		

जाँच रिपोर्टों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण 7.71 करोड़ रुपये मूल्य के भण्डारण हानि के 196 प्रकरण एफसीआई के पास लम्बित रहे। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2001-02 में निस्तारित 59 प्रकरणों के विरुद्ध प्रकरणों का निस्तारण कम होकर मात्र 4 तक हो गया, जिसके कारण लम्बित प्रकरणों में वृद्धि हुई जो वर्ष 2001-02 के प्रारम्भ में लम्बित 49 प्रकरणों के विरुद्ध वर्ष 2005-06 के अन्त में 196 प्रकरणों तक बढ़कर हो गया। उक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि एफसीआई द्वारा अन्तिम पाँच वर्षों में मात्र 7.43 करोड़ रुपये मूल्य के 266 भण्डार हानि के प्रकरणों का निस्तारण, 6.76 करोड़ रुपये की वसूली का अपलेखन करके तथा 67.99 लाख रुपये की वसूली निगम से करके, किया जा सका। 31 मार्च 2006 के अन्त में निगम के विजिलेंस विभाग द्वारा जाँच रिपोर्ट के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण 7.71 करोड़ मूल्य के 196 भण्डारण हानि के प्रकरण अनिस्तारित रहे।

खाद्य विभाग द्वारा चावल-भण्डारण में भण्डारण हानि

अनुमन्य सीमा से परे अधिक भण्डारण हानि की आकलित राशि 15.47 करोड़ रुपये असमायोजित रही

3.2.18 राज्य सरकार ने स्टेट पूल के अन्तर्गत, निगम के भण्डार-गृहों में संग्रहित चावल के सापेक्ष 0.4 प्रतिशत की भण्डारण हानि का, वर्ष 1999-2000 से प्रभावी अनुमन्य सीमा का निर्धारण किया था (अगस्त 2003)। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 के मध्य भण्डारित चावल में अत्यधिक भण्डारण-हानि रही तथा 0.69 एवं 0.88 प्रतिशत के मध्य रही। अनुमन्य सीमा के बाहर 16380.13 एमटी की हानि आगणित की गई जिसका मूल्य 15.47 करोड़ रुपये था, का विवरण नीचे दिया गया है;

(मात्रा एमटी में)

वर्ष	प्राप्ति	निर्गमन	स्टाक	भण्डारण हानि {2- (3+4)}	मानक के अनुसार हानि (एमटी)	0.40 प्रतिशत से अधिक हानि	दर रुपये प्रति एमटी	धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-01	517079.30	512515.00	0	4564.30	2068.32	2495.98	8689.00	216.88
2001-02	510670.70	506394.40	0	4276.30	2042.68	2233.62	9031.00	201.72
2002-03	616843.50	610657.10	934.60	5251.80	2467.37	2784.43	9383.00	261.21
2003-04	1135664.40	1119086.40	8809.30	7768.70	4542.66	3226.04	9594.00	309.51
2004-05	1849584.80	1711657.70	124888.70	13038.40	7398.34	5640.06	9880.00	557.24
योग				34899.50	18519.37	16380.13		1546.56

यद्यपि, निगम ने, इन असाधारण हानियों को कम करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

तिकोनिया केन्द्र पर गेहूँ के स्टाक का भण्डारण

3.2.19 राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने निगम को रबी मार्केटिंग सीजन 2000-01 तथा 2001-02 की अवधि में 273760 कुन्तल गेहूँ के भण्डारण का जिम्मा दिया। निगम ने स्थलों को चिन्हित किया तथा लखीमपुर जिले के तिकोनिया केन्द्र पर मण्डी समिति की अप्रयुक्त सड़क पर खुले में गेहूँ के स्टाक का भण्डारण किया गया। मार्च 2003 तक उपरोक्त में से 2,36,838 कुन्तल गेहूँ उठा लिया गया था तथा 215 कुन्तल की भण्डारण-प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए 37137 कुन्तल (मूल्य 3.09 करोड़ रुपये) गेहूँ, जो क्षतिग्रस्त पाया गया, तथा इसीलिए उठाया नहीं जा सका। इसी बीच स्टाक की हानि की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य-आयुक्त द्वारा राज्य सरकार, केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), एफसीआई तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (यूपीएसडब्ल्यूसी) के वरिष्ठ अधिकारियों से सन्निहित एक समिति का गठन किया गया (अगस्त 2003)। समिति की रिपोर्ट के अनुसार खराब गेहूँ मानवीय-उपभोग के लिए अनुप्रयुक्त पाया गया और इसलिए समिति ने नीलामी द्वारा विक्रय करने की संस्तुति किया (सितम्बर 2003)।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि खाद्य विभाग ने निगम को स्टाक की हानि के लिए इस आधार पर उत्तरदायी बताया (अक्टूबर 2004) कि: (i) भण्डारण निचली सतह के क्षेत्र पर किया गया था, (ii) भण्डारण अर्पणात्मक था, (iii) भण्डारण बिना परवाह के छोड़ दिया गया था, तथा (iv) निगम द्वारा भण्डार का स्थानान्तरण सुरक्षित स्थान पर नहीं किया गया था जिसके कारण इस प्रकार के स्टाक की भारी

गेहूँ के स्टाक का असमुचित भण्डारण के कारण निगम ने 3.09 करोड़ रुपये की हानि उठाया।

मात्रा में क्षति हुई। तदनुसार, खाद्य विभाग ने क्षतिग्रस्त स्टाक के कुल मूल्य 3.09 करोड़ रुपये, निगम की अगस्त तथा सितम्बर 2004 स्टोरेज चार्जेज बिलों से कटौती कर लिया। पुनश्च, खाद्य विभाग ने, गेहूँ के पूरे क्षतिग्रस्त स्टाक की बिक्री 66.32 लाख रुपये में नीलामी के माध्यम से कर दिया और विक्रय की राशि को अपने पास रोक लिया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि भण्डारण खाद्य-विभाग के निर्देशानुसार किया गया था तथा भण्डार की क्षति अधिक समय तक खुले में भण्डारण के कारण हुई। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम, भण्डारण एजेन्सी होने के कारण स्टाक के सुरक्षित भण्डारण के लिए उत्तरदायी था इसलिए इसे उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण के द्वारा प्रशंगत स्टाक के सुरक्षित-भण्डारण के लिए अन्य प्रबन्ध करना चाहिए था। इस प्रकार की कार्यवाही करने में निगम की असफलता के परिणामतः स्टाक की हानि हुई और इसके फलस्वरूप निगम को हानि हुई।

धर्मकॉटी का संस्थापन

3.2.20 धर्मकॉटा, भण्डारण क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। भण्डारण केन्द्र पर आने तथा जाने वाले दोनों स्टाक का सदैव वजन लिया जाता है। निगम द्वारा वसूल किये गये भण्डारण-शुल्क में वजन-शुल्क सम्मिलित होता है, अन्यथा स्टाक के भारोत्तोलन पर किया गया व्यय, निगम द्वारा वहन किया जाता है।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि, 31 मार्च 2006 को 157 भण्डारण-केन्द्रों में से, निगम के पास अपने धर्मकॉटों मात्र 50 भण्डारण केन्द्रों पर थे तथा इन भण्डारण-शुल्कों पर संस्थापित धर्म-कॉटों ने 1997-98 से 2005-06 के मध्य 2.73 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया। शेष 107 केन्द्रों पर, तोलन दूसरों के धर्म-कॉटों से किया जाता रहा। 19 भण्डारण-केन्द्रों, जहाँ धर्म-कॉटे उपलब्ध नहीं थे, की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ कि निगम ने 2005-06 तक के अन्तिम पाँच वर्षों में बाहरी साधनों से तोलन पर 74.73 लाख रुपये (**परिशिष्ट-26**) का व्यय किया। इसे कम किया जा सकता था, यदि निगम ने विभिन्न स्थानों पर धर्म-कॉटों के संस्थापना की संभाव्यता का विश्लेषण किया होता।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि धर्म-कॉटों की पूँजीगत तथा संचालन लागत को संज्ञान में लेते हुए धर्मकॉटों की संस्थापना, सभी केन्द्रों पर अर्थ-संगत (इकोनामिकल) नहीं पाया गया तथा 2001-02 में सम्पन्न बैठक में निगम के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, तोलन बाहरी साधनों द्वारा लिया जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने कभी भी धर्म-कॉटों की संस्थापना की सम्भाव्यता का पता नहीं लगाया था। पुनश्च, बोर्ड निर्णय के बावजूद, निगम ने बाद के वर्षों (2004-05) में धर्म-कॉटों की संस्थापना किया जो यह दर्शाता है कि प्रबन्धन ने भी अपने धर्म-कॉटों की संस्थापना की अवश्यकता को महसूस किया था।

3.2.21 31 मार्च 2006 तक, 17 स्थानों पर स्थापित धर्म-कॉटे पिछले एक से छः वर्षों से खराब थे तथा निगम को तोलन लेने की सुविधा अन्य पार्टियों से लेनी पड़ी तथा उक्त अवधि में 0.51 लाख रुपये से 6.11 लाख रुपये प्रति केन्द्र तक विचलित दर से 28.15 लाख रुपये (**परिशिष्ट-27**) का सकल भुगतान किया।

निगम, समय से धर्म-कॉटों का अनुरक्षण तथा मरम्मत करके, इस व्यय से बच सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि धर्म-कॉटों को ठीक रखने के लिए उनके पास वार्षिक संरक्षण संविदा (एएमसी) थी तथा छोटी मरम्मत में 48 घंटे तथा तुलनात्मक बड़ी मरम्मतों में अधिक समय अपेक्षित था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत धर्मकॉटे एक वर्ष से अधिक अवधि से खराब पड़े थे।

गेहूँ की खरीद तथा भण्डारण

3.2.22 भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्धारित केन्द्रों पर, सम्बन्धित रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) के लिए उद्घोषित दरों पर, सरकार के पक्ष में, राज्य तथा केन्द्रीय पूल दोनों के अन्तर्गत, गेहूँ को सीधे किसानों से क्रय करने के लिए, वर्ष 1998-99 तथा पश्चात्वर्ती, अवधि के लिये, राज्य सरकार ने निगम को शासकीय एजेन्सी के रूप में नामित किया।

31 मार्च 2005 तक के अन्तिम पाँच वर्षों में निगम द्वारा वर्षानुसार गेहूँ क्रय की स्थिति, क्रय की वास्तविक लागत तथा उसकी वसूलित मूल्य, निम्नवत् थी:

वर्ष	क्रय की मात्रा (कुन्तल)	इंसीडेंटल तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए क्रय की वास्तविक लागत (लाख रुपये में)	वसूलित मूल्य (लाख रुपये में)	इंसीडेंटल के पुनरीक्षण के पूर्व हानियाँ (लाख रुपये में)	प्रति कुन्तल हानि (रुपये)
2000-01	1039307	7326.48	7130.20	196.28	18.88
2001-02	1126949	8486.24	8175.52	310.72	27.57
2002-03	731956	5676.89	5375.06	301.83	41.24
2003-04	450148	3437.18	3262.92	174.26	38.71
2004-05	542470	3909.37	3822.88	86.49	15.94
			योग	1069.58	

यह अवलोकित किया जा सकता है कि डिलीवरी रेट का क्रय की वास्तविक लागत से सदैव अधिक होने के कारण निगम, गेहूँ के क्रय तथा नामित संस्था को उसकी डिलीवरी में हानि, उठाता रहा। ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2000-01 में 18.88 रुपये प्रति कुन्तल की दर से हानि बढ़कर बाद के वर्षों में 41.24 रुपये प्रति कुन्तल तक हो गयी। क्रय की वास्तविक लागत मुख्यतया, प्रशासनिक व्यय तथा ब्याज की दरें, सम्बन्धित क्रय के सीजन के लिए शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य वास्तविक दरों से अधिक रही। तथापि, प्रबन्धन ने, क्रय की लागत को बढ़ाने वाले कारकों को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि जब राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित वर्ष का इंसीडेंटल-चार्ज पुनरीक्षित किया जाता है, तब गेहूँ की खरीद में हुई हानि समायोजित हो जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इंसीडेंटल चार्जेज के पुनरीक्षण के पश्चात् भी निगम हानि उठाता रहा। उदाहरण के लिये, इंसीडेंटल के पुनरीक्षण के कारण भारत सरकार से 1.32 करोड़ रुपये का समायोजन प्राप्त होने के पश्चात् भी इसने वर्ष 2000-01 में 64.70 लाख रुपये

का शुद्ध हानि उठाया। इस प्रकार, क्रय की उच्चतर लागत के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता है।

हैण्डलिंग तथा ट्रान्सपोर्ट आपरेशन

3.2.23 निगम जमाकर्ताओं, मुख्यतया खाद्य विभाग तथा एफसीआई की ओर से हैण्डलिंग तथा ट्रान्सपोर्ट (एच एण्ड टी) के क्रियाकलाप को करता है। शासन एच एण्ड टी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गये निर्धारित दरों पर निगम को भुगतान करता रहा। एफसीआई के प्रकरण में निगम, एच एण्ड टी पर किये गये वास्तविक व्यय तथा उस पर 8 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण-शुल्क सहित भुगतान प्राप्त करता रहा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 9 क्षेत्रों (परिशिष्ट-28) के अन्तर्गत 18 केन्द्रों पर, निगम द्वारा एफसीआई के लिए ठेकेदारों को अनुमन्य दरों, उसी अवधि तथा उसी स्थान पर, खाद्य विभाग के लिए अनुमन्य दरों से अधिक थी। कुछ निश्चित प्रकरणों में वही ठेकेदार, उसी स्थान पर खाद्य विभाग की दरों से अधिक दर पर एफसीआई के लिए एच एण्ड टी कार्य सम्पादित कर रहा था। यह, शासकीय एजेन्सी की कीमत पर प्राइवेट पार्टियों (ठेकेदारों) के अनुचित लाभ पहुँचाने को इंगित करता है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि उच्चतर दरों इस बात को ध्यान में रखकर अनुमन्य की गई थी कि एफसीआई के प्रकरण में निगम को हैण्डलिंग कार्य के अलावा ट्रान्सपोर्टेशन का भी प्रबन्ध करना था जबकि खाद्य विभाग के प्रकरण में केवल हैण्डलिंग कार्य सन्निहित था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा की गई तुलना ठेकेदारों द्वारा दोनों पार्टियों (यथा एफसीआई तथा खाद्य विभाग) के लिए मात्र हैण्डलिंग के क्रियाकलाप के लिए किया गया है।

निधि प्रबन्ध

विभिन्न समय बिन्दुओं पर फण्ड की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए तथा उपलब्ध साधनों का अधिकतम् उपयोग करने हेतु निगम के पास कैश फ्लो तथा फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाने की कोई प्रणाली नहीं है। फण्ड कुप्रबन्धन की कुछ घटनायें पश्चात्वर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं:

ब्याज का अधिक दर से भुगतान

3.2.24 निगम ने गोदामों का निर्माण करने के लिए, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मार्च 2001 में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (यूबीआई) से 64 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। बाद में, नवम्बर 2002 से ब्याज की यह दर घटाकर 10.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर कर दी गई। निगम ने 17 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण भी अक्टूबर 2001 में (11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से) एसबीआई से प्राप्त किया, जो बाद में अप्रैल 2002 में घटाकर 10.5 प्रतिशत कर दी गई तथा नवम्बर 2002 से यूबीआई की ब्याज दर के समतुल्य रही।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि निगम ने, एसबीआई ऋण पर अक्टूबर 2001 से मार्च 2002 के बीच (11 प्रतिशत वार्षिक) तथा अप्रैल 2002 से अक्टूबर 2002

यूबीआई के साथ ब्याज-दर के पराक्रमण की असफलता के कारण 81.76 लाख रुपये अतिरिक्त ब्याज का भुगतान हुआ।

के मध्य (10.5 प्रतिशत वार्षिक) की ब्याज दर की तुलना में, नवम्बर 2001 से अक्टूबर 2002 के मध्य, यूबीआई को उच्चतर दर (12 प्रतिशत) पर ब्याज का भुगतान किया जिसे यूबीआई से पराक्रमण द्वारा एसबीआई के सावधि ऋण की ब्याज दर के समतुल्य 11 तथा 10.5 प्रतिशत वार्षिक तक, नीचे लाया जा सकता था। यूबीआई से पराक्रमण कर ब्याज दर को नवम्बर 2001 से अक्टूबर 2002 के मध्य एसबीआई के समतुल्य ले आने में निगम की असफलता 81.76 लाख रुपये की सकल अतिरिक्त ब्याज के भुगतान करने में परिणित हुई (परिशिष्ट-29)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से ब्याज दर कम करने का अनुरोध किया गया था तथा बैंक ने दिनांकित 03 मई 2002 के अपने पत्र में पुष्टि किया था कि उनके ब्याज दर (12 प्रतिशत) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किया गया पत्र केवल उनके प्राइम लैंडिंग रेट (पीटीएलआर) को सम्पुष्ट करने वाला और न कि ब्याज दर को कम करने का मना करने वाला है।

3.2.25 पुनर्श्च, लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि यूबीआई से प्राप्त (मार्च 2001) किये गये 64 करोड़ रुपये के ऋण की नियम एवं शर्तें निहित करती थीं कि ऋण की राशि का भुगतान, पूर्ण अथवा आशिंक, किसी भी समय, किसी ‘पहले भुगतान चार्ज’ के भुगतान किये बिना, किया जा सकता था। निगम के पास दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिये उनके बैंक खाते में 1.16 करोड़ रुपये से 14.33 करोड़ रुपये तक विचलित रहने वाली राशि के अतिरिक्त जनवरी 2005 से 5.52 करोड़ रुपये का सरप्लस फण्ड था। सरप्लस-फण्ड को फिक्स्ड डिपाजिट रिसीप्ट (एफडीआर) में जनवरी 2005 से जनवरी 2006 तक विभिन्न बैंकों में, 4.5 से 6 प्रतिशत वार्षिक तक विचलित रहने वाले ब्याज दरों पर, जो सम्बन्धित समयावधि में उपरोक्त ऋण पर देय 8 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से कम थी, रखा गया।

सरप्लस फण्ड को कम ब्याज धारित करने वाले एफडीआर में इन्वेस्ट करने तथा साथ ही उच्चतर ब्याज दर वाले सावधि ऋण के बकाया राशि के वहन का औचित्य नहीं था। जनवरी 2005 से जनवरी 2006 तक फण्ड का एफडीआर में निवेश के कारण इसकी परिणति 11.91 लाख रुपये (एफडीआर तथा उस ऋण के ब्याज दरों की अन्तर की दर पर) ब्याज के परिहार्य भुगतान में हुई।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जून/अगस्त 2006) कि सरप्लस फण्ड क्रय, आयकर का अग्रिम भुगतान तथा कर्मचारियों के वेतन विषयक भविष्य के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए रखा गया था। प्रबन्धन/शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा उक्त अवधि में सरप्लस फण्ड का उपयोग उत्तरदायित्वों के भुगतान में नहीं किया गया था तथा उनके बैंक लेखों में भारी बैलेंस रखे हुए थे।

ऋणों की वापसी

3.2.26 निगम अपने स्वयं के फण्ड के साथ ही साथ निर्धारित ब्याज दरों पर खाद्य विभाग के ऋणों का उपयोग करने के लिए अपेक्षित था। राज्य सरकार की

निर्धारित अवधि के पश्चात् ऋण तथा ब्याज की विलम्बित वापसी के परिणामः 1.03 करोड़ रुपये तक के परिहार्य भुगतान में हुई।

नीति के अनुसार, निगम को ऋण की अवमुक्ति प्रत्येक आरएमएस (अप्रैल) के प्रारम्भ में करनी थी तथा निगम इस ऋण का भुगतान, प्रत्येक खरीद वर्ष के 31 जुलाई तक, करने के लिए अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निगम ने, रबी मार्केटिंग सीजन 2001-02 तथा 2002-03 की खरीद के क्रिया-क्रलाप हेतु शासन से क्रमशः 8 करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। निगम ने गेहूँ की आपूर्ति हेतु, एफसीआई/राज्य सरकार एजेन्सी से जून/जुलाई 2001 में 11.26 करोड़ रुपये तथा जून/जुलाई 2002 में 16.68 करोड़ रुपये भी प्राप्त किया। इस प्रकार, ऋण का समय से भुगतान करने के लिए, निगम के पास पर्याप्त फण्ड था लेकिन यह इसमें असफल रहा। निगम द्वारा शासन/खाद्य विभाग को ऋण का भुगतान प्रत्येक वर्ष में पाँच महीने के विलम्ब से मार्च तक भुगतान किया गया। इसके परिणामतः निगम को ऋण की भुगतान की विलम्बित अवधि के लिए 1.03 करोड़ तक के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा, जो अविवेकी कोष प्रबन्ध को इंगित करता है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि 9.35 करोड़ रुपये 2001-02 के लिए तथा 12.47 करोड़ रुपये 2002-03 के लिए ऋण का आंशिक भुगतान राज्य सरकार को निर्धारित अवधि यथा प्रत्येक वर्ष की जुलाई, के अन्दर कर दिया गया था तथा अवशेष का भुगतान यथा सम्भव शीघ्र कर दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2001-02 तथा 2002-03 के लिए वास्तविक ऋण क्रमशः मात्र 8 करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रुपये थे तथा ऋण का भुगतान पाँच महीने विलम्ब के पश्चात् किया गया था यथा, मार्च 2002 एवं मार्च 2003 के अन्त तक, तथा निर्धारित समयावधि में नहीं।

निजी बैंक में कोष का निवेश

शासन द्वारा प्रतिबन्ध लागू करने के बावजूद भी निगम ने 2.09 करोड़ रुपये का भारी बैलेन्स रखते हुए, निजी बैंक में एकाउन्ट रखा।

3.2.27 उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देशित किया था (दिसम्बर 1992) कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज)/निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएसयूज/निगम अपने बैंक एकाउण्ट निजी-बैंकों में न रखें। लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 2006) कि निगम शासन के आदेशों की अवहेलना में, एक निजी-बैंक यथा कोटक महिन्द्रा बैंक, लखनऊ में बैंक एकाउन्ट संचालित कर रहा था तथा मार्च 2006 के अन्त में 2.09 करोड़ रुपये भारी मात्रा का बैलेन्स बैंक में रखा था।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

3.2.28 आंतरिक नियंत्रण, परिचालन क्षमता, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं लागू नियम एवं विधान के अनुपालन के लिये पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिये, अभिकल्पित प्रक्रिया है। आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के समुचित क्रियान्वयन एवं दक्षता तथा त्रुटियों एवं कपटों की खोज को सुनिश्चित करने के लिये अभिकल्पित प्रणाली है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं/तन्त्र तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लेखा परीक्षा विश्लेषण ने अवलोकित किया कि आंतरिक नियंत्रण तन्त्र निष्प्रभावी था जैसा कि नीचे चर्चित है:

- उसी केन्द्र के इन्चार्ज तथा सम्बन्धित रीजनल मैनेजर द्वारा, मासिक तथा त्रैमासिक आधार पर भौतिक सत्यापन की प्रथा थी। यह प्रथा

दोष-युक्त थी क्योंकि भौतिक सत्यापन स्टाक के हैण्डलिंग के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के इतर स्वतन्त्र कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की जाना चाहिए।

- निगम के पास, एक जनरल मैनेजर (आंतरिक लेखा परीक्षा) जो प्रबन्ध निदेशक को प्रत्यावेदित करता है, की अध्यक्षता में, एक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग है लेकिन जुलाई 2006 से यह जनरल मैनेजर (वित्त) का भी प्रभार लिए हुए है, जो आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रभावशीलता को कम कर सकती है।

प्रबन्धन ने भी स्वीकार किया कि आंतरिक लेखा परीक्षा विंग अपर्याप्त स्टाफ से युक्त है। निगम ने कोई लेखा परीक्षा अथवा लेखा मैनुअल नहीं बनाया है, ये बनाये जाने के अनुक्रम में बताये गये।

अभिस्वीकृति

3.2.29 निष्पादन-समीक्षा सम्पादित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर निगम/शासन के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता को लेखा परीक्षा अभिस्वीकृति करता है।

उपरोक्त प्रकरण शासन को जुलाई 2006 में प्रत्यावेदित है; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

निष्कर्ष

निगम का निष्पादन इसके कथित उद्देश्यों के संदर्भ में अपर्याप्त पाया गया। निगम, एफसीआई के मानकों के अनुरूप गोदामों का निर्माण नहीं कर सका तथा वास्तविक मात्रा के कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित न करने के कारण प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में असफल रहा। निगम, जमीन का स्तर ऊँचा किये बिना सड़कों के निर्माण पर निर्थक व्यय भी किया। बैंकों के ऋण का आस्थगन न कराने के कारण निगम पूँजीगत परिदान से वंचित रहा। निगम ने कैश/फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट्स नहीं बनाया, परिणामतः फण्ड का कुप्रबन्धन हुआ। परिदान दावों के अनुश्रवण में असफलता तथा शासकीय ऋण की वापसी में विलम्ब के कारण निगम को ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। असमुचित भण्डारण के कारण स्टाक की क्षति से निगम को भारी हानि हुई। निगम भण्डारण हानियों को अनुमन्य सीमा के अन्दर नियंत्रित करने में भी असफल रहा। अपने धर्म-काँटों की आवश्यकता को उपेक्षित कर तोलन के लिए बाहरी सेवायें लेने पर भारी व्यय किया।

संस्तुतियाँ

- प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों का पूरा लाभ उठाने के लिए, निगम को निर्धारित निविदा प्रक्रिया का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए।

- फण्ड का महत्तम् उपयोग के लिए निगम को कैश/फण्ड फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिये तथा ऋणों एवं शासकीय देयों की समय से बापसी के लिए प्रयास करना चाहिये।
- निगम को ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे भण्डारण-हानि कम की जा सके।
- निगम को विश्वसनीय तोलन प्रणाली संस्थापित करने के लिए ध्यान में रखना चाहिये।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुदृढ़ बनाना चाहिए।

अध्याय-IV

4. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के द्वारा किये गये व्यवहारों के नमूना जॉच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

4.1 डिपाजिट कार्यों पर प्रतिशत प्रभार के अनारोपण से हानि

निष्केप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित करने में कम्पनी की असफलता के कारण 98 लाख रुपये की हानि हुई।

शासनादेश (मार्च 1999) अभिसंविदित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, निगमों एवं अन्य निर्माण इकाईयों/स्वशासित निकायों के द्वारा, बुन्देलखण्ड विकास निधि (बुविनि), पूर्वाचल विकास निधि (पुविनि) एवं विधायक निधि (विनि) आदि के अन्तर्गत वित्तपोषित योजनाओं में उनके द्वारा निष्पादित निष्केप कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार भारित किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2005) कि 2003-04 से 2004-05 के दौरान कम्पनी ने बुविनि, पुविनि एवं विनि योजनाओं के अन्तर्गत 3979 हैण्डपम्प 7.82 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये और उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार वे 98 लाख रुपये के प्रतिशत प्रभार भारित करने के लिए अर्हय थी। तथापि कम्पनी ने अपने द्वारा निष्पादित उपरोक्त निष्केप कार्यों पर कोई प्रतिशत प्रभार भारित नहीं किया। इस प्रकार, उपरोक्त कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित न करने के कारण, कम्पनी को 98 लाख रुपये की हानि हुई।

शासन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अगस्त 2006) और कहा कि बुविनि, पुविनि एवं विनि के निष्केप कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार भारित करने के एवं पूर्व में न भारित किये गये प्रतिशत प्रभार की वसूली के लिए सम्पूरक देयक निर्गत करने के निर्देश निर्गत कर दिये थे।

4.2 चावल मिलरों को अनुचित लाभ

कम्पनी ने कम सुपुर्द कराये गये कस्टम मिल चावल के मूल्य की वसूली न करके चावल मिलरों को 26.16 लाख रुपये का अनुचित लाभ प्रदान किया।

खाद्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने कम्पनी को न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न खरीद (धान एवं गेहूँ) का कार्य सुपुर्द किया (अक्टूबर 2003)। योजनानुसार, कम्पनी ने कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया और अनुबंधित चावल मिलरों को निर्धारित दर पर हलिंग* हेतु सुपुर्द किया। चावल मिलरों द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वसूली दर पर, कम्पनी को कस्टम मिल

* हलिंग धान को चावल में बदलने की प्रक्रिया है।

चावल (कमिचा) सुपुर्द करना था। सत्र 2003-04 तक कमिचा की निर्धारित वसूली दर चावल मिलरों को सुपुर्द किये गये धान का 67 प्रतिशत थी। तत्पश्चात्, खरीफ सत्र 2003-04 से शासन ने राज्य के पश्चिमी जिलों के लिए कमिचा की वसूली दर 67 प्रतिशत से 64 प्रतिशत पुनर्निर्धारित कर दी (दिसम्बर 2003)। शासन ने, आगे, स्पष्ट किया (जुलाई 2004) कि खरीफ सत्र 2003-04 या उसके पूर्व वर्षों से सम्बन्धित चावल मिलरों की बकाया सुपुर्दगी खरीफ सत्र 2004-05 के कमिचा से पहले समायोजित की जायेगी। इसका तात्पर्य था कि वर्ष 2004-05 में सुपुर्द किये गये कमिचा में से, पूर्व के वर्षों में कम सुपुर्द किये गये कमिचा पहले समायोजित किये जायेंगे।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 2005) कि वर्ष 2004-05 के दौरान कम्पनी ने मथुरा, पीलीभीत, शाहजहाँनपुर और बरेली जिलों (पश्चिमी जिले) के चावल मिलरों को हलिंग हेतु 11501.659 मैट्रिक टन धान सुपुर्द किया। इसके विरुद्ध, 7361.085 मैट्रिक टन कमिचा (64 प्रतिशत के निर्धारित वसूली दर पर) चावल मिलरों द्वारा सुपुर्द किया जाना था। तथापि, मिलरों ने मात्र 7107.093 मैट्रिक टन कमिचा सुपुर्द किया तथा अवशेष 253.992 मैट्रिक टन कमिचा, 26.16 लाख रुपये मूल्य के (10,300 प्रति मैट्रिक टन की दर पर आगणित), को 2003-04 के कमिचा के विरुद्ध, जो कि पूर्व पुनर्निर्धारित (67 प्रतिशत) तथा पुनर्निर्धारित वसूली दर (64 प्रतिशत) के अन्तर के कारण, समायोजित किया। चूंकि मिलरों ने तत्समय लागू वसूली दरों पर पूर्व में ही 2003-04 के लिए कमिचा की सुपुर्दगी कर दिया था तथा सुपुर्दगी के लिए कोई कमिचा की मात्रा बकाया नहीं थी, अतः 64 प्रतिशत की पुनर्निर्धारित वसूली दर के आधार पर समायोजन औचित्यपूर्ण नहीं था। इस प्रकार, कम्पनी ने चावल मिलरों द्वारा सुपुर्द न किये गये कमिचा के मूल्य की वसूली न करके चावल मिलरों को 26.16 लाख रुपये तक का अनुचित लाभ दिया।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (मई/अगस्त 2006) कि चावल मिलरों ने जुलाई 2004 के शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार अपने स्तर पर ही कमिचा का समायोजन कर लिया। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2004 का शासनादेश, 2003-04 या पूर्व के वर्षों के बकाया कमिचा जो कि 2004-05 के कमिचा के विरुद्ध समायोजित किये जाने थे, पर लागू था तथा 2003-04 या उसके पूर्व के वर्षों के लिए मिलरों द्वारा कोई कमिचा बकाया देय नहीं था।

उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड

4.3 अनुग्रह राशि का अधिक भुगतान

वर्ष के अंश का सेवा अवधि के लिए अनुग्रह राशि की गणना करने के कारण
24.13 लाख रुपये का अधिक भुगतान

राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू (जून 1993) की। योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ग्रहण करने वाले कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की पूर्ण

की गयी सेवा के लिए डेढ़ माह की वेतन परिलिंबियों (वेतन एवं मैंहगाई भत्ता) के बराबर या वीआरएस के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी की अवशेष सेवा अवधि की परिलिंबियों, जो भी कम हो, की अनुग्रह राशि पाने का हकदार होगा। राज्य सरकार ने आगे स्पष्ट किया (सितम्बर 2001) कि वर्ष के अंश के लिए पूर्ण की गई सेवा को इस गणना के उद्देश्य के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 2005) कि कम्पनी ने अनुग्रह राशि की गणना में वर्ष के अंश की सेवा अवधि को भी सम्पूर्ण सेवा अवधि की गणना में शामिल कर लिया। यह वीआरएस के प्रावधानों के विपरीत था और परिणामस्वरूप सितम्बर 1998 से फरवरी 2004 के दौरान 627 कर्मचारियों को 24.13 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का अधिक भुगतान हो गया।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जून 2006) कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत 8 जून 1993 के कार्यालय ज्ञापन (काज्ञा) में शब्द 'पूर्ण वर्ष' परिभाषित नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शब्द 'पूर्ण वर्ष' जून 1993 के काज्ञा में स्पष्ट रूप से परिभाषित है।

उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

4.4 भार प्रभारों का परिहार्य भुगतान

कम्पनी आवश्यकतानुसार अनुबन्धित भार को कम कराने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 39.05 लाख रुपये के भार प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, लखनऊ (कम्पनी) को अक्टूबर 1982 से कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाईटी (कोईससो), पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (उप्राविप) का एक लाइसेंसी, ने 530 केवीए का विद्युत भार स्वीकृत किया। कम्पनी ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 295 केवीए का अतिरिक्त विद्युत भार आवेदित (जुलाई 1983) किया जोकि मार्च 1985 में स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात्, उत्पादन कार्यकलापों में कमी के कारण, आगे, कम्पनी ने 295 केवीए के अतिरिक्त भार को परित्याग करने हेतु आवेदन किया (नवम्बर 1990)। कोईससो ने जनवरी 1991 में अनुबन्धित भार को 825 केवीए से 530 केवीए तक कम करने की स्वीकृति प्रदान की। वृहत् एवं भारी उद्योगों पर लागू दर अनुसूची के अनुसार, भार प्रभार माह के अंकित वास्तविक अधिकतम माँग अथवा अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत, जो अधिक हो, पर भारित किया जाता है।

लेखा परीक्षा द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण (अक्टूबर 2002) तथा आगे, प्रबन्धन द्वारा प्रदान की गई (जुलाई 2004 से फरवरी 2006) सूचनाओं के जाँच से प्रकटित हुआ कि मई 1991 से दिसम्बर 2005 के दौरान कम्पनी के 530 केवीए के अनुबन्धित भार के विशुद्ध वास्तविक माँग 50 केवीए से 266 केवीए के मध्य थी। परिणामस्वरूप, इसे 397.5 केवीए (अनुबन्धित भार 530 केवीए का 75 प्रतिशत) प्रतिमाह के भार प्रभार का भुगतान करना पड़ा। नवम्बर 1990 में अनुबन्धित भार को कम कराने के लिए आवेदन करते समय, कम्पनी अपनी भार

आवश्यकता को सही आंकलित करने में विफल रही क्योंकि मार्च 1985 से नवम्बर 1990 की अवधि के दौरान वास्तविक मांग 133 केवीए से 275 केवीए (जनवरी 1986 में 400 केवीए को छोड़कर) के मध्य थी तथा अनुबन्धित भार को 300 केवीए तक कम करवाना चाहिए था। मई 1991 से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान अनुबन्धित भार को कम न करवाने के कारण कोईससो/परिषद/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 39.05 लाख रुपये के मांग प्रभार का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रकरण, को प्रबन्धन/शासन को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2006)।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

4.5 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा आधिक्य निधि से उच्च ब्याज दरों धारित नगद उधार सीमा पर प्राप्त ऋणों को चुकाने के बजाय न्यून ब्याज दरों धारित अल्प अवधि जमा में रखने से 82.07 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी की तीन कर्ताई मिले बाराबंकी (बीबीके), राजबरेली (आरबीएल) तथा मऊ नाथ भंजन (एमएनबी) पर स्थापित हैं। कार्यशील पूँजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आरबीएल एवं एमएनबी ने क्रमशः यूनियन बैंक आफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक से 14.25 से 15.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मध्य की ब्याज दर पर नगद उधार सीमा (नउसी) प्राप्त की। दूसरी तरफ, बीबीके के पास आधिक्य कोष थे जिसे इलाहाबाद बैंक में 5.35 से 6.66 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मध्य ब्याज दरों पर अल्प अवधि जमा में निवेशित किया गया था।

लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 2005) कि अप्रैल 2003 से जून 2005 के दौरान आरबीएल तथा एमएनबी ने नउसी को 5.09 से 5.65 करोड़ रुपये के मध्य की समाहित अधिकतम मासिक सीमा तक उपभोग किया जबकि बीबीके ने अपने दो करोड़ रुपये से 6.65 करोड़ रुपये के मध्य के आधिक्य कोषों को इलाहाबाद बैंक की सावधि जमा प्राप्ति (साजप्रा) में रखा, इसके अतिरिक्त अपनी दिन-प्रतिदिन की कार्यशील पूँजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 0.62 करोड़ रुपये से 1.33 करोड़ रुपये के मध्य के बैंक अवशेष भी अपने बैंक खातों में रखे। इसका कोई औचित्य नहीं था कि अन्य इकाइयों में उच्चतर ब्याज दर वाली नउसी में बकाया अवशेष होने पर भी किसी एक इकाई के आधिक्य कोष को निम्नतर ब्याज दर वाली साजप्रा में विनिवेशित किया जाए। यदि बीबीके आधिक्य कोष को आरबीएल एवं एमएनबी की नउसी को कम करने/भुगतान करने के उपयोग में लाया जाता तो कम्पनी 82.07 लाख रुपये, जोकि 7.59 प्रतिशत (14.25 घटाया 6.66) प्रतिवर्ष के अन्तर ब्याज दर पर आंगणित है, के ब्याज के व्यय को बचाया जा सकता था।

इस प्रकार, कम्पनी ने आधिक्य कोष को उच्चतर दर धारित नउसी से लिए गये ऋण को चुकता करने के बजाए न्यूनतम ब्याज दर पर अल्प अवधि जमा में लगाने के कारण 82.07 लाख रुपये की हानि उठाई।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जून 2006) कि अन्तर इकाई कोषों के स्थानान्तरण को बन्द करने के निर्णय लेने के समय, सभी संबंधित कारकों, रायबरेली तथा मऊ नाथ भंजन इकाईयों द्वारा बैंक को देय संभावित ब्याज मॉग आदि, को संज्ञान में लिया गया था। आगे यह कहा गया कि बाराबंकी इकाई द्वारा अल्प अवधि जमा के रूप में कोषों को जुलाई 2001 से जून 2004 की अवधि से सम्बन्धी स्थिरता व्यापार कर के दायित्व के भुगतान आवश्यकता हेतु निवेशित किया गया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्थिरता व्यापार कर के दायित्व का भुगतान वार्षिक किस्तों में जुलाई 2006 से जुलाई 2008 के दौरान किया जाना है।

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

4.6 परिहार्य व्यय

कम्पनी ने किराये पर लिये गये डीजल जेनरेटर सेट में एचएसडी की खपत के मानक को संज्ञान में न लेने के कारण 19.59 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

निविदा आमन्त्रण की सामान्य प्रक्रिया निहित करती है कि आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकर्ताओं से निविदा आमन्त्रण दो भागों यथा तकनीकी एवं वित्तीय बोली में किया जाये जिससे प्रबन्धन कार्य पंचाट को तकनीकी एवं मितव्ययतापूर्ण व्यवहार्य दरों पर देने का निर्णय ले सके।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 2006) कि कम्पनी की जौनपुर इकाई ने, विद्युत बाधा के दौरान विद्युत की अनवरत आपूर्ति बनाये रखने के लिए, लगातार फरवरी 1998 से 500 केवीए के डीजी सेट को किराये पर लिया। इस संदर्भ में 500 केवीए क्षमता के एक डीजी सेट को किराये पर लेने के लिए नये निविदा को आमन्त्रित किया गया (अप्रैल 2003) तथा सन्चोपाल डीजल्स (एसडी) के न्यूनतम दरों 60000 रुपये प्रति माह के साथ-साथ सेवा अवधि के दौरान डीजी सेट को चलाने के लिए जरूरी हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) तथा मोबिल आयल का निर्गमन, को कम्पनी द्वारा स्वीकृत किया गया (मई 2003)। तदनुसार, जून 2003 में डीजी सेट को किराये पर लेने के लिए फर्म को आदेश निर्धारित किया गया। जुलाई 2003 से डीजी सेट की आपूर्ति, स्थापना एवं कार्यारम्भ हुआ।

लेखा परीक्षा की जॉच में आगे प्रकट हुआ कि निविदा पर निर्णय के लिए गठित समिति ने एसडी के प्रस्ताव (60000 रुपये प्रतिमाह) को डीजी सेट को चलाने की लागत को प्रभावित करने वाले तकनीकी मानकों जैसे कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाई गयी विद्युत उत्पादन के जरूरी एचएसडी की खपत का विश्लेषण एवं संज्ञान में लिए बिना ही, केवल वित्तीय बोली के आधार पर निर्धारित कर दिया। यह देखा गया कि एसडी द्वारा प्रस्तावित डीजी सेट एक लीटर एचएसडी की खपत में मात्र

तीन केडब्लूएच विद्युत उत्पादित करता था जबकि द्वितीय न्यूनतम निविदादाता शान्केय इंजीनियरिंग वर्क्स (एसईडब्लू) (65000 रुपये प्रतिमाह एचएसडी अतिरिक्त) का डीजी सेट 3.8 केडब्लूएच उत्पादित करता था। समिति ने एसईडब्लू के प्रस्ताव को संज्ञान में नहीं लिया क्योंकि कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले एचएसडी खपत की लागत को संविदा मूल्य के आंकलन में आंगणित नहीं किया गया। जुलाई 2003 से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान, एसडी के डीजी सेट ने 369863 लीटर एचएसडी (मूल्य 103.56 लाख रुपये) की खपत से 1119270 केडब्लूएच विद्युत इकाई उत्पादित की। यदि कम्पनी ने एसईडब्लू के डीजी सेट को किराये पर लिया होता तो इन विद्युत इकाईयों को 82.47 लाख रुपये मूल्य के 294545 लीटर एचएसडी के प्रयोग से उत्पादित किया जा सकता था और कम्पनी, 19.59 लाख रुपये, 1.50 लाख रुपये की अन्तर किराया राशि जो 30 माह के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह पर आगणित है, को घटाने के पश्चात, बचत कर सकती थी।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जुलाई/अक्टूबर 2006) कि एसईडब्लू ने अपने प्रस्ताव में एचएसडी की दो खपत दरें यथा 3.8 केडब्लूएच प्रति लीटर एवं 3.5 केडब्लूएच प्रति लीटर जोकि संदेहास्पद तथा परस्पर विरोधी थी, प्रस्तुत की थी। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने निविदा की शर्तें एवं प्रतिबन्धों में डीजी सेट के तकनीकी मानकों के संबंध में कोई शर्त नहीं उल्लिखित की थी। चूंकि एचएसडी खपत आर्थिक व्यवहार्यता के आंकलन का प्रमुख कारक था, अतः इसे कुटेशन में ही माँगा जाना तथा तदनुसार मूल्यांकित किया जाना चाहिए था।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड

4.7 पम्प हाऊस के निर्माण में हानि

कार्य को परित्याग करने के अवांछनीय निर्णय के कारण कम्पनी को पम्प हाऊस के निर्माण में 47.29 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

सिचांई विभाग (विभाग) तथा कम्पनी के मध्य ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में 2.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पम्प हाऊस के निर्माण के लिए जोकि अक्टूबर 2001 तक पूर्ण करना था, एक मेमोरन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित हुआ (मार्च 2001)। एमओयू, साथ-साथ, प्रावधान करता है कि विभाग द्वारा स्वीकृत मापों के अनुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा। यह, आगे, बताता है कि कम्पनी एवं विभाग के मध्य किसी भी विवाद का निपटारा अन्तिम रूप से शासन स्तर पर किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2005) कि कम्पनी की अलीगढ़ इकाई ने उपरोक्त कार्य प्रारम्भ (जून 2001) किया तथा मार्च 2002 तक 1.30 करोड़ रुपये का व्यय किया। कम्पनी ने मार्च 2002 तक सम्पादित कार्य के विरुद्ध 1.22 करोड़ रुपये का देयक विभाग को प्रस्तुत किया। कम्पनी तथा विभाग के मध्य कुछ दावों के विवाद के कारण कार्य को रोक दिया (अप्रैल 2002)। दावों के विवाद को

शासन को संदर्भित कर दिया गया जोकि शासन स्तर पर अन्तिम रूप से 82.58 लाख रुपये के भुगतान के लिए निस्तारित हुआ (जनवरी 2003)। कम्पनी ने अपनी बोर्ड की मीटिंग (28 मार्च 2003) में विभाग से सम्पादित तथा अवशेष कार्यों के विरुद्ध अग्रिम भुगतान न प्राप्त होने के आधार पर कार्य का परित्याग कर दिया। तदनुसार, विभाग ने एमओयू के प्रावधानों के संदर्भ में संविदा को समाप्त कर दिया तथा कार्य को कम्पनी से वापस ले लिया (नवम्बर 2003)। इस प्रकार, पम्प हाऊस के निर्माण कार्य को मध्य में परित्याग करने के कम्पनी के अविवेकी निर्णय के कारण कम्पनी को, विभाग को प्रस्तुत दावों के भुगतान में कमी (39.42 लाख रुपये) तथा परीक्षण शुल्क दावा अप्रस्तुतीकरण (7.87 लाख रुपये) के कारण 47.29 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि लेखा परीक्षा का प्रतिवाद उचित नहीं है क्योंकि शासन स्तर पर निर्णित 82.58 लाख रुपये के अन्तिम भुगतान से संबंधित मीटिंग के कार्यवृत्ति कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओयू के उपवाक्य 5 के संदर्भ में मामले को शासन स्तर पर निस्तारित किया गया (जनवरी 2003)। जो कि दोनों पक्षों विभाग एवं कम्पनी पर बाध्यकारी था।

प्रकरण, शासन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड

4.8 आधिक्य व्यय

एक सड़क के निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण कम्पनी को 99.97 लाख रुपये की हानि हुई।

नेशनल हाईवे अँथारिटी आफ इण्डिया (एनएचएआई), नई दिल्ली ने कम्पनी को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर मौजूद दो पट्टी को चार पट्टी सड़क (186.500 से 188.500 किमी तथा 194.00 से 196.750 किमी) में चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य सम्पादन की संविदा, 3.70 करोड़ रुपये की कुल लागत की, बिना किसी विचलन उपवाक्य के मार्च 2003 तक की पूर्ण करने की तिथि के साथ पुरस्कृत की (मई 2002)। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने कार्य सम्पादन के लिए 3.70 करोड़ रुपये (27.49 लाख रुपये के मजदूरी तथा 20.44 लाख रुपये के लाभ के घटक सहित) की तकनीकी स्वीकृति (नवम्बर 2002) प्रदान की।

लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ (जून 2005) कि कम्पनी की ब्रिज कान्स्ट्रक्शन यूनिट (बीसीयू), इलाहाबाद ने मई 2002 में कार्य प्रारम्भ किया तथा 4.03 करोड़ रुपये के व्यय करके कार्य को देरी से मार्च 2004 में पूर्ण किया। बीसीयू ने, तथापि, सम्पादित मात्राओं के अनुसार 3.25 करोड़ रुपये का देयक भुगतान के लिए एनएचएआई को प्रस्तुत किया जिसके विरुद्ध एनएचएआई ने 3.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस प्रकार, बीसीयू ने 99.97 लाख रुपये

(402.77 लाख रुपये - 302.80 लाख रुपये) का अधिक व्यय किया। कम्पनी द्वारा अधिक व्यय किये गये 99.97 लाख रुपये में से, 94.98 लाख रुपये मात्र मजदूरी लागत के मद में, विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति में 27.49 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध, हुआ। 4.99 लाख रुपये की अवशेष राशि अन्य मदों पर व्यय हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि 67.49 लाख रुपये के अधिक व्यय खाली मजदूरी जो सड़क निर्माण कार्य से संबंधित नहीं थी, पर किया गया। प्रबन्धन का उत्तर बिन्दु से संबंधित नहीं है क्योंकि कार्य पर भारित मजदूरी 122.47 लाख रुपये के कुल व्यय में से, 66.16 लाख रुपये का भुगतान वास्तविक कार्य के विरुद्ध केवल संविदा मजदूरों को किया गया और तथ्य रहा कि कम्पनी को 99.97 लाख रुपये की अधिक व्यय के कारण उपरोक्त कार्यों पर हानि हुई जो कि कम्पनी एनएचएआई से प्राप्त न कर सकी।

प्रकरण, मई 2006 में शासन को प्रतिवेदित था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड

4.9 निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित न किए जाने से हानि

निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 3.53 करोड़ रुपये की हानि हुई।

24 मार्च 1999 के शासनादेश (जीओ) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों तथा अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि(बीबीएन), पूर्वाञ्चल विकास निधि (पीबीएन) तथा विधायक निधि (विनि) आदि के अन्तर्गत वित्त पोषित योजना के निक्षेप कार्यों के सम्पादन पर उनके द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार भारित किया जायेगा तथा अपने ग्राहकों से संग्रहीत किया जायेगा।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 2006) कि कम्पनी ने 2004-05 तथा 2005-06 (जनवरी 2006 तक) के दौरान बीएन के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं के 141 कार्यों के सम्पादन पर 28.23 करोड़ रुपये का व्यय किया। उपरोक्त शासनादेश के प्रावधान के अनुसार 3.53 करोड़ रुपये के प्रतिशत प्रभार कम्पनी द्वारा भारित किये जाने थे। तथापि, कम्पनी ने अपने द्वारा सम्पादित उपरोक्त निक्षेप कार्यों पर कोई प्रतिशत प्रभार भारित नहीं किया। परिणामस्वरूप कम्पनी को 3.53 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2006) कि प्रतिशत प्रभार भारित नहीं किया गया क्योंकि शासनादेश कम्पनी या प्रशासनिक विभाग को न तो सम्बोधित था न ही पृष्ठांकित था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश सभी विभागों को कार्यवाही हेतु संदर्भित था।

प्रकरण, मई 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.10 अपने कार्यालय भवन के निर्माण पर अनियमित व्यय

कम्पनी ने अपने कार्यालय भवन के निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय किया।

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नयी आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया (सितम्बर 1999)। शासनादेश आगे स्पष्ट करता है कि जहाँ किसी आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 2006) कि यद्यपि कम्पनी के पास अपना कार्यालय भवन लेखराज मार्केट काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ पर स्थित है, कम्पनी ने शासन की स्वीकृति लिए बिना अपने कोषों से कार्यालय भवन के निर्माण के लिए गोमतीनगर, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण से 1.79 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि (40000 वर्ग फुट) क्रय की (फरवरी 2000)। 30 मार्च 2000 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और 1.18 करोड़ रुपये के व्यय के उपरान्त दिसम्बर 2003 में कार्य का मध्य में परित्याग कर दिया गया जब कम्पनी की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड के एक निदेशक द्वारा मामला उठाया गया (दिसम्बर 2003)। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने नये कार्यालय भवन के निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्तावित किया (अगस्त 2004)। शासन ने, यद्यपि, कम्पनी को बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ करने के कारणों को स्पष्ट करने और शासन की स्वीकृति के बिना कोषों के उपयोग करने के लिए दायित्व निर्धारण करने के लिए निर्देशित किया (नवम्बर 2004)।

इस प्रकार, शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रबन्धन के निर्णय के परिणामस्वरूप 2.97 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय हुआ। तत्पश्चात् आगे कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2006) कि कम्पनी की कार्यालय स्थान की आवश्यकता के कारण निदेशक मण्डल ने कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की थी। जहाँ तक शासनादेश का सम्बन्ध है, यह कम्पनी के संज्ञान में नहीं था तथा इसीलिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी। अब, शासन से एक्स पोस्ट फैक्टो अनुमोदन माँगा गया है (अगस्त 2004) जो कि अभी तक प्रतीक्षित है। उत्तर इन तथ्यों के कारण मान्य नहीं है कि शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न करने के संबन्ध में शासन द्वारा माँगे गये कारणों/स्पष्टीकरणों के पत्र दिनांक 8 नवम्बर 2004 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्माण कार्य का प्रारम्भ मात्र शासन की स्वीकृति के पश्चात ही किया जा सकता था।

प्रकरण, अप्रैल 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड

4.11 अलाभकारी व्यय

मरम्मत एवं रखरखाव की समय तालिका का पालन न करने के कारण कम्पनी ने बन्द चीनी मिल के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव पर 3.64 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय किया।

प्रत्येक पेराई सत्र के पूर्व चीनी कारखाने की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव (एआरएम) की आवश्यकता होती है। चूंकि एआरएम में तीन से चार माह का समय लगता है, इसीलिए, किसी एआरएम कार्यक्रम के लिए समय सारगमित होता है।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जून 2005) कि शासन ने पेराई सत्र 2004-05 (अक्टूबर से मार्च) के लिए बन्द रामपुर चीनी मिल (नवम्बर 1999 से बन्द) के संचालन का निर्णय लिया (फरवरी 2004)। तदनुसार, कम्पनी ने शासन को 25 फरवरी और 29 जून 2004 के मध्य एक समयबद्ध योजना से चीनी मिल का वार्षिक मरम्मत व रखरखाव करने के लिए 3 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (फरवरी 2004)। शासन ने प्रस्ताव स्वीकृति कर दिया तथा मरम्मत के पश्चात पेराई के लिए मिल को पुनः प्रारम्भ करने हेतु 3 करोड़ रुपये तक का कोष अवमुक्त कर दिया (मार्च 2004)।

लेखा परीक्षा जाँच में प्रकट हुआ (जून 2005) कि कम्पनी शासन द्वारा मरम्मत कार्य के लिए अनुमोदित तालिका के अनुसार मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी तथा मरम्मत कार्य देरी से 22 जुलाई 2004 से प्रारम्भ किया। मरम्मत के पश्चात 22 नवम्बर 2004 को संयन्त्रों का टेस्ट एवं ट्रायल रन विफल हो गया। ट्रायल रन में पायी गयी कमियों का सुधार किया गया तथा मिल के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव पर कुल 3.64 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। अन्ततोगत्वा मिल ने 28 फरवरी 2005 को अपना उत्पादन प्रारम्भ किया परन्तु गन्ने की अनुपलब्धता के कारण 5 मार्च 2005 को मात्र पाँच दिन पश्चात् बन्द हो गई।

वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि से चार माह के विलम्ब से प्रारम्भ करने तथा कमियों को सुधारने में दो माह के विलम्ब से 2004-05 का पेराई सत्र समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप, मिल के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव पर किये गये 3.64 करोड़ रुपये (शासकीय ऋण: 3 करोड़ रुपये तथा कम्पनी के कोष: 0.64 करोड़ रुपये) का व्यय अलाभकारी साबित हुआ।

प्रकरण, प्रबन्धन/शासन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.12 एक निजी पक्ष को अनुचित लाभ

कम्पनी को न उठाये गये शीरे की मात्रा को कम दरों पर विक्रय से 34.98 लाख रुपये की हानि हुई।

शीरा, चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद है जो कच्ची चीनी के सुद्धीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जाता है और आसवनी तथा अन्य उद्योगों को

अलकोहल तथा इथनालॉ को बनाने के लिए बेचा जाता है। शीरे को खुले बाजार में निस्तारण के लिए, कम्पनी निविदा आमंत्रित करती है तथा उच्चतम निविदाकर्ता को आवंटित करती है। क्रेता फर्म के पक्ष में निर्गत आवंटन आदेशों के शर्तों एवं उपबन्धों के उपवाक्य 5, साथ-साथ, स्पष्ट करता है कि यदि क्रेता, वैधता अवधि के अन्दर सम्पूर्ण आबन्टित मात्रा के उठाने में विफल रहता है तथा कम्पनी, तत्पश्चात् न उठाई गयी मात्रा को न्यून दरों पर बेचती है तो अन्तर राशि संबन्धित क्रेता से वसूल किया जायेगा।

कम्पनी की सिसवा बाजार इकाई के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ (सितम्बर 2005) कि कम्पनी ने निविदा आमन्त्रित (31 अगस्त 2004) की तथा सरैया आसवनी गोरखपुर के पक्ष में 540 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 7805 कुन्तल शीरे का आवंटन किया (8 सितम्बर 2004) जो कि 24 सितम्बर 2004 तक उठाना था। फर्म आवंटित मात्रा को कथित अवधि में उठाने में असफल रही। तत्पश्चात् कम्पनी ने निविदा आमन्त्रित (23 नवम्बर 2004) की तथा उसी फर्म को 330 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 11000 कुन्तल शीरे का आवंटन किया (27 नवम्बर 2004) जिसे फर्म द्वारा उठा लिया गया।

लेखा परीक्षा में आगे यह देखा गया कि कम्पनी ने निविदा आमन्त्रित (28 फरवरी 2005) की तथा उपरोक्त फर्म को 446 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 13000 कुन्तल शीरे का आवंटन किया (7 मार्च 2005) जिसे 12 अप्रैल 2005 तक उठाना था। तथापि फर्म ने कथित अवधि में मात्र 2435 कुन्तल शीरे का उठान किया। कम्पनी ने 10565 कुन्तल शीरे की अवशेष मात्रा के उठान के लिए वैधता अवधि को 15 मई तक बढ़ा दिया परन्तु फर्म बढ़ी हुई अवधि में भी उसे उठाने में विफल रही। तत्पश्चात्, कम्पनी ने निविदा आमन्त्रित (28 जून 2005) की तथा उसी फर्म को 270 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 15000 कुन्तल शीरे का आवंटन (30 जून 2005) किया जो कि फर्म द्वारा उठा लिया गया।

इस प्रकार, कम्पनी को, न उठाई गई शीरे की मात्रा को कम दर पर बेचने से आये अन्तर राशि को उसी फर्म से वसूल किये बिना बार-बार आवंटन करके अनुचित लाभ देने से, 34.98 लाख रुपये (7805 कुन्तल पर 210 रुपये प्रति कुन्तल की दर तथा 10565 कुन्तल पर 176 रुपये प्रति कुन्तल की दर से आँगणित अन्तर राशि) की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि आवंटन आदेश में शीरे के क्रेता से अन्तर राशि की वसूली की शर्त, क्रेता पर दबाव बनाने के आशय से लगाई गयी थी। आगे यह बताया गया कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा व्यवसायिक हित तथा सद्भाव में उस शर्त को शिथिल कर दिया गया था। प्रबन्धन का उत्तर, आवंटन आदेश में शीरे के क्रेता द्वारा त्रुटि की दशा में अन्तर धनराशि की वसूली के स्पष्ट प्रावधान तथा क्रेता की आदतन त्रुटि के कारण, मान्य नहीं है।

प्रकरण, शासन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड

4.13 कम मूल्य के दावे का प्रस्तुतीकरण

कम्पनी को, क्षतिग्रस्त चीनी के कम मूल्य के दावे दायर करने से 38.54 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी की पिपराईच इकाई ने अप्रैल 2001 से मार्च 2002 की अवधि के लिए चीनी के रहतिया के अग्नि तथा बाढ़ के जोखिम के विरुद्ध यूनाइटेड इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) से 7 करोड़ रुपये की एक बीमा पत्र लिया (अप्रैल 2001)। बीमा पत्र की सामान्य शर्तों का खंड 6 उल्लिखित करता है कि किसी क्षति या हानि के घटित होने पर बीमित क्षति या हानि के समय पर उसके मूल्य का क्षति या हानि का दावा लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं सम्मिलित होगा।

लेखा परीक्षण में यह देखा गया (सितम्बर 2005) कि बाढ़ के कारण जल भराव से (सितम्बर 2001) कम्पनी के 9332 चीनी के बोरे (उसके गोदाम संख्या 1 में) क्षतिग्रस्त हुये। बीमा पत्र की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को चीनी के मूल्य 1.35 करोड़ रुपये (9332 बोरों के लिए 1445 रुपये तथा 1450 रुपये प्रति बोरे के मध्य की दर पर) में क्षतिग्रस्त चीनी की बिक्री से प्राप्य मूल्य को घटाते हुये दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। कम्पनी ने क्षतिग्रस्त चीनी की नीलामी (जून 2003 से मार्च 2004) 91.50 लाख रुपये (880 रुपये से 1155 रुपये प्रति बोरे के मध्य वास्तविक प्राप्त मूल्य) में की। इस प्रकार कम्पनी को क्षतिग्रस्त चीनी के निस्तारण से 43.50 लाख रुपये की हानि हुई जिसे बीमा कम्पनी को हानि के लिए प्रस्तुत दावे (जनवरी 2002) से पूरा किया जाना चाहिए था। तथापि कम्पनी ने बीमा कम्पनी को पुनः प्रक्रिया के आधार पर मात्र 11.57 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया जिसे 4.96 लाख रुपये के लिए बीमा कम्पनी ने बिना कोई कारण बताये स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कम्पनी को यूआईआईसीएल को कम मूल्य के दावे को प्रस्तुत करने से 38.54 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण, प्रबन्धन/शासन को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

विद्युत वितरण कम्पनियाँ

4.14 शैट कैपेसिटर अधिभार की वसूली न होना

चार विद्युत वितरण कम्पनियाँ ने 5.83 करोड़ रुपये के शैट कैपेसिटर अधिभार की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि बहन की।

4.14.1 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की दर सूची एलएमवी-3 का उप-वाक्य 4(ii) (मार्ग प्रकाश प्रणाली, ट्रैफिक कन्ट्रोल सिग्नलों, सार्वजनिक पार्कों में प्रकाश व्यवस्था आदि को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक लैम्पों पर लागू) प्रावधान करता है कि स्टेटिक

ट्राइवेक्टर मीटर रहित संयोजनों के सम्बन्ध में, यदि उचित श्रेणी के कैपेसिटर्स गायब अथवा निष्क्रिय पाये जाते हैं तो बिल की राशि का 10 प्रतिशत अधिभार भारित किया जायेगा।

तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के नगरीय विद्युत वितरण खण्डों (ईयूडीडी) की लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्न खण्ड, एलएमवी-3 के अधीन अमीटरीकृत आपूर्ति के आधार पर, विभिन्न अलग-अलग संयोजनों के अन्तर्गत नगर निगमों/नगर पालिकाओं को स्ट्रीट लाइट प्वाइट्स के लिए विद्युत आपूर्ति कर रहे थे और इन तीनों प्रकरणों में, न तो स्टेटिक टीवीएम और न ही शैट कैपेसिटर संस्थापित किये गये थे। दर सूची के प्रावधानों के अनुसार, 8.97 करोड़ रुपये के ऊर्जा प्रभारों पर 89.69 लाख रुपये का शैट कैपेसिटर अधिभार, जैसा नीचे वर्णित है, भारित किया जाना चाहिये था।

क्रम संख्या	कम्पनी/खण्ड का नाम	अवधि	ऊर्जा प्रभार भारित (करोड़ रुपये में)	शैट कैपेसिटर अधिभार भारित नहीं किया गया (लाख रुपये में)	टिप्पणी
1.	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ईयूडीडी-I,II एवं III गोरखपुर)	दिसम्बर 2004 से जनवरी 2006	1.24	12.38	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (फरवरी 2006), समस्त तीनों खण्डों के खण्डीय अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2006) कि पूरक बिल जारी कर दिये गये हैं (मार्च से जून 2006), जिसकी वसूलियाँ, तथापि प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2006)।
2.	मध्याञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ईयूडीडी-चौक एवं हुसेनगंज, लखनऊ)	दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006	4.37	43.73	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (मार्च 2006), ईयूडीडी हुसेनगंज, लखनऊ ने आपत्तिजनक धनराशि के पूरक बिल जारी किये (जून 2006), जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)। ईयूडीडी, चौक के सम्बन्ध में, खण्डीय अधिकारी ने बताया (जुलाई 2006) कि मार्ग प्रकाश संयोजनों पर शैट कैपेसिटर्स का संस्थापन सम्भव नहीं था क्योंकि मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के संयोजनों को एक बिन्दु पर अवमुक्त नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्ग प्रकाश बिन्दुओं पर शैट कैपेसिटर्स को टैरिफ प्रावधानों के अनुसार संस्थापित किया जाना अपेक्षित था।
3.	दक्षिणाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ईयूडीडी II, IV एवं V आगरा तथा ईयूडीडी I एवं II अलीगढ़)	दिसम्बर 2004 से मार्च 2006	3.36	33.58	लेखा परीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर (फरवरी एवं अप्रैल 2006), ईयूडीडी-II, IV एवं V आगरा तथा ईयूडीडी I अलीगढ़ ने आपत्तिजनक धनराशि (27.23 लाख रुपये) के पूरक बिल जारी किये (जून 2006), जिसकी वसूलियाँ प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2006)। ईयूडीडी II, अलीगढ़ के खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 2006) कि न्यूकि मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को ऊर्जा की आपूर्ति अमीटरीकृत थी, इसलिये कोई शैट कैपेसिटर संस्थापित नहीं किया गया और इस प्रकार अधिभार प्रभारण योग्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्ग प्रकाश बिन्दुओं पर शैट कैपेसिटर टैरिफ प्रावधानों के अनुसार संस्थापित किया जाना अपेक्षित था।
	योग	8.97	89.69		

4.14.2 इसी प्रकार, 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची एलएमवी-5 का उपवाक्य 1, जो सिंचाई उद्देश्यों के लिये 25 ब्रेक हार्स पावर (बीएचपी) तक के संयोजित भार वाले प्राइवेट ट्यूबवेल/ पम्प सेट (पीटीडब्ल्यू) पर लागू है, प्रावधान करता है कि नये संयोजनों को उचित श्रेणी के शैट कैपेसिटर्स के संस्थापन के पश्चात ही अवमुक्त किया जायेगा तथा सभी विद्यमान पम्पसेटों में भी शैट कैपेसिटर्स संस्थापित किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दर सूची का उपवाक्य 6 प्रावधान करता है कि सभी उपभोक्ताओं से अपेक्षित था कि वे

बोल्टेज को स्थिर रखने के लिये किसी बिलिंग अवधि के दौरान 0.85 और इससे अधिक का औसत पावर फैक्टर बनाये रखें। स्टेटिक ट्राईवेक्टर मीटर (टीवीएम) रहित उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, उचित श्रेणी के कैपेसिटर्स के गायब या निक्षिय पाये जाने पर, बिल की राशि का 10 प्रतिशत अधिभार भारित किया जाना था।

दो विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत वितरण खण्डों (ईडीडी) की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि निम्न खण्ड टीवीएम/शैट कैपेसिटर्स के संस्थापन के बिना विभिन्न पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति कर रहे थे। इन खण्डों ने शैट कैपेसिटर्स के संस्थापन को सुनिश्चित करने के लिये न तो कोई कार्यवाही की और न ही 52.69 करोड़ रुपये के ऊर्जा प्रभार पर 5.27 करोड़ रुपये का शैट कैपेसिटर अधिभार भारित (10 प्रतिशत की दर से) किया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्रम संख्या	कम्पनी/खण्ड का नाम	अवधि	ऊर्जा प्रभार भारित (करोड़ रुपये में)	शैट कैपेसिटर अधिभार भारित नहीं किया गया (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
1.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ईडीडी-I, मथुरा तथा ईडीडी- I एवं II, अलीगढ़)	दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006	22.00	2.20	लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2005 तथा मार्च 2006) कि ये ईडीडी दर सूची एलएमवी-5 के अधीन 1,94,554 बीएचपी के संयोजित भार वाले 28,927 पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं (विद्यामान एवं नये) को अमीटरीकृत आपूर्ति दे रहे थे। ईडीडी- I मथुरा ने बताया (जून 2006) कि अधिभार भारित कर दिया गया था जबकि ईडीडी- I एवं II अलीगढ़ ने बताया (जून 2006) कि वे आगामी माह से अधिभार भारित करेंगे। अलीगढ़ I एवं II खण्डों द्वारा शैट कैपेसिटर अधिभार का प्रभारण तथा मथुरा खण्ड के सम्बन्ध में वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)।
2.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ईयूडीडी-II, मुजफ्फरनगर, ईडीडी बागपत, ईडीडी- I, एवं II मेरठ तथा ईडीडी सहारनपुर)	दिसम्बर 2004 से मार्च 2006	30.69	3.07	लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 2005 तथा अप्रैल 2006) कि ये ईडीडी दर सूची एलएमवी-5 के अन्तर्गत 2,83,223 बीएचपी के संयोजित भार वाले 46,543 पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं (5031 नये को सम्मिलित करते हुये) को अमीटरीकृत आपूर्ति दे रही थी। लेखा परीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, सभी खण्डों ने 3.07 करोड़ रुपये की राशि का शैट कैपेसिटर अधिभार भारित किया (दिसम्बर 2005 से मई 2006) जिसके सापेक्ष 34.19 लाख रुपये (57.05 लाख रुपये में से) एक खण्ड (ईडीडी II, मेरठ) द्वारा वसूल किये गये। शैट कैपेसिटर अधिभार की शेष राशि की वसूली (2.73 करोड़ रुपये) प्रतीक्षित है।
	योग	52.69	5.27		

इस प्रकार, शैट कैपेसिटर अधिभार के भारित न किये जाने के फलस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों को 5.83 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

izdj.k] izcU/ku@'kklu dks ekpZ@ebZ&twu 2006 esa izfrofmr fd;k x;k(mRrj izrhf{kr gSa ¼vDVwcj 2006½A

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.15 अनियमित भार गुणांक छूट

कम्पनी ने उपभोक्ताओं को 3.42 करोड़ रुपये की अनियमित भार-गुणांक छूट प्रदान की।

बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के लिये प्रभावी दर-सूची एचवी-2 (सितम्बर 2003/दिसम्बर 2004) के अनुसार निर्धारित केवीएच प्रति केवीए (अंकित अधिकतम माँग) के ऊपर किसी अधिक खपत के लिए ऊर्जा प्रभार पर इस अधिक खपत पर 7.5 से 25 प्रतिशत तक श्रेणीबद्ध भार गुणांक छूट प्रदान की जाती है। वह उपभोक्ता, जिन पर धनराशि बकाया थी इस छूट के पात्र नहीं है। ऐसे मामलों में जिनमें उपभोक्ता ने बकाया की वसूली के विरुद्ध न्यायालय अथवा किसी वैधानिक प्राधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, भार गुणांक छूट की राशि उपभोक्ता के खाते में जमा होगी लेकिन यह छूट केवल सम्बन्धित विवाद के न्यायालय अथवा वैधानिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निर्णय दिये जाने के बाद देय होगा।

लेखा परीक्षा (फरवरी 2006) में यह देखा गया कि नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (ईयूडीडी)-II और III गोरखपुर में दो भारी शक्ति उपभोक्ता (जालान कॉन कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड और गोविन्द मिल्स लिमिटेड), जिनका बकाया क्रमशः 1.25 करोड़ रुपये और 73.59 लाख रुपये थे, ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया (जुलाई 1998), जिन्हें अभी तक रद्द नहीं किया गया है (सितम्बर 2006)। दर-सूची के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उनके मासिक बिलों पर भार गुणांक छूट की राशि की संगणना किया जाना था, परन्तु उसकी वास्तविक क्रेडिट न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही उपभोक्ताओं को दी जानी थी। तथापि, लेखा परीक्षा ने पाया कि खण्ड ने अप्रैल 2000 से नवम्बर 2005 तक की अवधि के दौरान 3.42 करोड़ रुपये (जालान कॉन कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड 2.25 करोड़ रुपये और गोविन्द मिल्स लिमिटेड 1.17 करोड़ रुपये) भार गुणांक छूट की वास्तविक क्रेडिट उनके विद्युत देयों के मासिक बिलों में समायोजित करके अनियमित रूप से अनुमति प्रदान की।

सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी ने बताया (जुलाई 2006) कि छूट की वसूली के लिए अनुपूरक बिल जारी कर दिये गये हैं (फरवरी 2006)। तथापि, वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.16 ऊर्जा का अल्प निर्धारण

दोषपूर्ण गुणांक के अनुप्रयोग द्वारा ऊर्जा के अल्प निर्धारण के कारण कम्पनी को 62.05 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

थ्री-फेज मीटर पर अंकित ऊर्जा (गुणांक) गुणांक के अधीन होती है जो मीटर के डायल गुणांक और मीटर से पास होने से पहले लाइन पर संस्थापित करेंट ट्रांसफार्मर (सीटी) और पोटेन्शल ट्रांसफार्मर (पीटी) की क्षमता पर आधारित होती

है। इसलिये सीटी और पीटी की क्षमता की शुद्धता न केवल उनके संस्थापना के समय बल्कि बाद में आवधिक जांच द्वारा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-II गोरखपुर (ईयूडीडी) की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी/मार्च 2006) कि 132 केवीए अतिरिक्त उच्च तनाव पर एक 2300 केवीए का विद्युत आपूर्ति संयोजन जो दर सूची एचवी-2 पर बिल किया जा रहा था, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, गोरखपुर (उपभोक्ता) के पक्ष में निर्मुक्त किया गया। बाद में परिसर एक सरकारी संगठन सशस्त्र सुरक्षा बल द्वारा अपने अधीन ले लिया गया (सितम्बर 2003) और बिलिंग तदनुसार दर सूची एलएमवी-4(अ), जो 1500 केवीए के अनुबंधित भार पर जल संस्थानों/सरकारी संगठनों पर लागू होती है में परिवर्तित कर दी गई। उपभोक्ता का ऊर्जा मीटर, 120 के एमएफ के साथ, जिसके अनुसार बिलिंग की जा रही थी, 132 केवी, एफसीआई पारेषण उपकेन्द्र गोरखपुर पर संस्थापित था। तथापि, नगरीय विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड (यूटीसीडी)ने अपने निरीक्षण (अगस्त 2004) में ऊर्जा मीटर का एमएफ 158 पाया। यूटीसीडी ने निरीक्षण के निष्कर्ष 15 माह की समाप्ति के पश्चात् नवम्बर 2005 में ईयूडीडी को सूचित किया जिसके कारण ईयूडीडी अगस्त 2004 से सितम्बर 2005 तक उपभोक्ता के ऊर्जा उपभोग की संगणना पुराने एमएफ 120 का प्रयोग करके करता रहा (माह अक्टूबर 2005 से बिलिंग एमएफ 158 पर की गई थी)। परिणामतः 2063914 केडब्ल्यूएच ऊर्जा उपभोग का अल्प निर्धारण हुआ (38 के विभेदीय एमएफ पर संगणित)। इस प्रकार उपभोक्ता की 62.05 लाख रुपये के राजस्व की अल्प बिलिंग की गई। (प्रभार की दर पर 7.5 प्रतिशत की उच्च बोल्टेज छूट देने के बाद और विद्युत शुल्क छोड़कर 3.25 रुपये केडब्ल्यूएच की दर से 2063914 केडब्ल्यूएच के लिए आंगणित)। इन चूकों के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

ईयूडीडी के खण्डीय अधिकारी ने, यद्यपि, लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर उपभोक्ता को 54.70 लाख रुपये का पूरक बिल 2.90 प्रति केडब्ल्यूएच 1886235 केडब्ल्यूएच के लिए बिना उच्च बोल्टेज छूट प्रदान किये (अप्रैल 2006) जारी किया। जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.17 उपभोक्ता को अनुचित पक्षपात

अतीत में चेक अनादृत होने के बावजूद कम्पनी ने चेक द्वारा भुगतान की सुविधा में वृद्धि करके उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप 46.13 लाख रुपये ऊर्जा देयों का संचयन हुआ।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड-2002 (कोड) का वाक्यांश 6.23.1 उपभोक्ता को ऊर्जा देयों का भुगतान नकद (20000 रुपये तक) अथवा चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करने का उपबंध करता है। उपभोक्ता द्वारा यदि विद्युत देयों के भुगतान के लिए

दिये गये चेक को बैंक में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर न भुनने पर, खण्डीय अधिकारी एक सप्ताह के भीतर बिल का नकद भुगतान करने के लिए कहेगा और चेक द्वारा भुगतान की सुविधा भी वापस ले सकता है। इसके अतिरिक्त यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी उपभोक्ता के चेक अनादरण के दो उदाहरण हैं, तो उपभोक्ता को आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी भुगतान नकद करने होंगे। इसके अतिरिक्त खण्ड निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1938 की धारा 138 और 142 के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

विद्युत वितरण खण्ड, चंदौली की लेखा परीक्षा में (जनवरी 2006) में यह पाया गया कि 250 केवीए के अनुबंधित भार का संयोजन मई 2003 में हेमगंगा पालीटेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, रामनगर, चंदौली (उपभोक्ता) के पक्ष में निर्मुक्त किया गया। उपभोक्ता या तो मासिक ऊर्जा बिलों का निश्चित तिथियों पर भुगतान नहीं कर सका था उसके द्वारा दिये गये चेक अनादृत हो गये। मई 2003 से मई 2004 की अवधि के लिए 24.94 लाख रुपये के ऊर्जा बिलों के विरुद्ध उपभोक्ता ने जुलाई 2003 से मई 2004 के दौरान 21.94 लाख रुपये का भुगतान 11 चेकों के द्वारा किया जिसमें से 13.82 लाख रुपये के पांच चेक (प्रथम तीन चेकों को सम्मिलित करते हुए) अनादृत हो गये थे। तथापि खण्ड बैंक में उनके प्रस्तुतीकरण के दिनांक से नौ से 11 महीने की चेकों के अनादरण की जानकारी विवरण से समाधान समय से न होने के कारण देरी से हुई, बैंक परिणामतः संयोजन मई 2004 में अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया। ऊर्जा के देयों का 16.82 लाख रुपये (मई 2004) तक संचय हो गया था। नवम्बर 2004 की बन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) के अधीन आपूर्ति इस शर्त पर बहाल कर दी गई (फरवरी 2005) कि उपभोक्ता जनवरी 2005 तक के ऊर्जा देयों 23.15 लाख रुपये का भुगतान पाँच बराबर मासिक किश्तों में (प्रत्येक 4.63 लाख रुपये) अनुवर्ती मासिक बिलों के साथ करेगा। खण्ड ने फरवरी से अक्टूबर 2005 के दौरान छः चेकों के जरिए 28.28 लाख रुपये (23.15 लाख रुपये ओटीएस राशि सहित) भुगतान स्वीकार किया, जो भुगतान के लिए बैंक को प्रस्तुत किये जाने पर अनादृत कर दिये गये। खण्ड ने नवम्बर 2005 में आपूर्ति अस्थाई रूप से विसंयोजित कर दी और ड्यूज रिकवरी एक्ट की धारा 5 के अधीन दिसम्बर 2005 तक संयमित 46.13 लाख रुपये के ऊर्जा देयों (23.15 लाख रुपये ओटीएस की राशि सहित) की वसूली के लिए नोटिस जारी किया (जून 2006)। देयों की वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)।

इस प्रकार, खण्ड ने संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उपभोक्ता के बार-बार भुगतान की अदायगी न करने और चेकों के बारंबार अनादृण के बावजूद उसे चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करके अनुचित पक्षपात किया। खण्ड ने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1938 के अधीन भी उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 46.13 लाख रुपये के ऊर्जा देय संचित हुये।

खण्ड ने बताया (जनवरी 2006) कि चेक के अनादरण की जानकारी बैंक से देरी से प्राप्त हुई जिससे भुगतान की वास्तविक प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी और चेक द्वारा भुगतान की सुविधा जारी रही। खण्ड ने आगे कहा (जुलाई 2006) कि अधिनियम के उपबन्धों की जानकारी न होने के कारण निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1938 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड समय से बैंक विवरण से लेखा का समाधान करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, अतीत में उपभोक्ता के असंतोषजनक भुगतान व्यवहार के बावजूद, खण्ड ओटीएस योजना के अधीन चेक द्वारा भुगतान की अनियमित रूप से अनुमति प्रदान की।

प्रकरण, मई 2006 में प्रबन्धन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.18 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी ने उपभोक्ता की लागत पर स्वतंत्र पोषक निर्माण करने के बजाय वर्तमान 33 केवीए लाइन से संयोजन टेप करके उपभोक्ता को 33.29 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2002 (कोड) का वाक्यांश 3.5 उपबंध करता है कि फरनेस, रोलिंग मिल्स और छोटे इस्पात संयंत्रों को छोड़कर, भार उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर स्वतंत्र पोषक से दिया जा सकता है बशर्ते कि स्वतंत्र पोषक निर्माण के समस्त प्रभार (बे और लाइन सामग्री की लागत) उपभोक्ता द्वारा वहन किये जायें। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का मई 1994 का आदेश, उपभोक्ता को संयोजन देने के लिए 33 केवी ट्रंक लाइन की टैपिंग का सञ्चय से निषेध करता है।

विद्युत वितरण खण्ड-I, गोरखपुर (खण्ड) की लेखा परीक्षा में पाया गया (मई 2005) कि एशियन फर्टिलाइजर लिमिटेड, गोरखपुर (उपभोक्ता) ने 33 केवी के स्वतंत्र पोषक पर 700 केवीए भार के आपूर्ति का अनुरोध किया (अक्टूबर 2002)। कम्पनी ने इस शर्त के साथ आपूर्ति स्वीकृत की (नवम्बर 2002) कि स्वतंत्र पोषक निर्माण की लागत (33 केवी बे की लागत: 17.50 लाख रुपये और लाइन सामग्री की लागत: 15.79 लाख रुपये^{*}) उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। तथापि खण्ड ने ग्रिड उपकेन्द्र से 33 केवी स्वतंत्र पोषक निर्माण के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही कोई प्राक्कलन तैयार किया। तथापि कम्पनी ने मई 1994 के आदेश का उल्लंघन करते हुए उपकेन्द्र शत्रुघ्नपुर से प्रारम्भ होकर उपकेन्द्र सरदार नगर तक जाने वाली विद्यमान 33 केवी ट्रंक लाइन टैप करके

* 2002-03 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और द्वितीयक प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो) की लागत सूची पर आधारित 10.5 मीटर लम्बी रेल पर एसीएसआर डॉग कन्डक्टर से 3.948 लाख रुपये की दर से 4 किमी लाइन के लिए संगणित।

संयोजन निर्गत किया (नवम्बर 2002)। खण्ड ने ट्रैक लाइन को टैप करके उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति जारी रखी है (अप्रैल 2006)।

इस प्रकार कम्पनी ने उपभोक्ता की लागत पर स्वतंत्र पोषक का निर्माण करने के बजाय विद्यमान 33 केवी लाइन टैप करके संयोजन निर्गत करके उपभोक्ता को 33.29 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

प्रकरण, प्रबन्धन/शासन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.19 मौसमी उद्योगों को अस्वीकार्य वित्तीय लाभ

मौसमी उद्योगों को 'गैर मौसमी' अवधि में अस्वीकार्य लाभ देने के फलस्वरूप 31 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर सूची (रेट शेड्यूल) एचवी-2 जो 75 केडब्ल्यू से अधिक अनुबंधित भार वाले उद्योगों और/अथवा संशोधन उद्देश्यों वाले उपभोक्ताओं पर लागू है, उपबंधित करता है कि माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की वास्तविक इकाईयों के ऊर्जा प्रभार और देय योग्य मांग के मांग प्रभार, जो कि न्यूनतम प्रभार से कम न हो, बिलिंग की जाएगी। देय योग्य मांग वास्तविक अधिकतम मांग अथवा अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी। अग्रेतर यह मौसमी उद्योगों जैसे चीनी, बर्फ, चावल मिल और शीतगृह के लिए छूट उपबंधित करता है बशर्ते उनके एक वित्तीय वर्ष में निरंतर संचालन की अवधि कम से कम चार माह लेकिन नौ माह से अधिक न हो और गैर मौसमी अवधि के दौरान उपभोक्ता अपनी मांग अनुबंधित मांग के 30 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित रखता हो।

गैर मौसमी अवधि के दौरान ऐसे उद्योगों के लिए शुल्क दर मौसम की शुल्क दर जैसी ही होगी सिवाय इसके कि देय योग्य मांग अनुबंधित मांग का 30 प्रतिशत होगी और प्रतिमाह प्रभार उनकी संबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत लागू न्यूनतम मासिक प्रभार के 30 प्रतिशत के बराबर होगी। यदि उपभोक्ता की मांग गैर मौसमी अवधि के दौरान किसी माह में अनुबंधित भार के 30 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उस मौसम के दौरान मौसमी उद्योगों का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय उसकी बिलिंग सामान्य शुल्क दर के अनुसार अर्थात् मांग प्रभार देय योग्य मांग पर प्रति केवीए 180 रुपये की दर और ऊर्जा प्रभार अनुबंधित भार पर प्रति केवीए 425 रुपये की दर से न्यूनतम मासिक प्रभारों के अधीन की जायगी।

विद्युत वितरण खण्ड (इडीडी), सलेमपुर और देवरिया की लेखा परीक्षा में पाया गया (जून 2005 और फरवरी 2006) कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के बैतालपुर, देवरिया और भट्टनी (उपभोक्ता) चीनी मिलों के लिए निम्न-तनाव (एलटी) बोल्टेज (0.4 केवी) के तीन संयोजन निर्गत किये गये। उपभोक्ताओं की बिलिंग दर सूची एचवी-2 के अधीन मौसमी उद्योगों की 'गैर मौसमी' अवधि (अप्रैल से नवम्बर) के लिए 'गैर मौसमी' लाभ देकर की जा रही थी, यद्यपि

उपभोक्ताओं ने अपनी मांग अनुबंधित भार के 30 प्रतिशत तक सीमित करने की शर्त का पालन नहीं किया और वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2005-06 के 'गैर मौसमी' अवधि के दौरान अनुबंधित भार के 30 प्रतिशत से अधिक भार अर्जित किया। इस प्रकार खण्ड द्वारा इस अवधि के लिए दोषपूर्ण बिलिंग के कारण कम्पनी को उपभोक्ता की अल्प बिलिंग द्वारा निम्न विवरणानुसार 31 लाख रुपये (माँग प्रभार पर लागू एलटी वोल्टेज अधिभार को सम्मिलित करते हुए) के राजस्व की हानि हुई:

क्रम संख्या	खण्ड का नाम (विविध)	इकाई का नाम/अनुबंधित भार	गैर मौसमी अवधि (वर्ष)	अनुबंधित भार का 30% भार (केवीए)	'गैर मौसम' में की गई अधिकतम मांग (माह)	बिल की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)	बिल की गई धनराशि (लाख रुपये में)	कम बिल की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	देवरिया	बैतालपुर/425 केवीए	2003-04 (अप्रैल - नवम्बर)	128	234 (सितम्बर-03)	12.51	7.84	4.67
			2004-05 (अप्रैल - नवम्बर)	128	234 (नवम्बर-04)	16.37	12.08	4.29
			2005-06 (अप्रैल - नवम्बर)	128	168 (जून-05)	14.74	9.30	5.44
						43.62	29.22	14.40
2.	देवरिया	देवरिया/331 केवीए	2004-05 (अप्रैल - नवम्बर)	100	190 (नवम्बर-04)	7.17	4.18	2.99
			2005-06 (अप्रैल - नवम्बर)	100	154 (सितम्बर-05)	11.49	4.99	6.50
						18.66	9.17	9.49
3.	सलेमपुर	भट्टनी/391 केवीए	2004-05 (अप्रैल - नवम्बर)	118	168 (नवम्बर-04)	13.65	6.54	7.11
					कुल योग	75.93	44.93	31.00

लेखा परीक्षा द्वारा उद्धृत किये जाने पर, खण्डीय अधिकारी ने पूरक देयक जारी किये (जून 2005 और जुलाई 2006), जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण, प्रबन्धन और सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.20 नियत और अतिरिक्त प्रभारों का अन-उदग्रहण

अधिक मांग के लिए नियत और अतिरिक्त प्रभार के अन-उदग्रहण और पूरक बिलों में उसके अल्प निर्धारण के परिणामस्वरूप 14.35 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

ट्राईवेक्टर/एमडीआई मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर सूची एलएमवी-2 उपबंध करता है कि किसी माह के दौरान नियत प्रभार के लिए उपभोक्ता की बिलिंग निश्चित दर से वास्तविक अधिकतम मांग अथवा अनुबंधित भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो, पर की जायेगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी माह में अधिकतम मांग अनुबंधित भार से बढ़ जाती है, तो ऐसी अति मांग नियत दर के दोगुने दर से अतिरिक्त प्रभार के

रूप में उद्ग्रहीत की जाएगी। केवीए में व्यक्त किया गया भार, केडब्ल्यू में समतुल्य अनुबंधित भार निकालने के लिए 0.9 से गुणा किया जाएगा (1 दिसम्बर 2004 से लागू)।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-I, गोरखपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया (फरवरी 2006) कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर (उपभोक्ता) की वास्तविक अधिकतम मांग जिसका अनुबंधित भार 5250 केडब्ल्यू था और जिसकी बिलिंग दर सूची एलएमवी-2 के अधीन की जा रही थी, का अनुबंधित भार फरवरी 2004 से अगस्त 2005 की अवधि के दौरान बढ़कर 5525 और 6698 केडब्ल्यू के मध्य अधिक रहा। तथापि नियत प्रभारों के लिए उपभोक्ता की बिलिंग (80 रुपये प्रति केडब्ल्यू की दर से) ली गई वास्तविक अधिकतम मांग के बजाय 5250 केडब्ल्यू के अनुबंधित भार पर की गई। इसके अतिरिक्त इन महीनों में उपभोक्ता द्वारा अनुबंधित भार पर ली गयी अति मांग 160 रुपये प्रति किडब्ल्यू की दर (नियत प्रभार का दो गुना) से प्रभारित किया जाना था, जो नहीं किया गया। 11610 केडब्ल्यू (106110 - 94500 केडब्ल्यू) की अति मांग के लिए 80 रुपये प्रति केडब्ल्यू की सामान्य दर से नियत प्रभार और सामान्य दर से दो गुने दर से (अर्थात् 160 रुपये प्रति केडब्ल्यू) अतिरिक्त प्रभार, जो कि 27.87 लाख रुपये मूल्य का था, का प्रभारण नहीं किया।

लेखा परीक्षा द्वारा यह उद्धृत किये जाने पर, खण्ड ने 23.52 लाख रुपये का एक पूरक बिल जारी किया (मार्च 2006) और यह राशि मार्च 2006 में वसूल भी कर ली गई।

लेखा परीक्षा ने अवलोकित किया कि पूरक बिल जारी करते समय खण्ड अनुबंधित मांग पर अतिमांग की सामान्य दर से नियत प्रभार प्रभारित करने में विफल रहा। आगे यह भी अवलोकित किया गया कि खण्ड ने सितम्बर 2005 से अद्यावधि (अगस्त 2006) के लिए अनुबंधित मांग पर अतिमांग को 80 रुपये के सामान्य दर से 6846 केडब्ल्यू पर 5.84 लाख रुपये नियत प्रभार प्रभारित करना प्रारम्भ नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, खण्ड ने केवीए में अभिलिखित अधिकतम मांग को केडब्ल्यू में परिवर्तित करने के लिए लागू 0.90 के गुणांक के बजाय 0.85 का परिवर्तन गुणांक का प्रयोग किया जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2005 से जून 2006 तक की अवधि के लिए 2822 केडब्ल्यू पर 4.52 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रभार (160 रुपये प्रति केडब्ल्यू की दर से) का अल्प प्रभारण हुआ।

इस प्रकार 4.35 लाख रुपये (27.87 लाख रुपये - 23.52 लाख रुपये) के पूरक बिल के अल्प निर्गमन, सितम्बर 2005 से अगस्त 2006 के दौरान 5.48 लाख रुपये के नियत प्रभार के न प्रभारित किये जाने से और सितम्बर 2005 से जून 2006 के दौरान 4.52 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रभार के अल्प उद्ग्रहण से कुल 14.35 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण, अप्रैल 2006 में प्रबन्धन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.21 उपभोक्ता को अनुचित पक्षपात

देयों की वसूली के लिए समुचित उपाय न कर पाने की कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप विद्युत प्रभारों के 24.47 लाख रुपये के देयों का संचयन हुआ।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2002 (वितरण कोड) के वाक्यांश 4.66.1 (अ) उपबन्ध करता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा बिल पर अंकित भुगतान की देय तिथि तक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया जाता तो भुगतान की देय तिथि के सात दिन के पश्चात् आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी। कोड के वाक्यांश 6.31.1 आगे यह भी उपबन्ध करता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलैक्ट्रिकल अंडरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) एक्ट- 1958 के अनुसार बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाये।

विद्युत वितरण खण्ड-II, बलिया (खण्ड) की लेखा परीक्षा में पाया गया (जनवरी 2006) कि 136 केवीए के अनुबंधित भार वाले शिवम कोल्ड स्टोरेज (उपभोक्ता) ने मई 2003 तक के अपने ऊर्जा बिलों का भुगतान किया। इसके पश्चात् उपभोक्ता ने जून 2003 से अप्रैल 2006 के दौरान मासिक बिलों का भुगतान नहीं किया (जुलाई 2004 में 3.50 लाख रुपये के भुगतान को छोड़कर) और बकाये का संचयन 24.47 लाख रुपये (अप्रैल 2006) तक हो गया।

लेखा परीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि कम्पनी ने वितरण कोड के उपबन्धों के अनुसार न तो आपूर्ति को विच्छेदित किया और न ही देयों की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की गयी (अप्रैल 2006)।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.22 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

उपकेन्द्र और लाइन को इसके पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् वाणिज्यिक भार पर डालने की विफलता के कारण कम्पनी को चोरी की गई लाइन के पुनर्निर्माण पर 13.06 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के ग्रामीण विद्युतीकरण और द्वितीयक प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो) द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार जैसे ही द्वितीयक उपकेन्द्र और सम्बन्धित लाइनें पूर्ण होती हैं; इन्हें ऊर्जित किया जाना चाहिए तथा विद्यमान उपकेन्द्र पर भार को कम करने तथा उपभोक्ता की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए वाणिज्यिक भार पर डालना चाहिए। उपकेन्द्र और सम्बन्धित लाइनों का निर्माण द्वितीयक कार्य/कार्यशाला खण्डों द्वारा किया जाता है और उपयोगकर्ता खण्डों को (वितरण खण्ड) वाणिज्यिक भार पर डालने के लिये सौंप दिया जाता है।

पटरंगा (फैजाबाद) में 33/11 किलोवोल्ट (केवी) का उपकेन्द्र और उसकी रोज़ागाँव से पटरंगा तक सम्बन्धित लाइनों (7.90 किमी) का निर्माण विद्युत कार्यशाला खण्ड, फैजाबाद (ईडब्ल्यूडी) द्वारा 'आंतरिक संसाधन स्कीम' के अन्तर्गत किया गया। निर्माण जुलाई 2001 में प्रारम्भ किया गया और सितम्बर 2002 में 85.70 लाख रुपये की लागत पर (45.52 लाख रुपये उपकेन्द्र के लिए और 40.18 लाख रुपये लाइन के लिए) पूर्ण हुआ। ईडब्ल्यूडी फैजाबाद द्वारा सितम्बर 2002 में उपकेन्द्र और लाइन तत्काल वाणिज्यिक भार पर डालने के लिए विद्युत वितरण खण्ड-I, फैजाबाद (इडीडी-I) को सौंपी गई।

इडीडी-I, फैजाबाद की लेखा परीक्षा में पाया गया (जून 2004) कि उपकेन्द्र और लाइन पर सितम्बर 2002 में कब्जा लेने के बावजूद, 11 केवी के फीडर और सम्बन्धित लाइन का निर्माण न होने और तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण प्रणाली वाणिज्यिक भार पर अक्टूबर 2003 तक नहीं डाली गयी। इसी बीच, उपकेन्द्र और लाइन के ऊर्जीकरण में विलम्ब के कारण 3 दिसम्बर 2002 और 3 मई 2003 की अर्धरात्रि को 8.56 लाख रुपये* की लाइन चोरी हो गई। खण्ड को चोरी के कारण क्षतिग्रस्त लाइन के पुनर्निर्माण (अक्टूबर 2003) के लिए 13.06 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा, जिससे उपकेन्द्र/लाइन को वाणिज्यिक भार पर डाला (अक्टूबर 2003) जा सके।

इस प्रकार उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में एक वर्ष के विलम्ब के अतिरिक्त उपकेन्द्र और लाइन के कब्जा लेने के तत्काल बाद उसके ऊर्जीकरण में विलम्ब के कारण चोरी की गई लाइन के पुनर्निर्माण पर कम्पनी को 13.06 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2006)।

4.23 विद्युत चोरी के विरुद्ध अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण

अल्प/अनिर्धारण के कारण कम्पनी को विद्युत चोरी के विरुद्ध कुल 17.15 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

1 जुलाई 2002 से प्रभावी उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता-2002 (कोड) के वाक्यांश 6.17.1 और 6.17.2 उपबंध करते हैं कि विद्युत चोरी की स्थिति में किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त, निरीक्षण की तिथि के एक माह के भीतर अर्थदण्ड के लिए उपभोक्ता का निर्धारण प्रति इकाई लागू शुल्क दर के तीन गुना दर से एल×एफ×एच×डी**

* 2.26 लाख रुपये 4.418 किमी एसीएसआर डॉग कन्डक्टर की लागत और 2.472 किमी एएसी कन्डक्टर और 6.30 लाख रुपये स्टाक सामग्री की लागत जिसमें 14.90 मिमी एसीएसआर डॉग कन्डक्टर और सम्बन्धित सामग्री की लागत सम्मिलित हैं

** 'एल' किठा में संयोजित भार का सूचक है, 'एफ' विभिन्न प्रकार की आपूर्ति के लिए गुणांक, 'एच' मेस डिस्ट्रीब्यूशन में उपलब्ध करायी गयी आपूर्ति प्रतिदिन औसत घण्टों की संख्या के लिए, 'डी' 180 दिन के लिए यदि उपभोक्ता घरेलू और कृषि के अतिरिक्त हैं

सूत्र के अनुसार संगणित ऊर्जा की इकाईयों पर किया जायेगा, जिसमें लघु और मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 0.50 का पावर गुणांक लिया जाएगा। उपरोक्त उपबन्ध, 18 फरवरी 2005 से लागू संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता-225 (कोड-2005) के वाक्यांश 8.2 (iv) में इस बढ़ोत्तरी के साथ पुनः दोहराये गये थे कि सीधे विद्युत चोरी की स्थिति में सूत्र एल×एफ×एच×डी में गुणांक ('एफ') के रूप में 'एक' लिया जाएगा।

विद्युत वितरण खण्ड (इडीडी), गोण्डा और अम्बेडकरनगर (खण्ड) की लेखा परीक्षा में पाया गया (अगस्त 2005) कि अक्टूबर 2004 से मई 2005 में कम्पनी द्वारा डाले गये छापों में 13 उपभोक्ता (इडीडी गोण्डा: 10; इडीडी अम्बेडकरनगर: 3) औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सीधे विद्युत चोरी में लिप्त पाये गये लेकिन खण्डों ने कोड के उपबन्धों के अनुसार इन उपभोक्ताओं पर कुल 17.15 लाख रुपये (इडीडी गोण्डा: 10.35 लाख रुपये; इडीडी अम्बेडकरनगर: 6.80 लाख रुपये))के अर्थदण्ड का निर्धारण नहीं किया।

लेखा परीक्षा द्वारा यह उद्धृत किये जाने पर, खण्डों ने 'एक' (18 फरवरी 2005 से) के बजाय '0.50' के पावर गुणांक के दोषपूर्ण प्रयोग के कारण 17.15 लाख रुपये के विरुद्ध केवल 9.36 लाख रुपये (इडीडी गोण्डा: 5.62 लाख रुपये; इडीडी अम्बेडकरनगर: 3.74 लाख रुपये) के बिल (सितम्बर से दिसम्बर 2005) जारी किये तथा ऊर्जा का निर्धारण तीन गुना करने के बजाय डेढ़ गुना किया और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) एक्ट 1958 के अधीन वसूली के लिए नोटिस जारी की (सितम्बर 2005 से दिसम्बर 2005), वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.24 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

30 लाख रुपये के शमन शुल्क के भारित न किये जाने के कारण कम्पनी ने एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड-2005 (कोड) का वाक्यांश 8.2 (iv) उपबन्ध करता है कि विद्युत चोरी की स्थिति में, पिछली अवधि के लिए उपभोग की गई ऊर्जा की इकाईयों का निर्धारण एल×एफ×एच×डी* सूत्र के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित इकाईयों की बिलिंग लागू सामान्य शुल्क-दर से तीन गुना पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड-2005 (कोड) के वाक्यांश 8, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 152(1) और (2) के साथ पठित, आगे उपबन्ध करता है कि विद्युत चोरी की स्थिति में उपभोक्ता कोड आप क्रिमिनल प्रेसीजर, 1973 (1974 का 2) के अन्तर्गत दण्डनीय है। तथापि, नियम

* 'एल' संयोजित भार का सूचक है, 'एफ' प्रत्यक्ष चोरी के लिए 100 होगाख 'एच' समतुल्य माहों के लिए फीडर पर उपलब्ध औसत आपूर्ति घण्टे का सूचक है, 'डी' 180 दिन होगा।

उल्लंघनकर्ता, दांडिक कार्यवाही के शमन के लिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/व्यक्तियों (यथा कृषि: 2000 रुपये प्रति एचपी; औद्योगिक: 20000 रुपये प्रति एचपी; वाणिज्यिक: 10000 रुपये प्रति केडब्ल्यू) पर लागू निर्धारित दरों पर भुगतान कर सकता है।

विद्युत वितरण खण्ड (खण्ड), रहीमनगर, लखनऊ की लेखा परीक्षा में देखा गया (जुलाई 2005) कि नेप्च्यून पॉलीफाइबर्स, मोहीबुल्लापुर, लखनऊ (औद्योगिक उपभोक्ता) के परिसर में 28 जून 2005 को छापे के दौरान कटिया का प्रयोग करके लो टेन्शन (एलटी) लाइन से सीधे आपूर्ति लेकर उपभोक्ता को ऊर्जा की चोरी में लिप्त पाया गया। औद्योगिक सेवा के लिए स्वीकृत 22 केवीए (26.54 बीएचपी) भार के विरुद्ध संयोजित भार 177 ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) पाया गया।

खण्ड अधिकारी ने उपरोक्त कोड के वाक्यांश 8.2 (iv) के अनुसार विद्युत चोरी के विरुद्ध ऊर्जा के उपभोग के लिए 33.19 लाख रुपये का बिल जारी किया (नवम्बर 2005)। तथापि, खण्ड ने उपभोक्ता के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पुलिस में न तो एफआईआर दायर किया और न ही उपरोक्त कोड में विहितानुसार दाण्डिक कार्यवाही के स्थान पर 30 लाख रुपये (150 बीएचपी के लिए 20000 रुपये प्रति बीएचपी की दर से) का शमन शुल्क भारित किया। इस प्रकार, खण्ड ने विद्युत चोरी के लिए दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ करने के स्थान पर 30 लाख रुपये का शमन शुल्क न वसूल करके अथवा दाण्डिक कार्यवाही न प्रारम्भ करके उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.25 राजस्व का अल्प प्रभार

शुल्क दर के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप कुल 10.31 लाख रुपये के राजस्व की वसूली न हो सकी।

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की दर सूची उपबन्ध करती है कि सरकारी संगठनों और जन संस्थानों की विलिंग एलएमवी-4 (अ) के अन्तर्गत की जाएगी जबकि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की विलिंग एलएमवी-2 के अन्तर्गत की जाएगी। एलएमवी-2 की शुल्क दर (स्थायी प्रभार: 80 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह और ऊर्जा प्रभार: 3.90 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच) एलएमवी-4 (अ) की शुल्क दर (स्थायी प्रभार: 75 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह और ऊर्जा प्रभार: 3.25 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच) की तुलना में अधिक है।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ (खण्ड) की लेखा परीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2005) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत लखनऊ की तीन कम्पनियों {दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन

ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप), उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम (यूपीबीएसएन) और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (यूपीएसएससी)} की बिलिंग दर सूची एलएमवी-4(अ) के अन्तर्गत हो रही थी। लेखा परीक्षा (सितम्बर 2005) द्वारा यह उद्धृत किये जाने पर खण्ड ने दो कम्पनियों (यथा पिकप और यूपीबीएसएन) की बिलिंग सितम्बर 2005 से तथा एक कम्पनी (यथा यूपीएसएससी) की बिलिंग मार्च 2006 से एलएमवी-2 के अन्तर्गत प्रारम्भ किया लेकिन दर सूची एलएमवी-4(अ) से एलएमवी-2 में बिलिंग के परिवर्तन के कारण जमा हुई अंतरीय राशि के पूरक बिल (10.31 लाख रुपये) अभी तक तैयार नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण शुल्क दर के अनुप्रयोग के कारण कुल 10.31 लाख रुपये (पिकप: 4.73 लाख रुपये, यूपीबीएसएन: 2.60 लाख रुपये दिसम्बर 2004 से अगस्त 2005 की अवधि के लिए और यूपीएसएससी: 2.98 लाख रुपये दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 की अवधि के लिए) के राजस्व का अल्प प्रभार हुआ।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.26 अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण

अनाधिकृत विद्युत के प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड के निर्धारण में कम्पनी की असफलता के परिणामस्वरूप 51.15 लाख रुपये के अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण हुआ।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (कोड) का वाक्यांश 4.46 (अ) उपबन्ध करता है कि उपभोक्ता, उसे आपूर्ति की गई ऊर्जा को अन्य परिसर के लिए आपूर्ति नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता। कथित कोड का वाक्यांश 6.8 (स) आगे उपबन्ध करता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग किया जा रहा है, तो वह कोड में विहित सूत्र एल×एफ×एच×डी* के अनुसार निर्धारित इकाइयों पर उपभोक्ता पर लागू प्रति इकाई शुल्क दर की डेढ़ गुना राशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

नगरीय विद्युत विरण खण्ड-III (खण्ड) मेरठ की लेखा परीक्षा में पाया गया (अगस्त 2005) कि शॉ वैलेस डिस्टिलर्स लिमिटेड, - इकाई-सेंट्रल डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज, ककरखेड़ा, मेरठ (उपभोक्ता) का 11 केवी वोल्टेज पर, 1000 केवीए अनुरंधित भार का, दर सूची एचवी-2 के अन्तर्गत एक विद्युत संयोजन था। उपभोक्ता ने विद्यमान फैक्ट्री के सन्निकट एक अन्य फैक्ट्री (एसकेओएल ब्रेवरीज लिमिटेड, इकाई-सेंट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज) स्थापित किया और नई फैक्ट्री के

* 'एल' केवीए में संयोजित भार का सूचक है, 'एच' उपभोक्ता को फीड कर रहे मेन्स डिस्ट्रीब्यूशन से उपलब्ध करायी गई आपूर्ति प्रतिदिन औसत घण्टों का, 'डी' 180 दिन का और 'एफ' विभिन्न प्रकार की आपूर्ति के लिए गुणांक का।

लिए 1000 केवीए के नये भार के लिए और विद्यमान फैक्ट्री के लिए अनुबंधित भार 60 प्रतिशत घटाकर 1000 केवीए से 400 केवीए (फरवरी 2004) करने के लिए आवेदन किया (जनवरी 2004)। सुरक्षा कारणों से नई फैक्ट्री के लिए नया भार संस्वीकृत नहीं किया गया (जनवरी 2004)। विद्यमान फैक्ट्री का भार भी खण्ड द्वारा कम नहीं किया गया जो उपरिकथित कोड के प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य नहीं था क्योंकि उपभोक्ता 400 केवीए से अधिक की अधिकतम मासिक मांग प्राप्त कर रहा था।

तदुपरान्त, खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर की जाँच के दौरान यह पाया गया (26 अप्रैल 2005) कि उपभोक्ता अपनी नई फैक्ट्री के 1000 केवीए के भार पर संचालन के लिए विद्यमान 11 केवी लाइन का विस्तार करके अनाधिकृत रूप से विद्युत का प्रयोग कर रहा था। इस प्रकार उपभोक्ता का ऊर्जा निर्धारण एल×एफ×एच×डी सूत्र ('एच' को 16 घण्टे मानकर) का प्रयोग कर निकाले गये 2160000 केवीएच के लिए किया जाना था। इस प्रकार निर्धारित उपभोग (केवीएच) की बिलिंग उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि समायोजित करने के पश्चात्, उपभोक्ता-श्रेणी पर लागू शुल्क दर की प्रति इकाई दर (3.50 रुपये प्रति केवीएच) के डेढ़ गुने दर से की जानी थी। तदनुसार, उपभोक्ता का निर्धारण 1.13 करोड़ रुपये के लिए किया जाना था और नियमित मासिक बिलों के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा पहले ही भुगतान किये गये 47.41 लाख रुपये समायोजित करने के पश्चात् अनाधिकृत विद्युत के प्रयोग की अल्प बसूली राशि 65.59 लाख रुपये थी। तथापि, खण्ड ने, अनुबंधित भार का 60 प्रतिशत घटाने के लिए उपभोक्ता के प्रस्ताव के आधार पर, जिसे खण्ड द्वारा पहले ही अस्वीकार किया जा चुका था, वास्तविक उपभोग के 60 प्रतिशत को अनाधिकृत माना और उसके लिए 7,75,962 केवीएच पर (12,93,270 केवीएच का 60 प्रतिशत) 14.44 लाख रुपये के अर्थदण्ड का निर्धारण किया (मई 2005) और धनराशि का भुगतान उपभोक्ता द्वारा कर दिया गया (मई 2005)। खण्ड द्वारा अपनाया गया आधार सही नहीं था क्योंकि भार में 1000 केवीए से 400 केवीए की कमी संस्वीकृत नहीं की गई थी। इस प्रकार अनाधिकृत विद्युत प्रयोग के लिए उपभोक्ता का 51.15 लाख रुपये का (65.59 लाख रुपये - 14.44 लाख रुपये) अल्पनिर्धारण हुआ।

खण्ड अधिकारी ने बताया (मई 2006) कि उपभोक्ता ने किसी नई फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया। एक इकाई (एसकेओएल ब्रेवरीज लिमिटेड) विद्यमान फैक्ट्री से अलग की गई थी और मई 2005 में 1000 केवीए एक नया संयोजन निर्गत किया गया था। तथापि, उपभोक्ता द्वारा औपचारिकताएं अपूर्ण होने के कारण विद्यमान फैक्ट्री का भार घटाया नहीं जा सका। अनाधिकृत विद्युत का कोई प्रयोग नहीं हुआ था और इसलिए कोई अर्थदण्ड भारित नहीं किया जाना था। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में (मई 2006) दो अलग-अलग उपभोक्ताओं के नाम पर दो संयोजन प्रत्येक 1000 केवीए के चल रहे हैं। खण्ड की जाँच रिपोर्ट (अप्रैल 2005) और मई 2006 में एसकेओएल ब्रेवरीज लिमिटेड को नया संयोजन

निर्गत करके परवर्ती नियमितीकरण स्वयं पुष्टि करता है कि विद्यमान उपभोक्ता (शॉ वैलेस डिस्टिलर्स लिमिटेड) ने अनाधिकृत रूप से अपनी लाइन एसकेओएल को दिया।

प्रकरण, प्रबन्धन/सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.27 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी ने अपने स्वयं के निर्देश और वितरण संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में, 132/33 केवी उपस्थान से निकलने वाली ट्रंक लाइन टैप करके संयोजन निर्गत किया और उसके द्वारा उपभोक्ता को 65.91 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता-2002 (कोड) वाक्यांश 3.5 उपबन्ध करता है कि फरनेस, रोलिंग मिल्स और छोटे इस्तपात संयत्रों को छोड़कर, उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर स्वतंत्र फीडर से भार दिया जा सकता है और स्वतंत्र फीडर निर्माण के सभी आवश्यक प्रभार ('बे' और स्वतंत्र फीडर की लागत) उपभोक्ता द्वारा देय होंगे। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का मई 1994 का आदेश, उपभोक्ता को किसी भी परिस्थिति में संयोजन देने के लिए अपनी 33 केवी ट्रंक लाइन की टैपिंग का सख्ती से प्रतिषेध करता है।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-II, आगरा (खण्ड) की लेखा परीक्षा में देखा गया (नवम्बर 2005) कि 0.4 एवं 11 केवी सामान्य फीडर पर आपूर्ति लाइट, पंखे एवं पावर के तीन संयोजनों के सापेक्ष 1025 केवीए संयोजित भार वाले आगरा के एक उपभोक्ता (राधा स्वामी सत्संग, दयालबाग) ने, भार के समामेलन और 33/11 केवी उपकेन्द्र दयालबाग से निकलने वाले 11 केवी स्वतंत्र फीडर पर उपभोक्ता के परिसर में पावर आपूर्ति की व्यवस्था करने का अनुरोध (दिनांक सूचित नहीं) किया। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), लखनऊ के निदेशक (वितरण) द्वारा इस शर्त पर अनुमोदित किया गया (फरवरी 2003) कि संयोजन उपभोक्ता की लागत पर एक पृथक 'बे' और 11 केवी लाइन पर स्वतंत्र फीडर का निर्माण करके अवमुक्त किया जाएगा। यद्यपि, खण्ड ने उपरोक्त आदेशों के अनुसार प्राक्कलन तैयार नहीं किया, जिसके कारण कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका। 11 केवी आपूर्ति पर बार-बार ब्रेक डाउन से बचने तथा अधिक स्थाई आपूर्ति पाने के लिये, उपभोक्ता ने तदुपरान्त 11 केवी स्वतंत्र फीडर के बजाय 33 केवी स्वतंत्र फीडर पर समामेलित भार को अवमुक्त करने के लिये अनुरोध किया (दिसम्बर 2003)।

कम्पनी ने 65.91 लाख रुपये ('बे' की लागत: 19.15 लाख रुपये; 6 किमी 33 केवी लाइन: 44.98 लाख रुपये; मीटरिंग: 1.78 लाख रुपये) की लागत पर 33

केवी स्वतंत्र फीडर निर्माण करने के बजाय, प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत 512 केडब्ल्यू (कम्पनी पर प्रभारण योग्य) संस्वीकृत किया (मार्च 2004) और 132/33 केवी उपकेन्द्र से निकलने वाली 33 केवी ट्रंक लाइन को टैप करके 1.5 किमी डबल सर्किट 33 केवी लिंक लाइन कम्पनी की लागत (6.83 लाख रुपये) पर निर्मित करके संयोजन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान किया। तदनुसार, खण्ड ने 6.83 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया, कार्य निष्पादित किया गया तथा विद्यमान ट्रंक लाइन को टैप करके उपभोक्ता को 455 केडब्ल्यू भार अवमुक्त किया गया (अगस्त 2005)।

इस प्रकार, कम्पनी ने मई 1994 के आदेश के उल्लंघन में उपभोक्ता को (33 केवीए स्वतंत्र फीडर और प्रथक 'बे' का निर्माण न करने के कारण) न केवल 65.91 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया बल्कि विद्यमान ट्रंक लाइन टैप करके 1.5 किमी डबल सर्किट 33 केवी लिंक लाइन के निर्माण पर 6.83 लाख रुपये का परिहार्य व्यय भी किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) के जून 1980 के आदेश के दृष्टिकोण से यदि उपभोक्ता की श्रेणी अपरिवर्तित रहती है तो विद्यमान फीडर टैप करके आपूर्ति प्रदान की जा सकती है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ट्रंक लाइन को टैप करने को सख्ती से प्रतिबन्धित करने वाले मई 1994 में परिषद द्वारा जारी किया गया आदेश, जून 1980 के पूर्व आदेश को स्थानापन्न करता है।

प्रकरण, सरकार को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.28 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

विद्युत की चोरी के विरुद्ध कुल 43.15 लाख रुपये के शमन शुल्क प्रभार की वसूली न होने के कारण, कम्पनी ने उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया।

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 152(1) एवं (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड-2005 (कोड) का उपवाक्य 8 उपबन्ध करता है कि विद्युत चोरी के प्रकरण में दोषी उपभोक्ता आपराधिक प्रक्रिया कोड 1973 (1974 का 2) के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। यद्यपि, अपराधी आपराधिक कार्यवाही के स्थान पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/व्यक्तियों पर लागू विशिष्ट दरों (जैसे कृषि: 2000 रुपये प्रति एचपी; औद्योगिक: 20000 रुपये प्रति एचपी; वाणिज्यिक: 10000 रुपये प्रति केडब्ल्यू) से अपराध के संयोजन के लिए भुगतान कर सकता है।

विद्युत वितरण खण्ड-I, अलीगढ़ (खण्ड) की लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 2005) कि फरवरी से जून 2005 के दौरान डाले गये छापों में 32 उपभोक्ताओं (निजी नलकूप: 9, वाणिज्यिक प्रक्रिया: 6 और औद्योगिक प्रक्रिया: 17) कटिया के प्रयोग द्वारा निम्न तनाव वाली लाइन (एलटी) से सीधे आपूर्ति लेते हुए, विद्युत

चोरी में लिप्त पाये गये। पीटीडब्ल्यू और औद्योगिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में संयोजित भार 262 एचपी (पीटीडब्ल्यू: 67.5 एचपी और औद्योगिक: 194.5 एचपी) था और वाणिज्यिक प्रक्रिया उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 29 केडब्ल्यू था। इस प्रकार उपभोक्ताओं पर भारित किये जाने योग्य शमन शुल्क प्रभार का 43.15 लाख रुपये आंकलन किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा यह उद्धृत किये जाने पर, प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि 43.15 लाख रुपये के शमन शुल्क प्रभारों की वसूली के लिए खण्ड ने द्यूज रिकवरी एकट, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत मांग अधिसूचनायें जारी की हैं (अगस्त 2006); वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण, सरकार को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.29 राजस्व की हानि

प्रतिरक्षा संस्थापन उपभोक्ताओं के लिए शुल्क दर के गलत अनुप्रयोग के कारण कम्पनी ने कुल 57.46 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

प्रकाश, पंखा और पावर के लिए लागू, 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर सूची एलएमवी-4 (अ) प्रतिरक्षा संस्थापनों सहित जन संस्थानों के लिए ऊर्जा आपूर्ति आच्छादित करती है जिसके लिए प्रभार दर 75 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह नियत प्रभार के रूप में तथा ऊर्जा उपभोग के लिये 3.25 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच निश्चित की गई है।

विद्युत वितरण खण्ड-II, मथुरा (खण्ड) की लेखा परीक्षा में देखा गया (फरवरी 2006) कि गैरिसन इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मथुरा (उपभोक्ता) जिसका अनुबंधित भार 2975 केडब्ल्यू था, अपने प्रतिरक्षा संस्थापनों के लिए 33 केवी लाइन पर ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त कर रहा था तथा उसकी बिलिंग दर सूची एलएमवी 4अ के अन्तर्गत की जानी थी। यद्यपि, खण्ड ने फरवरी से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान उपभोक्ता की बिलिंग घरेलू बत्ती, पंखा और पावर श्रेणी के उपभोक्ता (नियत प्रभार 30 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह और ऊर्जा प्रभार 2.90 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच की दर से) पर लागू दर सूची एलएमवी-1 के अन्तर्गत निम्नतर दर पर की गई है। इस प्रकार, उक्त अवधि के दौरान शुल्क दर के गलत अनुप्रयोग के कारण 57.46 लाख रुपये की अल्प बिलिंग हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि खण्ड ने लेखा परीक्षा के इंगित करने पर 57.46 लाख रुपये का पूरक बिल पहले ही जारी कर दिये थे (मार्च 2006)। तथापि, वसूली प्रतीक्षित है क्योंकि उपभोक्ता ने शुल्क दर एलएमवी-4अ की अनुप्रयोज्यता के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में प्रार्थना पत्र दायर किया है।

izdj.k] ljdkj dks vizSy 2006 esa izfrofnr fd;k x;k(mRrj izrhf{kr gS ¼vDVwcj 2006½A

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

4.30 चूककर्ता इकाई के भौतिक कब्जा लेने में विफलता के कारण देयकों की वसूली न होना

चूककर्ता इकाई का भौतिक कब्जा लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 11.64 करोड़ रुपये के देयकों की वसूली नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) ने गिरी रिजोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (जीआरपीएल) को हरिद्वार में होटल स्थापित करने हेतु 52 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति (दिसम्बर 1987) तथा वितरित किया। तत्पश्चात्, जीपीआरएल के निवेदन पर, निगम ने होटल के निर्माण में कास्ट ओवररन को पूरा करने के लिए 28.50 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण भी स्वीकृत किया (जनवरी 1991)। इसके अतिरिक्त ऋण में से, निगम ने 1992-93 के दौरान मात्र 15.06 लाख रुपये वितरित किया तथा शेष राशि के ऋण को निरस्त कर दिया। ऋण, 84.56 लाख रुपये की होटल की भूमि, भवन तथा यंत्र-संयंत्र के रूप में उपलब्ध मूल प्रतिभूति के विरुद्ध वितरित किया गया।

यद्यपि होटल का संचालन 1990 से प्रारम्भ हो गया था, जीआरपीएल ऋण के वापसी में नियमित नहीं था। फलस्वरूप, यूपीएफसी ने, जीआरपीएल के निवेदन पर ऋण की वापसी पुनर्निर्धारित (जनवरी 1996) कर दी। जीआरपीएल द्वारा पुनरीक्षित भुगतान समय सारिणी को सम्मानित करने में विफल रहने के कारण निगम ने ऋण की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया (अप्रैल 1998) जो कि बाद में निगम द्वारा, अभिष्ट खरीददारों द्वारा पूछताछ प्राप्त होने के कारण, वापस (अक्टूबर 2001) ले लिया गया। निगम ने, राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत जीआरपीएल द्वारा अतिदेयों के 15 दिनों में भुगतान करने अन्यथा निगम द्वारा इकाई का कब्जा ले लिये जाने की नोटिस जारी किया (नवम्बर 2001)। व्यक्तिगत गारण्टी आहान के लिए निगम ने जीआरपीएल के प्रवर्तकों/गारण्टीकर्ताओं को नोटिस भेजा (अगस्त 2002) तथा प्रवर्तकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति से ऋण की वसूली के लिए कलेक्टर बिजनैर को वसूली प्रमाण पत्र भेजा (सितम्बर 2003) परन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक निदेशक के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया पर निर्गत (फरवरी 2004) स्थगन आदेश तथा नवम्बर 2003 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा व्यक्तिगत गिरफ्तारी पर निर्गत स्थगन आदेश के कारण अभी तक कोई वसूली प्रभावित नहीं हो सकी।

निगम के देहरादून क्षेत्र के लेखा परीक्षा के दौरान (जून 2005) यह देखा गया कि निगम ने जीआरपीएल के होटल की बिक्री के लिए, चूककर्ता इकाई का भौतिक कब्जा लिए बिना, 2001 से 2003 के दौरान विज्ञापन निर्गत किये थे (पिछला विज्ञापन नवम्बर 2003 में किया गया)। मालिक (ऋणी) द्वारा अभीष्ट क्रेताओं को होटल के अन्दर से देखने की अनुमति नहीं दी और इस तरह होटल क्रय के

प्रस्ताव मूर्तरूप नहीं हो सके। क्षेत्रीय कार्यालय ने होटल का भौतिक कब्जा लेने की अनुमति निगम मुख्यालय से मांगी थी (जनवरी 2002) जो अभी तक (अक्टूबर 2006) प्रदान नहीं की गई।

इस प्रकार, चूककर्ता इकाई का भौतिक कब्जा लेने में प्रबन्धन की विफलता के कारण मार्च 2006 तक के 11.64 करोड़ रुपये (मूलधन 0.58 करोड़ रुपये; ब्याज 11.06 करोड़ रुपये) के देयों की वसूली नहीं हो सकी।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (मई/अक्टूबर 2006) कि होटल का भौतिक कब्जा भारी सुरक्षा व्यय से बचने, किसी प्रस्ताव के हाथ में न होने तथा भवन के भौतिक अलगाव में समस्या के कारण नहीं लिया जा सका। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि होटल का भौतिक कब्जा लिए बिना प्रबन्धन होटल की बिक्री की स्थिति में नहीं होगा।

4.31 एक मुश्त समाधान में ऋणी को अनुचित लाभ

ओटीएस नीति के विपरीत सम्पत्तियों के वास्तविक प्राप्त मूल्य से कम पर ओटीएस के अनुमोदन के कारण निगम को 74 लाख रुपये की हानि हुई।

निगम ने अपनी निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों (एनपीए) के लिए चूककर्ता इकाइयों से समझौते की बातचीत करके समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) बनाई (अक्टूबर 2001)। अक्टूबर 2001 में पुनरीक्षित एवं मई 2005 तक प्रभावित ओटीएस नीति के अनुसार अप्रैल 1995 से मार्च 1997 के दौरान निर्दिष्ट स्थानों* पर स्थित इकाइयों को वितरित ऋण के लिए, जहाँ स्वीकृति ऋण राशि अथवा अदत्त मूलधन की राशि 25 लाख रुपये से अधिक थी, ओटीएस की राशि, बन्धक सम्पत्ति (प्राइम + कोलैटरल + अन्य) की वास्तविक प्राप्त मूल्य (आरआरवी) अथवा मैट्रिक्स मूल्य (अदत्त मूलधन + व्यय + अदत्त साधरण ब्याज का 80 प्रतिशत + कर) जो अधिक हो, के सममूल्य पर निर्धारित की जायेगी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जून 2005) कि निगम ने सावित्री ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), नोयडा स्थित एक निर्यात प्रोत्साहन इकाई को फिक्स ऐसेट्स टर्मलोन (एफएटीएल) तथा स्पेशल स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन (एसएसआर) के अन्तर्गत क्रमशः 60 लाख रुपये (दिसम्बर 1994) तथा 20.15 लाख रुपये (मार्च 1997) के दो ऋण स्वीकृति किये। ऋण, 1.46 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि एवं भवन, यंत्र एवं संयंत्र के बन्धक से सुरक्षित था। निगम ने 77.32 लाख रुपये (एफएटीएल 57.17 लाख रुपये तथा एसएसआर 20.15 लाख रुपये) एसओएल को वितरित किया (अप्रैल 1996 तथा मार्च 1997)। नवम्बर 1999 से ही एसओएल ने देयों की वापसी में चूक करना प्रारम्भ कर दिया। निगम ने एसओएल को इकाई के अधिग्रहण के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के

* नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाजियाबाद शहर, कानपुर शहर, आगरा शहर, देहरादून शहर तथा लखनऊ शहर।

अन्तर्गत नोटिस जारी किया (नवम्बर 1999)। प्रवर्तकों एवं निदेशकों के विरुद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाणपत्र (पीआरसी) भी जारी (मार्च 2004) किया गया परन्तु वह भी राजस्व प्राधिकारियों के इस टिप्पणी के साथ कि पीआरसी पर व्यक्तिगत सम्पत्तियों का विवरण अंकित नहीं है, वापस लौट आई (मार्च 2004)। 20 अप्रैल 2004 को निगम के मुख्यालय द्वारा एसओएल की सम्पत्तियों का कब्जा लेने की अनुमति प्रदान की। इकाई का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए निगम ने 3 मई 2004 तक के समय की अनुमति प्रदान की। इसी बीच में, 30 अप्रैल 2004 को एसओएल दिल्ली उच्च न्यायालय के पास पहुँच गया तथा एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत वसूली के विरुद्ध स्थगन प्राप्त किया।

अक्टूबर 2003 में एसओएल द्वारा, एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अन्तर्गत बकाया मूलधन पर समझौता करने के लिए किये गये लम्बित आवेदन को संज्ञान में लेते हुये, निगम ने 1.63 करोड़ रुपये जोकि आरआरवी (1.21 करोड़ रुपये) तथा मैट्रिक्स मूल्य (1.07 करोड़ रुपये) से अधिक थी, के ओटीएस को अनुमोदित किया (अगस्त 2004)। एसओएल ने सम्पत्तियों के अधिक मूल्यांकन के कारण ओटीएस को सम्मान नहीं दिया, फलस्वरूप निगम द्वारा ओटीएस को निरस्त (सितम्बर 2004) कर दिया गया। तत्पश्चात् निगम ने आरआरवी (2.11 करोड़ रुपये) तथा मैट्रिक्स मूल्य (1.20 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 1.37 करोड़ रुपये के लिए नया ओटीएस प्रस्तावित किया (मई 2005) जिसे एसओएल द्वारा स्वीकार किया गया तथा भुगतान कर दिया गया (सितम्बर तथा अक्टूबर 2005)।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जून 2005) कि एसओएल के पक्ष में निगम द्वारा 1.37 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदित ओटीएस (मई 2005) उसकी अपनी ओटीएस नीति के विरुद्ध था जोकि प्रावधानित करती है कि समझौता, सम्पत्तियों के मूल्य के सापेक्ष होना चाहिए तथा ओटीएस की धनराशि किसी भी दशा में सम्पत्तियों की आरआरवी अर्थात् इस मामले में 2.11 करोड़ रुपये, से कम नहीं होनी चाहिए थी।

सम्पत्तियों की आरआरवी को संज्ञान में लिए बिना, उपरोक्त मामले में, ओटीएस अनुमोदन के परिणामस्वरूप, निगम को 74 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जुलाई/अक्टूबर 2006) कि ओटीएस को पुनरीक्षित किया गया क्योंकि यह मैट्रिक्स के ऊपर था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ओटीएस नीति में स्पष्ट है कि ओटीएस की धनराशि सम्पत्तियों की आरआरवी से कम नहीं होनी चाहिए।

4.32 ब्रोकरेज तथा अन्डरराइटिंग कमीशन का अस्वीकार्य भुगतान

आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निगम ने अभिदाता बैंकों से समझौता निष्पादित किये बिना कुल 82.79 लाख रुपये के ब्रोकरेज तथा अन्डरराइटिंग कमीशन का अस्वीकार्य भुगतान किया।

दि स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया (एसआईडीबीआई) ने, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सहमति से, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (निगम) द्वारा

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बाण्ड के निर्गमन का नियतांश आवंटित किया। एसएलआर बाण्ड के निर्गमन की शर्तें, अन्य विषयों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि ब्रोकरेज तथा अन्डरराईटिंग कमीशन का भुगतान मई 1975 में आरबीआई द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों तथा तत्पश्चात् जून 1981 एवं जून 1988 में निर्गत स्पष्टीकरणों के अनुसार किया जायेगा। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 12 पैसे तथा 38 पैसे क्रमशः प्रति 100 रुपये से अधिक नहीं, ब्रोकरेज तथा अन्डरराईटिंग कमीशन का भुगतान देय होगा बशर्ते अन्डरराईटिंग तथा ब्रोकिंग सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में बाण्ड निर्गतकर्ता निगम का बैंक एवं अन्य संस्थानों से इस तरह का समझौता निष्पादित हुआ हो। आरबीआई दिशानिर्देशों (जून 1981) में आगे प्रावधानित है कि ब्रोकरेज एवं अन्डरराईटिंग कमीशन के भुगतान के सम्बन्ध बाध्यता मात्र प्रास्पेक्टस में घोषणा से उत्पन्न नहीं हो जाती बल्कि बाण्ड निर्गतकर्ता निगम तथा अन्डरराईटिंग बैंक के मध्य समझौते के निष्पादन से होती है।

अभिलेखों की लेखा परीक्षा जाँच (मई 2005) से प्रकट हुआ कि एसआईडीबीआई ने 2000-01 से 2002-03 के दौरान बाजार में निर्गमन के लिए 277.23 करोड़ रुपये के मूल्य के एसएलआर बाण्डों का नियतांश आवंटित किया। निगम ने अन्डरराईटिंग तथा ब्रोकरेज सेवाओं के लिए न तो किसी बैंक/संस्था को नियुक्त किया था न ही किसी बैंक के साथ इसमें कोई समझौता निष्पादित किया था। इन बाण्डों के पूर्ण पूर्व क्रय के लिए, निगम ने सम्भावित बैंकों/संस्थानों से अंशदान हेतु सीधे सम्पर्क किया। निगम को एसएलआर बाण्डों के लिए बैंकों द्वारा 165.58 करोड़ रुपये का अभिदान प्राप्त हुआ तथा निगम ने अभिदाता बैंकों को ब्रोकरेज तथा अन्डरराईटिंग कमीशन के लिए क्रमशः 19.87 लाख रुपये तथा 62.92 लाख रुपये का भुगतान किया। इस प्रकार निगम ने, आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अभिदाता बैंकों को कुल 82.79 लाख रुपये के अस्वीकार्य ब्रोकरेज एवं अन्डरराईटिंग कमीशन का भुगतान किया।

प्रबन्धन/शासन ने बताया (जुलाई/सितम्बर 2006) कि निगम ने बैंकों को ब्रोकरेज का भुगतान उनके द्वारा वास्तविक अभिदान की पुष्टिकरण के पश्चात् ही किया गया जो कि पूर्व प्रथा एवं आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार था। प्रबन्धन ने आगे कहा कि बैंक ने निगम के प्रस्ताव को स्वीकार करके, उनके साथ अन्तर्निहित रूप से समझौता कर लिया तथा बैंक द्वारा प्रस्तावित/तयशुदा धनराशि के अभिदान के पश्चात् निगम ने संबन्धित बैंकों को अन्डरराईटिंग कमीशन अवमुक्त किया। प्रबन्धन/शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरबीआई बैंक दिशानिर्देशों (जून 1981) की शर्तों के अनुसार ब्रोकरेज एवं अन्डरराईटिंग कमीशन के भुगतान की बाध्यता मात्र बैंक द्वारा निर्गमन के लिए एक निष्पादित समझौते से उत्पन्न होगी। उल्लिखित मामले में, निगम ने अभिदाता बैंक को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव किया था और इसलिए, ब्रोकरेज तथा अन्डरराईटिंग कमीशन के 82.79 लाख रुपये का भुगतान अस्वीकार्य था।

सामान्य

4.33 वित्तीय विवरणों को बनाने में लेखाकरण मानकों का सतत् अपालन

लेखाकरण मानक (एएस), इन्सीट्यूट्स आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया द्वारा संस्तुति तथा केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210ए के अन्तर्गत लेखाकरण मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से निर्धारित स्वीकार्य लेखाकरण के मानक हैं। एएस को प्रवर्तित करने का उद्देश्य कम्पनी द्वारा मानक लेखाकरण प्रथाओं के अंगीकरण को सरल बनाना था जिससे तैयार वार्षिक लेखे में लेनदेनों का सही एवं सच्चा दृश्य प्रदर्शित हो तथा कम्पनियों के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में समाहित सूचनाओं की तुलनात्मकता को भी सरल किया जा सके। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3ए) के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी को एएस के अनुसार वित्तीय विवरणों (लाभ-हानि खाता एवं तुलन-पत्र) को तैयार करना अनिवार्य है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 227 (3) (डी) के अन्तर्गत कम्पनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों का यह प्रतिवेदित करने का दायित्व है कि क्या लाभ-हानि खाता तथा तुलन-पत्र में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संर्दभित एएस को लागू किया है। 14 चुनी हुई कम्पनियों के वित्तीय विवरणों तथा उन पर वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों की समीक्षा से एक से छः तक के लेखाकरण मानकों का अपालन, जैसा कि परिशिष्ट 30 में बयोरेबार है, प्रकट हुआ।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि:

- 14 कम्पनियों में से जिन्होंने मार्च 2006 तक अपने गतवर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण किया था, 10* कम्पनियों ने एएस-2 जो रहतिया के मूल्य, जबतक सम्बन्धित आय प्राप्त न हो जाये, जिस पर उसे वित्तीय विवरणों में दिखाना है, के निर्धारण से संबन्धित है तथा प्रावधानित करता है कि रहतिये का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य जो कम हो पर किया जायेगा, का पालन नहीं किया।
- पॉच** कम्पनियों ने एएस-15, जो कर्मचारियों के सेवा निवृत्त लाभों (यथा भविष्य निधि, पेशन, उपदान तथा अवकाश नगदीकरण आदि) के लेखांकन से संबन्धित है और प्रावधान करता है कि नियोक्ता द्वारा सेवा निवृत्त लाभों के लिए देय अंशदान को एक्रूवत के आधार पर वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित कर दिया जाये तथा देय दायित्व की गणना एकचूरियल मूल्यांकन के आधार पर की जाये, का उल्लंघन किया।

* परिशिष्ट की क्रम संख्या 1,2,3,4,6,7,11,12,13 तथा 14।

** परिशिष्ट की क्रम संख्या 2,4,9,10 तथा 12।

- चार कम्पनियों* ने एएस-9 जो आय पहचान से सम्बन्धित है का सतत निरादर किया।
- तीन कम्पनियों** ने एएस-12 जो शासकीय अनुदान, जो चाहे पूँजी या आय से संबन्धित हो, के लेखांकन से सम्बन्धित है का सतत निरादर किया।

प्रकरण, शासन को जून 2006 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

4.34 राज्य विधायिका के समक्ष सरकारी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (3), जहाँ राज्य सरकार कम्पनी का एक सदस्य है, के अनुसार राज्य सरकार के कम्पनी के व्यवसाय एवं कार्यकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपूरक या टिप्पणी के साथ, कम्पनी की वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) जिसमें लेखे अंगीकृत हुये हों, के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए। राज्य विधायिका के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण, उसे एक सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार मुख्य अंशदाता है के निष्पादन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

सम्बन्धित अभिलेखों का लेखा परीक्षा जॉच में प्रकट हुआ कि अधिकतर कम्पनियों की वार्षिक प्रतिवेदन या तो प्रस्तुत नहीं हुये या एजीएम के आयोजन के पश्चात् देरी से प्रस्तुत हुये। 31 मार्च 2006 को 48 सरकारी कार्यरत कम्पनियों में से, 26 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

- दो कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों के (परिशिष्ट 31 के क्रम संख्या 1 (बी से ई) तथा 2(जी), राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में 5 से 19 माह तक का विलम्ब हुआ।
- पाँच कम्पनियों (परिशिष्ट के क्रम संख्या 1(ए), 2(ई तथा एफ), 3 (ए), 4 (डी तथा ई) तथा 5 (ई)) ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को एक से 74 माह के मध्य विलम्ब से प्रस्तुत किया। यह सूचना, कि क्या इन वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, शासन से अभी तक (अक्टूबर 2006) प्रतीक्षित है।
- इक्कीस (परिशिष्ट के क्रम संख्या 1,2,3,4, तथा 5 पर कम्पनियों के अतिरिक्त) सरकारी कम्पनियों, जिन्होंने गत तीन से पाँच वर्षों के अपने लेखों का अन्तिमीकरण किया जैसा कि परिशिष्ट में दिखाया गया, ने

* परिशिष्ट की क्रम संख्या 3,5,9 तथा 12।

** परिशिष्ट की क्रम संख्या 1,2 तथा 8।

अपनी वार्षिक प्रतिवेदन शासन को अभी तक पेश नहीं किया था। विलम्ब एक से 135 माह* के मध्य हुआ। फलस्वरूप, इन कम्पनियों की वार्षिक प्रतिवेदन अक्टूबर 2006 तक भी राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रतिवेदन के अप्रस्तुतीकरण का कारण, जैसा कि कम्पनियों ने बताया, मुख्यतः प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण के लिए राज्य सरकार से निर्देशों का प्राप्त न होना, हिन्दी अनुवाद में विलम्ब तथा हिन्दी वार्षिक प्रतिवेदन की छपाई में विलम्ब आदि है।

प्रकरण, अगस्त 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

4.35 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों व विभागों में रखे गये खातों एवं प्रामिक निरीक्षण में शुरू हुई जाँच प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित व समय से प्राप्त उत्तर को उल्लिखित करे।

वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-05 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः अगस्त 2002, सितम्बर 2003, जुलाई 2004, जुलाई 2005 और मार्च 2006 में रखे गये थे। 22 विभागों के अन्तर्गत पीएसयू से सम्बन्धित 180 प्रस्तरों/समीक्षायें वर्ष 2000-01 से 2004-05 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किये गये थे। 91 प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर 30 सितम्बर 2006 तक शासन से नहीं प्राप्त हुये जैसा कि नीचे इंगित किया गया:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कुल प्रस्तर/समीक्षा	सम्बन्धित विभागों की संख्या	प्रस्तर/समीक्षा की संख्या जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुये
2000-2001	39	12	8
2001-2002	38	9	17
2002-2003	42	10	15
2003-2004	30	10	25
2004-2005	31	8	26
योग	180		91

विभागवार विश्लेषण परिशिष्ट-32 में दिया गया है। मुख्यतः ऊर्जा और उद्योग एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर न भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

* वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधायिका को प्रस्तुत करने की तिथि से बणना क्रमांक संख्या 5 (ई) कालम नं० ५।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का बकाया अनुपालन

4.36 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1995-96 से 2004-05, में 372 प्रस्तर तथा 50 समीक्षायें शामिल की गयीं; इनमें से 30 सितम्बर 2006 तक 138 प्रस्तर तथा 19 समीक्षाओं पर कोपू ने चर्चा की। 1995-96 से 2000-01 वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 51 प्रस्तरों तथा दो समीक्षाओं के सम्बन्ध में कोपू ने संस्तुतियाँ की थीं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1996-97 में सम्मिलित प्रस्तर से सम्बन्धित कोपू की केवल एक संस्तुति पर विभाग का उत्तर/अनुसरण कार्यवाही प्राप्त हुई है (सितम्बर 2006)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निरन्तर अनियमितताओं पर की गयी कार्यवाही

4.37 कोपू द्वारा सतत प्रकृति की अनियमितताओं की चर्चा में सहायता व सुगमता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखा परीक्षित संगठन द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का एक अभ्यास किया गया। सरकारी कम्पनियों के बारे में उसके परिणाम परिशिष्ट-33 में और वैधानिक निगमों के उसके परिणाम परिशिष्ट-34 में दिये गये हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और समीक्षाओं के बारे में प्रतिक्रिया

4.38 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित नहीं हो पाये लेखा परीक्षा अवलोकनों को राज्य सरकार के पीएसयू के प्रमुखों तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। पीएसयू के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से, छः सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। मार्च 2006 तक 61 उपक्रमों से सम्बन्धित निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह संज्ञान में आया कि 2,794 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 9,290 प्रस्तरों, सितम्बर 2006 के अन्त तक, अनिस्तारित रहे; इनमें से 2,986 प्रस्तर सन्निहित 833 निरीक्षण प्रतिवेदन पॉच वर्ष से अधिक समय से अनुत्तरित रहे। 30 सितम्बर 2006 के अन्त तक, विभाग बार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा अवलोकनों का विश्लेषण परिशिष्ट-35 में दिया गया है।

इसी प्रकार, ड्राफ्ट प्रस्तर और पीएसयू के क्रियाकलापों पर समीक्षाओं को, प्रमुख सचिव, वित्त और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि तथा उन पर अपनी टिप्पणियाँ छः सप्ताह के अन्दर मांगते हुए अर्द्धशासकीय पत्रों के द्वारा अग्रसारित किया जाता है। मार्च से अक्टूबर 2006 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 39 ड्राफ्ट प्रस्तर तथा छः ड्राफ्ट निष्पादन समीक्षाओं में से 31 ड्राफ्ट प्रस्तरों और पॉच समीक्षाओं पर अब तक (अक्टूबर 2006) शासन द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि परिशिष्ट-36 में विवरण दिया गया है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में हो, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही के उत्तर निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं दे पायें हैं, (ब) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हानि/बकाये अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही, और (स) लेखा परीक्षा आपित्यों के उत्तर देने की प्रणाली को नवीनीकृत कर दिया गया है।

(बीरेन्द्र कुमार)

महालेखाकार

(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक

परिशिष्ट-1

**सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2006 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं
बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.4, 1.5, 1.6 व 1.19 में संदर्भित)**

{स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं}

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को और डैश शून्य राशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण	वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण*	2005-06 की समाप्ति पर बकाया ऋण**			2005-06 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(थ)	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	3667.17 (-)	332.83 (-)	- (-)	- (-)	4000.00 (-)	-	2750.00 -	-	500.00 -	-	500.00 0.13:1 (0.13:1)	
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (-)	- (-)	- (-)	13.18 (1.23)	63.68 (1.23)	-	-	-	-	-	-	- (-)
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30 (-)	- (-)	- (-)	8.22 (1.97)	23.52 (1.97)	-	-	-	-	-	-	- (-)
4.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	540.00 (-)	100.00 (-)	- (-)	- (-)	640.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
5.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	150.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	150.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	107.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	125.00 (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	192.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (2.60:1)
	क्षेत्रवार योग	4654.97 (-)	432.83 (-)	- (-)	88.40 (3.20)	5176.20 (3.20)	-	2750.00 -	-	500.00 -	-	500.00 0.1:1 (0.19:1)	
	उद्घोग												
8.	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	596.05 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	596.05 (-)	-	-	267.38	631.51	392.38	1023.89	1.72:1 (1.72:1)

* बाण्ड, ऋणपत्र, अन्तर-निगम जमा शामिल है।

** 2005-06 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेवर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	573.94 (-)	- (-)	- (-)	-	573.94 (-)	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)
10.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	76.25 (-)	- (-)	76.25 (-)	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.61:1)
	क्षेत्रवार योग	1169.99 (-)	- (-)	76.25 (-)	- (-)	1246.24 (-)	-	-	267.38	905.41	432.38	1337.79	1.07:1 (2.51:1)
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
11.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	8765.98 (556.26)	- (-)	- (-)	- (-)	8765.98 (556.26)	-	432.00	-	8477.89	-	8477.89	0.91:1 (0.85:1)
12.	अपट्रान पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	407.00 (-)	- (-)	407.00 (-)	-	-	300.00	-	320.00	320.00	0.79:1 (0.05:1)
13.	श्रीटान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	671.08 (-)	50.63 (-)	721.71 (-)	-	-	-	263.44	-	263.44	0.36:1 (0.36:1)
14.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	- (-)	5792.51 (-)	-	-	-	-	970.00	970.00	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	8765.98 (556.26)	- (-)	6870.59 (-)	50.63 (-)	15687.20 (556.26)	-	432.00	300.00	8741.33	1290.00	10031.33	0.62:1 (0.36:1)
	वस्त्र												
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	3190.52 (2176.00)	- (-)	- (-)	- (-)	3190.52 (2176.00)	-	1848.72	-	2624.96	150.00	2774.96	0.52:1 (0.40:1)
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	9324.43 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	9324.43 (-)	-	2606.35	-	3206.52	-	3206.52	0.34:1 (0.07:1)
	क्षेत्रवार योग	12514.95 (2176.00)	- (-)	- (-)	- (-)	12514.95 (2176.00)	-	4455.07	-	5831.48	150.00	5981.48	0.41:1 (0.42:1)
	हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट्स												
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	2220.44	-	9727.16	-	9727.16	2.07:1 (1.70:1)
	क्षेत्रवार योग	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	2220.44	-	9727.16	-	9727.16	2.07:1 (1.70:1)
	निर्माण												
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	1000.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1000.00 (-)	-	-	-	14.61	-	14.61	0.01:1 (2.70:1)
19.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
20.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	300.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	क्षेत्रवार योग	1400.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1400.00 (-)	-	-	-	14.61	-	14.61	0.01:1 (1.93:1)
	आर्थिक रूप से कमज़ोर चर्चा का विकास												
21.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	8689.31 (-)	7825.68 (-)	-	-	16514.99 (-)	500.00	-	932.77	-	7094.29	7094.29	0.43:1 (0.52:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
22.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
23.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	910.00 (357.82)	- (-)	- (-)	- (-)	910.00 (357.82)	-	320.00	1840.06	320.00	4084.83	4404.83	3.47:1 (1.68:1)
	क्षेत्रवार योग	9614.31 (357.82)	7825.68 (-)	- (-)	- (-)	17439.99 (357.82)	500.00	320.00	2772.83	320.00	11179.12	11499.12	0.65:1 (0.61:1)
	सार्वजनिक वितरण												
24.	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडीज कारपोरेशन लिमिटेड	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1347.05	-	1347.05	2.45:1 (2.45:1)
	क्षेत्रवार योग	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1347.05	-	1347.05	2.45:1 (2.45:1)
	चीनी												
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	93961.46 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	93961.46 (-)	-	-	-	3375.81	-	3375.81	0.04:1 (0.05:1)
26.	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3618.28 (-)	- (-)	3618.28 (-)	-	-	-	400.00	31.85	431.85	0.12:1 (0.12:1)
27.	नन्दगांज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3404.05 (-)	- (-)	3404.05 (-)	-	-	-	-	2944.80	2944.80	0.87:1 (0.87:1)
28.	धाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	879.85 (-)	15.00 (-)	894.85 (-)	-	-	857.47	-	4066.81	4066.81	4.54:1 (3.59:1)
29.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	843.70 (54459.42)	-	843.70 (54459.42)	-	108.71	-	2043.99	-	2043.99	0.04.1 (0.02:1)
	क्षेत्रवार योग	93961.46	- (-)	8745.88 (54459.42)	15.00 (-)	102722.34 (54459.42)	-	108.71	857.47	5819.80	7043.46	12863.26	0.08:1 (0.08:1)
	पर्यटन												
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रॉफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1512.53 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1512.53 (-)	-	-	-	4.45	-	4.45	0.003:1 (0.003:1)
	क्षेत्रवार योग	1512.53 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1512.53 (-)	-	-	-	4.45	-	4.45	0.003:1 (0.003:1)
	विद्युत												
31.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	249480.62 (2900.00)	- (-)	- (-)	- (-)	249480.62 (2900.00)	5536.00	-	44439.05	21663.10	210371.52	232034.62	0.92:1 (1.04:1)
32.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	39394.44 (1050.00)	- (-)	- (-)	- (-)	39394.44 (1050.00)	1050.00	-	-	6465.00	-	6465.00	0.16:1 (0.17:1)
33.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	470744.89 (698450.13)	- (-)	- (-)	0.07 (-)	470744.96 (698450.13)	35000.00	-	192500.00	9971.00	82432.00	92403.00	0.08:1 (0.05:1)
34.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.07 (-)	- (-)	5999.93 (-)	- (-)	6000.00 (-)	-	-	3026.97	-	14026.97	14026.97	2.34:1 (1.83:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
35.	यू०पी०एस०आई०डी०सी० पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.07 (-)	- (-)	5.07 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
36.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	34619.00 (2382.90)	- (-)	34619.00 (2382.90)	-	25000.00	-	5386.54	35971.44	41357.98	1.12:1 (1.47:1)
37.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	15548.00 (3537.47)	- (-)	15548.00 (3537.47)	-	9558.00	47067.65	10058.00	3267.54	13325.54	0.70:1 (3.25:1)
38.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	54005.00 (1990.36)	- (-)	54005.00 (1990.36)	-	-	-	9600.00	66415.00	76015.00	1.36:1 (1.41:1)
39.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	11520.00 (5020.84)	- (-)	11520.00 (5020.84)	-	-	58107.00	375.00	97188.00	97563.00	5.90:1 (3.43:1)
	क्षेत्रवार योग	759620.02 (702400.13)	- (-)	121697.00 (12931.57)	0.07 (-)	881317.09 (715331.70)	41586.00	34558.00	345140.67	63518.64	509672.47	573191.11	0.36:1 (0.34:1)
	डग्स केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स												
40.	उत्तर प्रदेश डग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	55.93 (-)	- (-)	- (-)	53.73 (-)	109.66 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	क्षेत्रवार योग	55.93 (-)	- (-)	- (-)	53.73 (-)	109.66 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	वित्तान्वयण												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2407.51 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2407.51 (-)	-	-	-	1311.33	285.00	1596.33	0.66:1 (1.39:1)
42.	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	13557.50 (-)	-	5988.00	-	1750.00	43862.23	45612.23	3.36:1 (3.76:1)
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2999.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2999.95 (-)	-	45.00	1820.61	752.00	8268.37	9020.37	3.01:1 (2.39:1)
	क्षेत्रवार योग	16464.96 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	18964.96 (-)	-	6033.00	1820.61	3813.33	52415.60	56228.93	2.96:1 (3.34:1)
	विविध												
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	634.27 (-)	90.00 (-)	- (-)	- (-)	724.27 (-)	-	21.00	-	743.68	-	743.68	1.03:1 (1.00:1)
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
46.	उत्तर प्रदेश बक्फ विकास निगम लिमिटेड	350.00 (200.00)	- (-)	- (-)	- (-)	350.00 (200.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	471.00 (-)	48.03 (-)	- (-)	- (-)	519.03 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	42.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	1597.81 (200.00)	138.03 (-)	- (-)	- (-)	1735.84 (200.00)	-	21.00	-	743.68	-	743.68	0.38:1 (0.42:1)
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	915477.40 (705740.60)	9459.49 (-)	137389.72 (67390.99)	2707.83 (3.20)	1065034.44 (773134.79)	42086.00	50898.22	351158.96	101286.94	582183.03	683469.97	0.37:1 (0.36:1)
	ब. कार्यरत सांविधिक निगम												
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49	6001.46	-	-	31212.95	-	-	9364.81	347.00	20829.78	21176.78	0.68:1 (0.59:1)
	क्षेत्रवार योग	25211.49	6001.46	-	-	31212.95	-	-	9364.81	347.00	20829.78	21176.78	0.68:1 (0.59:1)
	वित्तपोषण												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	11450.78	-	-	6477.68	17928.46	-	3000.00	3703.98	3000.00	97832.17	100832.17	5.62:1 (5.78:1)
	क्षेत्रवार योग	11450.78	-	-	6477.68	17928.46	-	3000.00	3703.98	3000.00	97832.17	100832.17	5.62:1 (5.78:1)
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डारण निगम	558.25 (220.70)	558.25 (-)	- (-)	- (-)	1116.50 (220.70)	-	-	-	-	5545.12	5545.12	4.15:1 (7.63:1)
	क्षेत्रवार योग	558.25 (220.70)	558.25 (-)	- (-)	- (-)	1116.50 (220.70)	-	-	-	-	5545.12	5545.12	4.15:1 (7.63:1)
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12331.07	644.14	12975.21 - (-)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.05	-	165.05 - (-)
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12496.12	644.14	13140.26
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	37220.52 (220.70)	6559.71 (-)	- (-)	6477.68 (-)	50257.91 (220.70)	-	3000.00	13068.79	15843.12	124851.21	140694.33	2.79:1 (2.88:1)
	कुल योग (अ+ब)	952697.92 (705961.30)	16019.20 (-)	137389.72 (67390.99)	9185.41 (3.20)	1115292.35 (773355.49)	42086.00	53898.22	364227.75	117130.06	707034.24	824164.30	0.44:1 (0.42:1)
	स. अकार्यरत कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.85 (-)	63.00 (-)	- (-)	- (-)	272.85 (-)	-	10.00	11.00	71.11	-	71.11	0.26:1 (0.22:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (-)	- (-)	- (-)	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	-	-	169.70	-	169.70	5.46:1 (5.46:1)
3-	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25 (-)	- (-)	- (-)	32.95 (0.21)	71.20 (0.21)	-	-	-	654.87	-	654.87	9.17:1 (-)
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	640.68 (-)	- (-)	- (-)	64.25 (-)	704.93 (-)	-	-	-	122.48	-	122.48	0.17:1 (0.17:1)
5.	उत्तर प्रदेश पौल्दी एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	- (-)	- (-)	50.00 (243.50)	-	-	-	109.75	-	109.75	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	955.51 (121.75)	69.00 (121.75)	- (-)	105.31 (0.43)	1129.82 (243.93)	-	10.00	11.00	1127.91	-	1127.91	0.82:1 (0.81:1)
	उद्योग												
6.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06 (-)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	5.61 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.63 (-)	- (-)	1.63 (-)	-	-	-	-	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
8.	आगरे ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59 (-)	- (-)	- (-)	187.41 (-)	750.00 (-)	-	-	-	37.50	-	37.50	0.05:1 (0.05:1)
9.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	-	-	554.62	1149.26	1703.88	8.43:1 (8.43:1)
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	527.86 (-)	10.00 (-)	- (-)	- (-)	537.86 (-)	-	-	-	194.23	-	194.23	0.36:1 (0.36:1)
11.	कॉन्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2921.72 (-)	1702.23 (-)	4623.95	-	-	-	-	13885.08	13885.08	3.00:1 (3.00:1)
12.	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	4.85 (-)	- (-)	4.85 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
13.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	183.16 (-)	- (-)	183.16 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	1093.51 (-)	10.00 (-)	3289.08 (-)	1907.69 (9.00)	6300.28 (9.00)	-	-	-	786.35	15037.34	15823.69	2.51:1 (2.51:1)
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
14.	अपटान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	- (-)	2.55 (-)	-	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
15.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.25 (-)	- (-)	5.25 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	- (-)	- (-)	7.80 (-)	- (-)	7.80 (-)	-	-	-	-	2.77	2.77	0.36:1 (0.36:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(च)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(च)	4(र)	5
	वस्त्र												
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4332.00)	- (-)	- (-)	- (-)	16079.37 (4332.00)	-	599.92	-	9544.92	-	9544.92	0.47:1 (0.43:1)
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20 (-)	- (-)	26.00 (-)	- (-)	42.20 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
18.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	375.54 (-)	- (-)	375.54 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	क्षेत्रवार योग	16095.57 (4332.00)	- (-)	401.54 (-)	- (-)	16497.11 (4332.00)	-	599.92	-	9544.92	-	9544.92	0.46:1 (0.42:1)
	खनन												
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	5640.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5640.48 (-)	-	-	-	1949.61	-	1949.61	0.35:1 (0.35:1)
20.	विन्ध्याचल अंत्रोसिक्यु लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	7.60 (-)	-	-	-	-	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	5640.48 (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	5648.08 (-)	-	-	-	1949.61	84.42	2034.03	0.36:1 (0.36:1)
	क्षेत्र विकास												
21.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	123.30 (-)	-	1.00	-	5.00	-	5.00	0.04:1 (0.04:1)
22.	उत्तर प्रदेश पूर्वाचल विकास निगम लिमिटेड	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	129.80 (-)	-	-	-	35.00	-	35.00	0.27:1 (0.27:1)
23.	बुन्देलखण्ड कंकोट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.22 (-)	- (-)	1.22 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
24.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	-	-	-	65.93	-	65.93	0.98:1 (0.98:1)
25.	बेरली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	125.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
26.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	85.79	-	85.79	1.22:1 (1.22:1)
27.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.05:1 (0.05:1)
28.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56 (-)	- (-)	- (-)	32.47 (-)	126.03 (-)	-	-	-	88.24	-	88.24	0.70:1 (0.70:1)
29.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	(-)
30.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	30.00	-	30.00	0.43:1 (0.43:1)
31.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25.00 (-)	-	-	-	64.60	-	64.60	2.58:1 (2.58:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
32.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	46.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	949.66 (-)	- (-)	1.22 (-)	32.47 (-)	983.35 (-)	-	1.00	-	379.56	-	379.56	0.39:1 (0.39:1)
	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का विकास												
33.	तराइ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	सीमेण्ट												
34.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	इग्स, केमिकल्स एवं फार्मास्ट्रूटिकल्स												
35.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75 (-)	- (-)	- (-)	3.27 (-)	22.02 (-)	-	-	-	533.00	-	533.00	24.21:1 (24.21:1)
36.	उत्तर प्रदेश काबाईंड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	658.73 (-)	- (-)	658.73 (-)	-	-	-	1102.00	-	1102.00	1.67:1 (1.67:1)
	क्षेत्रवार योग	18.75 (-)	- (-)	658.73 (-)	3.27 (-)	680.75 (-)	-	-	-	1635.00	-	1635.00	2.40:1 (2.40:1)
	वित्त घोषण												
37.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77 (-)	- (-)	- (-)	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
38.	अपलीज फाइबर्सियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	5.87 (-)	105.87 (-)	-	-	-	-	414.76	414.76	3.92:1 (3.92:1)
	क्षेत्रवार योग	77.77 (-)	- (-)	100.00 (-)	71.55 (-)	249.32 (-)	-	-	-	-	414.76	414.76	1.66:1 (1.66:1)
	विविध												
39.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.22 (-)	- (-)	- (-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	-	-	247.00	-	247.00	0.30:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	818.22 (-)	- (-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	-	-	-	247.00	-	247.00	0.30:1 (0.37:1)
	कुल योग (स)	32522.47 (4453.75)	79.00 (121.75)	4462.10 (-)	2124.36 (9.43)	39187.93 (4584.93)	-	610.92	11.00	28271.87	15539.29	43811.16	1.0:1 (0.98:1)
	कुल योग (अ+ब+स)	985220.39 (710415.05)	16098.20 (121.75)	141851.82 (67390.99)	11309.87 (12.63)	1154480.28* (777940.42)	42086.00	54509.14	364238.75	145401.93	722573.53	867975.46	0.45:1 (0.44:1)

टिप्पणी: उन कम्पनियों को छोड़कर, जिन्हें वर्ष 2005-2006 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (क्रम सं ३-2, 3, 12, 13, 35 एवं ब-2) आंकड़े अनन्तिम हैं और जैसे कम्पनी/निगमों द्वारा दिये गये हैं।

* राज्य सरकार का निवेश 18,410.37 करोड़ रूपये (अन्य: 9,593.59 करोड़ रूपये) था। वित्त लेखा 2005-06 के अनुसार यह 19,978.48 करोड़ रूपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-2

**सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.21 व 1.22 में सन्दर्भित)**

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं०	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	लेखारेक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पैंची	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पैंची (अ)	नियोजित पैंची पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पैंची पर कुल प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	आवर्त	ग्रम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
कृषि एवं समवर्गीय															
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एण्ड इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	2003-04	2006-07	28.13		4000.00	(-)6737.62	851.84	417.63	48.95	02	36321.60	1250
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चौनी उद्योग और गन्ना विकास	27.08.1975	2005-06	2006-07	(-)15.29		63.68	(-)127.51	11.00	(-)6.51	-	-	9.74	12
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चौनी उद्योग और गन्ना विकास	27.08.1975	2005-06	2006-07	(-)24.27		23.52	(-)118.38	266.16	(-)19.61	-	-	29.21	27
4.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	2004-05	2005-06	(-)125.17	8.54	640.00	(-)1638.93	(-)1016.11	(-)126.79	-	01	13350.44	769
5.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	2003-04	2006-07	0.14		150.00	0.08	22687.36	0.13	-	02	1286.61	475
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	27.10.1979	1997-98	2005-06	19.73	11.19	107.00	(-)239.87	293.47	16.93	5.77	08	298.33	268
7.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	कृषि	15.02.2002	2002-03	2005-06	126.46	-	100.00	80.00	191.27	47.56	24.86	03	3311.11	349
	क्षेत्रबार योग					174.46 (-)164.73		5084.20	80.08 (-)8862.31	24301.10 (-)1016.11	482.25 (-)152.91	1.41		54607.04	3150
उद्योग															
8.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग	01.06.1958	1998-99	2006-07	(-)28.88	81.83	596.05	(-)946.64	925.75	185.15	20	7	10219.37	202
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	2000-01	2002-03	26.16	-	573.94	(-)685.60	531.10	31.36	5.90	05	360.44	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10.	यू पी एस आई सी पौटीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उडांग	27.04.1976	1992-93	2005-06	(-)63.10	0.05	75.00	(-)388.69	(-)127.13	(-) 36.32	-	13	27.96	124
	क्षेत्रवार योग					26.16 (-)91.98		1244.99	(-)2020.93	1456.85 (-)127.13	216.51 (-) 36.32	13.55		10607.77	328
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
11.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	20.03.1974	2004-05	2005-06	(-)22.19	4.13	8765.98	(-)201.55	9804.60	(-)21.78		01	305.79	34
12.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	10.04.1977	2005-06	2006-07	(-)50.67	-	407.00	(-)973.86	433.33	1.19	0.27	-	490.71	32
13.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	01.02.1979	2005-06	2006-07	238.03		721.71	(-) 292.50	688.24	238.03	34.58	-	303.94	17
14	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23	-	5315.59	(-) 19693.43	5206.05	(-) 406.07	-	10	9715.47	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					238.03 (-)3285.09		15210.28	(-)21161.34	16132.22	239.22 (-)427.85	-		10815.91	83
	वस्त्र														
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटिल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	20.08.1974	2004-05	2006-07	(-) 580.25		3190.52	(-)11254.62	(-)2829.33	(-)142.81	-	01	3299.43	1040
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	20.08.1976	2004-05	2005-06	(-)901.92	-	8864.85	(-)11122.32	4331.40	(-)824.30	-	01	13864.46	5236
	क्षेत्रवार योग					- (-)1482.17		12055.37	(-)22376.94	(-)2829.33 4331.40	(-)967.11	-		17163.89	6276
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	वस्त्र उडांग	09.01.1973	1992-93	2006-07	(-)209.71		1375.49	(-)1853.65	6327.14	(-)135.79	-	13	10974.16	590
	क्षेत्रवार योग					(-)209.71		1375.49	(-)1853.65	6327.14	(-)135.79	-		10974.16	590

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	निर्माण														
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	2002-03	2005-06	(-)2284.19		1000.00	(-)836.17	4345.77	(-)2206.61	-	03	17185.74	1284
19.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	2004-05	2006-07	378.53		100.00		1255.30	411.15	32.75	01	51586.30	3774
20.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	2004-05	2005-06	244.26		300.00	845.27	1041.78	248.29	23.83	01	538.00	153
	क्षेत्रवार योग					(-)2284.19		1400.00	(-)836.17	6642.85	(-)2206.61	-	69310.04	5211	
	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का विकास					622.79		845.27		659.44					
21.	उत्तर प्रदेश शोइयूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	समाज कल्याण	25.03.1975	1998-99	2006-07	294.67	1.73	10347.21	1125.95	18408.31	370.53	2.01	07	820.32	513
22.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	25.06.1976	2004-05	2006-07	394.52		15.00	1312.05	1042.02	423.44	40.64	01	1740.08	621
23.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.04.91	1999-2000	2006-07	74.31	7.33	810.00	148.02	2983.42	155.77	5.22	06	181.58	15
	क्षेत्रवार योग					763.50		11172.21	2586.02	22433.75	949.74	4.23		2741.98	1149
	सार्वजनिक वितरण														
24.	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	1989-90	2005-06	(-)299.52		387.40	(-)612.89	502.50	(-)312.42	-	16	3629.16	991
	क्षेत्रवार योग					(-)299.52		387.40	(-)612.89	502.50	(-)312.42	-	3629.16	991	
	चौनी														
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	चौनी उद्योग एवं गन्ना विकास	26.03.1971	2004-05	2006-07	6911.63	29.50	93961.46	(-)42455.36	81741.51	10906.20	13.34	01	75868.41	813
26.	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चौनी उद्योग एवं गन्ना विकास	18.04.1975	2004-05	2006-07	(-)318.86		3618.28	(-)5982.47	1970.80	145.17	7.37	01	2961.01	222

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
27.	नन्दगांज-सिंहारी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चौनी उद्योग एवं गन्ना विकास	18.04.1975	2004-05	2006-07	(-)1089.99		3404.05	(-)17150.59	606.26	(-)0.51	-	01	1793.35	787
28.	धाटमुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चौनी उद्योग एवं गन्ना विकास	30.05.1986	2002-03	2005-06	(-)1137.22	15.32	894.86	(-)6692.57	(-) 2405.63	(-)600.21	-	03	870.13	245
29.	उत्तर प्रदेश राज्य चौनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	चौनी उद्योग एवं गन्ना विकास	16.05.2002	2002-03 (16.05.02 से 31.03.03)	2006-07	(-)7694.62		843.70	(-)7694.62	(-)4301.01	(-) 3455.03	-	03	2118.77	17067
	क्षेत्रवार योग					(-)10240.69 6911.63		102722.35	(-)79975.61	(-)6706.64 84318.57	(-)4055.75 11051.37	9.01		83611.67	19134
	पर्यटन														
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रॉफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	2003-04	2005-06	(-)166.76	14.13	1512.53	(-)1322.43	621.18	(-)407.63	-	02	1312.29	659
	क्षेत्रवार योग					(-)166.76		1512.53	(-)1322.43	621.18	(-)407.63	-		1312.29	659
	विद्युत														
31.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	2004-05	2005-06	(-)19047.98	50014.00	213291.62	(-)124030.11	628388.55	17862.97	2.84	01	280940.33	10103
32.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	2003-04	2005-06	(-)747.31		37288.44	(-)14190.55	34151.27	21.96	0.06	02	6858.84	792
33.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	2002-03	2004-05	(-)83961.70	33242.00	435355.46	(-)507234.41	569227.50	(-)46208.00	-	2	661020.57	0
34.	कानपुर इलेक्ट्रोसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	2002-03	2005-06	(-)12629.59	85.96	6000.00	(-)30588.92	30689.75	(-)12058.33	-	03	50182.14	2364
35.	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऑद्योगिक विकास	11.04.2000	2005-06	2006-07	-		5.07	0.09	3.02	-	-	-	(कम्पनी निर्माणाधीन है)	उपलब्ध नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
36.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन न लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04	2005-06	(-)11309.14		34624.00	(-)11309.14	71472.65	(-)9091.73	-	02	90816.81	6699
37.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04	2005-06	(-)4855.53		15548.00	(-)4855.53	75389.71	(-)2517.19	-	02	80636.31	10727
38.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04	2005-06	(-)20108.90		54005.00	(-)20108.90	92682.43	(-)17794.83	-	02	117700.86	उपलब्ध नहीं
39.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04	2005-06	(-)8092.12		11520.00	(-)8092.12	69642.80	(-)5329.35	-	02	98817.66	10140
	क्षेत्रवार योग					(-)160752.27		807637.59	(-)720409.68 0.09	1571647.68	(-)92999.43 17884.93	-		1386973.52	40825
	इंग्स, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स														
40.	उत्तर प्रदेश इंग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	आौद्योगिक विकास		2004-05	2005-06	175.48		109.66	(-)823.82	321.92	124.84	38.78	01	2518.45	339
	क्षेत्रवार योग					175.48		109.66	(-)823.82	321.92	124.84	38.78		2518.45	339
	वित्त पोषण														
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	आौद्योगिक विकास	29.03.1961	2003-04	2005-06	1742.56	12.85	2407.51	2316.53	9513.24	2247.64	23.63	02	4486.16	703
42.	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	आौद्योगिक विकास	29.03.1972	2004-05	2005-06	6395.32		13557.50	(-)47308.25	74206.33	9413.01	12.68	01	2255.06	306
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	बच्चफ़ एवं अल्पसंख्यक	17.11.1984	1993-94	2005-06	16.89		422.50	(-)2.86	829.61	16.89	2.03	12	43.42	34
	क्षेत्रवार योग					8154.77		16387.51	(-)47311.11 2316.53	84549.18	11677.54	13.81		6784.64	1043
	विविध														
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	निर्वात प्रोत्साहन	20.01.1966	1999-2000	2004-05	(-)261.49	-	704.27	(-)1762.69	(-)177.71	(-)242.90	-	06	880.06	144

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	15.03.1977	2003-04	2005-06	129.46	40.16	100.00	57.49	157.49	96.88	61.51	02	299.87	115
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ एवं अल्पसंख्यक	27.04.1987	1997-98	2006-07	(-)7.68		1250.00	1.78	135.90	(-)7.68	-	08	15.76	20
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण	17.03.1988	2003-04	2006-07	(-)0.20		119.03	(-)99.89	260.91	(-)2.22	-	02	19.49	13
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	23.05.1989	2002-03	2005-06	367.75		42.54	1248.49	1281.75	371.56	28.98	03	3892.17	103
	क्षेत्रवार योग					(-)269.37 497.21		2215.84	(-)1862.58 1307.76	(-)177.71 1836.05	(-)252.80 468.44	13.00		5107.35	395
	योग- अ (कार्यरत सरकारी कम्पनियों)					(-)161682.45		978515.42	(-)902293.71	1814565.47	(-)58200.34	-	-	1666157.77	80173

ब. कार्यरत सांविधिक निगम

	परिवहन														
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	2004-05	2005-06	387.46		31212.94	(-)75594.60	(-)23390.50	2015.42	-	01	87223.45	37983
	क्षेत्रवार योग					387.46		31212.94	(-)75594.60	(-)23390.50	2015.42			87223.45	37983
	वित्त पोषण														
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	ओडीगिक विकास	01.11.1954	2005-06	2006-07	184.51		17928.46	(-)90778.99	120759.92	6517.13	5.40	-	6293.69	905
	क्षेत्रवार योग					184.51		17928.46	(-)90778.99	120759.92	6517.13	5.40		6293.69	905
	कृषि एवं समवर्गीय														
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19.03.1958	2004-05	2005-06	2538.55	38.34	1116.50	12526.71	26960.15	3375.63	12.52	01	12652.92	1862
	क्षेत्रवार योग					2538.55		1116.50	12526.71	26960.15	3375.63	12.52		12652.92	1862
	वन														
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	07	16284.00	2858
	क्षेत्रवार योग					2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19		16284.00	2858
	विविध														
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास-विकास	03.04.1966	2003-04	2006-07	14662.64			27809.43	119573.85	14662.72	12.26	02	47816.24	3724
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	2004-05	2006-07	(-)2277.44			(-)7875.33	403907.60	(-)1090.43	-	01	29356.10	16623

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	2000-01	2006-07	429.20		693.24	(-)405.20	464.19	-	05	7391.56	1547	
	क्षेत्रवार योग					15091.84 (-)2277.44			28502.67 (-)7875.33	523481.45 (-)405.20	15126.91 (-)1090.43	2.68		84563.90	21894
	योग-ब (कार्यरत सांविधिक निगम)					18855.22		50257.9 (-)97974.27	683161.82	28874.66	4.23		207017.96	65502	
	कुल योग (अ+ब)					(-)142827.23		1028773.32 (-)1000267.98	2497727.29	(-)30325.68	-	-	1873175.73	145675	
स. अकार्यरत कर्पनियाँ															
	कृषि एवं समवार्त्तीय														
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	05.03.1975	2002-03	2006-07	(-)10.88		272.85	(-)840.12	383.23	15.84	4.13	03	37.19	-
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2002-03	2004-05	(-)18.38	-	30.84	(-)54.75	152.67	(-)14.19	-	03	4.53	19
3.	उत्तर प्रदेश (रुहलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2003-04	(-)64.82	-	71.20	(-)420.73	323.22	(-)64.82	-	04	12.77	21
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल मार्केटिंग एण्ड प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य प्रक्यन	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	-	21		330
5.	उत्तर प्रदेश पौल्ही एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	07.12.1974	2000-01	2005-06	(-)23.34		50.00	(-)152.76	81.27	(-)23.19	-	05	6.68	32
	क्षेत्रवार योग					(-)183.99		615.65	(-)1723.69	1021.11	15.84 (-)154.17	-		61.17	402
	उद्योग														
6.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	-	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	-	29		उपलब्ध नहीं
7.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लच्छे उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	-	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	-	परिसमाप्तीन 11/2003	0.39	उपलब्ध नहीं
8.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	ओद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	-	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	14	631.34	उपलब्ध नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9.	उत्तर प्रदेश इन्स्टीमॅन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ओद्योगिक विकास	1.01.1975	2001-02	2005-06	(-)28.57		193.22	(-)3874.89	34.99	(-)26.79	-	04	16.22	259
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	निर्वात प्रोत्साहन	12.02.1974	1996-97	2006-07	13.65		537.86	(-)752.94	278.49	19.84	7.12	09	76.98	उपलब्ध नहीं
11.	कार्टीनेटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ओद्योगिक विकास	12.04.1985	1997-98	2002-03	-	-	4623.95	-	8387.22	-	-	परिसमापाधीन 01.04.2002	निर्माण अवधि में ही कम्पनी परिसमापनाथी न हो गई।	उपलब्ध नहीं
12.	उत्तर प्रदेश एस्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	28.06.1972	1975-76	-	(-)1.55	-	4.85	-	12.39	(-)0.41	-	परिसमापाधीन 19.04.1986		उपलब्ध नहीं
13.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ओद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	-	(-) 217.08	-	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	-	परिसमापाधीन 09.01.1996	138.08	-
	क्षेत्रवार योग					24.36 (-)248.02		6299.57	(-)12111.95	9835.41 (-)405.96	265.69 (-)28.02	2.52		863.01	259
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
14.	अपट्रान सेमपेक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	-	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	-	परिसमापाधीन 10.06.1996	0.05	उपलब्ध नहीं
15.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	31.03.1978	*	-	-	-	5.25	-	-	-	-	परिसमापाधीन 10.06.1996	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					(-)0.78		7.80	(-)3.37	1.86	(-)0.36	-		0.05	-
	वस्त्र														
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट रेंकसाइल कारपोरेशन लिमिटेड	ओद्योगिक विकास	02.12.1969	2003-04	2006-07	(-)771.31		16079. 37	(-)41175.50	(-)7952.15	(-)1615.16	-	02	45.07	-

* प्रारम्भिक वर्ष से लेखे अनन्तिमकृत नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र उद्योग	05.12.1975	1990-91	2002-03	(-)17.98		26.00	(-)33.50	53.25	(-)16.13	-	15	475.42	74
18.	भद्रोही बूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.06.1976	1994-95	-	(-) 165.77	-	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	-	परिसमापाधीन 20.02.1996	26.72	-
	क्षेत्रवार योग					(-)955.06		16480.91	(-)42404.91	53.25 (-)8001.24	85.35 (-)1631.29	-		547.21	74
	खनन														
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	23.03.1974	2004-05	2005-06	(-)139.99		5640.48	(-)6908.28	826.53	(-)135.45	-	01	84.40	03
20.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	-	0.002*	(-)11.30	0.79	(-) 10.86	-	परिसमापाधीन 28.11.2002	0.22	
	क्षेत्रवार योग					- (-)151.77		5640.48	(-)6919.58	827.32 -	(-)146.31	-		84.62	3
	क्षेत्र विकास														
21.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-) 8.72	-	123.30	(-)129.27	(-) 0.98	(-) 8.71	-	14	46.21	उपलब्ध नहीं
22.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	-	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64	-	18	130.37	उपलब्ध नहीं
23.	बुन्देलखण्ड कंप्रोट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	भूमि विकास एवं जल संसाधन	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	-	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01	-	19	शून्य	उपलब्ध नहीं
24.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	-	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97	-	22		उपलब्ध नहीं

* केवल 270.00 रुपये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.01.1976	1.7.1987 से 31.03.1989	2006-07	(-69.91)		125.00	(-)152.18	385.22	(-)49.83	-	17	582.17	उपलब्ध नहीं
26.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	-	50.00	1.49	60.57	0.52	0.86	24	169.69	उपलब्ध नहीं
27.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1987-88	2004-05	6.34		100.00	(-)26.79	116.85	11.41	9.76	18	788.63	उपलब्ध नहीं
28.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	-	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36	3.85	20	353.94	उपलब्ध नहीं
29.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	2000-01	2006-07	(-)1.05		100.00	(-)114.85	34.41	(-)1.79	-	05	0.80	-
30.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71	-	18	147.02	उपलब्ध नहीं
31.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1978	1989-90	2005-06	(-)17.62		25.00	(-)39.42	48.83	(-)15.39	-	16	156.31	उपलब्ध नहीं
32.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28	0.61	परिसमाप्तीन 07.06.19977	-	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					9.42 (-)125.08		945.53 1.49	(-)727.02 (-) 0.98	904.74 (-)96.05	14.57 -			2375.14	
	आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र का विकास														
33.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00	-	23	3.13	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					(-)4.00		45.00	0.45	70.44	(-)4.00	-		3.13	-
	सीमेन्ट														
34.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.0 0	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	-	10	11301.85	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					(-)4775.52		6828.0 0	(-)42599.38	(-)23980.30	(-)2291.33	-		11301.85	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	द्वारा, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स														
35	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	आौद्योगिक विकास	22.02.1924	2003-04	2005-06	(-)161.54		22.02	(-)2686.44	(-)1992.53	(-)84.50	-	02	134.81	उपलब्ध नहीं
36.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	आौद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	-	परिसमापाधीन 19.02.1994	226.21	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					(-)779.08		680.75	(-)6217.95	(-)3837.39	(-)135.07	-		361.02	
	वित्त पोषण														
37.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1991-92	2005-06	(-) 5.94	0.44	135.28	(-)5.28	147.42	(-)5.94	-	14	48.73	52
38.	अपलीज फाइब्रोसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक))	इलेक्ट्रॉनिक्स	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	08	128.63	
	क्षेत्रवार योग					(-)45.49		241.15	(-)44.81	681.50	14.43 (-)5.94	1.24		177.36	52
	विविध														
39.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	कर एवं आौद्योगिक वित्त	10.09.1975	2001-02	2005-06	10.07		818.42	(-)1136.74	(-)16.90	49.67	-	04	15.61	-
	क्षेत्रवार योग					10.07		818.42	(-)1136.74	(-)16.90	49.67	-		15.61	-
	कुल योग-स					(-)7224.94		38603. 26	(-)113888.36	(-)22847.14	(-)4046.99	-	-	15790.17	790
	कुल योग (अ+ब+स)					(-)150052.17	-	1067376. 58	(-)1114156.34	2474880.15	(-)33372.67	-	-	1888965.90	146465

नोट- (अ) वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (वित्त पुनर्पोषण सहित) के आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्पोरील पूँजी और निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं0 स-17 की कम्पनी विलय के अन्तर्गत है।

(स) क्रम सं0 स-7,11,12,13,14,15,18,20,32 एवं 36 की कम्पनियों समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ हैं:

क्रम सं0	समापन की तिथि								
07	नवम्बर 2003	11	01.04.1978	12	01.09.1973	13	19.04.1986	14	09.01.1996
18	20.02.1996	20	28.11.2002	32	07.06.1977	36	19.02.1994	15	10.06.1996

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2006 की समाप्ति पर प्राप्त उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.6 व 1.19 में संदर्भित)

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 तक के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान व अनुदान ¹				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया ²				वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयातों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा खोले गये साख-पत्र	विदेशी सलाहकारों/ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखि तत्रीय पुनर्मुग्तान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड					69.76 (69.76)				69.76 (69.76)						
2.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	500.00 (241.04)	-	-	-	500.00 (241.04)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	311.54	17.00	-	328.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	-	41.85 ³	-	41.85 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ उपदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त उपदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया गया है, सम्मिलित है।

² कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते हैं।

³ अनुदान।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	(1640.00)	-	-	-	(1640.00)	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश शेइयूलॉड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	-	9344.95 279.45*	-	9344.95 279.45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	उत्तर प्रदेश पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	6.00	-	6.00	-	358.00 (178.00)	-	-	358.00 (178.00)	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	1500.00 (323.00)	1500.00 (103.81)	-	-	3000.00 (426.81)	-	-	-	-	-	-
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	47675.00 (-)	-	-	-	47675.00 (-)	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	5755.00 (-)	-	-	-	5755.00 (-)	-	-	-	-	-	-
11.	अपटान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	226.83 (-)	-	-	226.83 (-)	-	-	-	-	-	-
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड															459.59
13.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड					1000.00 (1000.00)				1000.00 (1000.00)						
14.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	26828.00 (45400.00)			26828.00 (45400.00)						33453.00
15.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	67647.00 (50222.00)	14500.00 (14500.00)	-	82147.00 (51672.00)	-	-	-	-	-	-
16.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	8344.00	-	-	8344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		38193.00	-	38193.00	-	15000.00 (-)	-	-	15000.00 (-)	-	-	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	25.00	-	25.00	-					-	-	-	-	-	-
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	-	325.00*	-	325.00*	-	(285.00)	-	-	(285.00)	-	-	-	-	-	-
योग-अ		8655.54	47585.95 646.30*		56241.49 646.30	56499.76 (3273.80)	111559.83 (548188.81)	14500.00 (14500.00)		182559.59 (565962.61)	-	-	-	-	-	33912.59
ब. सांविधिक निगम																
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	-	-	-	-	160.84 (20217.00)	-	-	160.84 (20217.00)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	(51673.00)	-	-	(51673.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	210.07	-	-	210.07	-	(12.57)	-	-	(12.57)	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश जल निगम		-	-	-	(644.14)				(644.14)						-

* अनुदान।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
5.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	201.60	-	201.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-ब	210.07	201.60		411.67 (644.14)		160.84			160.84 (72546.71)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब)	8865.61	47787.55 646.30	-	56653.16 646.30*	56499.76 (3917.94)	111720.67 (620091.38)	14500.00 (14500.00)	-	182720.43 (638509.32)	-	-	-	-	-	33912.59
स. अकार्यरत कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.51)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड					(2200.00)	-	-	-	(2200.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	(325.00)	-	-	(325.00)	-	-	-	-	-	-
4.	दि इण्डियन टरफेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	(479.68)	-	-	(479.68)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश काबाईड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड			-	-	(335.00)				(335.00)	-	-	-	-	-	-
	योग-स	-	-	-	-	(2535.00)	(860.19)	-	-	(3395.19)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब+स)	8865.61	47787.55 646.30*		56653.16 646.30*	56499.76 (6452.94)	111720.67 (620951.57)	14500.00 (14500.00)	-	182720.43 (641904.51)	-	-	-	-	-	33912.59

* अनुदान।

परिशिष्ट-4

**सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)**

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	01.04.2003 से 30.10.2003	31.10.2003 से 31.03.2004	2004-05 (अनन्तिम)
अ. देयतायें				
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	321.37	321.37	312.13	312.13
ऋण:				
सरकारी				
केन्द्र	-			
राज्य	9.65	9.40	7.47	7.47
अन्य	143.85	166.88	175.37	176.77
निधियाँ	0.69	1.02	1.23	1.17
व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधानों सहित)	776.32	801.59	603.07	684.17
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुर्णगठन समायोजन लेखा	-	-	26.41	26.41
योग अ	1251.88	1300.26	1125.68	1208.12
ब. परिसम्पत्तियाँ				
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	712.89	778.46	698.19	729.52
घटाया: हास	483.04	509.46	437.31	430.43
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	229.85	269.00	260.88	299.09
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	9.94	8.70	9.62	7.75
निवेश	1.74	1.74	1.83	1.91
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	105.96	117.53	113.38	143.42
संचित हानियाँ	904.39	903.29	739.97	755.95
योग ब	1251.88	1300.26	1125.68	1208.12
स. नियोजित पूँजी*	(-) 430.57	(-) 406.36	(-) 219.19	(-) 233.91

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)	2005-06 (अनन्तिम))
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	179.28	179.28	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	-

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)	2005-06 (अनन्तिम))
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.12	20.00	19.88
ऋण	-	-	-
(i) बाण्डस एवं ऋण पत्र	755.82	646.05	558.73
(ii) स्थायी जमा	7.78	4.69	3.96
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	365.01	390.00	408.06
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण	-	-	-
(अ) राज्य सरकार	-	-	30.00
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	-	-	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	1.50	7.57	7.56
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	425.24	470.32	403.06
योग अ	1754.75	1717.91	1610.53
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	27.75	25.11	49.95
निवेश	37.03	35.17	30.20
ऋण एवं अग्रिम	847.19	723.94	595.16
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	14.01	13.56	13.23
अन्य परिसम्पत्तियाँ	10.93	10.50	14.20
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	817.84	909.63	907.79
योग ब	1754.75	1717.91	1610.53
स. नियोजित पूँजी*	1336.84	1268.49	1207.59

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	13.37	13.37	13.37
संचय एवं आधिक्य	90.68	93.21	154.21
उपदान	-	-	-
ऋण		-	-
सरकारी	-	-	-
अन्य	123.53	110.62	102.02
व्यापारिक देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	60.42	61.05	51.69
योग अ	288.00	278.25	321.29
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	274.03	278.96	278.64
घटाया: हास	42.16	49.05	56.08
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	231.87	229.91	222.56
पूँजीगत प्रांतिगत कार्य	1.94	(-) 0.55	(-) 1.35

* नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (विशिष्ट निधि एवम् बाह्य निवेशों को छोड़कर), बाण्डस, जमा एवं ऋण (पुः वित्त-पोषण सहित) के प्रारंभिक एवं अन्तिम शोषण के योग के माध्यम को दर्शाता है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	54.19	48.89	100.08
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	288.00	278.25	321.29
नियोजित पूँजी ¹	227.58	217.20	269.60

4. उत्तर प्रदेश बन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	368.03	434.18	507.15
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	368.03	434.18	507.15
स. नियोजित पूँजी²	292.04	327.89	357.56

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-02 (अनन्तिम)	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
परिषद कोष/आधिक्य	287.89	1409.24	1587.91
ऋण	16.53	0.12	-
जमा	44.44	144.07	134.46
अबिक्रीत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु संचय	-	6.92	16.29
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	362.43	357.86	421.21
देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिक्य	0.45	0.45	-
योग अ	711.74	1918.66	2159.87
ब. परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	2.15	28.00	8.68
(ii) निवेश	382.23	490.56	542.92
(iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	327.36	1400.10	1608.27
योग ब	711.74	1918.66	2159.87
स. नियोजित पूँजी³	(-32.92)	1070.24	1195.74

¹ नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

² नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

³ नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)
अ- देयताएँ			
ऋण			
लोन फन्ड			
(i) एलआईडी से	14.13	14.52	9.14
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार से	285.58	287.97	292.24
(iii) बैंक से		7.63	-
सरकार से अनुदान	3886.88	3964.73	4112.38
जमा	-	-	-
चालू देयताएँ	-	-	-
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	27.77	24.51	27.70
अन्य देयताएँ	1784.86	2477.32	2707.08
(i) जमा (प्रोजेक्ट हेतु प्राप्ति धनराशि)	1311.93	1402.01	1454.35
(ii) ग्रेच्युटी हेतु प्राविधान	6.85	5.32	10.00
पेशन एवं ग्रेच्युटी	-	-	-
अवर्गीकृत संचय	-	-	-
एलएसजीईडी से जल निगम को स्थानान्तरित प्रोजेक्ट	9.08	9.06	9.45
योग अ	7327.08	8193.07	8622.34
ब- परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	23.52	25.93	25-66
घटाया -हास	8.57	8.84	9.19
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	14.95	17.09	16.47
निवेश	-	-	-
पीएफ में निवेश	206.71	195.60	188.03
प्रोजेक्ट			
(i) सामग्री	237.92	219.09	242.77
(ii) प्रगतिरत कार्य	3305.31	3600.51	3754.23
(iii) यूपी जल निगम द्वारा संचालित पूर्ण रूरल वाटर प्रोजेक्ट	917.38	824.27	498.08
(iv) एलएसजीईडी से जल निगम को स्थानान्तरित रूरल वाटर वर्क प्रोजेक्ट की लागत	9.08	9.08	9.08
चालू परिसम्पत्तियाँ	1984.11	2622.80	2913.19
ऋण एवं अग्रिम	502.36	499.39	803.47
घटाया	149.26	205.24	197.02
योग ब	7327.08	8193.07	8622.34
स- नियोजित पूँजी*	3837.47	3879.31	4039.08

* नियोजित पूँजी निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगति कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-5

**सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)**

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सङ्केत परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	1.04.03 से 30.10.03	31.10.03 से 31.03.04	2004-05 (अनन्तिम)
परिचालनगत				
(अ) राजस्व	741.04	489.36	304.96	840.77
(ब) व्यय	847.76	508.58	327.66	850.50
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 106.72	(-) 19.22	(-) 22.70	(-) 9.73
अपरिचालनगत				
(अ) राजस्व	71.24	12.51	10.09	31.46
(ब) व्यय	19.70	10.73	6.68	17.86
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	51.54	1.78	3.41	13.60
योग				
(अ) राजस्व	812.28	501.87	315.05	872.23
(ब) व्यय	867.46	519.31	334.34	868.36
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-) 55.18	(-) 17.44	(-) 19.29	3.87
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	19.70	10.73	6.68	16.28
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 35.48	(-) 6.71	(-) 12.61	20.15

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)	2005-06 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	65.62	49.68	58.63
(ब) अन्य आय	9.72	2.47	4.36
(स) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए	-	6.32	30.40
द- हास में निवेश वापस लाये गये	0.08	0.34	-
योग 1	75.42	58.81	93.39
2. व्यय			
(अ) दीर्घीवधि ऋण पर ब्याज	142.79	127.41	63.33
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	-	-	-
(स) अन्य व्यय	25.37	23.20	28.21
योग 2	168.16	150.61	91.54
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)	(-)92.74	(-)91.80	1.85
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि*	-	-	-
6. लाभांश दत्त/देय	-	-	-

* विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)	2005-06 (अनन्तिम)
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	50.05	35.62	65.17
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	3.74	2.81	5.40

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	167.18	124.08	163.23
(ब) अन्य आय	0.77	0.29	1.81
योग 1	167.95	124.37	165.04
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	24.80	25.92	26.16
(ब) व्याज	17.65	12.28	8.37
(स) अन्य व्यय	114.37	76.43	105.12
योग 2	156.82	114.63	139.65
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	11.13	9.74	25.39
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
6. वर्ष के लिए लाभांश	1.20	1.20	1.20
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	28.78	22.02	33.76
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	12.65	10.14	12.52

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अनन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	276.15	262.73	345.94
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	231.51	226.93	316.64
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2001-02 (अनन्ति)	2002-03 (अनन्ति)	2003-04 (अनन्ति)
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	136.89	310.54	320.98
(ब) अन्य आय	59.70	164.15	177.18
योग 1	196.59	474.69	498.16
2. व्यय			
(अ) बेची गयी सम्पत्ति की लागत	-	236.99	238.27
(ब) स्थापना	56.72	60.34	66.07
(स) ब्याज	2.42	1.92	-
(द) अन्य व्यय	28.76	43.97	47.19
योग 2	87.90	343.22	351.53
3. आय का व्यय पर आधिकर्य	108.69	131.47	146.63
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	111.10	133.39	146.63
5. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	-	12.46	12.26

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05 (अनन्ति)
1. आय			
सेन्टर्ज	62.61	49.53	52.00
सर्वे एवं प्रोजेक्ट शुल्क	5.78	6.36	7.57
उ.प्र. जल निगम द्वारा संचालित योजना हेतु उपभोक्ताओं से प्राप्त धनराशि	18.52	26.58	19.59
अन्य आय	6.68	5.25	6.08
वित्तीय क्रियाकलापों से आय	26.57	37.91	31.58
राजस्व अनुदान	-	-	-
(i) रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से	42.38	15.08	150.63
(ii) एचआरडी के लिए सरकार से	0.59	--	--
सी एण्ड डीएस की आय	21.21	26.07	25.08
नलकूप विंग की आय	1.32	1.37	1.03
ब्याज	-	-	-
अनुदान	-	-	-
अन्य	-	-	-
योग 1	185.66	168.15	293.56
2. व्यय			
स्थापना प्रभार/परिचालनात्मक व्यय	160.02	156.10	158.33
रख-रखाव पर व्यय	29.72	31.42	29.94
ब्याज	19.31	15.95	11.87
अन्य व्यय	-	-	-
ह्लास	0.53	0.44	0.52
सी एण्ड डीएस का व्यय	15.36	19.19	17.16
नलकूप विंग का व्यय	0.96	1.03	0.90
जल संस्थान को अनुदान	-	-	36.61
सिंचाई को अनुदान	-	-	61.00

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05 (अनन्ति म)
योग 2	225.90	224.13	316.33
कमी(-)/आधिक्य (+)	(-) 40.24	(-) 55.98	(-) 22.77
नियोजित पैंजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 20.93	(-) 40.03	(-) 10.90

परिशिष्ट-6

सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.13 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	2002-03	1.04.2003 से 31.10.2003	1.11.2003 से 31.03.2004	2004-05 (अनन्ति)
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या				
(अ) निगम की बसें	6333	6597	5639	5673
(ब) किराये की बसें	902	1220	1166	1042
योग	7235	7817	6805	6715
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	5700	6020	5276	5406
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत (निगम)	90	91	94	95
कर्मचारियों की संख्या	44508	38195	37747	36398
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.03:1	5.21:1	5.82:1	5.51:1
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	2055	2190	1840	1859
मार्ग किलोमीटर	437747	490949	397076	422846
परिचालित किलोमीटर (लाख में)				
(अ) सकल	7126	4734	2962	7499
(ब) प्रभावी				
(i) निगम की बसें	6012	3857	2377	6185
(ii) किराये की बसें	940	735	478	1039
कुल प्रभावी परिचालित किलोमीटर (लाख में)	6952	4592	2855	7224
(स) मृत किलोमीटर	174	124	89	240
सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत	2.44	1.57	2.05	3.20
औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	262	275	276	295
औसत परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (पैसे)	1219	1126	1164	1196
प्रति किमी औसत परिचालन राजस्व (पैसे)	1066	1089	1097	1202
प्रति किमी परिचालन व्यय में पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	-	*	*	-
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसे)	(-) 153	(-) 37	(-) 67	6
परिचालित डिपो की संख्या	116	116	98	100
खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर	3.59	2.92	2.27	1.40
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.17			0.14
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	2167	1409	846	2329

* गत वर्ष का तुलन पत्र दो भागों में नहीं बनाया गया, अतः तदनुरूप समयावधि में आधिक्य/कमी की गणना नहीं की जा सकती।

विवरण	2002-03	1.04.2003 से 31.10.2003	1.11.2003 से 31.03.2004	2004-05 (अनन्ति म)
धारित अनुपात	59	59	57	62
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर:				
(अ) डीजल	4.79	4.85	4.94	5.03
(ब) ईंजन तेल	1058	1214	1611	2079

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(धनराशि: करोड़ रूपये में)

विवरण	2003-04		2004-05		2005-06	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	66	35.34	39	29.27	14	11.55
प्राप्त आवेदन पत्र	360	164.83	34	16.49	176	93.79
योग	426	200.17	73	45.76	190	105.34
स्वीकृत आवेदन पत्र	266	94.42	23	4.45	136	63.16
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र	121	76.48	36	29.76	37	29.91
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	39	29.27	14	11.55	17	12.27
वितरित ऋण	241	86.55	32	12.51	58	20.60
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	14625	847.19	13385	723.94	12525	595.16
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूलधन	-	274.99	-	267.53	-	216.51
(ब) ब्याज	-	1735.47	-	1768.54	-	1905.07
योग (अ+ब)		2010.46	-	2036.07	-	2121.58
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	-	865.39	-	1478.08	-	1498.20
योग		865.39		1478.08	-	1498.20
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत	-	237.31	-	281.25	-	356.47

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
आवृत्त केन्द्रों की संख्या	147	152	158
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	24.13	24.16	24.25
(ब) किराये पर	3.53	3.24	4.21
योग (अ+ब)	27.66	27.40	28.46
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	24.30	25.82	27.18
उपयोग का प्रतिशत	87.85	94.23	95.50
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	574.97	481.68	607.20
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	536.86	443.97	513.81
लाभ(+)/हानि(-) प्रति टन (रुपये)	(+)38.11	(+) 37.71	(+)93.39

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली धास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी-बूटी (लाख किंगा. में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

* प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

परिशिष्ट-7

आंतरिक लेखा परीक्षण/आंतरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी (प्रस्तर 1.34 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	वर्ष के दौरान इकाइयों में आंतरिक लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं हुई थी। पुनर्श्च, जिन प्रकरणों में वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा सम्पादित किये जाने के विषय में कहा गया था, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शाखा लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं थी। निगम के आकार एवं कार्यकलापों के अनुरूप, आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं थी।
2.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और उसका अनुपालन न तो संतोषजनक है, और न ही कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। पुनर्श्च, वर्ष के दौरान दिल्ली जोन, उत्तरी जोन, दक्षिण-पूर्वी जोन तथा उत्तर-पूर्वी जोन में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं की गयी है।
3.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली, क्षेत्र और कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
4.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली निगम के व्यवसाय के आकार के अनुरूप नहीं है। निगम के व्यवसाय के आकार एवं पृकृति को ध्यान में रखते हुये, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ में स्टाफ की क्षमता संख्या एवं योग्यता में पर्याप्त नहीं है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का कवरेज निगम के लेखा अनुभाग तक सीमित है तथा परिचालन प्रणाली जैसे कि रिकवरी बिल अनुभाग, इनवेस्टमेन्ट अनुभाग आदि; का कोई परीक्षण नहीं किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, विशेषतयः क्षेत्रीय कार्यालय नोयडा से सम्बन्धित, जिसमें विभिन्न मुद्रे यथा विधिक कार्यवाही के लिए सुझाव/प्रथम सूचना प्रतिवेदन का दायर किया जाना इत्यादि समाहित हैं, की अनुपालन विषयक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित नहीं की जा रही है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रतिवेदनों के अनुपालन, को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	निगम में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।
6.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी के आकार व व्यापार की प्रकृति के अनुरूप होने के लिये आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
7.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	आंतरिक लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं की जाती है।
8.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	कार्यक्षेत्र के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षा, समय से पूर्ण नहीं की गयी है और उसका अनुपालन भी समय से समुचित तरीके से नहीं किया गया है।
10.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, विभिन्न जनपदों के स्तर पर उधार देने से सम्बन्धित कार्यकलापों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि कम्पनी के परिचालन का अत्यन्त आवश्यक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। लेखा परीक्षा के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि यह कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप हो सके।
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट एंग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	निगम में औपचारिक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का अस्तित्व नहीं है।

परिशिष्ट-8

**कम्पनियाँ जिनका आवर्त पिछले पाँच वर्षों जिसके लेखे प्रमाणित किये गये हैं के
दौरान पाँच करोड़ रुपये से कम रहा है को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)**

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	आवर्त (लाख रुपये में)				
				अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	12.02.1974	2000-2001	360.44	193.35	165.94	193.19	157.90
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27.08.1975	2005-06	9.74	10.37	26.39	27.10	114.87
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27.08.1975	2005-06	29.21	36.66	43.46	44.68	59.12
4.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	27.10.1979	1997-98	298.33	321.66	289.92	265.81	270.09
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	1992-93	27.96	29.43	16.50	19.59	15.80
6.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17.11.1984	1993-94	43.42	29.90	26.15	36.11	24.57
7.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	15.03.1977	2003-04	299.87	256.41	229.15	178.67	239.67
8.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	27.04.1987	1997-98	15.76	14.02	14.98	15.08	15.45
9.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	17.03.1988	2003-04	19.49	84.89	16.60	6.72	22.19
10.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	26.04.1991	1999-2000	181.58	136.79	124.92	19.31	72.85

परिशिष्ट-९

**कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य
ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)**

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षों की हानि, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया					
1.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	वर्ष	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	3212.23	3118.95	3044.82	2638.66	2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	वर्ष	2004-05	2003-04	2002-2003	2001-2002	2000-2001
			शुद्ध मूल्य	(-) 588.09	(-) 5309.79	(-) 3455.04	(-) 3937.27	(-) 3384.15
			वर्ष के दौरान हानि	580.25	1854.66	690.17	571.61	806.23
3.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	वर्ष	2004-2005	2003-2004	2002-2003	2001-2002	2000-2001
			शुद्ध मूल्य	(-)13707.25	(-)12617.27	(-)4763.25	(-) 9348.20	(-) 8139.17
			वर्ष के दौरान हानि	1089.99	1528.42	1740.65	1209.03	1469.82
4.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	वर्ष	2002-03	2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-99
			शुद्ध मूल्य	(-)5797.72	(-) 4660.48	(-) 1248.44	(-)3521.21	(-) 894.86
			वर्ष के दौरान हानि	1137.22	662.64	476.64	548.52	625.83
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	वर्ष	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89
			शुद्ध मूल्य	(-)313.21	(-) 249.33	(-) 196.48	(-) 149.43	(-) 129.77
			वर्ष के दौरान हानि	63.10	52.88	47.05	36.67	36.33
6.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	10.04.1977	वर्ष	2005-06	2004-05	2003-2004	2002-2003	2001-2002
			शुद्ध मूल्य	(-)589.72	(-) 516.19	(-) 604.59	(-) 486.92	(-) 441.06
			वर्ष के दौरान हानि	50.67	61.59	116.04	195.02	282.05

परिशिष्ट-10

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.37 में संदर्भित)

(5 से 20 तक के स्तम्भों में आँकड़े: लाख रुपये में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यरत/अकार्यरत)	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	अंश पूँजी				ऋण				अनुदान				अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान द्वारा कुल निवेश				लाभ(+)/हानि(-)	संचित लाभ(+)/हानि(-)
					राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	अन्य	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1.	अल्मोड़ा मैनेसाइट लिमिटेड	कार्यरत	2005-06	200.00	-	82.00 (41.00)	40.00 (20.00)	78.00 (39.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	82.00	40.00	(+) 108.93	(+) 18.32		
2.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	अकार्यरत	1994-95	24.25	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	(+) 0.003	(-) 7.06			
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	अकार्यरत**		-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	अकार्यरत	1978-79	90.00	-	55.00 (61.11)	-	35.00 (38.89)	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	(-) 45.00	-		

टिप्पणी: कालौम नं० 7,8 एवं 9 में कोष्ठक के आँकड़े प्रदत्त पूँजी से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* कम्पनी के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

** लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नहीं हुए।

परिशिष्ट-11

2001-02 से 2004-05 के दौरान बजटेड तथा वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण
 (प्रस्तर संख्या 2.1.8 में सन्दर्भित)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
	बजटेड	वास्तविक	अन्तर (+)/(−)									
आय												
विक्रय	485.06	440.26	- 44.80	579.22	555.71	- 23.51	852.35	528.05	- 324.30	777.03	761.50	- 15.53
अन्य आय	1.52	9.81	+ 8.29	16.60	25.50	+ 8.90	14.62	23.02	+ 8.40	17.54	22.01	+ 4.47
योग	486.58	450.07	- 36.51	595.82	581.21	- 14.61	866.97	551.07	- 315.90	794.57	783.51	- 11.06
व्यय												
विक्रीत लागत	455.08	414.88	- 40.20	542.97	522.32	- 20.65	793.66	495.32	- 298.34	716.07	713.13	- 2.94
व्यापारिक व्यय	21.96	21.31	- 0.65	32.37	33.04	+ 0.67	47.82	34.88	- 12.94	50.96	45.50	- 5.46
प्रशासनिक व्यय	11.18	11.31	+ 0.13	11.94	7.09	- 4.85	13.33	6.91	- 6.42	15.44	12.38	-3.06
योग	488.22	447.50	- 40.72	587.28	562.45	- 24.83	854.81	537.11	- 317.70	782.47	771.01	- 11.46
लाभ/हानि	(-)1.64	2.57		8.54	18.76		12.16	13.96		12.10	12.50	

परिशिष्ट-12

2004-05 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक योजना से दूसरी योजना को खाद्यान्तों के हस्तान्तरण का विवरण

(प्रस्तर संख्या 2.1.23 में सन्दर्भित)

(मात्रा कुन्तल में)

योजना का नाम	खाद्यान्तों की किस्म	अन्य योजनाओं को हस्तान्तरण	अन्य योजनाओं से प्राप्ति
गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल)	गेहूँ	614.78	1141.14
	चावल	30.00	95.00
गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल)	गेहूँ	12317.14	68991.89
	चावल	4682.00	53477.14
अन्तर्योदय	गेहूँ	4318.95	2774.98
	चावल	2005.95	1886.93
अनन्पूर्णा	गेहूँ	1170.13	770.57
मिड डे मील (एमडीएम)	गेहूँ	6336.87	5644.98
	चावल	5708.29	5703.54
एसजीआरवाई	गेहूँ	14589.36	16859.89
सूखा राहत	गेहूँ	58245.37	1973.30
	चावल	48835.98	216.10

परिशिष्ट-13
खाद्यान्तों की कमी के कुछ दृष्टान्तों के विवरणों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 2.1.30 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम तथा पद सर्वश्री	गोदामों/जिला का नाम	कमी की अवधि	गबन/कमी की धनराशि (लाख रुपये में)	प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिव प्रसाद, विक्रयकर्ता	खुरहण्ड, बॉदा	जनवरी 05 से मार्च 05	40.40	विक्रयकर्ता ने एमडीएम योजनाओं की भण्डार पंजिका में खाद्यान्तों की सीधे कटौती की तथा दैनिक निर्गम पंजिका में एफपीएस का कोई विवरण दिये बिना उसे विक्रय के रूप में दर्ज किया।	कोई कार्यवाही नहीं।
2.	राज किशोर प्रसाद वर्मा, विक्रयकर्ता	कमसिन एवं बबेरु, बॉदा	अप्रैल 03 से दिसम्बर 03	12.53	श्री वर्मा की सेवायें नवम्बर 03 में समाप्त कर दी गयी परन्तु 04.12.2003 तक जिला प्रबन्धक द्वारा गोदाम का उनका प्रभार किसी अन्य विक्रयकर्ता को सुपुर्द नहीं किया गया तथा वे 7.11.2003 से 4.12.2003 के दौरान 3532.70 कुन्टल खाद्यान्त का निर्गम करते रहे।	श्री वर्मा की सेवायें नवम्बर 2003 से समाप्त की गयी थीं परन्तु कोई वसूली न की जा सकी।
3.	राम सेवक, विक्रयकर्ता	मऊ/रामनगर, चित्रकूट	जुलाई 04 से मार्च 05	21.53	खाद्यान्त का गबन	मामला अन्वेषणाधीन है।
4.	एस.सी. पाठक, विक्रयकर्ता	कर्वा, चित्रकूट	जुलाई 04 से नवम्बर 05	10.09	खाद्यान्त का गबन	मार्च 2005 में निलम्बित परन्तु कोई वसूली न की जा सकी।
5.	व्यास मुनि यादव, विक्रयकर्ता	बल्हा, बहराइच	अप्रैल 98 से अगस्त 04	33.08	श्री यादव 1998 से तैनात थे। उन्हे मुख्यालय द्वारा अगस्त 2004 में इलाहाबाद जिले में स्थानान्तरित किया गया लेकिन तदुपरान्त उनके हस्तान्तरण आदेश को खारिज कर दिया गया। वे 5.1.2005 से 30.9.2005 तक ड्यूटी से फरार थे। 5.1.2005 से 28.2.2005 के दौरान, गोदाम का प्रभार एक समूह 'घ' के कर्मचारी को खाद्यान्त का भौतिक सत्यापन किये बिना दिया गया। परिणामस्वरूप, जब आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गयी, खाद्यान्त की कमियाँ पायी गयीं।	जून 2006 से निलम्बनाधीन, लेकिन कोई वसूली न की जा सकी।
6.	शिव ओम शर्मा, विक्रयकर्ता	खुटार, शाहजहाँनपुर	अप्रैल 04 से जुलाई 04	42.42	एफपीएस से खाद्यान्तों का मूल्य जमा कराये बिना विभिन्न योजनाओं का खाद्यान्त एफपीएस को निर्गत कर दिया गया है।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
7.	परमानन्द, विक्रयकर्ता	खलालाबाद, शाहजहाँनपुर	अप्रैल 04 से जुलाई 04	7.18	खाद्यान्तों का गबन	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
8.	दिनेश वर्षिष्ठ	कलाँ, शाहजहाँनपुर	अक्टूबर 04 से मार्च 05	4.06	खाद्यान्तों का गबन	कर्मचारियों द्वारा 3.39 लाख रुपये जमा किये गये।
9.	ललिता राम, विक्रयकर्ता	तिलहर, शाहजहाँनपुर	अप्रैल 03 से मार्च 04	2.68	खाद्यान्तों का गबन	कर्मचारियों द्वारा 1 लाख रुपये जमा किये गये।
10.	हरदेव पाण्डे, विक्रयकर्ता	खुटार, शाहजहाँनपुर	अप्रैल 03 से मार्च 04	4.20	खाद्यान्तों का गबन	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

1	2	3	4	5	6	7
11.	एस.एन. श्रीवास्तव, विक्रयकर्ता	बिजुआ, लखीमपुर	अप्रैल 01 से सितम्बर 01	5.71	खाद्यान्नों का गबन	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
12.	प्रभाकान्त बाजपेयी, एजी III	बारकेंगंज, लखीमपुर	अप्रैल 01 से फरवरी 02	1.26	खाद्यान्नों का गबन	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
13.	सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, विक्रयकर्ता	गोला, लखीमपुर	अप्रैल 01 से जनवरी 02	1.73	खाद्यान्नों का गबन	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
14.	सुरेश चन्द्र माथुर	बसागवाँ, लखीमपुर	अप्रैल 01	2.21	खाद्यान्नों का गबन	कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
			योग	189.08		

परिशिष्ट-14

**2005-06 तक के पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा के स्रोतवार क्रय को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 2.3.8 में सन्दर्भित)**

विवरण	एनटीपीसी	एनपीसीआईएल	यूपीआरवीयूएनएल	यूपीजेवीएनएल	एनएचपीसी	हाइडल	उत्तरांचल	को-जनरेटर्स	अन्य	योग
2001-02										
प्राप्त ऊर्जा (एमयू)	18613.801	1036.160	18026.618	3488.566	1017.622	--	(-) 349.725	--	--	41833.042
मूल्य (लाख रुपये में)	313922.08	24336.07	263555.06	14031.46	24424.00	--	90.26	--	35003.07	675362.00
दर (रुपये/इकाई)	1.69	2.35	1.46	0.40	2.40	--	(-)0.26	--	--	1.61
2002-03										
प्राप्त ऊर्जा (एमयू)	15103.576	1732.285	18411.234	1360.210	1236.665	--	52.235	--	16.165	37912.370
मूल्य (लाख रुपये में)	242470.33	23464.13	280668.15	6083.98	24982.68	--	966.35	--	19850.87	598486.49
दर (रुपये/इकाई)	1.61	1.35	1.52	0.45	2.02	--	1.85	--	--	1.58
2003-04										
प्राप्त ऊर्जा (एमयू)	17618.322	844.563	18229.313	2065.128	1388.628	--	15.467	258.901	976.307	41396.629
मूल्य (लाख रुपये में)	284445.51	20504.59	288600.86	6464.66	23505.79	--	286.14	7082.68	(-) 11494.49	619395.78
दर (रुपये/इकाई)	1.61	2.43	1.58	0.31	1.69	--	1.85	2.74	--	1.50
2004-05										
प्राप्त ऊर्जा (एमयू)	19319.000	1105.570	17272.780	1111.250	1300.910	7.430	--	302.380	2363.640	42782.960
मूल्य (लाख रुपये में)	344673.00	27450.00	311875.00	5596.00	24353.00	167.00	--	8139.00	107494.00	829747.00
दर (रुपये/इकाई)	1.78	2.48	1.81	0.50	1.87	2.25	--	2.69	--	1.94
2005-06										
प्राप्त ऊर्जा (एमयू)	20430.910	1137.780	16999.400	1242.960	1758.570	6.250	--	464.080	3809.590	45849.540
मूल्य (लाख रुपये में)	420742.00	26497.00	306491.00	7510.00	30060.00	141.00	--	12758.00	164684.00	968883.00
दर (रुपये/इकाई)	2.06	2.33	1.80	0.60	1.71	2.26	--	2.75	--	2.11

परिशिष्ट-15

अवधि 2001-02 से 2005-06 के दौरान निर्धारित राजस्व से बिक्रीत ऊर्जा के प्रतिशत तथा उपभोक्ताओं के सकारात्मक (+)/नकारात्मक (-) अंशदान को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 2.3.17 में सन्दर्भित)

विवरण	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	बिक्रीत ऊर्जा/ निर्धारित राजस्व का प्रतिशत	सकारात्मक/ नकारात्मक (-) अंशदान	बिक्रीत ऊर्जा/ निर्धारित राजस्व का प्रतिशत	सकारात्मक/ नकारात्मक (-) अंशदान	बिक्रीत ऊर्जा/ निर्धारित राजस्व का प्रतिशत	सकारात्मक/ नकारात्मक (-) अंशदान	बिक्रीत ऊर्जा/ निर्धारित राजस्व का प्रतिशत	सकारात्मक/ नकारात्मक (-) अंशदान	बिक्रीत ऊर्जा/ निर्धारित राजस्व का प्रतिशत	सकारात्मक/ नकारात्मक (-) अंशदान
घरेलू (एलएमवी-1)	38.3/22.7	(-) 15.6	34.4/22.1	(-)12.3	36.6/23.8	(-)12.8	36.6/24.0	(-)12.6	36.0/24.0	(-)12.0
वाणिज्यिक (एलएमवी-2)	7.8/11.5	3.7	7.2/11.8	4.6	7.1/11.6	4.5	7.1/11.4	4.3	6.9/10.2	3.3
सार्वजनिक प्रकाश (एलएमवी-3)	1.9/1.4	(-) 0.5	1.7/1.5	(-)0.2	1.3/1.1	(-)0.2	1.2/1.0	(-)0.2	1.2/1.1	(-)0.1
सरकारी संस्थान (एलएमवी-4ए)	0/0	--	3.4/4.3	0.9	3.8/5.0	1.2	2.9/3.9	1.0	3.1/4.1	1.0
निजी संस्थान (एलएमवी-4बी)	0/0	--	0/0	0/0	0/0	-	0.9/1.1	0.2	0.8/1.1	0.3
पीटीडब्ल्यू (एलएमवी-5)	13.9/3.7	(-) 10.2	13.9/4.1	(-)9.8	13.8/4.0	(-)9.8	14.3/4.0	(-)10.3	14.4/4.3	(-)10.1
लघु एवं मध्य विद्युत शक्ति (एलएमवी-6)	5.2/8.3	3.1	4.8/8.8	4.0	4.5/8.0	3.5	4.2/7.5	3.3	4.4/7.3	2.9
वाटर वर्क्स (एलएमवी-7)	2.2/3.3	1.1	2.3/2.7	0.4	2.0/3.0	1.0	1.9/2.7	0.8	2.0/2.5	0.5
राज्य नलकूप (एलएमवी-8)	4.6/3.2	(-)1.4	4.2/3.2	(-)1.0	4.0/3.2	(-)0.8	3.9/3.0	(-)0.9	3.7/3.2	(-)0.5
विश्व बैंक नलकूप (एलएमवी-8)	1.2/0.9	(-)0.3	0.9/0.6	(-)0.3	0.9/0.7	(-)0.2	0.8/0.6	(-)0.2	0.8/0.7	(-)0.1
पम्प कैनल < 100 बीएचपी (एलएमवी-8)	0/0	--	0.5/0.4	(-)0.1	0.5/0.5	0/0	0.6/0.5	(-)0.1	0.4/0.5	0.1
वृहद एवं भारी शक्ति (एचवी-2)	12.4/25.4	13.00	13.2/24.2	11	13.0/23.9	10.9	13.4/25.0	11.6	14.4/26.5	12.1
रेलवे ट्रेक्शन (एचवी 3)	2.9/5.3	2.4	2.4/4.9	2.5	2.1/4.2	2.1	2.1/4.0	1.9	1.9/3.4	1.5
पम्प कैनल > 100 बीएचपी (एचवी-4)	1.9/1.9	0/0	1.3/1.6	0.3	1.1/1.2	0.1	1.2/1.5	0.3	1.4/2.0	0.6
अतिरिक्त राज्य	0.3/0.1	(-)0.2	0.2/0.1	(-)0.1	0.1/0.1	0/0	0.2/0.1	(-)0.1	0.1/00	(-)0.1
बल्क सप्लाई	7.4/12.3	4.9	9.6/9.7	0.1	9.2/9.7	0.5	8.7/9.7	1.0	8.5/9.1	0.6
योग	100/100	0/0	100/100	0/0	100/100	0/0	100/100	0	100/100	0

परिशिष्ट-16

(प्रस्तर 3.1.9 एवं 3.1.32 में सन्दर्भित)

14 योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(भूमि एकड़ में)

विवरण	देव प्रयागम्, इलाहाबाद	हरदोई-रोड योजना	इन्दिरानगर विस्तार-II, लखनऊ	वृन्दावन-प्रथम, लखनऊ	वृन्दावन-द्वितीय, लखनऊ	वृन्दावन-तृतीय, लखनऊ	वृन्दावन-चतुर्थ, लखनऊ	कानपुर योजना-प्रथम	कानपुर योजना-द्वितीय	कानपुर योजना-तृतीय	मुरादाबाद योजना	वसुन्धरा, गाजियाबाद	दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास रोड, गाजियाबाद	लोनी रोड, गाजियाबाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचना की तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	19.05.84	09.07.83	28.09.02	04.12.99	04.12.99	10.07.72	10.07.72	10.12.79	उपलब्ध नहीं	24.08.82	28.11.98	02.08.97
धारा 32 के अन्तर्गत प्रारम्भ की तिथि	05/03*	12/03**	05.01.87	24.08.91	24.07.04	03.04.99	03.04.04	20.09.80	20.09.80	28.08.82	06.10.84	28.02.87	12.10.02	26.2.05
धारा 32 के अधीन अधिसूचना में विलम्ब (महीनों में)	--	--	20	85	10	40	40	86	86	19	--	43	36	78
अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि	19.82	212.26	972.22	432.52	741.30	440.84	967.34	653.51	1062.01	618.00	693.52	1231.71	703.72	335.02
अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)														
मार्च 2001 तक	--	--	--	306.23	582.71	--	--	507.62	818.42	--	561.98	1281.78	--	--
2001-02 से 2005-06 के दौरान	19.82	212.26	87.52	80.73	185.67	288.09	196.20	6.47	--	470.48	74.40	22.09	64.99	--
कुल अधिग्रहीत भूमि	19.82	212.26	87.52	386.96	768.38	288.09	196.20	514.14	818.42	470.48	636.38	1303.87	64.99	--
अधिग्रहण हेतु भूमि से कुल अधिग्रहित भूमि की प्रतिशतता	--	--	9.00	89.67	91.14	65.35	20.28	78.67	77.08	76.13	91.76	105.86	9.23	--
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
भूमि विकास (एकड़ में)														
मार्च 2001 तक	--	--	--	--	--	--	--	114.18	355.01	--	--	886.54	--	--

* मई 2003 में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की योजना से हस्तान्तरित।

** दिसम्बर 2003 में लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2001-02 से 2005-06 के दौरान	9.44	41.66	--	250.93	679.50	--	--	317.10	72.00	419.95	290.56	358.07	--	--
कुल विकसित भूमि	9.44	41.66	--	250.93	679.50	--	--	431.28	427.01	419.95	290.56	1244.61	--	--
कुल अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष विकसित भूमि का प्रतिशत	47.62	19.63	--	64.85	88.43	--	--	83.89	52.16	89.26	45.66	95.46	33.08	--
निर्माण हेतु प्रस्तावित परिसम्पत्तियाँ (संख्या में)	550	3220	501	4963	3624	305	1000	9452	580	8227	1573	1596	--	--
परिसम्पत्तियों का निर्माण (संख्या में)														
मार्च 2001 तक	--	--	--	--	--	--	--	3101	9193	4413	4601	10369	--	--
2001-02 से 2005-06 के दौरान	162	2734	--	--	8106	--	--	4385	1992	2719	69	3946	--	--
कुल निर्मित परिसम्पत्तियाँ (आबंटन हेतु प्रस्तावित)	162	2734	--	--	8106	--	--	7486	11185	7132	4670	14315	--	--
परिसम्पत्तियों का आबंटन (संख्या में)														
मार्च 2001 तक	--	--	--	--	--	--	--	2741	7175	4314	4366	10771	--	--
2001-02 से 2005-06 के दौरान	162	2055	--	--	6943	--	--	4454	3104	2638	58	2950	--	--
कुल आबंटित परिसम्पत्तियाँ।	162	2055	--	--	6943	--	--	7195	10279	6952	4424	13721	--	--
अवशेष परिसम्पत्तियाँ		679	--	--	1163	--	--	291	906	180	246	594	--	--

परिशिष्ट-17
छ: योजनाओं में भूमि के अधिग्रहण को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 3.1.9 में सन्दर्भित)

(भूमि एकड़ में)

क्रम संख्या	योजनाओं के नाम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचना की तिथि	धारा 31 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की तिथि	धारा 31 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की तिथि	मई 2006 तक लिया गया समय (माह)	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	
							मई 2006 तक लिया गया समय (माह)	लेखा परीक्षा प्रेक्षण
1	लोहरामऊ रोड, सुल्तानपुर	26.86	24.9.83	30.7.1984	21.9.1987	272	भूमि प्रयोग में प्रतिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया (31 अगस्त 2001)। शासन को एक अनुस्मारक भी भेजा गया (17 मार्च 2005)। शासन ने पुनः कुछ आपत्तियों के साथ प्रस्ताव वापस कर दिया (मई 2006)। प्रकरण परिषद के स्तर पर लम्बित है।	
2	दिल्ली-सहारनपुर बाई-पास रोड, गाजियाबाद	2614.91	12.9.1998	12.3.2004	प्रतीक्षित	92	शासन का अनुमोदन प्रतीक्षित था जिसके लिए शासन को 10.8.2005 को अनित्म अनुस्मारक भेजा गया। न्यायालय ने आदेश दिया था (18.11.2005) कि या तो शासन को दो माह के अन्दर धारा 32 के अधीन अधिसूचना हेतु अनुमोदन देना चाहिए या तो योजना को समाप्त कर देना चाहिए। परिषद ने धारा 31 (2) के अधीन अनुमोदन अथवा अदालत के आदेश के आलोक में निर्देश निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया (फरवरी 2006)। इस प्रकरण से सम्बन्धित अग्रेतर प्रगति शासन के स्तर पर लम्बित है।	
3	अरतौनी योजना, आगरा	1403.40	22.1.2002	स्थगित	स्थगित	52	तत्कालीन आवास मंत्री के निर्देशों के अनुसार, अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है। योजना को पुनः प्रारम्भ करने हेतु प्रकरण 20.11.2003 को शासन को सन्दर्भित किया गया था जिसके लिए मई 2004, फरवरी 2005 एवं जून 2005 में शासन को अनुस्मारक प्रेषित किये गये। शासन ने सितम्बर 2005 में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण माँगा जिसे परिषद द्वारा फरवरी 2006 में प्रेषित कर दिया गया था। शासन ने हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव के बारे में पूछताछ की। परिषद, आगरा विकास प्राधिकरण से अपेक्षित सूचना एकत्र कर रही है (मई 2006)।	
4	जागृति विहार योजना संख्या-11, मेरठ	658.37	1.6.2002	27.4.2005	प्रतीक्षित	48	धारा 31 (2) के अधीन अनुमोदन हेतु शासन को 20.6.2005 को प्रेषित किया प्रस्ताव, कुछ आपत्तियों के साथ जुलाई 2005 में वापस कर दिया गया। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात्, 7.3.2006 को पुनः प्रस्ताव भेजा गया। तब से यह शासन स्तर पर लम्बित है।	
5	जौनपुर-इलाहाबाद रोड, जौनपुर	71.39	10.7.2004	27.4.2005	प्रतीक्षित	22	धारा 31 (2) के अधीन अनुमोदन हेतु शासन को 27.5.2005 को भेजा गया प्रस्ताव, कुछ आपत्तियों सहित जून 2005 में वापस कर दिया गया। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात्, 12.8.2005 को पुनः प्रेषित प्रस्ताव, कुछ आपत्तियों सहित अक्टूबर 2005 को पुनः वापस आ गया। पुनः आपत्तियों के निराकरण के पश्चात्, 30.12.2005 को शासन को प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव शासन द्वारा वापस कर दिया गया जिसे आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् शासन को पुनः भेज दिया गया (अप्रैल 2006)। तब से यह शासन स्तर पर लम्बित है।	
6	सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	4085.43	7.8.2004	27.4.2005	प्रतीक्षित	21	शासन को प्रेषित किया गया प्रस्ताव, कुछ आपत्तियों के साथ 17.06.2005 को वापस आ गया। पुनः संशोधित प्रस्ताव 29.12.2005 को शासन को प्रेषित किया गया। शासन ने पुनः परिषद को निर्देशित करते हुये प्रस्ताव वापस कर दिया (अप्रैल 2006) कि योजना को परिचालित करने की आवश्यकता एवं सक्षमता पर विचार करते हुए, प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। प्रकरण को, निर्णयन हेतु परिषद के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया (29 मई 2006)। अग्रेतर प्रगति से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया है।	
	योग	8860.36						

परिशिष्ट-18

**2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान सीमेन्ट की दरों का विश्लेषण दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 3.1.26 में सन्दर्भित)**

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-17	सीडी-18	प्रति थैला अन्तर (रुपये)	थैलों की संख्या	मूल्य
			प्रति थैला दर (रुपये)	प्रति थैला दर (रुपये)			(रुपये)
2001-02							
1	मई 01 से जुलाई 01	अग्रवाल सीमेन्ट	142.50	150.00	7.50	3000	22500
2	सितम्बर 01 से नवम्बर 01	प्रिञ्च सीमेन्ट	124.00	150.00	26.00	2000	52000
3	दिसम्बर 01 से मार्च 02	जेपी सीमेन्ट	120.35	135.00	14.65	5440	79696
2002-03							
1	जून 02 से अगस्त 02	अग्रवाल सीमेन्ट	117.70	135.00	17.30	7300	126290
2	मार्च 03	जेपी सीमेन्ट	120.00	135.00	15.00	3500	52500
2003-04							
1	अप्रैल 03 से मई 03	जेपी सीमेन्ट	120.00	135.00	15.00	2000	30000
2	मई 03 से जून 03	जेपी सीमेन्ट	131.00	145.00	14.00	1500	21000
3	जुलाई 03 से फरवरी 04	जी.आर इंटरप्राइजेज	114.80	135.00	20.20	9000	181800
4	दिसम्बर 03 से फरवरी 04	अग्रवाल सीमेन्ट	114.00	135.00	21.00	17000	357000
2004-05							
1	अप्रैल 04 से मई 04	मैहर सीमेन्ट	151.87	160.00	8.13	8966	72894
2	जनवरी 05	मैहर सीमेन्ट	127.00	145.00	18.00	6000	108000
3	अक्टूबर 04	अग्रवाल सीमेन्ट	135.00	145.00	10.00	5000	50000
2005-06							
1	सितम्बर 05 से अक्टूबर 05	शाहुन इन्टरप्राइजेज	131.20	145.00	13.80	4000	55200

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-3	सीडी-12	प्रति थैला अन्तर (रुपये)	थैलों की संख्या	मूल्य
			प्रति थैला दर (रुपये)	प्रति थैला दर (रुपये)			(रुपये)
2001-02							
1	अगस्त 01 से सितम्बर 01	बिरला सीमेन्ट	140.11	145.00	4.89	1000	4890
2002-03							
1	अप्रैल 02 से सितम्बर 02	जेपी सीमेन्ट	127.98	140.00	12.02	1700	20434
2	मार्च 03	जेपी सीमेन्ट	117.90	140.00	22.10	5000	110500
2003-04							
1	मार्च 04	अम्बूजा सीमेन्ट	149.90	142.50	7.40	1050	7770
2	फरवरी 04	जेपी सीमेन्ट	124.95	140.00	15.05	2220	33411

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-3	सीडी-12	प्रति थैला अन्तर (रुपये)	थैलों की संख्या	मूल्य
			प्रति थैला दर (रुपये)	प्रति थैला दर (रुपये)			(रुपये)
2004-05							
1	अप्रैल 04 से मई 04	बिरला सीमेन्ट	157.00	154.00	3.00	2000	6000

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-3	सीडी-12	प्रति थैला अन्तर (रुपये)	थैलों की संख्या	मूल्य
			प्रति थैला दर (रुपये)	प्रति थैला दर (रुपये)			(रुपये)

2004-05

2	अगस्त 04	बिरला सीमेन्ट	127.15	129.75	2.60	5000	13000
3	फरवरी 05 से मार्च 05	बिरला सीमेन्ट	149.35	135.37	13.98	4000	55920

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-2	सीडी-12	प्रति थैला अन्तर (रुपये)	थैलों की संख्या	मूल्य
			प्रति थैला दर (रुपये)	प्रति थैला दर (रुपये)			(रुपये)

2001-02

1	19 मई 2001	बिरला सीमेन्ट	140.11	155.00	14.89	1000	14890.00
2	23 जून 2001	बिरला सीमेन्ट	137.31	155.00	17.69	1000	17690.00
3	सितम्बर 2001	मैहर सीमेन्ट	128.00	145.00	17.00	1000	17000.00
4	दिसंबर 2001	मैहर सीमेन्ट	117.00	123.95	6.95	1000	6950.00

2002-03

1	अगस्त 2002	जेपी सीमेन्ट	127.98	140.00	12.02	1700	20434.00
2	फरवरी/मार्च 2003	जेपी सीमेन्ट	115.90	135.00	19.10	5000	95500.00
3	25 से 28 मार्च 2003	जेपी सीमेन्ट	135.00	140.00	5.00	5000	25000.00

2003-04

1	अक्टूबर/नवम्बर 03	जेपी सीमेन्ट	115.65	120.90	5.25	400	7350.00
---	-------------------	--------------	--------	--------	------	-----	---------

2004-05

1	जून 2004	जेपी सीमेन्ट	142.00	150.40	8.40	10000	84000.00
---	----------	--------------	--------	--------	------	-------	----------

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-21	सीडी -12	प्रति थैला अन्तर (रुपये)	थैलों की संख्या	मूल्य
			प्रति थैला दर (रुपये)	प्रति थैला दर (रुपये)			(रुपये)

2001-02

1	अप्रैल से जून 01	बिरला सीमेन्ट	137.31	155.00	17.69	1000	17690.00
2.	जुलाई से अक्टूबर 2001	बिरला सीमेन्ट	137.00	145.00	8.00	1000	8000.00

2002-03

1	मार्च 2003	जेपी सीमेन्ट	135.00	140.00	5.00	5000	25000.00
---	------------	--------------	--------	--------	------	------	----------

2003-04

1	जनवरी 2004	जेपी सीमेन्ट	125.00	142.00	17.00	1450	24650.00
---	------------	--------------	--------	--------	-------	------	----------

2004-05

1	मई एवं जून 2004	जेपी सीमेन्ट	142.00	150.40	8.40	10000	84000.00
2	अगस्त 2004	जेपी सीमेन्ट	127.15	170.00	34.00	34.00	1457.00
3	अगस्त/सितम्बर 2004	जेपी सीमेन्ट	127.15	129.65	2.50	5000	12500.00
						योग	1922916.00

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-17	सीडी-18	प्रति एमटी अन्तर (रुपये)	मात्रा एमटी में	मूल्य
			प्रति एमटी दर (रुपये)	प्रति एमटी दर (रुपये)			(रुपये)
1	नवम्बर 03	जुही एलायैज	21900	20160	1800	21.725	39105
2	फरवरी 04	राम शिव इण्डस्ट्रीज	21380	20160	1220	18.250	22265
3	मार्च 04	जुही एलायैज	25400	27000	1600	29.965	47944
4	अक्टूबर 04	प्रीमियर इंस्पात	25885	27000	1115	17.95	20014

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-17	सीडी-18	प्रति एमटी अन्तर (रुपये)	मात्रा एमटी में	मूल्य (रुपये)
			प्रति एमटी दर (रुपये)	प्रति एमटी दर (रुपये)			
5	अगस्त 04	तेहानी स्टील्स	26586	27000	414	9.94	4115
6	मार्च 05	कामधेनु इस्पात	25711	27000	1289	17.915	23092
7	मार्च 05	जुही एलायैज़	26950	27000	50	3.10	155
8	अप्रैल 05 से जून 05	जुही एलायैज़	28100	27000	1100	17.71	19481
9	जून 05	प्रीमियर इस्पात	25727	27000	1273	19.90	25333

क्रम संख्या	प्राप्ति की अवधि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीडी-3	सीडी-12	प्रति एमटी अन्तर (रुपये)	मात्रा एमटी में	मूल्य (रुपये)
			प्रति एमटी दर (रुपये)	प्रति एमटी दर (रुपये)			
1	मई 04 से जून 04	प्रीमियर इस्पात	27150	24350	2800	28.02	78456
2	दिसम्बर 04 से मार्च 05	अन्जनी स्टील्स	25650	25900	350	53.08	18578
						योग	298538.00
						कुल योग	2221454.00

परिशिष्ट-19

2005-06 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान स्टील (8 मिमी) एवं सीमेन्ट की स्थिति को दर्शाती
विवरणी

(प्रस्तर 3.1.27 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	उपभोग की गयी सीमेन्ट थैले	उपभोग किया गया स्टील (एमटी)	योग (रुपये)
1.	सीडी-17, कानपुर	258955	824.395	
2.	सीडी-18, कानपुर	106612	221.225	
3.	सीडी-2, लखनऊ	49743	89.86	
4.	सीडी-3, लखनऊ	78300	197.55	
5.	सीडी-13, लखनऊ	18895*	77.485*	
6.	सीडी-12, लखनऊ	103349	254.190	
7.	सीडी-19, लखनऊ	66574	उपलब्ध नहीं	
8.	सीडी-21, लखनऊ	289280	590.083	
9.	सीडी-10, गाजियाबाद	95172	283.31	
10.	सीडी-16, गाजियाबाद	119685	308.37	
11.	सीडी-27, गाजियाबाद	133486	333.49	
12.	सीडी-32, गाजियाबाद	95996	249.422	
	योग	903542	1764.675	
	खाली थैले/अवशेष स्टील			
	(खाली थैले 80 प्रतिशत एवं स्टील अवशेष 2.5 प्रतिशत)	722834	44.12	
	2 रुपये प्रति थैले की दर से खाली सीमेन्ट थैलों एवं 15000 रुपये प्रति एमटी की दर से स्टील अवशेष का मूल्य	1445668	661800	2107468.00

* 2002-03 से 2005-06 को छोड़कर।

परिशिष्ट-20

खण्डीय प्रयोगशालाओं में परीक्षित किये गये नमूनों एवं ऐसे नमूनों जहाँ स्तरीकरण अपेक्षित था
 (फार्म 'ख'), की संख्या को दर्शाती विवरणी
 (प्रस्तर 3.1.30 में सन्दर्भित)

परीक्षित की गयी सामग्री का नाम		निम्नांकित खण्डों का नाम				
		सीडी-21, लखनऊ	सीडी-10, गाजियाबाद	सीडी-16, गाजियाबाद	सीडी-27, गाजियाबाद	सीडी-32, गाजियाबाद
उत्तम रेत	टीएसटी*	85	0	1	0	0
	जीआर**	85 (100)	0	0	0	0
घटिया रेत	टीएसटी	93	23	23	32	20
	जीआर	3 (3.23)	1 (4.34)	3 (13.04)	0	1 (5)
पथर की गिट्टी	टीएसटी	99	16	21	22	17
	जीआर	78 (78.79)	7 (43.75)	8 (38.09)	8 (36.36)	1 (5.88)
ईट के टुकड़े	टीएसटी	54	0	1	0	0
	जीआर	29 (53.70)	0	0	0	0
पथर के टुकड़े						7
40 मिमी	टीएसटी	24	8	7	0	2
	जीआर	17 (70.83)	7 (87.50)	2 (28.57)	0	1 (50)
45-63 मिमी	टीएसटी	26	0	8	1	0
	जीआर	16 (61.53)	0	3 (37.50)	0	0
22.44-53 मिमी	टीएसटी	24	0	6	1	0
	जीआर	11 (45.83)	0	3 (50.00)	1 (100)	0

नोट: कोष्ठक में दिये गये आँकड़े प्रतिशत को इंगित करते हैं।

* परीक्षित नमूनों (टीएसटी) की कुल संख्या।

** नमूनों की संख्या जहाँ स्तरीकरण अपेक्षित था (जीआर)।

परिशिष्ट-21

जाँच प्रतिवेदन (ईट)
(प्रस्तर 3.1.31 में सन्दर्भित)

वर्ष	खण्ड का नाम	कार्य स्थल पर लायी गई ईटों की सख्ता (लाख)	की गयी जाँचों की संख्या	जाँच प्रतिवेदनों की संख्या जहाँ लम्बाई, सीमा से अधिक थी	प्रति ईटों के परीक्षण हेतु मानदण्ड (लाख)	आईएस के अनुसार न्यूनतम 20 ईटों हेतु लम्बाई सम्बन्धी मानदण्ड (सेमी)	जाँच प्रतिवेदनों के अनुसार औसत लम्बाई।	20 ईटों हेतु लम्बाई में अन्तर (सेमी)	प्रति ईट लम्बाई में कमी (सेमी)	लम्बाई में कुल कमी (सेमी में)	ईटों की संख्या
2003-04	सीडी-16, गाजियाबाद	24.57	17	17	2.00	452	435.88	16.12	0.81	1990170	86529
2004-05	सीडी-16, गाजियाबाद	1.28	1	1	2.00	452	435.88	16.12	0.81	103680	4507
2003-04	सीडी-10, गाजियाबाद	34.57	19	15	2.00	452	435.88	16.12	0.81	2800170	121746
2004-05	सीडी-10, गाजियाबाद	4.50	2	2	2.00	452	435.88	16.12	0.81	364500	15847
2003-04	सीडी-27, गाजियाबाद	27.05	11	8	2.00	452	435.88	16.12	0.81	1296000	56347
2004-05	सीडी-27, गाजियाबाद	15.80	7	5	2.00	452	435.88	16.12	0.81	810000	35217
2005-06	सीडी-27, गाजियाबाद	18.40	13	10	2.00	452	435.88	16.12	0.81	1490400	64800
2003-04	सीडी-32, गाजियाबाद	22.10	15	11	2.00	452	435.88	16.12	0.81	1782000	77478
2003-04	सीडी-32, गाजियाबाद	1.50	1	1	2.00	452	435.88	16.12	0.81	121500	5282
2003-04	सीडी-32, गाजियाबाद	12.00	6	5	2.00	452	435.88	16.12	0.81	810000	35217
										योग	502970

परिशिष्ट-22

आबंटियों से वसूल की गयी अतिरिक्त लागत के समायोजन न करने को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.38 में सन्दर्भित)

प्रोजेक्ट एवं निर्माण खण्ड का नाम	प्रोजेक्ट की पहचान संख्या	निर्भित आवासों की संख्या	लागत निर्धारण के माध्यम से आबंटियों से वसूल की गयी लागत (लाख रुपये में)	लेखाओं के अनुसार मार्च 2006 तक वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	घटाया आबंटियों को वापस नहीं की गयी लागत (लाख रुपये में)	आबंटियों से वसूल की गयी प्रति आवास अतिरिक्त लागत (रुपये में)
सीडी-10, गाजियाबाद						
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430117	21	65.88	58.70	7.18	34190.00
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430110	39	158.89	146.01	12.88	33026.00
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430147	47	141.83	137.86	3.97	8447.00
सीडी -16, गाजियाबाद						
45/75 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	143098	41	83.87	79.40	4.47	10902.00
119/104 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430111	5	21.10	19.36	1.74	34800.00
119/104 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430121	19	81.34	72.92	8.42	44315.00
111/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	144000	10	60.45	54.85	5.60	56000.00
111/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430125	12	46.20	39.30	6.90	57500.00
111/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430113	12	50.07	41.53	9.54	79500.00
सीडी -27, गाजियाबाद						
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430110	20	79.60	79.00	0.60	3000.00
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430124	4	15.42	14.60	0.82	20500.00
56/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430144	32	68.54	66.75	1.79	5594.00
56/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430153	13	31.84	29.31	2.53	19461.00
सीडी -32, गाजियाबाद						
97/79 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430152	17	64.66	60.04	4.62	27176.00
97/79 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430116	23	75.37	60.30	15.07	65521.00
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430110	19	73.24	53.45	19.79	104158.00
79/65 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	1430107	21	61.36	58.19	3.17	15095.00
56/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	143095	50	136.94	125.56	11.38	22760.00
56/121 आकार वाले डुप्लेक्स भवन	143098	51	98.85	89.45	9.40	18431.00
	योग	456			129.87	

परिशिष्ट-23
दीर्घकाल से अबिक्रीत रही परिसम्पत्तियों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 3.1.41 में सन्दर्भित)

योजना का नाम	परिसम्पत्तियाँ			ईएमओ को हस्तगत करने का वर्ष	वर्तमान मूल्य (करोड़ रुपये में)	टिप्पणियाँ/कारण
	श्रेणी	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
केशवपुरम, कानपुर योजना संख्या-1	एलआईजी भवन	16		1998	0.94	गाँव से लगा हुआ। 50 बार नीलामी आहूत की गयी।
	एमआईजी भवन	2		1999	0.26	मंदित एवं पीपल के पेड़ से लगा हुआ। अनाधिकृत रूप से घेरा हुआ। 40 बार नीलामी आहूत की गई।
	एचआईजी भवन	1		1986	0.15	जीर्ण-शीर्ध अवस्था। 75 बार नीलामी आहूत की गयी।
	वाणिज्यिक प्लॉट	88	20580	1987	18.21	वृहद आकार और ऐसे स्थान पर स्थित जो कि व्यवसाय हेतु उपयुक्त नहीं है।
	दुकानें	11		1987	0.46	जीर्ण-शीर्ध अवस्था। नीलामी 120 बार आहूत की गयी।
	संस्थात्मक प्लॉट	9	13120	2002-04	9.18	वर्ष 2002 से पूर्व प्रस्तावित नहीं। वृहद आकार एवं अनुपयुक्त स्थान।
योजना संख्या-3	दुकानें	28		1984	2.64	जीर्ण-शीर्ध अवस्था। अनुपयुक्त स्थान पर स्थित।
राजनगर योजना, लखीमपुर	आवासीय प्लॉट संख्या- 524 से 584 तक	61	3199	1.00	एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ स्कूल का प्लॉट है।	
	आवासीय प्लॉट संख्या- 598 से 602 तक	5	661			
	आवासीय प्लॉट संख्या- 603 से 610 तक	8	1100			
	वाणिज्यिक प्लॉट संख्या- 604 से 611 तक	8	1117	1.19	एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ स्कूल का प्लॉट। पश्च-भाग में आवासीय प्लॉट माँग विहीन स्थिति में है।	
	वाणिज्यिक प्लॉट संख्या- 101 और 102	2	1834			
						वृहदाकार, विकृत आकार और संस्थात्मक प्लॉट तथा स्कूल तीन तरफ स्थित है। आवासीय जनसंख्या व्यावसायिक प्लॉटों के पश्च-भाग में है। प्लॉटों की स्थिति, उन्हें माँग विहीन करती है।

योजना का नाम	परिसम्पत्तियाँ			ईएमओ को हस्तगत करने का वर्ष	वर्तमान मूल्य (करोड़ रुपये में)	टिप्पणियाँ/कारण
	श्रेणी	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
	सामुदायिक केन्द्र	1	564		0.17	पार्श्व-भाग में कालोनी को विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपकेन्द्र परिषद द्वारा स्थापित किया गया है, जिसके कारण माँग नगण्य है।
पंचवटी, सीतापुर योजना संख्या-1	कार्यालय प्रांगण के खण्ड अ एवं ब के अन्तर्गत हॉल	2	324.52		0.19	नियोजन-त्रुटि। छोटे शहर में आवश्यकता का आंकलन किये बिना हॉलों का निर्माण किया गया था।
झूँसी, इलाहाबाद योजना संख्या-3	नर्सिंग होम हेतु प्लाट्स (6एनएच-1 एवं 2)	2	1680	2002	0.91	सीडी इलाहाबाद ने स्टोर्स स्थापित किये थे। कोई माँग नहीं
झूँसी, इलाहाबाद योजना संख्या-2	दुकानें	20		1991-92	4.80	1990-91 के दौरान निर्मित। त्रुटिपूर्ण स्थापन के कारण कोई माँग नहीं।
योजना संख्या-3	सामुदायिक केन्द्र हेतु प्लॉट	1		2001-02	1.59	2000-01 के दौरान निर्मित त्रुटिपूर्ण स्थापन के कारण कोई माँग नहीं।
योजना संख्या-3	नर्सिंग होम्स हेतु प्लॉट	2		2003-04	0.50	कोई माँग नहीं।
चन्द्रशेखर आजाद नगर, इलाहाबाद	व्यावसायिक प्लॉट	20	178.50	जुलाई 2005	0.16	पहली बार प्रस्तावित। लोग यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि भूमि कब्रिगाह से सम्बन्धित है।
ओबरी योजना, बारांबकी	दुकानें	16			0.40	58.73 एकड़ भूमि में केवल 17 दुकानें 10 वर्षों से अधिक समय से अविक्रीत। दुकानें, स्कूल-प्लॉटों से लगी हुयी, खुले क्षेत्र एवं गाँव की तरफ है 49 आवासीय भवनों में, व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थीं जिसके कारण माँग नगण्य थीं।
	स्कूल हेतु प्लॉट	2	12500		1.27	कोई माँग नहीं।
मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ	व्यावसायिक प्लॉट	10	3147.89	1988	3.31	आरक्षित मूल्य बाजार मूल्य से अधिक था।
ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, मेरठ	व्यावसायिक प्लॉट	14	754.16	1988	0.54	आरक्षित मूल्य बाजार मूल्य से अधिक था।
शास्त्री नगर योजना संख्या-3, मेरठ	दुकानें	37	586.20	1988	1.39	दुकानें बुरी स्थिति में हैं। व्यवसायिक दृष्टि से क्षेत्र का विक्रय लाभकर नहीं है।
	ईडब्ल्यूएस भवन	14	248.36		0.17	तृतीय तल पर स्थित, पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है।
शास्त्री नगर योजना संख्या-7, मेरठ	व्यावसायिक प्लॉट	25	7945		5.71	मुख्य सड़क से दूरस्थ, व्यावसायिक दृष्टि से लाभकर नहीं।

योजना का नाम	परिसम्पत्तियाँ			ईएमओ को हस्तगत करने का वर्ष	वर्तमान मूल्य (करोड़ रुपये में)	टिप्पणियाँ/कारण
	श्रेणी	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
पशु कालोनी, लखनऊ	पशु-प्लॉट	790	124228	1998-1999	9.26	804 प्लॉटों में से 772 प्लॉटों का आबंटन हुआ था किन्तु केवल 14 प्लाटों का कब्जा आवंटियों द्वारा प्राप्त किया गया। शेष निरस्त कर दिये गये।
संजय बिहार, हापुड़	मिश्रित प्रयोग वाले प्लॉट	1	2226.15	जून 2002	1.22	कोई मँग नहीं। भूमि के प्रयोग में प्रतिवर्तन के बावजूद, प्लाटों को विक्रय नहीं किया जा सका।
				योग	65.62	

परिशिष्ट-24

परिषद की परिसम्पत्तियों में अनाधिकृत कब्जा

(प्रस्तर 3.1.42 में सन्दर्भित)

(वर्तमान मूल्य: लाख रुपये में)

योजनाओं के नाम	अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के विवरण	परिसम्पत्तियों की संख्या	वर्तमान मूल्य (लाख)	टिप्पणियाँ
राजनगर योजना, लखीमपुर	एम.आई.जी भवन संख्या-27	1	9.70	अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत। अवमुक्त कराने हेतु कोई पर्याप्त उपाय नहीं किये गये।
	एल.आई.जी भवन संख्या-417,394,413 एवं 504	4	18.00	अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत। अवमुक्त कराने हेतु कोई पर्याप्त उपाय नहीं किये गये।
	ई.डब्ल्यू.एस. संख्या-105 एवं 439	2	4.00	अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत। अवमुक्त कराने हेतु कोई पर्याप्त उपाय नहीं किये गये।
जीटीबी नगर, इलाहाबाद	व्यावसायिक प्लाट संख्या-23 (317 वर्ग मीटर)	1	27.64	प्लाट 1994 में प्रस्तावित किया गया और बिका नहीं था। इसके पश्चात् 35 बार नीलामी के बाद भी इसे बेचा नहीं जा सका। वर्तमान में यह झुग्गी झोपड़ी वालों तथा गुमटी वाले दुकानदारों द्वारा अधिग्रहीत है।
	आवासीय प्लाट्स (468.30 वर्ग मीटर)	1	26.16	1986 से अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत।
	ई.डब्ल्यू.एस. भवन संख्या ई-98/11, 12, 14, एवं ई-129/1	4	19.10	18-20 वर्षों से पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत। इन भवनों को पुलिस चौकी-सह-आवास हेतु प्रयोग किया जा रहा है। परिषद के अधिकारियों ने उन्हें खाली करवाने अथवा पुलिस विभाग को आबंटित करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया।
पंचवटी, सीतापुर	प्लाट (150 वर्ग मीटर)	1	3.00	अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत।
		योग	107.60	

परिशिष्ट-25

**ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए ऋण का आस्थगन न होने के कारण अस्वीकार्य
उपदान के विवरण को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 3.2.12 में सन्दर्भित)**

स्थान	संरचित क्षमता (एमटी)	उपदान के लिए ली गई क्षमता (अधिकतम 10,000 एमटी)	1500 रुपये प्रति एमटी की दर से परियोजना लागत/वास्तविक लागत (जो भी कम हो) (लाख रुपये में)	25 प्रतिशत की दर से अनुमन्य उपदान की राशि (लाख रुपये में)
शाहजहाँपुर	88880	10000	150.00	37.50
पूर्नपूर	37000	10000	150.00	37.50
लखीमपुर	92000	10000	150.00	37.50
पिहानी	50830	10000	150.00	37.50
कुर्सी रोड	19100	10000	150.00	37.50
फर्रखाबाद	28500	10000	150.00	37.50
जैनपुर	28900	10000	150.00	37.50
फिरोजाबाद-आईए	58810	10000	150.00	37.50
एटा	55540	10000	150.00	37.50
गोरखपुर-आईए	20000	10000	150.00	37.50
देवरिया-एलए	20000	10000	150.00	37.50
भरथना	11450	10000	150.00	37.50
खैर	3110	3110	26.01	06.50
गोरखपुर	5000	5000	51.86	12.97
योग				469.47

परिशिष्ट-26

**धर्मकाँटा की संस्थापना न होने के कारण भुगतान किये गये तोलन शुल्क के विवरण को
दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 3.2.20 में सन्दर्भित)**

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	केन्द्र	भुगतान किया गया तोलन शुल्क	प्रत्येक केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष भुगतान किया गया औसत तोलन शुल्क (रुपये में)	
			अवधि	भुगतान की गई राशि	
1.	गोरखपुर	देवरिया (उम्र बाजार)	2002-03 से 2005-06	1536495	384123
		गोरखपुर इण्डस्ट्रियल एरिया	2002-03 से 2005-06	702877	175719
		सरदार नगर	2001-02 से 2005-06	503042	100608
2.	वाराणसी	वाराणसी मण्डी समिति	2004-05 से 2005-06	334785	167392
		जौनपुर	2002-03 से 2005-06	561446	140361
3.	बरेली	अमलोनीपुर	2002-03 से 2005-06	736216	184054
4.	मेरठ	मेरठ नवीन मण्डी	2001-02 से 2005-06	218047	43609
5.	फैजाबाद	गोण्डा	2003-04 से 2005-06	263380	87793
		सफदरगंज	2001-02 से 2005-06	165274	33054
6.	उत्तरांचल	गादरपुर	2001-02 से 2005-06	331894	66379
		हल्द्वानी (एनएम)	2001-02 से 2005-06	129234	25847
7.	लखनऊ	सण्डीला	2001-02 से 2005-06	548740	109748
		पलियाँकलां	2001-02 से 2005-06	176660	35332
		जायस	2001-02 से 2005-06	168121	33624
		सीतापुर	2001-02 से 2005-06	184794	36959
		सीतापुर (रामकोट)	2002-03 से 2005-06	305603	76400
		मिश्रिख	2001-02 से 2005-06	256276	51255
8.	कानपुर	जसवन्त नगर	2004-05 से 2005-06	191576	95788
		छिंडा मऊ	2001-02 से 2005-06	158955	31791
	योग			7473415	

परिशिष्ट-27

**धर्मकाँटा का संचालन न होने के कारण तोलन पर हुए व्यय के विवरण को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 3.2.21 में सन्दर्भित)**

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	केन्द्र	धर्मकाँटा संस्थापन का माह	भुगतान किया गया तोलन शुल्क	
				अवधि	भुगतान की गयी राशि
1.	मुरादाबाद	मुरादाबाद इण्डस्ट्रियल एरिया	अप्रैल 2002	2003-04 से 2005-06	537674
		गजरौला	फरवरी 2002	2002-03 से 2005-06	74300
2.	झाँसी	उरई	सितम्बर 1998	2000-01 से 2005-06	186073
		ललितपुर	फरवरी 2002	2002-03 से 2005-06	78423
3.	गोरखपुर	देवरिया	जनवरी 2000	2000-01 से 2005-06	262391
4.	फैजाबाद	हैदरगढ़	अप्रैल 2002	2002-03 से 2005-06	109599
5.	उत्तरांचल	किंच्छा	जनवरी 2001	2001-02 से 2005-06	97810
6.	आगरा	एटा	दिसम्बर 2001	2002-03 से 2005-06	81154
		फिरोजाबाद	दिसम्बर 2001	2003-04	45690
7.	इलाहाबाद	धूमनगंज	मई 2003	2003-04 से 2005-06	611603
		प्रतापगढ़	जुलाई 2002	2002-03 से 2003-04	188065
		नैनी (इलाहाबाद)	जुलाई 2002	2002-03 से 2003-04	54592
		फतेहपुर	अक्टूबर 2001	2003-04 से 2005-06	99381
8.	बरेली	बब्राला	मार्च 2002	2002-03 से 2004-05	172562
		बिठारकलाँ	नवम्बर 2001	2002-03 से 2003-04	88037
9.	कानपुर	जैनपुर इण्डस्ट्रियल एरिया	अक्टूबर 2001	2003-04 से 2004-05	76376
10.	लखनऊ	लखीमपुर	जून 2000	2001-02 से 2002-03	51040
	योग				2814770

परिशिष्ट-28

**एफसीआई तथा आरएफसी के लिये अनुमन्य उसी केन्द्र पर अन्तरात्मक एच एण्ड टी दरों को दर्शाती
विवरणी**
(प्रस्तर 3.2.23 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	क्षेत्र	केन्द्र का नाम	एफसीआई			आरएफसी		
			ठेकेदार का नाम	दर	अवधि	ठेकेदार का नाम	दर	अवधि
1	आगरा	मैनपुरी करहल रोड	मौं जगदम्ब एण्ड क०	29 प्रतिशत एएसओआर	22/2/05 से 21/2/07	ब्रजेश कुमार गुप्ता	10 प्रतिशत बीएसओआर	17/4/05 से 16/4/07
2		फिरोजाबाद	संजीव एण्ड ब्रदर्स	122 प्रतिशत एएसओआर	04/06 से 04/08	दिनेश चन्द्र गुप्ता	10 प्रतिशत बीएसओआर	29/1/05 से 28/1/07
3	इलाहाबाद	फतेहपुर	आनन्द कुमार अग्रवाल	157 प्रतिशत एएसओआर	10/12/04 से 09/12/06	दिलीप एण्ड क०	98 प्रतिशत एएसओआर	6/5/05 से 5/5/07
4		प्रतापगढ़	इकबाल अहमद अन्सारी	155 प्रतिशत एएसओआर	15/10/05 से 14/10/07	इकबाल अहमद अन्सारी	117 प्रतिशत एएसओआर	20/5/05 से 19/5/07
5	वाराणसी	र्मिजापुर	इकबाल सन्स	165 प्रतिशत एएसओआर	1/1/05 से 31/12/06	सुरेश कुमार सिंह	115 प्रतिशत एएसओआर	1/5/05 से 30/4/07
6		गाजीपुर	संजय कुमार सिंह	120 प्रतिशत एएसओआर	29/8/05 से 28/8/07	संजय कुमार सिंह	44 प्रतिशत एएसओआर	6/7/04 से 5/7/06
7	मुरादाबाद	गजरोला	कोहली इंटरप्राइजेज	165 प्रतिशत एएसओआर	15/7/04 से 14/7/06	देव दत्त द्वारा काका	140 प्रतिशत एएसओआर	2/8/04 से 1/8/06
8		मुरादाबाद ईए	देव दत्त द्वारा काका द्वा०	137 प्रतिशत एएसओआर	21/8/04 से 20/8/06	कोहली इंटरप्राइजेज	98 प्रतिशत एएसओआर	5/10/05 से 4/10/07
9	झाँसी	ललितपुर	संतोष सिंह परिहार	78 प्रतिशत एएसओआर	25/8/05 से 24/8/07	जय करन सिंह	44.9 प्रतिशत एएसओआर	16/4/05 से 15/4/07
10	गोरखपुर	देवरिया ईए	शम्भू सरन तिवारी	135 प्रतिशत एएसओआर	19/8/04 से 18/8/06	अशोक कुमार बागड़िया	104 प्रतिशत एएसओआर	13/9/04 से 12/9/06
11		गोरखपुर ईए	राजेश यादव	135 प्रतिशत एएसओआर	19/8/04 से 18/8/06	राधेश्याम यादव	104 प्रतिशत एएसओआर	23/8/04 से 22/8/06
12	कानपुर	खेमसेपुर	अशोक कुमार सिंह तथा हरनाम सिंह	एच 90 प्रतिशत एएसओआर टी 148 प्रतिशत एएसओआर	13/7/04 से 12/7/06	न्यू सिंह टान्स. क०	35 प्रतिशत एएसओआर	13/7/04 से 12/7/06
13	बरेली	बरेली नयू ईए	अंसुल इंटरप्राइजेज	14 प्रतिशत एएसओआर	5/7/04 से 4/7/06	जे.एस. फ्लीट कैरियर	10 प्रतिशत बीएसओआर	3/8/05 से 2/8/07
14	देहरादून	विकास नगर	कवल जीत सिंह	155 प्रतिशत एएसओआर	1/3/06 से 28/2/08	कोहली इंटरप्राइजेज	131 प्रतिशत एएसओआर	1/6/05 से 31/5/07
15		किंच्चा	शमशुल हक्	153 प्रतिशत एएसओआर	15/9/05 से 14/9/07	शमशुल हक्	130 प्रतिशत एएसओआर	1/10/05 से 30/9/07
16		सितारगंज	शमशुल हक्	207 प्रतिशत एएसओआर	9/5/05 से 8/5/07	शमशुल हक्	131 प्रतिशत एएसओआर	8/6/05 से 7/6/07

परिशिष्ट-29

**यूबीआई से लिये गये ऋण की अन्तरात्मक दरों पर ब्याज की गणना को दर्शाती
विवरणी**
(प्रस्तर 3.2.24 में सन्दर्भित)

यूबीआई से ऋण आहरण की तिथि	आहरित राशि (करोड़ रुपये में)	ब्याज की अन्तरात्मक दर (प्रतिशत में)	दिनों की संख्या		अवधि के दौरान ब्याज की राशि (रुपये में)	
		नवम्बर 2001 से मार्च 2002 के दौरान (12 % - 11 %)	अप्रैल 2002 से अक्टूबर 2002 के दौरान (12 % - 11.5 %)	नवम्बर 2001 से मार्च 2002 तक	अप्रैल 2002 से अक्टूबर 2002 तक	नवम्बर 2001 से मार्च 2002 तक
29.03.2001	10.00	1.0	1.5	151	214	413698
09.05.2001	5.00	1.0	1.5	151	214	206849
04.06.2001	5.00	1.0	1.5	151	214	206849
05.07.2001	5.00	1.0	1.5	151	214	206849
08.08.2001	5.00	1.0	1.5	151	214	206849
12.09.2001	4.00	1.0	1.5	151	214	165479
25.09.2001	1.00	1.0	1.5	151	214	41370
29.09.2001	5.00	1.0	1.5	151	214	206849
15.10.2001	4.00	1.0	1.5	151	214	165479
02.11.2001	10.00	1.0	1.5	150	214	410959
15.11.2001	5.00	1.0	1.5	136	214	186301
27.12.2001	5.00	1.0	1.5	95	214	130137
योग	65.00					2547668
						5628493

कुल योग 8176161 रुपये

परिशिष्ट-30

**कम्पनियाँ जिन्होने अपने लेखों का अन्तिमीकरण करते समय लेखांकन मानकों का उल्लंघन किया, के विवरण को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 4.33 में सन्दर्भित)**

लेखांकन मानक (एस) उल्लंघनों की संख्या	एस-1	एस-2	एस-4	एस-6	एस-7	एस-9	एस-10	एस-11	एस-12	एस-13	एस-15	एस-16	
लेखांकन मानक का विवरण	नान-डिस्क्लोजर ऑफ एकाउटिंग पॉलिसीज	वैल्युएशन ऑफ इनवेन्ट्रीज	कन्टीनेनसीज एण्ड इवेन्ट्स आकर्सिंग आफ्टर दि बैलेस शीट डेट	डेप्रीशियेशन एकाउटिंग	एकाउटिंग फार कल्स्ट्रक्शन कान्ट्रेक्ट्स	रेवन्यू रिकाग्निशन	एकाउटिंग फॉर फिक्स्ड ऐसेट्स	एकाउटिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ चेन्जेस इन फॉरेन इक्सचेज रेट्स	एकाउटिंग फार गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स	एकाउटिंग फार इन्वेस्टमेन्ट्स	एकाउटिंग फार बेनेफिट्स इन दि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स ऑफ इम्प्लायर्स	बॉर्झिंग कॉस्ट	
क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष/वर्षों जिनमें उल्लंघन हुआ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	यूपी एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1998-1999 1999-2000	1998-1999 1999-2000						1998-1999 1999-2000	1998-1999 1999-2000			
2.	यूपी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड		2001-02 2002-03 2003-04						2001-02 2002-03 2003-04	2001-02 2002-03 2003-04	2001-02 2002-03 2003-04	2001-02 2002-03 2003-04	
3.	यूपी स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड		2002-03 2003-04 2004-05	2003-04 2004-05	2003-04 2004-05		2003-04 2004-05						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड		2000-01 2001-02 2002-03			2000-01 2001-02 2002-03						2000-01 2001-02 2002-03	
5.	यूपी अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड						1992-93 1993-94						
6.	यूपी चलचित्र निगम लिमिटेड		2000-01 2001-02										
7.	यूपी स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड		2001-02 2002-03 2003-04								2001-02 2002-03 2003-04		
8.	यूपी महिला कल्याण निगम लिमिटेड									2001-02 2002-03			
9.	यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड						2001-02 2002-03 2003-04					2001-02 2002-03 2003-04	
10.	यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड											2000-01 2001-02 2002-03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	यूपी स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड		2002-03 2003-04 2004-05					2002-03 2003-04 2004-05					
12.	यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड		2001-02 2002-03 2003-04		2001-02 2002-03 2003-04		2001-02 2003-04	2001-02 2002-03 2003-04			2001-02 2002-03 2003-04	2002-03 2003-04	
13.	यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड		2001-02 2003-04										
14.	यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		2002-03 2003-04 2004-05										

परिशिष्ट-31

**कम्पनियों की वार्षिक सामान्य बैठकों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 4.34 में सन्दर्भित)**

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	कम्पनी द्वारा अनितमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	लेखों को अंगीकृत करने हेतु वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि	वार्षिक प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि	राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	राज्य विधायिका के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	एजीएम करने के पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब	राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 अ	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	27.12.2005	27.3.2006	9.5.2006	--	--	1
ब		2002-03	28.03.2005	28.6.2005	30.8.2005	8.12.2005	5	--
स		2001-02	19.09.2004	19.12.2004	29.1.2005	25.7.2005	7	--
द		2000-01	29.09.2003	29.12.2003	19.12.2003	5.8.2004	7	--
य		1999-2000	06.07.2001	6.10.2001	21.11.2001	6.9.2002	11	--
2 अ	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04	16.01.2006	16.4.2006	--	--	--	--
ब		2002-03	27.09.2004	27.12.2004	--	--	--	--
स		2001-02	18.09.2003	18.12.2003	--	--	--	--
द		2000-01	27.08.2002	27.11.2002	--	--	--	--
य		1999-2000	29.09.2001	29.12.2001	31.8.2002	--	--	8
र		1998-99	06.12.2000	6.3.2001	31.8.2002	--	--	18
ल		1997-98	27.07.1999	27.10.1999	20.3.2001	1.6.2001	19	--
3 अ	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	10.06.2005	10.9.2005	03.12.2005	--	--	2
ब		2001-02	06.08.2004	6.11.2004	09.09.2004	--	--	--
स		2000-01	27.09.2003	27.12.2003	12.11.2003	--	--	--
द		1999-2000	06.01.2003	6.4.2003	06.03.2003	--	--	--
य		1998-99	03.08.2001	3.11.2001	23.10.2001	--	--	--
4 अ	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1990-91	07.10.2003	7.1.2004	--	--	--	--
ब		1989-90	26.09.2001	26.12.2001	--	--	--	--
स		1988-89	01.07.2000	1.10.2000	--	--	--	--
द		1987-88	06.06.1998	6.9.1998	21.06.2003	--	--	57
य		1986-87	28.01.1997	28.4.1997	21.06.2003	--	--	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 अ	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कामाओडीज कारपोरेशन लिमिटेड	1988-89	22.06.2004	22.9.2004	--	--	--	--
ब		1987-88	30.12.2002	30.3.2003	--	--	--	--
स		1986-87	05.09.2001	5.12.2001	--	--	--	--
द		1985-86	16.01.1997	16.4.1997	--	--	--	--
य		1984-85	26.09.1994	26.12.1994	24.3.1998	--	--	39
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	28.06.2005	28.9.2005	--	--	--	--
		2001-02	30.03.2005	30.6.2005	--	--	--	--
		2000-01	06.11.2004	06.2.2005	--	--	--	--
		1999-2000	12.02.2004	12.5.2004	--	--	--	--
		1998-99	19.05.2003	19.8.2003	--	--	--	--
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	05.04.2005	5.7.2005	--	--	--	--
		2001-02	02.04.2004	2.7.2004	--	--	--	--
		2000-01	24.01.2003	24.4.2003	--	--	--	--
		1999-2000	29.05.2002	29.8.2002	--	--	--	--
		1998-99	30.03.2001	30.6.2001	--	--	--	--
8	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2001-02	23.07.2005	23.10.2005	--	--	--	--
		2000-01	20.11.2004	20.2.2005	--	--	--	--
		1999-2000	25.03.2004	25.6.2004	--	--	--	--
		1998-99	23.05.2003	23.8.2003	--	--	--	--
		1997-98	22.10.2002	22.1.2003	--	--	--	--
9	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2001-02	02.02.2005	2.5.2005	--	--	--	--
		2000-01	26.09.2003	26.12.2003	--	--	--	--
		1999-2000	25.01.2002	25.4.2002	--	--	--	--
		1998-99	24.02.2001	24.5.2001	--	--	--	--
		1997-98	07.03.2000	7.6.2000	--	--	--	--
10	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1996-97	18.10.2004	18.1.2005	--	--	--	--
		1995-96	02.01.2004	2.4.2004	--	--	--	--
		1994-95	13.09.2002	13.12.2002	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1993-94	26.12.2001	26.3.2002	--	--	--	--
		1992-93	17.05.2001	17.8.2001	--	--	--	--
11	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	06.10.2005	6.1.2006	--	--	--	--
		2002-03	28.04.2005	28.7.2005	--	--	--	--
		2001-02	25.03.2004	25.6.2004	--	--	--	--
		2000-01	31.03.2003	31.6.2003	--	--	--	--
		1999-2000	20.12.2001	20.3.2002	--	--	--	--
12	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2003-04	30.10.2005	30.1.2006	--	--	--	--
		2002-03	02.08.2004	2.11.2004	--	--	--	--
		2001-02	07.07.2003	7.10.2003	--	--	--	--
		2000-01	30.05.2002	30.8.2002	--	--	--	--
		1999-2000	05.10.2001	5.1.2002	--	--	--	--
13	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2004-05	03.02.2006	3.5.2006	--	--	--	--
		2003-04	12.04.2005	12.7.2005	--	--	--	--
		2002-03	08.03.2004	8.6.2004	--	--	--	--
		2001-02	26.04.2003	26.7.2003	--	--	--	--
		2000-01	17.06.2002	17.9.2002	--	--	--	--
14	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	--	--	--	--	--	--
		2001-02	29.6.2005	29.9.2005	--	--	--	--
		2000-01	08.11.2004	8.2.2005	--	--	--	--
		1999-2000	28.02.2003	28.5.2003	--	--	--	--
		1998-99	28.09.2001	28.12.2001	--	--	--	--
15	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2003-04	30.09.2005	30.12.2005	--	--	--	--
		2002-03	27.07.2004	27.10.2004	--	--	--	--
		2001-02	07.04.2003	7.7.2003	--	--	--	--
		2000-01	23.07.2002	23.10.2002	--	--	--	--
		1999-2000	22.09.2001	22.12.2001	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	उत्तर प्रदेश शोडयूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1997-98	06.01.2006	6.4.2006	--	--	--	--
		1996-97	10.07.2004	10.10.2004	--	--	--	--
		1995-96	02.01.2003	2.4.2003	--	--	--	--
		1994-95	15.05.2002	15.8.2002	--	--	--	--
		1993-94	18.01.2001	18.4.2001	--	--	--	--
17	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04	27.09.2005	27.12.2005	--	--	--	--
		2002-03	24.01.2005	24.4.2005	--	--	--	--
		2001-02	27.09.2003	27.12.2003	--	--	--	--
		2000-01	30.09.2002	30.12.2002	--	--	--	--
		1999-2000	22.12.2001	22.3.2002	--	--	--	--
18	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2003-04	30.05.2005	30.8.2005	--	--	--	--
		2002-03	26.09.2004	26.12.2004	--	--	--	--
		2001-02	17.01.2004	17.4.2004	--	--	--	--
		2000-01	28.07.2003	28.10.2003	--	--	--	--
		1999-2000	05.05.2003	5.8.2003	--	--	--	--
19	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2003-04	--	--	--	--	--	--
		2002-03	26.05.2005	26.8.2005	--	--	--	--
		2001-02	11.03.2004	11.6.2004	--	--	--	--
		2000-01	13.08.2003	13.11.2003	--	--	--	--
		1999-2000	12.05.2003	12.8.2003	--	--	--	--
20	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड*	1996-97	22.03.2005	22.6.2005	--	--	--	--
		1995-96	04.06.2004	4.9.2004	--	--	--	--
		1994-95	30.05.2003	30.8.2003	--	--	--	--
		1993-94	28.09.2001	28.12.2001	--	--	--	--
		1992-93	09.12.1997	9.3.1998	--	--	--	--

* क्रम संख्या 20,21 एवं 22 पर उल्लिखित कम्पनियों के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	29.08.2005	29.11.2005	--	--	--	--
		2002-03	16.09.2004	16.12.2004	--	--	--	--
		2001-02	22.10.2003	22.1.2004	--	--	--	--
		2000-01	04.02.2003	4.5.2003	--	--	--	--
		1999-2000	14.12.2001	14.3.2002	--	--	--	--
22	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	24.03.2005	24.6.2005	--	--	--	--
		2001-02	23.03.2004	23.6.2004	--	--	--	--
		2000-01	13.08.2003	13.11.2003	--	--	--	--
		1999-2000	07.04.2003	7.7.2003	--	--	--	--
23	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	2001-02	17.12.2005	17.3.2006	--	--	--	--
		2000-01	11.03.2005	11.6.2005	--	--	--	--
		1999-2000	06.06.2003	6.9.2003	--	--	--	--
24	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	01.02.2005	1.5.2005	--	--	--	--
		2001-02	30.09.2003	30.12.2003	--	--	--	--
		2000-01	23.09.2002	23.12.2002	--	--	--	--
		1999-2000	29.09.2001	29.12.2001	--	--	--	--
		1998-99	30.09.2000	30.12.2000	--	--	--	--
25	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03	27.06.2005	27.9.2005	--	--	--	--
		2001-02	28.08.2004	28.11.2004	--	--	--	--
		2000-01	29.09.2003	29.12.2003	--	--	--	--
		1999-2000	26.03.2003	26.6.2003	--	--	--	--
		1998-99	02.01.2002	2.4.2002	--	--	--	--
26	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2000-01	11.11.2005	11.2.2006	--	--	--	--
		1999-2000	15.03.2005	15.6.2005	--	--	--	--
		1998-99	24.03.2004	24.6.2004	--	--	--	--
		1997-98	29.07.2002	29.10.2002	--	--	--	--
		1996-97	04.09.2000	4.12.2000	--	--	--	--

परिशिष्ट-32

प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 4.35 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	ऊर्जा	18	8	20	9	20	15	14	12	14	10
2.	परिवहन	2	0	3	0	1	0	--	--	4	4
3.	सहकारिता	--	--	--	--	2	0	--	--		
4.	समाज कल्याण	--	--	1	0	--	--	3	3	1*	1*
5.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
6.	वक्रफ एवम अल्पसंख्यक	2	0	--	--	--	--	1	1	1*	1*
7.	महिला कल्याण	--	--	--	--	--	--	--	--	1*	1*
8.	कृषि	--	--	1	0	2	0	--	--	--	--
9.	वस्त्र उद्योग	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
10.	आौद्योगिक विकास	6	0	8	6	9	0	4	4	5	5
11.	लोक निर्माण	2	0	--	--	2	0	1	1	1	1
12.	पर्यटन	--	--	--	--	1	0	--	--	--	--

* समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसन्धित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के उत्थान पर एक समीक्षा ने तीन विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन (उत्तर प्रदेश शेडयूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड: वक्रफ एवं अल्पसंख्यक विभाग तथा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड: महिला कल्याण विभाग) के प्रेक्षणों को कवर किया। अतः इसको एक प्रस्तर गिना गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.	लघु उद्योग	--	--	2	0	1	0	--	--	--	--
14.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2	0	--	--	3	0	1	0	--	--
15.	शहरी विकास	2	0	--	--	--	--	--	--	2	2
16.	गृह	1	0	--	--	--	--	--	--	--	--
17.	बन	1	0	--	--	1	0	1	1	--	--
18.	आवास विकास	1	0	--	--	--	--	1	0	--	--
19.	सिंचाई	1	0	1	0	--	--	2	2	--	--
20.	मत्स्य एवं पशुधन	1	0	--	--	--	--	--	--	--	--
21.	इलेक्ट्रानिक्स	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0
22.	सार्वजनिक उपक्रम	--	--	--	--	--	--	2	1	3	3
	योग	39	8	38	17	42	15	30	25	31	26

टिप्पणी:- प्रस्तरों की संख्या तथा प्रस्तर जिनके उत्तर पिछले वर्षों (2000-01 से 2003-04) से प्राप्त नहीं हुये हैं, को कम्पनियों/निगमों का प्रशासनिक विभाग में परिवर्तित हो जाने के कारण अन-ग्रुप्ड कर दिया गया।

परिशिष्ट-33

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं
को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 4.37 में सन्दर्भित)**

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड					
1998-99	4अ.4	5.60	अपर्याप्त स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन एवं देयों के अल्प अनुश्रवण के कारण हानि	ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य-प्रणाली तथा देयों की वसूली के अनुश्रवण को मजबूत बनाये जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी थी।	कम्पनी 48.32 लाख रुपये वसूल कर सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
1999-2000	2अ.7.1	75.25	तदैव	तदैव	कम्पनी 9.57 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	2अ.7.2	28.09	तदैव	तदैव	कम्पनी 1.98 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	2अ.7.3	8.70	तदैव	तदैव	कम्पनी 2.04 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	योग	117.64			

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमिताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ					
1997-98	3स.10.2(अ)	2.37	चेकों के अनादरण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को समाप्त नहीं किया जाना तथा विद्युत आपूर्ति विसंयोजित नहीं किये जाने से बकायों में वृद्धि	समुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों को जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी।	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरुद्ध बकाये की कुल राशि वसूल नहीं की जा सकी। उप्राविष्ट/कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध, बकायों की वृद्धि हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
1998-99	3अ.6.2.3	8.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.6.2.6	16.66	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.14	11.45	तदैव	तदैव	तदैव
	4अ.17	0.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। 0.99 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उ.प्र.रा.वि. प. ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।
2001-02	3अ.10	0.55	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.12	0.18	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.25	0.79	तदैव	तदैव	तदैव
2003-04	2.3.16	16.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि कार्यवाही की जाएगी।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1997-98	3स.12.1	61.39	परिवर्तकों की अतिशय क्षति (2प्रतिशत के मानक से अधिक वितरण परिवर्तकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार	अतिशय क्षति के कारणों की जाँच एवं निरोधात्मक रख-रखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी।	उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय-समय पर आंचलिक कार्यालयों को परिवर्तकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किया तथा सूचित किया कि उ.प्र.रा.वि.प. वर्तमान परिवर्तकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपगृह की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों के प्रभाव जिनसे परिवर्तकों की क्षति में कमी होती, प्रतीक्षित थी।
1999-2000	3ब.6.2	325.28	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.19	1.94	ऊर्जा उपभोग हेतु निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं से वसूली में विलम्ब हुआ।	बिलों को जारी किये जाने की प्रणाली को सूचृढ़ किए जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जोकि बिलों को देरी से जारी किये जाने की त्रुटि कर रहे थे, की जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-01	4अ.8	2.90	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.21	0.43	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.5.17	3.17	अल्प निर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति की अनियमित माफी	उन मामलों में, जहाँ पर कम्पनी को हानि हुई तथा कर्मचारियों की घोर लापरवाही परिलक्षित थी, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना था।	तदैव
1999-2000	4अ.13(अ)	0.23	तदैव	तदैव	राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल को दिये गये ऋण से अदल्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्देश दिया। यूपीपीसीएल के बकायों को सरकारी ऋण से समायोजित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी।
	4अ.26	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2001-02	3अ.19	0.49	तदैव	तदैव	तदैव

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2002-03	2.2.21	0.52	तदैव	तदैव	तदैव
2004-05	3.3	171.15	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2003-04	3.9	8.22	शीर्ष समय उल्लंघन के दण्ड की अनियमित माफी	कर्मचारियों द्वारा किये गये मुख्य उपेक्षापूर्ण मामलों तथा जहाँ कम्पनी को हानि हुयी में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही अपेक्षित थी।
	3.13	0.44	तदैव	तदैव	तदैव
	3.18	0.18	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया।
2004-05	3.10	0.36	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही अपेक्षित है।
2003-04	3.14	0.79	शीर्ष समय उल्लंघन के दण्ड को भारित न करना/अप्रतिबन्धित आपूर्ति की दर को न लगाना	कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही न करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	तदैव
	3.15	0.47	तदैव	तदैव	तदैव
	3.16	1.24	तदैव	तदैव	तदैव
2004-05	3.13	0.19	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.6.2.1	68.95	मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब भुगतान अधिभार की माफी	राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन करने हेतु कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सक्षम अधिकारी/समिति की अनुमति के पश्चात ही उद्योग में व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2000-01	4अ.22	2.80	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता, पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा लिये गये निर्णय को निगम द्वारा अंगीकृत किया गया था तथा केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गई।
2003-04	3.12	0.27	दर अनुसूची का गलत प्रयोग करने के कारण कम बीजकीकरण	लागू दर पर बीजकीकरण सुनिश्चित न करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.7	1.12	तदैव	तदैव	तदैव
	योग	710.71			
3. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड					
2000-01	4अ.1	1.41	प्राकल्लन/संशोधित प्राक्कलन से अधिक जिन्हें ग्राहक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। अनुबन्ध में विहित न किये गये एवं ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किये गये मद्दों पर व्यय हानि में परिणामित हुआ।	व्याधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता थी।	शासन के उत्तर में यह राय व्यक्त की गई कि व्याधिक्य तकनीकी आवश्यकता/अनिवार्यता के कारण थी। तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
2001-02	2द.2.4.4	0.22	तदैव	तदैव	संशोधित प्राक्कलन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया।
	योग	1.63			
4. उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड					
1999-2000	4अ.8	0.51	अनुचित भंडारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि।	अनुचित भंडारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि चीनी अपरिहार्य स्थितियों में गीली हो गयी थी जिसके लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2000-01	4अ.5	0.83	तदैव	तदैव	सरकार/प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि चीनी निवेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश जारी नहीं किया एवं लम्बे समय तथा अत्यधिक रहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गयी।
2002-03	3.1.6	1.19	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
	योग	2.53			

परिशिष्ट-34

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.37 में सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम					
1997-98	3अ.7.2.1	2.39	वह ईकाइयाँ जो प्रारम्भ से ही लाभकारी नहीं थीं के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की वसूली बाधित हुई।	मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होंने ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की आवश्यकता थी।	निगम सहायित इकाई के निवेशकों से मात्र 36.32 लाख रुपये की वसूली कर सका तथा शेष राशि के लिये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई।
	3अ.7.2.3	1.66	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रवर्तकों से मात्र 28.53 लाख रुपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई थी।
1999-2000	4ब.2	1.30	-तदैव-	-तदैव-	निगम सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा 11.54 लाख रुपये वसूल कर सका। देयों की वसूली के लिए निगम ने निवेशकों तथा प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आरसी)/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण मत्र (पीआरसी) निर्गत किये। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	4ब.7	1.39	-तदैव-	-तदैव-	निगम सहायित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से मात्र 25.15 लाख रुपये ही वसूल कर सकी। पीआरसी निर्गत की गयी है। किसी भी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
2002-03	3.2.2	11.68	-तदैव-	-तदैव-	कोई वसूली नहीं की जा सकी। आरसी निर्गत की गई है।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
	3.2.3	7.09	-तदैव-	-तदैव-	निगम 44.13 लाख रुपये वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	3.2.4	4.85	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने 1.95 करोड़ रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध 1.45 करोड़ रुपये अभी तक जमा हुये।
2004-05	3.16	5.65	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1997-98	3अ.8.2.1	2.82	वितरण पूर्व शर्तों का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने के कारण हानि हुई।	ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तों का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए थी।	निगम एक मुश्त निपटारा (ओटीएस) निर्णय के अन्तर्गत मात्र 75 लाख रुपये ही वसूल कर सका।
	3अ.8.2.2	1.75	-तदैव-	-तदैव-	निगम 74.60 लाख रुपये (51.10 लाख रुपये के ओटीएस के विरुद्ध, 32.75 लाख रुपये सहित) वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी पर अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	3अ.8.2.3	1.36	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने सम्पत्तियों की बिक्री से 12 लाख रुपये वसूले। निगम ने पीआरसी निर्गत की तथा पीआरसी के विरुद्ध एक प्रवर्तक से 70.50 लाख रुपये वसूले। किसी भी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया।
	3अ.8.2.4	2.14	-तदैव-	-तदैव-	निगम बकायों को नहीं वसूल सका। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
2003-04	3.21	2.21	-तदैव-	-तदैव-	निगम देयों की वसूली नहीं कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.15	13.59	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1999-2000	4ब.6	0.56	अनियमित विधिक दस्तावेजों/जाली दस्तावेजों पर ऋण वितरण किये जाने से हानि	त्रुटिविहीन सत्यापन हेतु प्रणाली का सुदृढीकरण/दस्तावेजों की स्वतंत्र जाँच की आवश्यकता थी।	निगम ने 62.74 लाख रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध ऋणी ने अभी तक 31.30 लाख रुपये जमा किया।
2000-01	4ब.3	4.44	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रवर्तकों से नाम मात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	4ब.5	0.97	-तदैव-	-तदैव-	निगम मात्र 28.80 लाख रुपये ही वसूल कर सका। प्रवर्तकों एवं प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध पीआरसी निर्गत की गई।
	4ब.6	0.62	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रवर्तकों से कोई धनराशि वसूल नहीं कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2002-03	3.2.6	4.50	-तदैव-	-तदैव-	निगम 1.46 करोड़ रुपये वसूल कर सका। आरसी निर्गत की गई है। प्रबन्धन ने इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को भी नहीं दर्शाया।
2003-04	3.22	2.06	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब से हानि।	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब के लिए कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता थी	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.18	10.79	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	योग	84.54			
2. उत्तर प्रदेश राज्य सङ्केत परिवहन निगम					
1997-98	4ब.2	0.32	विलम्ब से जमा किये गये ईपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	विलम्बित जमा पर क्षति के आरोपण को बचाने के लिए समयानुसार ईपीएफ का भुगतान आवश्यक था।	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
1998-99	4ब.1	0.19	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के स्थगन आदेश के क्रम में क्षति की धनराशि को समावोजित कर दिया गया था।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2000-01	4ब.2	0.27	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	योग	0.78			

परिशिष्ट-35

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 4.38 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि	3	17	94	1984-85
2.	मत्स्य एवं पशुधन	2	12	19	1995-96
3.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	9	93	220	1982-83
4.	सिंचाई	1	10	65	1993-94
5.	लघु उद्योग	2	19	143	1982-83
6.	औद्योगिक विकास	9	78	296	1984-85
7.	निर्यात प्रोत्साहन	2	20	93	1988-89
8.	वस्त्र उद्योग	2	19	110	1986-87
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स	6	25	97	1991-92
10.	लोक निर्माण	2	297	698	1979-80
11.	समाज कल्याण	3	18	75	1993-94
12.	महिला कल्याण	1	8	25	1993-94
13.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1	7	31	1996-97
14.	गृह	1	4	4	1996-97
15.	खाद्य एवं जनापूर्ति	2	67	198	1984-85
16.	पर्यटन	1	1	3	2003-04
17.	वक्फ एवं अल्पसंख्यक	2	8	50	1993-94
18.	परिवहन	1	118	249	1988-89
19.	सहकारिता	1	6	32	1990-91
20.	वन	1	79	326	1996-97
21.	पंचायती राज	1	4	6	1982-83
22.	ऊर्जा	8	1884	6456	1989-90
	योग	61	2794	9290	

परिशिष्ट-36
विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दशाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 4.38 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी अवधि
1.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	4	--	मार्च से मई 2006
2.	सिंचाई	1	--	मई 2006
3.	ओद्योगिक विकास	1	1	मार्च से अक्टूबर 2006
4.	बस्त्र उद्योग	--	--	मार्च 2006
5.	लोक निर्माण	1	--	मई 2006
6.	समाज कल्याण	2	--	अप्रैल से मई 2006
7.	खाद्य एवं जनापूर्ति	--	--	जून 2006
8.	सार्वजनिक उपक्रम	2	--	जून से अगस्त 2006
9.	गृह विकास	--	1	जून 2006
10.	सहकारिता	--	1	जुलाई 2006
11.	ऊर्जा	20	2	मार्च से अक्टूबर 2006
	योग	31	5	